Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 04/05

03. Referee Board 06

04. Spokesperson's 08

(Science / विज्ञान)

05. A Review On Ethnobotanical Knowledge Of Tribal Medicinal Plants (Sharad Kumar Singhariya) ... 10

(Home Science / गृह विज्ञान)

06. Anger Management - Role Of Yoga And Breathing Techniques (Dr. Deep Shikha Pandey)..... 13

07. Behavioral, Social And Cultural Aspect Of Clothing (Dr. Nidhi, Dr. Savita Sangwan) 17

08. Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Language 20
Motor Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City (Sangita Sharma)

09. उज्जैन जिले के शालेय विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर का अध्ययन (मध्यान्ह भोजन योजना के विशेष संदर्भ में) 23
(लतिका व्यास)

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

10. A Brief Study Of New Dimensions Of Corporate Social Responsibility (Deepika Shrivastava) 27

11. व्यवसाय में सूचना प्रणाली का महत्व – एक अध्ययन (डॉ. बालमुकुन्द बघेल) 30

12. म.प्र. में ग्रामीण ऋण (साख) व्यवस्था – संस्थागत स्त्रोत (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. निलेश महाजन)..... 34

13. ई–व्यवसाय– सामाजिक और नैतिक मुद्दे (डॉ. बालमुकुन्द बघेल) 37

14. पर्यटन प्रबन्धन से सामाजिक विकास के आयाम (डॉ. तरूण दुबे) 40

15. भारतीय अर्थव्यवस्था में बैकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रयास (डॉ. संगीता कुँभारे) 43

16 मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (माकवा) का कृषक महिलाओं की भूमिका व समस्या पर प्रभाव..... 45
(प्रियंका शर्मा, डॉ. प्रवीण ओझा)

17. भारत में उद्यमिता विकास एक विश्लेषण (डॉ. बालमुकुन्द बघेल) 47

(Economics / अर्थशास्त्र)

18. The Role Of Microfinance Towards The Sustainable Development Of The Rural Poor 50
(Dr. Kiran Kumar P)

19. Socio Economic Status And Health Seeking Behavior Of Slum Dwellers In Odisha - 53
A District Level Study (Lopamudra Sahoo)

20. भारत के प्रमुख किसान आंदोलन (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 56

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

21. म.प्र. में कृषि विपणन में उपज किस्मों एवं भण्डारण की क्षमता की स्थिति (भानु जाधव) 59
22. भारतीय राजनीति में सफाई कामगारों की स्थिति आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में (मनमोहन द्विवेदी) 61
23. भारतीय दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि– एक संक्षिप्त अध्ययन (सुफिया साहिन) 65

(History / इतिहास)

24. महाराजा अजीत सिंह कालीन प्रशासनिक व्यवस्था (डॉ. संजीव कुमार) 67
25. मुगलकालीन मुस्लिम समाज (डॉ. सुनीता शुक्ला) 70
26. 1930 का जंगल सत्याग्रह 'सतपुड़ांचल के विशेष संदर्भ में' (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 72
27. मुगलकालीन भारत का हिन्दू परिवेश (डॉ. सुनीता शुक्ला) 75

(Sociology / समाजशास्त्र)(समाज कार्य)

28. भारत में वृद्ध महिलाओं का परिदृष्य – एक विवेचन (जितेन्द्र सेन) 77
29. कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (संपत राठौड़) 82
30. दलितों के जीवन में अम्बेडकर जी की भूमिका (डॉ. एस.एस. मौर्य, प्रिया मिश्रा) 87

(Geography / भूगोल)

31. ग्वालियर संभाग के जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति वर्ष 2017 (महिमा राठौड) 89

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

32. Charles Lamb As The First Mile - Stone On The Road To Personal Essay (Dr. Jalaj Dixit) 92
33. Women Stalwarts In History (Dr. Hansa Paul) 96

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

34. नागार्जुन के उपन्यास 'इमरतिया' में सामाजिक सरोकार – एक विश्लेषण (देवेन्द्रसिंह ठाकुर, डॉ. मंजुला जोशी) 98
35. साहित्यकार अमृतराय के 'कठघरे' कहानी संग्रह में जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति का अध्ययन 101
(डॉ. विनय कुमार सोनवानी)
36. समकालीन महिला कथाकार एवं कृष्णा अग्निहोत्री (राजश्री सेंगर, डॉ. चंदातलेरा जैन) 104
37. राजी सेठ की कहानियों का संक्षिप्त सिंहावलोकन (संगीता बघेल) 107
38. नारी अस्मिता का अर्थ एवं स्वरूप (डॉ. शशिकान्त चंदेला) 109
39. महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती – खादी चरखा और महात्मा गाँधी युग (विमला रावतले) 111

(Sanskrit / संस्कृत)

40. साहित्यदर्पण में काव्य–भेद विमर्श (डॉ. आराधना) 113

(Education / शिक्षा)

41. Empowering Women Through Literacy, Information And Governance In The Era Of Globalisation - An Indian Scenario (Dr. Kumud Dikshit) 116

42. माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. अंजनी कुमार मिश्र) 119

43. सिद्ध – एक अनुचिंतन (डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा) 122

(Others / अन्य)

44. बघेली लोकगीतों में आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग (पवन कुमार शुक्ल) 125

45. खूहै आह्ला मंदर – रियासी (दविंदर सिंह) 127

46. भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसानों के अधिकारों का विधिक अध्ययन (डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल) 128

47. अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में सुधार संस्थाएँ – एक अध्ययन (डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल) 130

(Naveen Shodh Sansar / नवीन शोध संसार)

48. Method of Preparing of Research Paper 133

****

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
			***** Home Science *****
Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
			***** Education *****
Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
			***** Architecture *****
Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
			***** Physical Education *****
Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
			***** Library Science *****
Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

A Review On Ethnobotanical Knowledge Of Tribal Medicinal Plants

Sharad Kumar Singhariya*

Abstract - In this review study was carried out to gather information about Ethnobotanical knowledge of tribal people and ethnic races those are residing in forests since prehistoric times. These tribals are not only inhabited in these forests and fulfill their need of food, fodder, fuel etc. From it but a large number of wild and cultivated plants are being used by them to tre3sdxat various ailments. Thus a considerable amount of information on medicinal plants is available with these communities that passed on from generation to generation through word of mouth. Since, long efforts have been made to preserve this knowledge. Oral tradition and written tradition that include both Western and Non Western sources available in India is studied thoroughly to gain information about this ancient science and cure disease from it. Looking to the above facts, there is a strong need togather information systematically on forest plants and the knowledge is available with tribal people.

Key Words - Ethnobotany , forest, medicinal plants, tribal people, herbalists.

Introduction - Ethnobotany is Broadly defined as the study of relationship between people and plants. In other words it is the scientific study of the intersection between human cultures and plants. In other words it is the scientific study of the intersection between human cultures and plants. The scope of ethnobotany includes the study of plants used for a variety of economic and non-economic societal purpose. The term "Ethnobotany" was coined by J.W. Harshberger in 1895 to indicate plants used by the aboriginals : from "ethno" study of people and "Botany" study of plants. Ethnobotany is considered as a branch of ethno-biology. It deals with the study and evaluation of plant human relations in all phases and the effect of plant environment on human society. The term "Ethnobotany" is not new even to India Kirtikar and Basu (1935) stated. "The ancient Hindus should be given the credit for cultivating what is now called Ethnobotany."

According to schultes (1962) Ethnobotany is "the study of the relationship which exists between people of Primitive societies and their plant environment." in the past, Ethnobotany has emphasized on the relationships and interactions between plants and people. In traditional tribal on non-western cultures. TodayEthnobotany studies also includes all culturearеas including western people, who utilize plants in folk medicine or traditional remedies in contradiction to the use of conventional medicine to treat ill and injuries.

Ethnobotanists document, describe and explain complex relationships between people and how they use and manage plants and economic and medicinal resources. Ethnobotanists also record the ritual and ceremonial uses of plant in society, discussing the role that a specific plant or set of plants has within a cultural group.

Objects - Theseare the summary of various sources of knowledge for Ethnobotany in India :

Western sources (Written tradition) - The first records of plants used for medicinal purposes in Western tradition appear in ancient Egypt (Eber papyrus, copies which date to 1550 B.C. as well as in numerous texts from funerary monuments, sarcophagi and wall paintings) and in ancient sumer (a tabletlisting physician's prescriptions, dated to about 3,000 B.C.) systematic investigation of plants for this medicinal uses has a long history in the west, built upon Greek, Roman and Islamic foundations and intensified by colonial expansion and geographic exploration of the known world. In this tradition the first hallmark work was Dioscorides*De materiamedica*,whose date of compilation has been 77 AD. Dioscorides relied on the texts of crateus whose texts have not survived to the present day. Dioscorides was the first to attempt to systematize all plant knowledge known at that time to the Greek world, while his mode of organization was to group medicinal remedies by farm and origin of the illness or the remedy itself rather than by a botanical, zoological on mineralogical nomenclature. The work of some other classicists such as plinly the elder's ***naturalishistorica***. Dioscorides work was cited in the works of most other herbalists for the centuries to follow, including *Hortussanitatis* and *Herbariuslatinus*, which represented the culmination of herbal knowledge in Medieval Europe. During Medieval period and later, "herbals" or compendia of knowledge of herbal medicine, were produced and appeared throughout western Europe,

*Asst. Professor (Botany) Govt. M.S. College for Girls, Bikaner (Raj.) INDIA

but most notably in Naples, South Italy, Germany and England.

Non western source (Written tradition) - However, the systematic study of plants is not solely a western phenomenon for example in ancient China the first text of medicinal plants was compiled by European Shen Nung around 2700 B.C., the Pent'saoChing, similarly the Rigvedas and Ayurvedic medicine compiled in ancient India, Ayurvedic medicine is thought to date back atleast 5,000-10,000 years and the Rigveda around 5,000 B.C. on earlier, other medicinal traditions that employ medicinal plants rooted in Buddhism are recorded in palm leaf Manuscripts found in Burma, Laos and Cambodia, Thailand, Vietnam, Tibetan medicine also rooted in Ayurvedic evolved from the works – Charaka Samhita (around 1500 B.C.) the Susruta Samhita (300 – 400 A.D.) and the AshtangHrdyam (around 500 A.D.) records containing medicinal uses of plants are found in extant mayan codices such as the book of ChilamBalam of Kana, the Incas of South America and the Aztecs of Mesoamerica maintained botanical gardens containing economically and medicinally useful plants.

Oral tradition - Medicinal and the quest for healing illness is commonin all cultures, from forging societies to the more complex city state polities. In contrast, the medicinal knowledge of non literate groups was and continues to be transmitted through oral tradition.

Studies in the Ethnobotany of cultural groups that rely on the oral tradition to pass on traditional medicinal plant knowledge from generation to generation show that, in addition to great wealth of knowledge about medicinally useful plants, these cultural group also have an extensive knowledge of economically useful plants and the traditional technique used to manage, harvest and conserve these species. these studies have revealed that many traditional peoples possess an intimate knowledge of their environment and are keen observes of subtle changes across the landscape and in weather. This extensive oral tradition also includes knowledge of illness, remedies, treatments and healing technique, learned through an apprenticeship with an experienced healer recent studies in medical Ethnobotany have shown that the traditional medical knowledge systems of non literate cultural group are also extensive and can be as extensive as that of literate societies.

Age of discovery - The European discovery of the new world at the end of the 15thcentury increase knowledge of the known world and the natural phenomenon occupying that world. Explorations in the New world brought back to Europe many economically and medicinally useful plants including new foods, medicines, and items of commerce. This movement of economically useful plants world wide is often referred to as the Columbian exchange. Food plants that were brought from the old world to new world include coffee, (*Coffea spp.*), sugarcane (*Saccharumofficinarum*) wheat (*triticum spp.*) rice (*Oryza sativa*), egg plant (*solanummelongena*) mangoes, old world spices include cinnamon (*cinnamonumzeylanicum*), nutmeg (*myristicafrgrans*) black pepper. Today many of the foods and spices that are considered to be at the heart of the cuisines of the old world as well as the new world are a direct result of the Columbian exchange.

Literature available in India - Organized field work and other studies on Ethnobotany were initiated in BSI (Botanical Survey of India) by Dr. E.K. Janaki : Aromal, Dr. S.K. Jain, known as father of Indian Ethnobotany started intensive field work among the tribals of central India. He devised methodology for Ethnobotanyparticularly in the Indian context Ethnobotany alternative medicine and conservation of Indian medicinal plants has been studied by Acharya Shrivastava (2007), use of medicinal plants among tribes in Satpuda region of Maharashtra. An Ethnobotanical survey has been studied by Jain *et al.* (2010). Kumar *et al.* (2010) reported *Allium cepa :* A traditional medicinal Herb and it's Health Benefits. Miguel *et al.* (2010) wrote ashort review article on pomegranate (*Punicagranatum*). A phyto morphological review article on *Lawosoniainermis*has been written by Choudhary*et al.* (2010) Ayurvedic uses and pharmacological activities of *CalotropisProcera*. described by Meena*et al* (2013). An ethnobotanical survey of medicinal plants used in Terai Forest of WesternNepal was carried out by Singh *et al*. (2012). Jena and Gupta (2012) gave a detailed account of *RicinusCommunis*.Health and medicinal properties of lemon has been described by Mohan Priya (2013). Medicinal property of *MurrayaKoeingi*has been described by Kumar *et al*. (2013) Herbaccous medicinal and Therapeutic plants of district Samba of Jammu Province, Jammu & Kashmir was reported by Pandita*et al*. (2013). Ethno Botanical studies of *citrulluscolocynthis*was carried out by Meena*et al* (2014). Gangwar and Ghosh (2014) reported medicinal uses to pharmacological activity of *adhatodavasica*. The folk and modern used to *Allium sativum*was described by Shah (2014) an account of *tamarindusIndica*and it's health related effects was given by Kuru (2014). Preeti and Tripathi (2014) gave an account *ziziphusjujuba*. Aggrwal*et al*. (2014) reported phytochemical and Biological activities of *chenopodium album*. An update of ethnobotanical survey of Rajasthan was reported by Chaudhary *et al* (2008). Study of some important medicinal plants in urban area of Kota Rajasthan was carried out by Dadhich*et al* (2010). Tewari*et al*. (2013) gave a detailed account of *prosopisjuliflora*studies on ethnomedicinal plants of Shekhawati Region. Rajasthan having hypoglycemic properties was carried out by Mishra *et al* (2014).

Discussion - According to WHO several disease of modern times are generally life style disease. Medicinal plants have great importance in providing health care to about 80% of the population in India. Plants have been an important source of precursors and products used in a variety of industries, including those of pharmaceuticals, food, cosmetics and agrochemicals on the other hand the traditional medicines one enjoying an upsurge in review

high lights useful Ethnobotanical information about the uses of plants by the tribals of Rajasthan. Efforts should be made to conserve the ethnomedicinal plants.

Conclusion - Transmission of advanced and up to date knowledge is of almost important in research process. All human knowledge is found in books and libraries unlike others animals that must start a new with every generation, Men build upon the stored and recorded knowledge of the past. In research methodology the term literature refers to the knowledge of particular areas of investigations including the theoretical practical and latest studies. The term review means to organize the knowledge of the specific areas of research in such way, that justification of the problem under taken by researcher may be justified. The task of review of literature is very creative as well tedious research can take the advantage of knowledge which has preserved on accumulated during past years in form of :-

- Books and text books.
- Periodicals and journals
- Encyclopedia
- Hand books
- Specific dictionaries
- Dissertation and thesis

Above sources can help in presentation and utilization, advancement and transmission of knowledge. Review of literature is a tedious and time consuming process so we should take advantage of available of facility of computer internet, email, electronic media etc. Research is a continuous process. Hence Review of Literature should be attempted to throw light on every aspect of research work.

References :-

1. Choudhary K, Singh M & Pillai U, Ethnobotanical survey of Rajasthan - update (2008)
2. Choudhary M & Kumar A, Ayurvedic crude drugs for cure of diseases of the digestive system, (2001).
3. Jain A, Katewa SS, Galav P K & Nag A. unrecorded ethnomedicinal uses of Biodiversity from Tadgarh - Raoli Wild life sanctuary Rajasthan, (2007).
4. Ethnobotany by ICAR (2008).
5. Hand Book of Ethnobotany S.K. Jain (1999).
6. Ethnobotany Volume I – By Dr Suresh Kumar (2018).
7. Indigenous Knowledge on Ethnobotany by A.K. Ghosh (2012)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Anger Management - Role Of Yoga And Breathing Techniques

Dr. Deep Shikha Pandey*

Abstract - Thousand of year ago yoga originated in India and in present day and age an alarming awareness was observed in health and natural remedies among people by yoga and Pranayama which has been proven and effective method for improving health in addition to prevention and management of diseases. With increasing scientific research in yoga, its therapeutic aspects are also being explored. Yoga is reported to reduce anger, stress and anxiety. Now a day several researches suggested yoga is beneficial for all psychological problems in human being. So the purpose of this article is to aware different types of yoga and breathing techniques for reducing anger and beneficial for anger management.

Key Words - Yoga, breathing technique, anger, anger management.

Introduction - Anger is only one letter –short of danger. Anger = Danger. According to Evan Esar- anger is a feeling that makes your mouth work faster than your mind. According to Rolph Waldo Emarsan – For every minute you are angry you loss 60 second of happiness. All the statements are shows that anger are a negative phenomenological feeling state, which associated with cognitive and perceptual disorders. It is also an inner signal that something may be wrong. It is a basic human emotion that is experienced by all people. Anger is also powerful emotion; it can be used either in productive or counterproductive ways. It is like electricity. Anger can exist at any one of a wide range of intensities such as –

IRRITATION———— ANGER———— RAGE

In Irritation can be when you feel annoyed at something that some when has done to you. In anger when you feel more than annoyed, but can be somewhat controlled. In rage when the anger has completely taken over your body and you can no longer think rationally about the consequences of your actions. This is the stage that can be the most deter mental because you don't think just act. Anger is generally a part of everyday life. Anger cans mental confusion. It leads to impulsive actions and poor decision making. It is also caused by external and internal events. You could be angry with a specific person such as co worker or supervisor or event about your personal problems could cause your anger. Anger can also result from misunderstanding or poor communication between people. Anger is unhealthy anger is a completely normal usually healthy human emotion , but when it gets out of control and turn destructive it can lead to many problems at work in your personal relationship and in the overall quality of your life. According to Charles Spielberger- It is deco pained by physiological and biological changes when you get angry your heart rate and blood pressure go up as does the level of your energy hormones. It leads to impulsive actions and poor decision making. It is response to pain. When we are angry the brain downshifts to a lower evolutionary level. Present time unmanaged anger can cause much ill effect such as- heart attack, stroke, decreased immunity, skin problems, digestive problems, anxiety and depression, migraines and manly negative emotions.

In present time management of anger is very necessary for every person for their healthy sound life. Anger management is the process of learning to recognize sign that you are becoming angry and taking action to calm down and deal with the situation in a productive way. It refers to the process by which a person learns how to identify stressors. Anger management would be seen then as increasing the positive aspects or frustrations of anger and decreasing the negative functions of anger. Anger management also may be defined as the strategies and techniques. Individual can use to control their anger provoking situations. Some basic steps for Anger management like – identify personal signals of anger, identify self talk techniques, learn problem solving skills and learn relaxation skills. The main goal of Anger management is to reduce both your emotional feeling and the physiological arousal that anger causes. You cannot get rid of or avoid the thing or the people that enrage you, now can you change them but you can learn manner, the support of a mental health professional may be helpful in this process.

Role of yoga and breathing techniques for Anger management - Anger is generally a part of everyday of life. It is not something that you should be representing as

*Asst. Professor (Home Science) Gautam Buddha Mahila College, Gaya (Bihar) INDIA

it can have harmful effects on your health and relationship. According to Raymond W. Navaco, 1984 we will experience angry anger only becomes a serious concern when an individual is angry too frequently, too intensely and for too long. Many we feel anger, irritability and frustration throughout the course of your daily life. When we initially feel a wave of anger there are several traditional and some not traditional method for Anger management. Anger management is available to help individuals cope with potentially anger including aspect of their jobs.

In present time, there are different types of exercise form for controlling anger, depression and anxiety. Exercise can be a great daily treatment of release those feelings. If you find yourself getting angry often different types of YOGA and BREATHING TECNIQUES can help to you manage the felling while you are at work or at home between you work outs.

Yoga is calming and relaxing, when you focus on listening to your body it is hard to hold on to anger. Yoga is an art which connects our soul, mind and body together. It makes us to strong, flexible, peaceful and healthy. Yoga is not a religion. It is a way of living that aims towards a healthy mind in a healthy body. In countries like India where people have so much stress and are fatigue, yoga is very necessary, it makes us fit and healthy because a healthy mind can do everything. According to Mr Narendra Modi (U N General Assembly sep 2014) "Yoga is an invaluable gift of Indians ancient tradition. This tradition is 5000 year old. It emboli's unity of mind and body thought and action restraint and fulfillment harmony between man and nature a holistic approach to health and well being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with you, the world and the nature, by changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in wellbeing." Different types of yoga help in attention, focus and concentration especially important for youth. It increases self awareness, enhances personal power, remove negative blocks from the mind and toxins from the body and promote self healing. Anger and stress can become difficult to manage as the mind becomes loaded with worry, memories of the past and anticipation of the future yoga offers us space and time to practice witnessing awareness and remain in the present moment. Yoga is soft, slow and meditative. This soothing practice is an antidote to the busyness of life and the daily stresses that can create anger. There are several type of yoga and breathing techniques for anger management like, Savasana, Sheetali Pranayama, Anulom Vilom, Sarvangasana, Bhramri, Balasana, Uttanasana, Sukhasana, Childs Pose,, Nose Breathing, Relaxation breath and Deep breathing.

Savasana - Savasana helps relieve mild depression, high blood pressure during savasana all parts of the body are scanned for muscular tension of any kind. The savasana is released by slowly deepening the breath, flexing the fingers and toes reaching the arms above the head, stretching the whole body and exhaling while bringing the knees to the chest and rolling over to the side in a fetal position. Its reduction in general anger and anxiety, it's also reducing in the number and frequency of anxiety attacks.

Sheetali Pranayama - The word Sheetali means - the one that can cool you down. The cooling breathing exercise is a phenomenal approach to address anger. You basically roll your tong or press your lips together. At that point close your mouth and breathe out through your nose. This practice is believed to lessen the anger and enhance peace of mind. It reduces stress, anger and anxiety effectively and lowers blood pressure.

Anulom vilom - This is one of the most effective way to release anger. It keep the blood pressure level under control oral rejuvenates the body cells through the proper supply of oxygen .To start with Anulom Vilom first fit normally in crossed leg state inhale deep through one of the nostrils gradually closing the others through your finger. Now remove the finger and exhale, while closing the other nostril through the finger. Repeat the process for at least 15-20 minutes.

Sarvandasana - Sarvangasana is very good physical yoga for anger release. The pose rejuvenates the brain cells through the proper supply of blood. Not just the brain, the pose helps in keeping the blood flow rate perfect for each part of the body. To start with first lie down on the ground keeping the leg straight. Now lift both the legs jointly, keeping them straight gradually at 30 degrees than 60,90 and ultimately erect the entire body making it perpendicular to the ground with the support of your hand on the back. It means the entire body has to stand on the shoulder. The vision should be a toe.

Bhramri - Bhramri is the most suitable yoga for emotional balance for the modern day people. It is proven yoga for issues like high blood pressure, hypertension, stress; lack of focus etc. Bhramri is a quite simple yoga. All it needs is to sit at crossed leg state, closing the ears through the thumbs and putting the other fingers on the eye. Now make a gentle sound inside like a murmur or mmmmmm inside the each breath.

Balasana - Balasana is other most practiced yoga for emotional release. People having issues of hyper tension and stress also find it and quall effective. The pose is very simple. First sit in Vajrasana exhale and bend down to make the forehead touch the ground. Both the hands should remain at the either side of the body.

Uttanasana - Uttanasana can be nice yoga to control anger. It's quite an easy pose that can be tried by people of every age group. It enhances other part of the body. To start with stand straight exhale and raise both the hand up. Now bend the upper body down gradually keeping the legs straight, without bending the knee and hold the heel portion of your leg.

Sukhasana - Sukhasana is the easiest of all yoga to control emotions and anger. You simple have to sit in crossed leg state keeping the back straight. Finger should be in proper madras and on the thigh. Close the eye and put your entire

focus on the breathing process.

Childs pose - Child pose is great for strengthening the mind body connection and for keeping us in touch with how we are feeling. Child pose is another position designed specifically to calm the muscles and mind and it built for relaxation. Push back and bring your arms around to the sides of your body with head resting on the ground. To stretch your shoulders reach your arms. Out in front of you and extended child's pose.

Nose breathing - One of the lasting traditional aspects of yoga is an anger coping mechanism that can be used anywhere. One of the best nose breathing exercises is the three part breath, also known as complete breath. The three part breath is done by sitting fall and inhaling, bringing your breath deep into your abdomen than into your rib cage and finally into your chest and throat.

Relaxation breath - Relaxation breath is a slow paced technique used to induce a state of deep relaxation and centeredness. It's another simple exercise that can be utilized for stress and anger in daily life.

Deep breath - Taking a few deep breaths in and out will instantly help you drop anger, the moment you become angry, close your eyes and take a few deep breaths and observe the change in your state of mind. Breath releases stress and helps your mind calm down.

Literature review - There are numerous studies that describe measurable benefits of yoga for various population, little is known about the experience of yoga by women with moderate to severe depression and anger. Ucbelacker found that after 8 week open trial of Vinyasa yoga most of the 11 depressed and anxiety holder participant reported an emotional, physical and social benefit to the yoga in intervention (Ucbelacker et al 2010). Tooley found significantly higher plasma melatonin in the period immediately yoga compared with the same period at the same time on a control night. It was concluded that yoga can effect plasma melatonin levels.(Tooley et al). Hari nath evaluated the effects of 3 month HATHA yoga practice and Omkar meditation on melatonin secretion in healthy subject. Yoga group subjects practiced selected yogic asanas for 45 min. pranayama for 15 min daily for 3 months. Result showed that yoga practice for 3 month resulted is an improvement in psychological profile. These observations suggest that yogic practices can be used for anger and stress control.(Hari Nath et al). In some other studies it has been found that subjects trained in yoga can achieve a state of deep mental relaxation associated with highly significant, decrease in oxygen consumption within 5 min of practicing deep breathing and savasana. In a german study published in 2005, women who described themselves as emotionally distressed as treated with 90 min yoga classes. At the end of 3 months women in the yoga group reported improvements in perceived stress, depression, anger anxiety and well being. Anger controlled much more often in the yoga group than in the control group. 2005 study examined the effects of a single yoga class for inpatients at the New Hampshire psychiatric hospital, 113 participants among patients with major depression; it is found after yoga class tension, anger, anxiety and hostility dropped significantly. Amy Bilder Beek observed that prisoners doing yoga may see psychological benefits. The researchers found that prisoners often a ten week yoga course reported improved mood, reduced stress and anger were better at a task related to behavior control than those who continued in their normal prison routine. (Any Bilder Beek, Dr Migeel Faries). Manincor Michaelde observed that 101 people with symptoms of anger and anxiety participated in 6 week individualized yoga intervention in addition to usual treatment. Participants who did the yoga showed significant reduction in anger and anxiety and frequency of negative experience and improvements in measures of overall mental health. Savvasana and yoganidra has proved it efficacy in treating anger and stress very efficiently (swami satyanand saraswati 1993) . It has shown its efficacy in managing stress, hypertension and anger in women (deuskar2004). The effectiveness of yoga in treatment of neurotic, psychotic and psychosomatic conditions. The positive effect of relaxation in the control of cardiovascular disorder (Deshmukh, 1971). Yoga education in school is very effective in addressing the issue of anger among high school children (AlkaMani, M.K.Sharma 2016).

Conclusion - In summary many reviews postulates that mind body exercise such as yoga sustained muscular activity with internally directed focus, producing a temporary self contemplative mental state. It also triggers neurohormonal mechanism that brings about health benefits. Thus it reduces anger, stress and anxiety. Yoga is calming and relaxing, when you focus on listening to your body, it is hard to hold on to anger. Developing a regular yoga practice will help with your anger. Meditation is also important for anger management. Just 15-20 minutes of daily meditation can make a lot of difference. Practice and patience in meditation is essential. Over a period of time with regular meditation practice you will find that you have become calmer and do not get anger as often. So yoga, meditation, breathing exercise, good food habits and 8 hour of sound sleep is the ultimate success mantra to control anger.

Says Dr Suman Singh (Assistant Professor and regular yoga student)

On certain days when I am very stressed out, I feel a lot of stiffness in my body. This makes me very restlessness and I tend to get angry very easily. Yoga removes stiffness from the body and the result is a relaxed and happy mind.

References :-

1. Alka, Mani, (2016) Study OnYogic Management Of Anger In High School Children, International Journal Of Current Research And Academic Review, Vol 4 Number-12pp 93-102
2. Manpreet, Kaur, Rajesh Kumar (2016) Effect Of Yoga And Medition On Stress Management Of Female Prisoners In Delhi, International Journal Of Science

Technology And Management, Vol 5, No 12
3. Sengupta,Pallav ,(2012) Health Empacts Of Yoga And Pranayama :A State Of The Art Review, International Journal Of Preventive Medicine Prev.Med.Jul,3(7) 444-458.
4. Yadav Sunil Kumar, B.C. Kapri(2015) A Study Of Stress Management Through Yoga, Number 30,
5. http//www.researchgate.net
6. http//www.medicalnewsstoday.com/how-can-i-control-my-anger
7. www.theyogafoundation.org/research-the-yoga-foundation.
8. http//communitytable.parade.com/5yoga –and-breathing-tips-to-conquer-anger-issues
9. https//www.artofliving.org/how-to-reduce-anger
10. www.wikihow.com/how-to-use-yoga-for-anger-management
11. http//www.yogajournal.com/dealing-with-anger-through-understanding-and-control-yoga
12. lemonlimeadventures.com/5simple breathing exercises to calm an angry child
13. https//m.huffpost.com/yoga –for-anger-3-moves-to-help-you-calm-down.
14. www.mayoclinic.org/anger-management-10-tips-to-tame-your-tamper
15. https//www.slideshare.net
16. http//www.slideshare.net/anger
17. https//www.sharecare.com/9-step-plan-to-control-your-anger-slideshare
18. health.puducherry.gov.in/yoga-for-stress-manage-ments
19. https//en.m.wikipedia.org/anger –management-Wikipedia
20. www.nhs.uk/how-to-control-your-anger-stress-anxiety-and-depression
21. https//en.m.wikipedia.org/anger.
22. www.nhs.uk/how-to-control-your-anger-stress-anxiety-depression
23. https//www.merriam-webster.com/anger-definition-of-angerS

****

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) July To September 2019, Vol. I

Behavioral, Social And Cultural Aspect Of Clothing

Dr. Nidhi* **Dr. Savita Sangwan****

Abstract - Society recognizes the role of clothing as a communicator of information during social interaction and as an aid in the establishment of self-identity. Observation of appearance form a large part of the information upon which the identification is made. These observations are associated with personality and behaviour. The silent language of clothing make life not only more endurable but more enjoyable for everyone. Clothes are so intimate, obvious and omnipresent a part of our personality that no other expenditure of equal amount so much to the satisfaction of our deep desire for personal recognition and to the sense of personal security always under threat in this uncertain world. Truth is that life is about people and social interaction the more we liked, desired, loved, respected and complimented the better we feel and the more we enjoy life. Clothing has a strong influence on the interaction so better you wear, better and confident you interact and relationship will be strengthened.
Key Words- Self identity, behaviour, personality, clothing behaviour.

Introduction - Clothing is fiber and textile material worn on the body. The wearing of clothing is mostly restricted to human beings and is a feature of nearly all human societies. The amount and type of clothing worn depends on physical, social and geographic considerations.

The primary function of clothing is to improve the comfort of the wearer. In hot climates, clothing provide protection from sunburn or wind damage, while in cold climates its thermal insulation properties are generally more important. It protects the wearer from rough surfaces, rash-causing plants, insect's bites, splinters, thorns and prickles by providing a barrier between the skin and the environment. Science says that the clothes we wear affect our behavior, attitudes, personality, mood, confidence, and even the way we interact with others. This is "Enclothed Cognition." Clothes affect our behavior and our moods because of the symbolic meaning that we (as a society) ascribe to different types of attire.

Traditional clothing in India greatly varies across different parts of the country and is influenced by local culture, geographic climate and rural/ urban settings. The choice of clothing is primarily governed with the society and the culture in which one lives, the influence of society may be formal such as by rules and regulations and may be informal such as by customs and the fashion. With the advancement of the civilization, the basic Indian culture is changed and accordingly dress sense is changed.

Attitudes and values - Attitudes and values are believed to be playing vital role in selection of clothing. It also contributes a lot to person's attractiveness and admiration, besides being a "Sign Language" that communicate a set of information.

Value - The dictionary meaning of value is moral or professional standards of behavior. Value is a broad and more basic concept then attitude and interest. Value act as a directive and motivating force in behavior and in decision making. These are developed from an individual's experience and the culture in which he lives. Thus people from same culture have common values but there can be individual difference. There are basic six values Theoretical, Economic, Aesthetic, Religious, Political and Social.

Theoretical - The dominant interest of the theoretical man is the discovery of truth. In the pursuits of this goal he expectedly takes a "cognitive" attitude. He is necessarily a scientist or philosopher. His aim in life is to systematize his knowledge.

Economic - The economic man is expectedly interested in what is useful. Based on the satisfaction of bodily needs. Desire for comfort, energy, money. This type is practical and confirms well to the stereotypes.

Aesthetic - The esthetic attitude is directly opposite to the stereotypes. Each single experience is judged from the stand point of grace, symmetry or fitness. People with aesthetic values want to be different from the crowd. Their clothes, accessories like bags, jewellery, is all beautiful and different.

Religious - The highest value of the religious man may be called unity. He is mystical and seeks to comprehend the common as a whole to relate him to its totality.

Political - Desire to obtain power, prestige and leadership.

*Asst. Professor, CISKMV, Pundri (Haryana) INDIA
**Asst. Professor & Head (Home Science) JJTU, Jhunjhunu (Raj.) INDIA

They want to create good impression on others through clothing.

Social - The social value is directed towards the concern for the opinion of others. Desire to obtain social approval through clothing. They believe that they will have more opportunities if they dress well.

Attitudes towards clothing - Attitudes concerning the relative importance of clothing are related to basic values. People with high religious values are inclined to put less emphasis on clothes while those with high economic or esthetic values are more inclined towards clothing. An attitude towards clothing also varies with the socio-economic status or the occupation of the person. Study by Alexander lists the reason why people want to be well dressed physical appearance a) Minimize physical imperfections. b) Enhance physical attributes it includes all items which refer to clothes making the individuals appearance more attractive physical

Functions of Clothing - Expression of personality-This category is concerned with items which deal with clothing as representative of social aspects of self, impression, to evoke initiating behavior of others, acceptance, personal satisfaction.

Interest in clothing - Interest is a "liking" for a class of things or a field of study as opposed to indifference or dislike. The greater the interest the individual has in something the more attention he will give to that subject. Thus when a person has interest in clothes, it refers that he likes and is observant of clothes.

Development of interest in clothing Ryan interviewed college girls and found out that the most important factor that contributed their interest or lack in clothing was Mother and family interested. Allowed to choose own clothes, School or work in dress shop, Interest in feminine things, Interest in color and design, Friend's interest. Felt unattractive and tried to compensate.

Nonverbal communication of clothing -

Emotion - The posture of the skeletal frame and the movement of the body within clothing, combined with the selection of ailment, communicate strong emotional messages. Vivid examples of this are found in the Bible where many references are made to the use of clothing to convey emotional feelings. Clothes express feelings of individual happiness which are communicated to others as indicated by the colloquial terms, "glad rags." Festive or party clothes differ from everyday work clothes and allow the wearers to experience a freedom and gaiety.

Behaviour - We have established as part of our civilization rules for social behaviour. Conformity to these rules is generally expected, and deviation from these rules is generally expected, and deviation from these rules is disapproved. There is a close relationship between clothing and behavior. Special kinds of behavior can be produced by the wearing of special kinds of clothing.

Differentiation - Clothing can be used to show differentiation among peoples. Many of the theorists believe this is one of its primary purposes. The differentiation may be one of several types, showing differences from one society to another or differences within the society.

Stereotyped societal uniforms are often attached to various cultures as means of differentiation. Differentiation on a clothing basis is to be found everywhere. Obvious uniforms are those of the clergyman, the military, the police. Many schools and clubs have special dress.

Cultural aspects - Culture constantly is being modified by development in the technical, political, social¢ Cultural changes is always more rapid and by same taken more obvious when enforced through political disorganization or social upheaval. ¢ Culture itself is never completely static or uniform, each age, each generation, each year brings some modification of custom and accompanying clothing habits.

To maintain social relationship- every person tries to cloth himself according to the culture and it helps to maintain and improve social relationship. It gives him a feeling of satisfaction. Clothing oneself according to the culture helps to provide valuation-the quality of the clothes worn by the wearer shows his value in the society and gives him satisfaction.

To signify social achievements- the cloths make clear the differences between the position and the rank of the wearer in the society and signify his social achievements. To identify the needs- the difference in clothing of people according to the culture helps one to realize the pros and cons of it. For this reason, people bring out the changes in their culture which are more useful and the change in clothing comes with it.

Outlook of the individual - the clothing pattern of the person as according to the culture influences his thinking and the outlook towards his life and others. The point of view coming from the previous generations and the rules regarding dos and don'ts of culture and carried on by the clothing.

Gender differentiation - In Western societies, skirts, dresses and high-heeled shoes are usually seen as women's clothing, while neckties are usually seen as men's clothing. Trousers were once seen as exclusively male clothing, but can nowadays be worn by both genders. Male clothes are often more practical (that is, they can function well under a wide variety of situations), but a wider range of clothing styles are available for females. Males are typically allowed to bare their chests in a greater variety of public places. It is generally acceptable for a woman to wear clothing perceived as masculine, while the opposite is seen as unusual. In most cultures, gender differentiation of clothing is considered appropriate. The differences are in styles, colors, and fabrics.

Religion - Muslim men traditionally wear white robes and a cap during prayers. Some religious clothing might be considered a special case of occupational clothing. Sometimes it is worn only during the performance of religious ceremonies. However, it may also be worn every

day as a marker for special religious status. For example, Jains and Muslim men wear unstitched cloth pieces when performing religious ceremonies. The unstitched cloth signifies unified and complete devotion to the task at hand, with no digression. Sikhs wear a turban as it is a part of their religion. The dress sense in the particular culture gives a sense of superiority or inferiority and acts as a medium of self impression.

Conclusion - Needless to say we need more research in order to understand the new language of clothing. The silent language of clothing make life not only more endurable but more enjoyable for everyone. Clothes are so intimate, obvious and omnipresent a part of our personality that no other expenditure of equal amount so much to the satisfaction of our deep desire for personal recognition and to the sense of personal security always under threat in this uncertain world. We probably need to obtain some of the old symbolism of experimentation and excitement for the young and of grace and dignity for the old but we also need to develop new symbols of a sense of worth and well-being for all of us on global earth and whatever worlds beyond we may inhabit.

References :-

1. Alexander, P.R. 1977. Textile Products: Selection, Use & Care. Houghton Mifftlin Comp. Bostan
2. Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. 1960. A study of values. Boston: Houghton Mifflen.
3. Bhatnagar, J.K. 1971. A cross cultural study of values. Psychological Studies, 16(1), 20-28.
4. Horn, M.J. 1970. The Second Skin: An interdisciplinary study of clothing. Houghton Mifflin Co. Boston.
5. Hurlock, E. B. 1929. Psychology of dress: An analysis of fashion and its motive. New York, NY: Ronald Press.
6. Lapistsky, M. 1961. Clothing values and their relation to general values and to social security and insecurity. (Published Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University).
7. Lawerence Langner, The importance of wearing Clothes, Hastings House, New York, 1959.
8. Ryan, M.S. 1966. Clothing a study of human behaviour. Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York.

****

Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Language Motor Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City

Sangita Sharma*

Abstract - this study examined the study on insufficient breast milk mother's of children in department of pediatrics, Gandhi memorial hospital, Rewa. The cases included would be randomly selected for the mother's attending under clinic of department of pediatrics shyam shah medical college rewa. Three hundred sixty mothers would be interviewed during the period of study. All the mothers would be carefully interviewed and the following point would be recorded in the Performa, i.e , address and other information regarding the milk insufficiency and also children language motor development delay .The mean was found to be organic maternal milk insufficiency 65.71 and inorganic maternal milk of insufficiency 69.63 with SD organic maternal milk insufficiency 8.38 and inorganic maternal milk of insufficiency 8.36. The table and figure shows the insignificant and difference between mean of organic and inorganic maternal milk of insufficiency of subject base line process normal insufficiency language motor levels. The difference was no significant t= 0.09

Key Word - Maternal milk insufficiency , gross motor development.

Introduction - The nutritional and immunological advantages of breastfeeding are well documented, consistent study result concerning the psychosocial benefits are more elusive. the pathways by which breastfeeding affects psychosocial and emotional development are difficult to disentangle and are not always uni-directional. Confounding variables, such as maternal education, are closely associated with the practice of breastfeeding , yet are also determinants of psychosocial development .environment factors interact with biological determinants, modifying their observed effect on development. For example, engle et al .4 suggest that maternal vocalization patterns may differentially modulated the influence that child nutrition status has on cognitive development .further, polite postulated that not only do environmental factors (such as vocal stimulation) have a direct and modifying effect on children's development , the reverse is also true – a developmentally advanced child elicits more stimulation from a caregiver.

Infant constitute about three percent of total population and in our country the malnutrition constitution one the major problem among the infant and children and responsible for mortality and young child malnutrition levels in india remain persistently and unacceptably high-with 30 % babies born with low weight and 47 % of children under three years being underweight , locked in a vicious intergenerational cycle of malnutrition. Malnutrition is directly or indirectly responsible for more than 50 % of young child death. More than two thirds of these deaths occur during the first year of life and are often related to inappropriate feeding practices around two thirds of infant death occur in the first month of life in india. Recent research on accelerating child survival published in the lancet, clearly establishes that the universal practice of exclusive breastfeeding for the first six month is the single most effective child survival intervention - it reduces young child mortality by 13% globally and by nearly 16% in the context of india. Universal appropriate complementary feeding along with continued breastfeeding , also contributes to a reduction of nearly 5% in young child mortality, in the context of india.

Language Development - Development of ability to communicate and it includes comprehension (receptive language) as well as expression of language (expressive language). Language refers to the expression of thought and ideas. It includes both receptive and expressive languages. Receptive language is ability to understand what is being said. Expressive language refers to the ability to make thoughts, ideas known to others through speech, gestures and facial expressions.

Receptive Language - Infant shows receptive language skills at birth. He shows preference for voices. At 4 weeks, infant is heedful of sound and quietness on sound of bell and by 12 weeks starts turning head to sound. Afterwards, receptive language ability is shown by response to name (7 months), response to 'No' (10 months) and obeying of simple order (Give it to me). By 12-15 months, he can point to familiar objects and body parts. Thereafter, growing receptive ability is shown by every increasing understanding of words, following simple and then complex instructions and understanding most of what is being said.

Expressive Language - Initial expressive language consists of musical-like vowel sounds (cooing). At about 3

*Research Scholar, A.P.S.University, Rewa (M.P.) INDIA

months, the infant begins vocalizing immediately upon hearing an adult speak and talks a great deal when spoken to; he holds long conversations with his mother by 12-16 weeks (to and fro vocalization). By 16 weeks, he laughs aloud, squeals with pleasure and begins to say ng, Ah-goo. By 20 weeks, he enjoys razzing (i.e. blowing between partially closed lips) and limitates coughing and tongue protrusion. This is followed by monosyllables (ba/da/ga; 6-7 months) and bisyllables (8-9 months). By this time, he vocalizes with many high and low pitched tones and vocalizes cough to attract attention. At 9-10 months, he starts imitating sounds. First meaningful word, i.e. use of mono-/bisyllables with a specific meaning for the child (e.g. saying mama only for referring to mother is a meaningful word which otherwise is a bisyllable), is spoken by 10-11 months.

After 1 year of age - By 12-13 month, he is saying 2-3 words with meaning and starts pointing at objects to communicate a request. Jargoning, speaking in an unintelligible language of his own, with modulations and phrasing, but only an occasional intelligible word, starts between 15 and 18 months. There is an exponential gain in language 18 months onwards. An 18-month-old toddler boasts of a vocabulary of 10 different words. He repeats things said to him 21 months onwards and begins to join words other than in imitation by 21-24 moths. Jargoning usually disappears. He starts using pronouns in order of mine, me you and 1 in that order, though he is much more prone to call himself by his name rather than using I. He talks incessantly.

Reviews - P.S. Mukharjee (1959) studied the feeding habit of 538 children ranging from 1 month to 5 year in urban west Bengal he found that the child was put to the breast very soon after birth. The feeding was on demand schedule. 85.4 percent infants was breast fed up to the age of one month. At 6 months of age only 19.6 percent children were breast fed. Breast feeding completely failed in 1.3 percent cases even at the age only month and artificial food had to be added in 13.3 percent children. 80.4 percent of the children has artificial food at the age of 6 month and in 5.5 percent breast feeding had to the age of 6 month and in 5.5 percent breast feeding had to be completely replaced. It was seen that 98.7 percent of the children were either fully or partially breast fed at the age of one month, 97.1 percent and the age of 3 months, 94.5 percent at the age of 6 month, 84.7 percent at the age of 9 month and 73.9 percent at the age of 1 year.

Improved development may also be related to improved growth. However, the effects of breastfeeding on linear growth are not consistent. In developing countries, increased breastfeeding has been associated with increased weight-for-age at 6 to 12 months of age and mid-upper-arm circumference at 18 months. However, other studies have shown no benefit to growth in the first 6 months, and increases in malnutrition related to breastfeeding during the second year, particularly in the presence of other risk factors, such as low food intake and high diarrhoeal morbidity. On the basis of an excellent Peruvian study examining the causality of the relationship between linear growth retardation and breastfeeding, it appears that poor growth and ill health lead to increased breastfeeding, rather than prolonged breastfeeding leading to malnutrition.

A study was conducted on breast feeding changes for VLBW infants in the NICU following staff education. This study was used to assess the effectiveness of an educational intervention aimed at staff and parents in changing breast feeding practices in NICU. The study samples included LBW infants hospitalized in NICU for more than 7 days. Infants were grouped based on whether they were admitted before (pre intervention) or after (post intervention) implication of the education initiative. The study results showed that the post intervention group demonstrated significant improvement in rate of breast feeding in the NICU when compared with pre intervention group.

Several review articles addressing breastfeeding and breast cancer risk have mentioned an association between organic insufficient milk supply and subsequent breast cancer (Sakai, T., 2001), (Lipworth, L., Bailey, L.R. *et al.*, 2000), (Newcomb, P.A., 1997) however it is imperative that a rigorous survey of the literature be carried out on this question. The evidence from such a review can help determine the need for further epidemiologic studies and contribute to incorporating the lessons learned from previous work into future studies.

Aims and objectives - To study of organic and inorganic maternal milk insufficiency of language motor development in children.

Hypothesis - There would be significant difference between organic women's child language motor will be increase than inorganic maternal milk insufficiency.

Tools - denver q! the data were collected from denver development screening scale test (D.D.S.T) . it is constructed in 1967 by Frankenburg and Dodds

Material method - sample size 360.

The data were collected in 180 organic and 180 inorganic of maternal milk insufficiency mother child.

Result-

Language motor table - Showing the significance of difference between mean of organic maternal milk insufficiency and inorganic group of milk insufficiency of Language. **(Table see in the last page)**

Figure 5.11 - **(See in the last page)** Showing the significance of difference between mean of organic maternal milk insufficiency and inorganic group of milk insufficiency of Language.

The mean was found to organic maternal milk insufficiency 65.71 and inorganic maternal milk insufficiency of 69.63 with SD Organic group Insufficiency 8.38 and Inorganic group Milk 8.36. The table shows the means of be Organic & Inorganic Maternal Milk of Insufficiency mean

65.71 and 69.63 was found significant by less than of the subjects mean. The difference was no significant t= 0.09.

Discussion - The aims of this research were to hear from this small group of women who were milk insufficiency, to learn about their experiences of breastfeeding and to report what influenced their decision about initiation and cessation of breastfeeding. The specific exploration of difficulties with breastfeeding largely aligned with other related research. These were the challenging nature of breast feeding, which included perceived insufficient breast milk supply , and latching difficulties .so my research mostly focus in lactating mother. They are suffering from organic and inorganic maternal milk insufficiency . this study was dedicated to all mothers. I have180 organic maternal milk insufficient mother's and 180 inorganic maternal milk insufficient mother,s. Total 360 mother,s included this study and mostly compared with organic and inorganic mother,s milk of children which effaced are maternal milk insufficiency. I have cross check 180 mother's of children on the effect of organic and inorganic maternal milk insufficiency language motor development .

References :-

1. Arora , N .D 1970 a study of locally prevalent feeding practices the first five of life .

a. Anderson JW,johnstone BM, remley DH 1999 breast – feeding and cognitive development ; a meta - analysis American journal of clinical nutrition.

b. Lessen R, Kavanagh K. position of the academy of nutrition and dietetics ; promoting and supporting breastfeeding . J acad nutr diet 2015;155;444-449. Doi; 10.1016/j. jand. 2014.12.014

c. Savion F, bebetti S, Lignori S A , Sorrent M, Cordero D, Montezemolo L. Advances on human milk hormones and protection against obesity, Cell . Mol bio. 2013; 59; 89-98

2. Infant and young child nutrition (accessed on 14 november 2012) .

3. Neville MC; Anatomy and Physiology of lactation. Pediatric clinics of North America. 2001, 48(1):13-34].

4. Ingram J, Taylor H, Churchill C, Pike A, Greenwood R; Metoclopramide or Domperidone for increasing maternal breast milk output: a randomised controlled trial, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed [Epub ahead of print], 2011.

5. Jones W, Breward S; Use of Domperidone to enhance lactation: What is the evidence?, Community Practitioner 2011; 84(6):35-37.

6. Milson S, Breier B, Gallaher BW, Cox VA, Gunn AJ, Gluckman PD et al.; .Growth hormone stimulates galactopoesis in healthy lactating woman. Acta Endocrinologica.1992; 127(4):337-343.

S.No.	Subjects	N	M	SD	SED	T	P
1.	Organic group Insufficiency of D.Q.	180	65.71	8.38	0.69	0.09	>0.01
2.	Inorganic group Insufficiency of D.Q.	180	69.63	8.36			

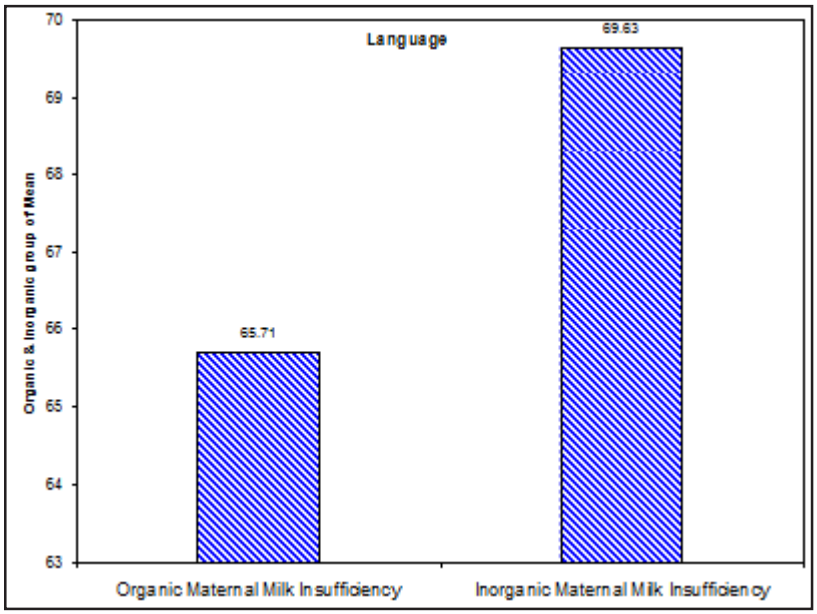

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

उज्जैन जिले के शालेय विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर का अध्ययन (मध्यान्ह भोजन योजना के विशेष संदर्भ में)

लतिका व्यास *

शोध सारांश – भारत में कुपोषण विशेष रूप से चिन्ता का विषय है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार इस समय विश्व में कुपोषण का शिकार बच्चों का एक तिहाई अर्थात 46.6 मिलियन के लगभग भारत में है। भारत में किए गए आहार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश शालेय बालकों तथा किशोरों का भोजन पोषण की दृष्टि से अपर्याप्त होता है। इसका मुख्य कारण आहार उत्पादन की अपर्याप्तता, गरीबी, पोषण संबंधी की अज्ञानता तथा बालकों की बढ़ती हुई पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है। मध्यप्रदेश मे कुपोषण की स्थिति चिन्ताजनक है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में दैव निर्दशन के माध्यम से उज्जैन जिले के 30 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले कुल 450 विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर का अध्ययन किया है। जिनमें 228 बालिकाऐं एवं 222 बालक हैं। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन व उचित परिणामों को ज्ञात करने के लिए मानवमिती परीक्षण विधि का उपयोग किया। शोध विषय के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विद्यार्थियों में उम्र के मान से ऊँचाई में कमी है। यह कमी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। चयनित विद्यार्थियों का वज़न ऊँचाई के मान से कम पाया गया। वज़न में कमी बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक पाई गई। अत: चयनित विद्यार्थियों में बालिकाओं में वज़न व ऊँचाई बढ़ाने की तरफ प्रयास किये जाना आवश्यक है। कुपोषण की श्रेणी के आधार पर बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत ज्यादा है। अत: बालिकाओं में उम्र के मान से ऊँचाई व ऊँचाई के मान से वज़न बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – कुपोषण, मानवमिति परीक्षण, पोषणिक स्तर, मध्यान्ह भोजन।

प्रस्तावना – भारत में कुपोषण विशेष रूप से चिन्ता का विषय है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार इस समय विश्व में कुपोषण का शिकार बच्चों का एक तिहाई अर्थात 46.6 मिलियन के लगभग भारत में है। भारत में किए गए आहार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश शालेय बालकों तथा किशोरों का भोजन पोषण की दृष्टि से अपर्याप्त होता है। इसका मुख्य कारण आहार उत्पादन की अपर्याप्तता, गरीबी, पोषण संबंधी की अज्ञानता तथा बालकों की बढ़ती हुई पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है। शालेय जीवन से ही विद्यार्थियों का शारीरिक विकास प्रांरभ हो जाता है एवं उनके वृद्धि, विकास तथा सुरक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यूनाईटेड नेशन वर्ड फ्रूड प्रोग्राम, ईटली बेस्ट सी, वॉन गील, वॉन डेन ब्रायल के अनुसार विकसित एवं विकासशील देशों में कुपोषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौति है। चूंकि स्कूल जाने वाले बच्चों में पोषणिक तत्वों की आवश्यकता अधिक है। अत: इस उम्र में बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिलना अतिआवश्यक है। इस उम्र में पोषक तत्वों की कमी से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस कारण शरीर में रोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

मध्यप्रदेश में कुपोषण की स्थिति चिन्ताजनक है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित के है। युनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रकाशन बाल संजीवनी के अनुसार मध्यप्रदेश में कुपोषण की समस्या का निदान एक चुनौती है। डॉ. रेणुबाला शर्मा एवं डॉ. मुक्ता त्रिवेदी (2013) ने अध्ययन कर मध्यप्रदेश के सागर शहर के बच्चों में पाया कि स्कूल जाने वाले बच्चों का पोषणिक स्तर संतोषजनक नहीं है। अत: यहाँ पोषणिक स्तर बढ़ाने की दिशा में प्रभावकारी प्रयास करना जरूरी है। भावना मेहता (2003) के अध्ययन में भी प्रस्तावित दैनिक आहार के अनुरूप पोषक तत्वों की मात्रा की कमी पाई गई।

उपरोक्त अध्ययनों में पाया कि इस अवस्था में पौष्टिक आहार न मिले तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसा अच्छी फसल के लिए स्वस्थ्य बीज का होना या मजबूत मकान के लिए मजबूत नींव का होना जरूरी है उसी प्रकार एक स्वस्थ्य समाज के निर्माण के लिये इस उम्र के बच्चों में पर्याप्त पोषण होना जरूरी है।

कुपोषण को दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में शासन द्वारा कई योजनाएँ भी चलाई जा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत प्रदत्त किए जाने वाले भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाकर कुपोषण से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यान्ह भोजन योजना में इस बात पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है कि बच्चों को रोज एक जैसा भोजन न देकर उसमें विविधता प्रदान करना व ऐसे भोज्य पदार्थों को शामिल करना जिसमें उनकी उम्र के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्तता भी रहे। मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत बच्चों की आवश्यकता की दैनिक आवश्यकता का एक तिहाई भाग की पूर्ति हेतु प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी व 14 ग्राम प्रोटीन व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। साप्ताहिक मेन्यू में समय-समय पर कई परिवर्तन किए। योजना अन्तर्गत प्रदाय किये जाने वाले साप्ताहिक मेन्यू में भोजन में विविधता लाने के साथ पाँच भोज्य समूह के एक-एक भोज्य पदार्थों को शामिल कर

* आई 2 हरिविहार कॉलोनी, सुभाष नगर, उज्जैन (म.प्र.) भारत

पौष्टिकता बढ़ाने हेतु प्रयास किए।

विधि एवं उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में दैव निर्दशन के माध्यम से उज्जैन जिले के 30 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले कुल 450 विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर का अध्ययन किया है। जिनमें 228 बालिकाऐं एवं 222 बालक हैं। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन व उचित परिणामों को ज्ञात करने के लिए मानवमिती परीक्षण विधि का उपयोग किया। मानवमिती परीक्षण में चयनित विद्यार्थी की ऊँचाई तथा वज़न मापी गयी तथा लिए गए नाप की तुलना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं भारतीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिषद् (ICMR) के मानक मूल्यों से की गयी।

इन्डियन एकेडेमी ऑफ पिडीएट्रीशीयन्स (1972) के वर्गीकरण के अनुसार बच्चों की आयु के मान से वज़न के प्रतिशत के आधार पर कुपोषण की श्रेणी ज्ञात की गयी।

Classification According to the Indian Academic of Pediatrician)1972)

कुपोषण की श्रेणी	प्रतिशत
सामान्य	80
प्रथम श्रेणी कुपोषण	70-80
द्वितीय श्रेणी कुपोषण	60-70
तृतीय श्रेणी कुपोषण	50-60
चतुर्थ श्रेणी कुपोषण	50 से कम

सांख्यिकीय गणना – प्रस्तुत शोध प्रबंध की सांख्यिकीय गणना के लिए परीक्षण के दौरान लिए गए समंकों का विश्लेषण करने हेतु काई-स्क्वेयर परीक्षण तथा टी परीक्षण का उपयोग किया।

परिणाम –

मानवमिति परीक्षण –

ऊँचाई –

तालिका क्र.:1 में दिए गए विवरण अनुसार यह पाया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं की नापी गयी ऊँचाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक मूल्यों से कम पायी गयी है। हर आयु के बालकों की तुलना में बालिकाओं की ऊँचाई कम पायी गयी, वहीं 8, 9 और 13 साल की बालिकाओं की ऊँचाई बालकों से ज्यादा पायी गयी। प्रस्तुत अध्ययन में Microsoft Excel के उपयोग से पाया कि सभी Chi square Value 0-05 से ज्यादा पायी गयी, इस आधार पर सभी चयनित विद्यार्थियों की ज्ञात ऊँचाई एवं मानक ऊँचाई में महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

तालिका क्र. - 1**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

वज़न –

तालिका क्र.-2 में दिए गए विवरण के अनुसार 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों का ज्ञात वज़न, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं भारतीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिषद् (ICMR) के मानक मूल्यों से कम पाया गया। हर आयु के बालकों की तुलना में बालिकाओं का वज़न कम पाया गया, वहीं 7 और 14 साल की बालिकाओं का वज़न अपनी आयु के बालकों से ज्यादा पाया गया। परिणाम में पाया कि Chi square dh Measured Value, Critical Value से ज्यादा है, इससे यह पता चलता है कि बालकों एवं बालिकाओं के मानक वज़न एवं ज्ञात वज़न में महत्वपूर्ण अंतर है।

तालिका क्र. - 2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

कुपोषण –

तालिका क्र.-3 में कुपोषण की श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार विद्यार्थियों को विभाजित किया, इसके आधार पर कह सकते हैं, जहाँ सामान्य श्रेणी में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का प्रतिशत ज्यादा है, वहीं कुपोषण की श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत ज्यादा पाया गया। अत: चयनित विद्यार्थियों में से बालिकाएं अधिक कुपोषित हैं।

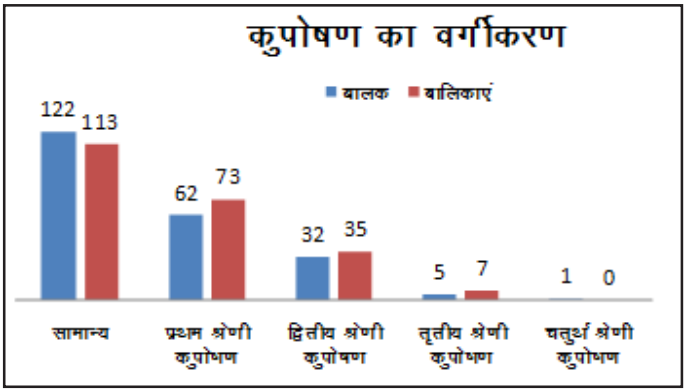

तालिका क्र. - 3 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

निष्कर्ष – शोध विषय के अनुसार अध्ययन करने के लिए जो विधियाँ अपनाई गयी उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है-

मानवमिति परीक्षण –

- **ऊँचाई –** हर उम्र के चयनित विद्यार्थियों की ज्ञात ऊँचाई का औसत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक औसत से कम हैं। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विद्यार्थियों में उम्र के मान से ऊँचाई में कमी है। यह कमी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है।
- **वज़न –** प्राप्त परिणामों के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का वज़न विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारतीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिषद के मानक मूल्यों की तुलना में कम पाया गया। अत: चयनित विद्यार्थियों का वज़न ऊँचाई के मान से कम पाया गया। वज़न में कमी बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक पाई गई। अत: चयनित विद्यार्थियों में बालिकाओं में वज़न व ऊँचाई बढ़ाने की तरफ प्रयास किए जाना आवश्यक है।
- **कुपोषण –** इंडियन एकेडेमी ऑफ पिडीएट्रीशीयन्स (1972) (Indian Academy of Pediatritians) के अनुसार बताई गई कुपोषण की श्रेणी के आधार पर उज्जैन जिले के चयनित विद्यार्थियों में से लगभग 52 प्रतिशत विद्यार्थी सामान्य श्रेणी में है। जिसमें बालकों का प्रतिशत ज्यादा है एवं लगभग 48 प्रतिशत विद्यार्थी कुपोषण की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में हैं, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत ज्यादा पाया गया। अत: इस आधार पर कहा जा सकता हैं कि उज्जैन जिले में चयनित विद्यार्थियों में उम्र के मान से ऊँचाई व ऊँचाई के मान से वज़न बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम मार्गदर्शिका 2007 जिला पंचायत उज्जैन (म.प्र.)
2. वर्ल्ड हंगर इण्डेक्स
3. अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान , (International Food

Policy Research Institute) www.ifpri.org.

4. विश्व बैंक रिपोर्ट (2014) : साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. प्रो. कानगो मंगला, पोषण एवं पोषण स्तर रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली
6. मिश्रा उषा, आहार एवं पोषण विज्ञान साहित्य प्रकाशन आपका बाजार हास्पिटल रोड़, आगरा-3
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम मेनुअल- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के आंकलन की त्रैमासिक रिपोर्ट (2012) विकास खण्ड बड़नगर एवं तराना जिला उज्जैन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दशहरा मैदान, उज्जैन (म.प्र.)
9. राष्ट्रीय पोषण संस्थान , (National Institute of Nutrition)
10. इंडियन एकेडमी ऑफ पिडीएट्रीशीयन्स (1972) के कुपोषण की श्रेणी, (Indian Academy of Pediatritians) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक स्तर , (World Health Organizaton)
11. Swaminathan, M. Principal of Nutrition and Dietetics, 1990; Bangalore Printing, and Publishing, Bangalore.
12. Gopalan, C., Ramashastry, B.V. and Balasubramaniam, S.C. Nutritive Value of Indian Foods. National Institute of Nutrition. ICMR, Hyderabad, 1995.
13. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पर अध्ययन (2007): राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इन्दौर (म.प्र.)
14. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2013): जिला उज्जैन (म.प्र.)
15. मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ जिला पंचायत, उज्जैन (म.प्र.)
16. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
17. Convention children's Right to food (Hyderabad 7-9 April 2006)
18. Robinson Corinne H Normal and Therapeutic Nutrition oxford and IBH Publishing co. Kolkata
19. Department of food and Nutrition college of home Science and Women Department Allahabad. Agricultural Institute, Deemed University, Allahabad. Middle East Journal of Scientific Research IDOSI-Publication- 2008.
20. Dr. Renubala Sharma Dr. Mukta Trivedi (2013): A study of Nutritional status of children of Sagar Sity (M.P.) GRA Volume - 2 Tissue – 6 June 2013 ISSN No. 2277 – 8160 (Global Research Analysts)
21. Sunita Kumari and Sushil Singh (1999): Nutritional status of children (6-12 years) belonging to scheduled caste a study in samastipur district of Bihar. The Ind. J. Nutr. Dietet., (2001).

तालिका क्र.- 1

विद्यार्थियों की ऊँचाई के तुलनात्मक आंकड़े

आयु	बालक		बालिकाएँ	
	WHO	PRESENT STUDY	WHO	PRESENT STUDY
6	116.0	113.5	115.1	109
7	121.7	119	120.8	117
8	127.3	122	126.6	123
9	132.6	122	132.5	124
10	137.8	136	138.6	134
11	143.1	134.5	145	134
12	149.1	141	151.2	139
13	156.0	144	156.4	146
14	163.2	155	159.8	152

तालिका क्र. – 2

विद्यार्थियों के वज़न के तुलनात्मक आंकड़े

आयु	बालक			बालिका		
	ICMR	WHO STUDY	PRESENT	ICMR	WHO	PRESENT STUDY
6	20.7	20.5	17	19.5	20.2	16
7	22.9	22.5	18	21.8	22.4	19
8	25.3	25.4	20	24.8	25	19.5
9	28.1	28.1	22	28.5	28.2	20.5
10	31.4	31.2	25	32.5	31.9	24
11	32.2		29	33.7		27
12	37		30.5	38.7		27
13	40.9		37	44		35
14	47		39	48		40

तालिका क्र. – 3

कुपोषण की श्रेणी के अनुसार विद्यार्थियों का वर्गीकरण

Classification according Indian Academic of Pediatrician (1972)

श्रेणी	बालक		बालिकाएं		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	122	54.95%	113	49.56%	235	52.22%
प्रथम श्रेणी कुपोषण	62	27.93%	73	32.02%	135	30.00%
द्वितीय श्रेणी कुपोषण	32	14.41%	35	15.35%	67	14.89%
तृतीय श्रेणी कुपोषण	5	2.25%	7	3.07%	12	2.67%
चतुर्थ श्रेणी कुपोषण	1	0.45%	0	0.00%	1	0.22%

****

A Brief Study Of New Dimensions Of Corporate Social Responsibility

Deepika Shrivastava*

Abstract - We are living in a world that has various issues identified with condition and society. CSR (Corporate Social Responsibility) is a way to deal with these issues to some degree since business is a piece of society. Business interacts with different gatherings of society, for example, proprietors, workers, clients, government, providers and so forth. The duty of business, which incorporates fulfillment of these gatherings alongside the proprietor, is called social obligation of business. As indicated by Steiner "Social Responsibility suggests acknowledgment and comprehension of the goals of society and assurance to contribute towards their accomplishments". Regardless of its present prominence, there are a few issues which stayed pending and corporate should know about them. Today, the general public overall and media progressively ask for organizations to think about social and ecological issues while working together exercises. Today, Government has additionally come as an activity to control those business exercises which makes a hurtful impact on the general public. The legislature recommended time to time to the specialty units that the corporate ought to authorize a system identified with CSR i.e its territories, venture, exercises and so on and incorporate them in the vision, mission and key arranging. CSR commonly incorporates issues identified with business morals, network commitment, an unnatural weather change, water the executives, mange the utilization of regular assets, human rights and so forth. Thus, so as to get supportable advancement and to get by in this focused world, the associations need to exhibit a nearby and great association with society. This paper focus on key CSR Issues faced by companies and its new dimensions. After a keen study researcher has suggested some points to be consider while doing CSR by companies.
Key Words - Corporate Social Responsibility, New Dimensions.

Introduction - Gaps in Existing Research - Researchers start examine by perusing. It is critical for the researchers to be acquainted with both past hypothesis and examines distributed so far in the field of examination or study. Along these lines, so as to guarantee its recognition, the specialists need to expand upon the aggregated and recorded learning of the past. Each examination ventures requires the review of concerned writing to determine the smooth forms for deciding the correct bearing for doing the exploration. The term „Review of Literature made up of two words i.e. Review and Literature. Review helps in defining research theory, wellsprings of information, fitting measurable procedures to tackle the issue. Researchers can discover what is fundamental and supportive for completing an examination venture on the picked issue or research question.

Introduction - Corporate Social Responsibility is an administrative idea whereby organizations coordinate social and natural worries in their business activities and communications with their partners. Corporate Social Responsibility is commonly comprehended similar to the path through which an organization accomplishes a parity of financial, natural and social goals ("Triple-Bottom-Line-Approach"), while in the meantime tending to the desires for investors and partners. In this sense it is vital to draw a qualification between Corporate Social Responsibility, which can be a vital business the executive's idea, and philanthropy, sponsorships or generosity. Despite the fact that the last can likewise make a significant commitment to neediness decrease, will straightforwardly improve the notoriety of an organization and fortify its image, the idea of Corporate Social Responsibility plainly goes past that.

Different Researchers had given different concept of CSR - Venu Srinivasan (2007)116 featured that Corporate Social Responsibility is more than charity and must not signify "giving and getting". A compelling CSR activity must draw in the less favored on an association premise. "CSR implies practical advancement of the network by being accomplices in their advancement. The legislature has been developing an extensive number of welfare plans for the general population however encounter demonstrates that as a rule the advantages don't achieve the most meriting. Ventures have ability in man the board, budgetary administration and business arranging. They can undoubtedly give the missing elements of authority and association and build up the "last mile network" to achieve the advantages to the meriting individuals. Along these lines

*Asst. Professor, Career College, Bhopal (M.P.) INDIA

the focal point of CSR could be "opening" the last mile availability. Industry must be an impetus for social improvement. They should give the administration, know-how, preparing, and so on. Another author Mc William and S. Seigal (2010) 35 gave his views on the significance of CSR as a technique of upgrading notoriety of organizations. The examination showed that organizations moving persuading products which goes under the umbrella of CSR exercises, prompts shopper faithfulness and expanded income. Further the examination likewise demonstrated the significance of promoting for giving data to buyers about the social welfare exercises of the firm. Close to this the examination additionally incorporated the significance of media and T.V and so on so as to mindful the shoppers about company's exercises and expanding too harming the notoriety. Thusly the investigation finished up about the notoriety of firm through CSR.In this reference the author Mr Brammer, Jcakson and Matten (2012)38, examine entitled as "Corporate Social Responsibility and institutional hypothesis: new point of view on private administration" in Social monetary survey delineated that CSR isn't just a deliberate activity yet past that. In this investigation, CSR had characterized under institutional hypothesis. The institutional hypothesis expressed that corporate social exercises are not just intentional exercises upgrading the corporate execution of organizations through CSR. The hypothesis additionally proposed that in what frame organizations should take its social duties whether recorded, political or authoritative document.

Different Dimensions of Corporate Social Responsibility - The features and measurements of corporate social duty incorporate the commitments a business have to its advantage bunch likewise called 'partners.' The partners in a business incorporate investors/ proprietors, buyers, employees, government, society, and so on.

These are depicted in the following diagram -

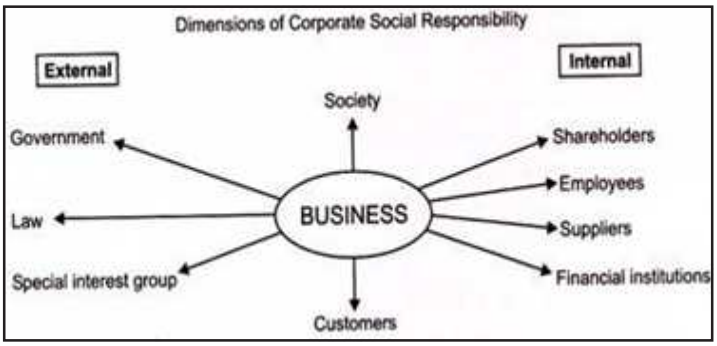

Dimensions of CSR agenda can be broadly divided into its internal and external dimensions.

Internal Dimensions of CSR - Internal dimensions of CSR includes the activities related to internal environment of the firm. These are discussed here.

Shareholders - It is the essential duty of each business to see that the proprietors or investors get a reasonable rate of profit or reasonable profit for capital contributed. This is a genuine desire for proprietors from business. Normally the desires must be sensible and steady with the dangers related with the venture. Proprietors additionally expect monetary and political security of the capital contributed. In the event that such security isn't guaranteed, the inescapable result is withdrawal of capital and look for elective channels other than business

Human Resource Management - How the organization manages its HR is positively part of its corporate social obligation. This will incorporate all work environment related issues, for example, dimensions of pay rates, convenient disbursal of wages, organization of advantages, issues identified with working hours, and nature of work.

Health and Safety at Work - Among all issues identifying with the organization's HR, those managing wellbeing and security merit unique notice. The duty of the business does not arrive at an end toward the finish of the representative's work, yet on the off chance that it very well may be demonstrated that any resulting disease is identified with conditions beforehand winning at the worker's previous spot of business, at that point the past manager can be considered dependable.

Adaptation to Change - We live in an ever-changing world and it is the responsibility of the employer to prepare the employees to meet and deal with the changes. When the industry is going through a phase of rapid automation and computerization, the employer may be expected to help train its employees to meet the new challenges faced due to this onslaught of technology. It is also very important to ensure that the employees leaving the organization are fully equipped to face the challenges in the outside world.

External Dimensions of CSR - External dimensions of CSR are related to the issues outside the company's premises.

Government -

Social responsibility of business towards government requires that - (a) The business will lead its issues as a well behaved unit, and make good on every single regulatory commitment and different levy honestly, (b) the executives will halt from ruining local officials or the popularity based procedure for narrow minded closures, and no endeavor will be made to verify political help by cash or support Local Community. There is an intricate interrelationship between a corporate and the network around which its exercises are focused. At any rate, the organization might be relied upon to be a piece of the nearby economy by giving employments, expending neighborhood items and administrations, and adding to neighborhood charges. Now and again, the corporate may go up against an a lot more extensive job by giving essential urban luxuries as on account of a few modern townships.

Human Rights - The organization's record on human rights is vital for its positive open picture. Not very many business people can stand to convey a picture of direct maltreatment of human rights. Corporate world would abstain from supporting an organization that has a previous history of

human rights mishandles. That is one reason why numerous expansive organizations are careful about recognizing themselves intimately with the Chinese Government.

Global Environmental Concerns - Here, we are alluding to the worry for the earth when all is said in done and not explicitly about the issues that may manifest because of the activities of the organization specifically or because of the utilization of its items. Numerous organizations, for the most part extensive organizations in businesses famous for their antagonistic effect on nature, are making a special effort to demonstrate their ecological certifications. Chevron, British Petroleum, and other non-renewable energy source organizations continually promote their endeavors to empower the utilization of elective clean energizes and reasonable advances.

Summary of the review of literature - Concentrates crosswise over different nations in the globe on corporate social revelations either led in India or did with explicit focus on India. In spite of the fact that the exertion has been made to limit the writing survey to corporate social exposures yet any place some important discoveries concerning CSR were discovered, a short reference to that has been incorporated. It has been seen that a large portion of the universal investigations identify with estimation of degree of the social divulgences for the most part on six subjects i.e. condition, vitality, HR, item, network advancement and others. By and large, it has been finished up by the majority of the investigations called attention to that the CSR exposures are low, don't present social data in a steady way and social review announcing in formalized bookkeeping design are not being pursued. Researches looking at CSR have reasoned that what "goes past" the customary duties is affected and, in this way, at last requested by the standards, qualities, and desires for partners of the association and are delegated being moral or good commitment

References:-

1. Venu Srinivasan (2007)116 featured that Corporate Social Responsibility is more than charity and must not signify "giving and getting".
2. Mc William and S. Seigal (2010) 35 gave the significance of CSR as a technique of upgrading notoriety of organizations.
3. Brammer, Jcakson and Matten (2012)38, examine entitled as "Corporate Social Responsibility and institutional hypothesis: new point of view on private administration"
4. An article distributed in The Economic Times named as "CSR: A shroud for hooligans" on 21 Oct. 2012
5. An article distributed in The Economic Times named as "CSR: A shroud for hooligans" on 21 Oct. 2012
6. Bhattacharyya and Chaturvedi (2012), article entitled "CSR looks set to rise as a free stream with quantifiable yield"
7. Agunis, glovas (2012), Paper entitled "what we know and don t think about corporate social obligation: A survey and research motivation
8. Anupam Sharma and Ravi Kiran(2013), paper titled "Corporate Social Responsibility: Driving Forces and Challenges", ISSN 1929 0977 | Vol. 2 No. 1, pp. 18 27 in International Journal of Business Research and Development
9. Laxmi Rajak Dr. Kushendra Mishra , Dec 2014, paper titled , "A Study of Corporate Social Responsibility in Indian Organizations**", V**olume : 4 | Issue : 12 | | ISSN - 2249-555X
10. Dr. Reena Shyam May, 2016, paper titled," An Analysis Of Corporate Social Responsibility In India", Shyam *, Vol.4 (Iss.5)
11. WWW.google.com
12. http://shodhganga.inflibnet.ac.in
13. Agrawal K Sanjay: Corporate Social Responcibility in India(4 April 2008)
14. Khanka Dr S.S. : Business Ethics and Corporate Social Responsibility
15. http://www.yourarticlelibrary.com/business/forms-and-dimensions-of-corporate-social-responsibility-csr/41243
16. http://www.yourarticlelibrary.com/corporate/different-dimensions-of-corporate-social-responsibility/22095
17. arroll, A.B. (2000), "The four faces o f corporate citizenship," in
18. Business Ethics 00/01, Richardson, J.E. (Ed), Dushkin /McGraw-Hill,
19. Guilford, CT, pp. 187-191.
20. Sharma, S. (2011). Corporate Social Responsibility in India.
21. Indian Journal of Industrial Relations 46(4).
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_ corporate_ social__in_India
23. Ministry of Corporate Affairs (2011), National Voluntary Guidelines Social, Environmental & Economic Responsibilities of Business.
24. Panda. S.k., (2008), Review of Corporate Social Responsibility: Past, Present and Future by Sanjay Kumar Panda; The
25. Icfai University Press; 373pp.
26. Robins, F. (2005). The future of corporate social responsibility.Asian Business & Management, 4(2), 95-115.
27. Arora, Bimal and Ravi Puranik 2004. "A Review of Corporate Social Responsibility in India", Development, Volume 47, No.3.
28. Ambani, M. (2011) http://articles.timesofindia. indiatimes.com/2011-
29. 03 01/india - business/28643032_1_mukesh-ambani-csr-corporate-social-responsibility

****

व्यवसाय में सूचना प्रणाली का महत्व - एक अध्ययन

डॉ. बालमुकुन्द बघेल *

शोध सारांश – एक व्यवसाय को चलाने के लिए अनेक योजना एवं रणनीति में काम करना होता है। अच्छी योजना एवं रणनीति जहॉ व्यवसाय के उतरोत्तर वृद्धि विकास में सहायक होती है तो योजना एवं रणनीति में चूक के चलते कई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते है और व्यवसाय को भारी नुकसान का सामना करना पड सकता है। इसी योजना एवं रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा सूचना प्रबंधन प्रणाली पूर्णत: सूचना प्रौद्योगिकी पर आश्रित हो गयी है, इसमें समय के साथ परिवर्तन एवं सुधार की गुजाईश विद्यमान है। व्यापार के क्षेत्र में हर कंपनी उपलब्ध तकनीकी का तेजी से इस्तेमाल करने में लगी है। किसी व्यवसाय चाहे वह छोटा या बड़ा हो उसमें सूचनाओं का बहुत महत्व होता है। यदि ऐसा कहा कि व्यवसाय में सूचना मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के समान महत्वपूर्ण है तो गलत नहीं होगा।

शब्द कुंजी – व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना, प्रबंधन, प्रणाली ।

प्रस्तावना – मानव के समक्ष जीविकोपार्जन के दो रास्ते - पहला रोजगार या नौकरी और दूसरा है, स्वरोजगार या व्यवसाय का रास्ता। आज भारत में जो उन्नति प्रगति दिखाई दे रही है। उसमें व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में से व्यवसाय को अलग कर दिया जाए तो देश की विकास दर नाममात्र की बचेगी। व्यवसाय के मार्ग को चुनना एक जोखिम भरा तथा अत्यंत साहस का काम है। अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा एक व्यवसायी समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वह स्वॅय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम तो बनाता ही है साथ ही समाज के अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजन करता है। भारत में लाखों-करोडों लोगों की रोजी रोटी और उन्हें अच्छा जीवन जीने का अवसर इन्हीं व्यवसाय में काम करने से मिलता है। साधारण शब्दों में व्यवसाय का आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक आर्थिक गतिविधि है, जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए माल और सेवाओं के निरंतर और नियमित उत्पादन और वितरण से जुडी होती है। एक व्यवसाय में सामान्यत: निम्नलिखित प्रमुख विशेषताऐं होती है।

- वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना।
- लाभ मुख्य उद्देश्य है।
- व्यापार जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन है।
- प्रत्येक व्यवसायिक लेनदेन में कम से कम दो पार्टिया होती है, एक खरीदार और दूसरा विक्रेता।
- व्यवसाय गतिविधि माल या सेवाओं के उत्पादन से जुडी हो सकती है।

एक व्यवसाय को चलाने के लिए अनेक योजना एवं रणनीति में काम करना होता है। अच्छी योजना एवं रणनीति जहॉ व्यवसाय के उतरोत्तर वृद्धि विकास में सहायक होती है, तो योजना एवं रणनीति में चूक के चलते कई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते है और व्यवसाय को भारी नुकसान का सामना करना पड सकता है। इसी योजना एवं रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा सूचना प्रबंधन प्रणाली पूर्णत: सूचना प्रौद्योगिकी पर आश्रित हो गयी है, इसमें समय के साथ परिवर्तन एवं सुधार की गुजाईश विद्यमान है। व्यापार के क्षेत्र में हर कंपनी उपलब्ध तकनीकी का तेजी से इस्तेमाल करने में लगी है। किसी व्यवसाय चाहे वह छोटा या बडा हो उसमें सूचनाओं का बहुत महत्व होता है। यदि ऐसा कहा कि व्यवसाय में सूचना मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के समान महत्वपूर्ण है, तो गलत नहीं होगा। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली तीन शब्दों मे मिलकर बना है।

1. प्रबंध 2. सूचना 3. प्रणाली

जिनका विस्तार निम्नानुसार है।

1. प्रबंध – दूसरों से ठीक रीति से कार्य करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। किसी भी संगठन में एक प्रबंधक को आधारभूत कार्य के रूप में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, स्टॉफिग करना होता है।

2. सूचना –किसी इलेक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, परिपत्र, रिपोर्ट, कागज, नमूने, मॉडल, ऑकडों संबंधी सामाग्री अथवा कोई भी ऐसी जानकारी जो प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने में मददगार साबित हो सके सूचना की श्रेणी में आती है।

3. प्रणाली – प्रणाली से आशय निर्धारित तत्वों से है, जिनको एकत्रित करके सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें तत्व एक दूसरे से जुडे या दूसरे पर आश्रित होते है। एक सिस्टम को कई उप सिस्टम में बाँटा जा सकता है। एक सिस्टम में एक या ज्यादा इनपुट्स हो सकते है। इन सूचनाओं को एक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होता है तथा उत्पादन करने के लिए इनपुट (एस) को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है।

सूचना प्रबंधन में शामिल मुख्य बातें – किसी भी कंपनी को संचालित करने में प्रबंधकों की बडी भूमिका होती है और ये प्रबंधक दिन-प्रतिदिन के निर्णय के अलावा वित्तीय, मार्केटिग, क्रय, विक्रय, वितरण विज्ञापन आदि के निर्णय भी सूचना के आधार पर ही लेते है। हर कंपनी या व्यवसाय में सूचनाओं के आदान प्रदान की एक निश्चित प्रणाली होती है। जैसे सूचनाओं का संकलन करना, उन्हें प्रसंस्कृत करना, उन्हे सारणीबद्ध करना, उनका चित्रमय प्रदर्शन, जानकारी को भंडारित करना और जब जरूरत हो, पुन:

* वरिष्ठ व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, सूचनाओं की सत्यता की जॉच करना यह सब विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत होता है तथा विभिन्न गणितीय/लेखॉकन विधियों एवं विभिन्न उपकरणों की सहायता से परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तदोंपरात इस सूचनायुक्त परियोजना प्रतिवेदन को पद सौपान क्रम में एक प्रबंधक को प्रेषित किया जाता है। इसे हर स्तर पर जाँच एवं परखा जाता है, फिर मुख्य प्रबंधक या निर्णयकर्ता प्रबंधक द्वारा व्यवसाय के हित के लिए इन सूचनाओं को उपयोग या प्रसारित किया जाता है।

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की संरचना

(Structure of a Management information system)

सूचना प्रणाली को संरचना के मामले में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. ऑपरेटिग तत्व (Operating elements)
2. निर्णय का समर्थन (Decision Support)
3. प्रबंधन गतिविधि (Management activity)
4. संगठनात्मक (Organizational)

सूचना प्रणाली के ऑपरेटिंग तत्व – सूचना प्रणाली के ऑपरेटिग तत्वों को निम्नानुसार विभक्त करके समझा जा सकता है।

अ. भौतिक घटक (Physical Component) – भौतिक घटक में हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डेटाबेस प्रक्रिया और संचालन कर्मी सम्मिलित किए जाते है जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. हार्डवेयर (Hardware)– हार्डवेयर को मुख्य रूप से पॉच भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(i) इनपुट या प्रवेश (Input or entry)
(ii) आउटपुट (Output)
(iii) डेटा और कार्यक्रमों के लिए उच्चतर भंडारण (Secondary storeage for data and progarms)
(iv) केन्द्रीय प्रोसेसर (Central Processor)
(v) संचार (Communications)

2. सॉफ्टवेयर (Software) - सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) सिस्टम सॉफ्टवेयर (System software) (2) अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (Application software)

3. डेटाबेस (Database) - डेटाबेस का डेटा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

4. प्रक्रिया (Procedure) – प्रक्रिया के लिए तीन प्रमुख प्रकारों की आवश्यकता होती है।

(i) उपयोगकर्त्ता निर्देश (User Instructions)
(ii) डेटा तैयारी कर्मियों द्वारा इनपुट की तैयारी के लिए निर्देश (Instructions for Preparation of input by data Preparation Personnel)
(iii) कम्प्युटर संचालन कर्मियों के लिए ऑपरेटिग निर्देश(Operating Instructions for compter operations Personnel)

5. संचालन कर्मी (Operations Personnel) – कम्प्युटर ऑपरेटरो, सिस्टम विश्लेशक, प्रोग्रामर,डेटा तैयार करने वाले कर्मियों, प्रबंधन सूचना प्रणाली, डेटा प्रशासन, आदि। (Computer operators, system analysts, Programmers, data preparation Personnel information systems mangement, data administration etc)

MIS के घटक –

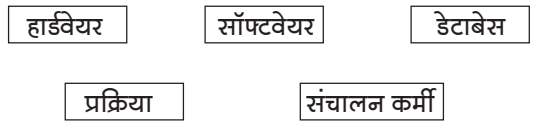

प्रसंस्करण कार्य processing functions

- प्रक्रिया लेनदेन process Transactions

- किसी स्थान में हुए सीधे लेनदेन (सौदों) का ब्यौरा रखना।
- रिपोर्ट की पुष्टि, या इसके प्रदर्शन को समझाने के लिए।
- लेनदेन (सौदा) के बारे में संवाद करने के लिए एक रिकार्ड की आवश्यकता होगी, उन लोगों के लिए पृष्टभूमि, जानकारी या संदर्भ के रूप में इसे रखना चाहिए।
- मास्टर फाइले (Maintain Master files) -

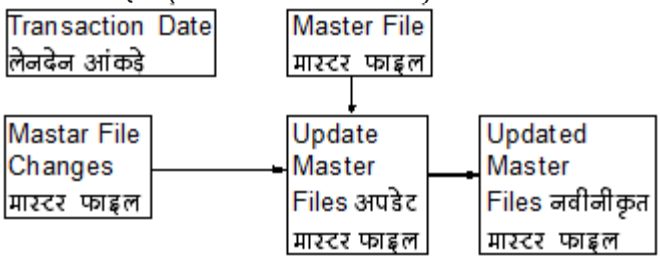

- **रिपोर्ट तैयार करना (generate report) –** सूचना प्रणाली का एक प्रमुख काम प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्त्ता को रिपोर्ट तैयार करना और उपलब्ध कराना है।

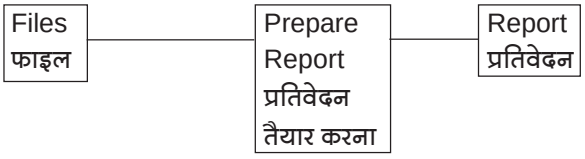

उपरोक्त चित्र के तारतम्य में यह कहा जा सकता है कि निर्धारित रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार की जाती है, जबकि विशेष रिपोर्ट भी तुरंत आवश्यकता के अनुसार बिना तक कार्यक्रम के तैयार की जा सकती है। और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्त्ता को रिपोर्ट तैयार करना और उपलब्ध कराना होता है।

- **प्रक्रिया में पूछताछ (Process Inquiries) –** सूचना प्रणाली विभिन्न स्तरों से पूछताछ विभिन्न स्तरों से पूछताछ के जवाब देती है।

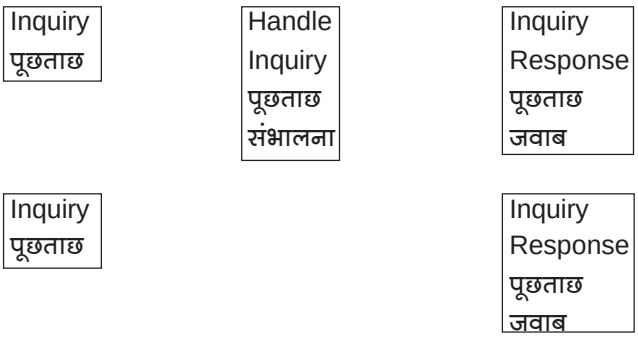

उपरोक्त चित्र के तारतम्य में यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय में पूछताछ एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि लगातार,नियमित अंतराल में हो सकती है। यह पूछताछ या जानकारी निर्धारित फार्मेट में भी मॉगी जा सकती है। पूछताछ किए जाने पर उसे उचित रीति से पूर्ण सावधानी के साथ सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए और यह रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जवाब/उत्तर देना चाहिए।

- प्रक्रिया इंटरएक्टिव समर्थन अनुप्रयोग (process Interactive Support Applicaitons)– सूचना प्रणाली अंतिम उपयोगकर्त्ता (एंण्ड यूजर) को इंटरऐक्टिव सुविधाऐं प्रदान करती है और सिस्टम प्लानिंग,विश्लेषण और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है। वे उपयोगकर्ता को प्रश्न पूछने और तत्काल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाते है।

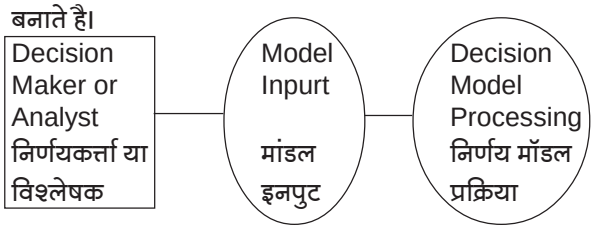

- **सूचना प्रणाली (The information system) -**

आवेदन पत्र में भरी गयी जानकारी (contains application)
नियोजन विश्लेषण एवं निर्णयन के लिए सहायक प्रणाली को डिजाईन करना।
(designed to support systems for planning, anyalysis and decision making)

C. उपयोगकत्ताओं के लिए आउटपुट (Transaction documents or screens)

- लेनदेन के दस्तावेज और स्क्रीन (Transaction documents or screens)
- पूर्वनियोजित प्रतिवेदन (Preplanned reports)
- पूर्वनियोजित पूछताछ के अंतर (preplanned reports)
- अस्थाई प्रतिवेदन एवं पूछताछ के उत्तर (Adhoc report and inquiries respones)
- उपयोगकर्त्ता मशीन बातचीत के परिणाम (User-Machine dialog results)

1. प्रबंधकीय सूचना प्रणाली निर्णय लेने में सहायक (Management Information System Support For Decision Making) - संगठन के ढॉचा के हिसाब से व्यवसाय में कई निर्णय लेने होते है एक संगठन में प्रबंधकों की प्रमुख भूमिकाओं में से एक निर्णय लेना है प्रबंधको को एक उपकरण के रूप में, सूचना प्रणाली का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। निर्णय समर्थन उपकरण के रूप में एमआईएस में दो प्रकार के निर्णय होते है। संरचित और असंरचित

अ. Stuctured, Programmable Decisions, ढॉचागत, निर्देशयोग्य, निर्णय

ब. Unstructured, Nonprogrammalbe Decisions गैर ढॉचागत,नॉन प्रोग्रामेबल निर्णय,

2. प्रबंधन गतिविधि (प्रबंधन के स्तर) और सूचना आवश्यकताऐं प्रबंधन गतिविधि के पदानुक्रम (Hierachy of Management Activity)

एन्थोनी के द्वारा प्रबंधकीय नियोजन एवं नियंत्रण की निम्नलिखित श्रेणियॉ परिभाषित की गयी है–

क्र.	स्तर	टिप्पणी
1.	रणनीतिक योजना	लक्ष्यों की परिभाषा,नीतियॉ और संगठन के लिए रणनीति अपनाने के सामान्य दिशा निर्देश संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण
2.	प्रबंधकीय नियंत्रण और सामरिक योजना	संसाधनों का अधिग्रहण। अधिग्रहण रणनीति,संयत्र स्थान, नव उत्पाद स्थापना और बजट की निगरानी
3.	परिचालन योजना और नियंत्रण	मौजूदा सुविधाओं के प्रभावी और कुशल उपयोग और संसाधनो के भीतर की गतिविधियों को बाहर ले जाने के लिए बजट बाधाऐं

प्रबंधन गतिविधि के स्तर से सूचना आवश्यकता –
(Information Reqirements by level of Management Acitvity)

सूचना की विशेषताऐं –
संचालन नियंत्रण –
प्रबंध नियंत्रण –
रणनीतिक योजना –

समय छितिज	ऐतिहासिक ←→ भविष्य
मुद्रा currency	अति वर्तमान ←→ काफी पुराने Highly current
आवश्यक सुदृता	उच्चतम ←→ निम्नतम
उपयोग की बारंबारता	बहुत ही लगातार ←→ असामान्य

3. संगठनात्मक कार्य और सूचना आवश्यकता – संगठनात्मक कार्यो के संदर्भ में भी एमआईएस की संरचना को समझाया जा सकता है। इन कार्यो में कोई एक मानक वर्गीकरण नहीं होता है। एक उत्पादन करने वाले संगठन में सामान्य कार्यो में खरीद,उत्पादन,विपणन,कार्मिक,वित्त और लेखा आदि को शामिल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्य के लिए अद्वितीय सूचना की आवश्यकता होती है जिसके लिए बिल्कुल पृथक से सूचना प्रणाली होना चाहिए। एमआईएस को संगठन के कार्यात्मक उपतंत्रों का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है। प्रत्येक कार्यात्मक सबसिस्टम में प्रबंधकीय गतिविधियों के चार स्तर होंगे जैसे कि लेनदेन प्रसंस्करण, परिचालन नियंत्रण, प्रबंधकीय नियंत्रण, और रणनीतिक योजना आदि बहुत सी उपप्रणाली हैं। जैसे –

1. खरीद उपप्रणाली (Purhase subsystem)
2. उत्पादन उपप्रणाली (Purhase subsystem)
3. विपणन उपप्रणाली (Marketing subsystm)
4. कार्मिक उपप्रणाली (Personnel subsystem)
5. वित्त और लेखा उपतंत्र (Finance and account subsystem)

एमआईएस की संरचना (देखे आगे पृष्ठ पर)

एमआईएस की वैचारिक संरचना (Conceptual Structure of MIS)- एमआईएस के वैचारिक संरचना को कार्यात्मक उप प्रणालियों का एक महासंघ के रूप परिभाषित किया गया है। इनमें से हर एक को चार प्रमुख सूचना संसाधन अवयव के रूप में बॉटा गया है।

1. लेनदेन प्रक्रिया, Transaction Processing,
2. परिचालन नियंत्रण सूचना प्रणाली का समर्थन Operational control information system support,
3. प्रबंधकीय नियंत्रण सूचना प्रणाली का समर्थन Managerial control information system support,
4. सामरिक योजना की जानकारी प्रणाली का समर्थन Strategic Planning Information system support,

एक कार्य के लिए सूचना सब-प्रणाली (Information subsystem for a function)

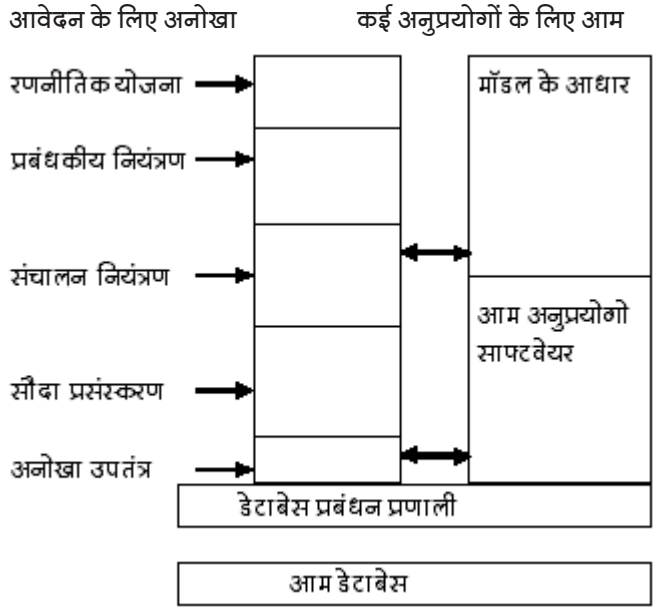

निष्कर्ष – प्रबंधकीय सूचना प्रणाली औपचारिक या अनौपचारिक, सार्वजनिक या निजी और वैचारिक या भौतिक हो सकती है। एंथनी ने प्रबंधन के तीन स्तरों को रणनीतिक,सामरिक और परिचालन में वर्गीकृम किया। सफल होने के लिए, एमआईएस के इस वर्गीकरण पर विचार करना चाहिए। यहॉ तक की यह एक दिशा विशेष में सोचने का नजरिया है जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि डेटा-प्रोसेसिंग को संचालन प्रबंधन की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए तथा एमआईएस सामरिक प्रबंधन के काम में भी आता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में कम्प्युटर ने मूल रूप से एमआईएस को बदल दिया है जिसमें सूचनाए सटीक और त्वरित रूप से प्राप्त होने लगी है। जिस संगठन का एमआईएस नियोजित मजबूत, आधुनिक नव-प्रर्वतन को अपनाने वाला एवं त्वरित शुद्ध जानकारी देने वाला होगा वहॉ निर्णय भी सटीक होगें। जहॉ प्रबंधन द्धारा इस जानकारी को प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सकेगा वही व्यवसाय/संगठन इस प्रतिस्पर्धी युग में टिका रह सकता है। यदि व्यवसाय को सफलता पूर्वक संचालित करना है और अवसरों का लाभ उठाना है तो ज्यादा जरूरत व्यावसायिक सूचना प्रणाली आधुनिक और मजबूत होना चाहिए।

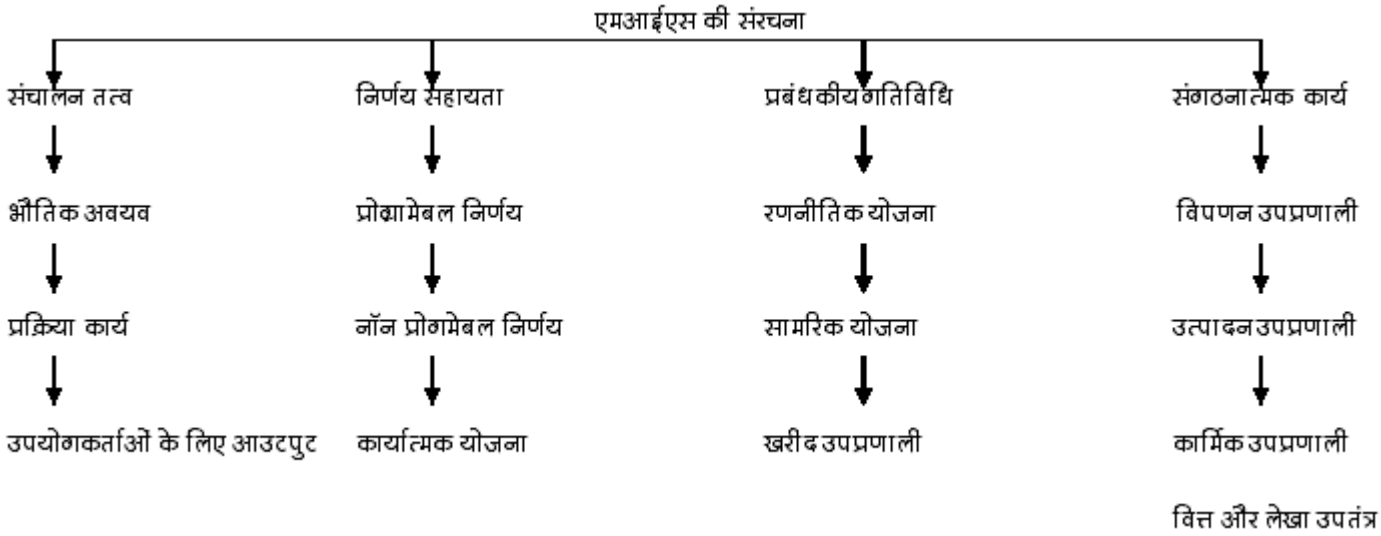

****

म.प्र. में ग्रामीण ऋण (साख) व्यवस्था – संस्थागत स्त्रोत (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. निलेश महाजन *

प्रस्तावना – 'ग्रामीण भारत', यह शब्द सुनकर महानगरो में बैठे सुविधाभोगी लोग ग्रामीण भारत की एक अलग ही सुखद छवि मनोमस्तिष्क में बनाते है, जैसे : हरे–भरे खेत, लहलहाती फसल, गोबर व मिट्टी से लिपे–पुते कच्चे घर, पशु–धन, शांत वातावरण आदि किंतु वास्तव में ग्रामीण भारत अभावों में है। कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता एवं कम उत्पादकता के कारण खेतिहर ग्रामीण ऋणों के बोझ तले दबे है। मेहनत मजदूरी से ये खाने भर की उपज तो पैदा कर लेते है, लेकिन अचानक से कोई बड़ा खर्च जैसे : शादी–ब्याह, मृत्यु–भोज, बीमारी, दुर्घटना, बोरिंग, आदि सामने आ जाने पर इन्हें मजबूरी में और कर्ज लेना पड़ जाता है। पैतृक ऋण भी इसमें जुड़ जाता है और ऋणो के बोझ तले दब कर ये ग्रामीण आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में दिल्ली स्कूल ऑफ मेनेजमेंट में आयोजित सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह, रोजगार प्रधान से रोजगारविहीन और अब रोजगार को नुकसान पहुँचाने वाली बनती जा रही है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण आकांक्षी युवाओं में असंतोष है।' यही स्थिति म.प्र. और इसके बड़वानी जिले की भी है। ग्राम प्रधान एवं आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में ग्रामीण साख के संस्थागत स्त्रोतों पर प्रकाश डालना शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

परिकल्पना – 'म.प्र. के बड़वानी जिले में ग्रामीण साख के संस्थागत स्त्रोत पर्याप्त नहीं है।'

शोध प्रविधि एवं समंक संकलन – प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु द्वितीयक समंकों का संग्रहण किया गया है। अधिकृत वेबसाइट्स, पुस्तके, समाचार पत्र–पत्रिकाएं आदि में प्रकाशित जानकारियों को यथा आवश्यकता शोध में उपयोग कर अंत में संदर्भ के रूप में उल्लेखित किया गया है। सामान्य औसत, प्रतिशत कमी/वृद्धि, तुलना आदि का उपयोग कर विश्लेषणात्मक प्रणाली से निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए है।

बड़वानी जिले का ग्रामीण ढांचा – म.प्र. के दक्षिणी–पश्चिमी भू–भाग में बसा जिला बड़वानी 25 मई 1998 को पश्चिम निमाड़ जिले के पुनर्गठन के अंतर्गत अस्तित्व में आया। अध्ययन क्षेत्र जिला बड़वानी 21'37' उत्तरी अक्षांष से 22'22' तक तथा 74'27' पूर्वी देशांतर से 75'30 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मुख्यत: आदिवासी बाहुल्य एवं ग्राम प्रधान बड़वानी जिले का क्षेत्रफल 5427 वर्ग कि.मी. और कुल जनसंख्या 1385881 (2011) है, जिसमें से 85.3 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। जिले में दषकीय जनसंख्या वृद्धि दर 27.57 प्रतिशत (म.प्र. में 20.35 प्रतिशत) है। कुल कार्यशील जनसंख्या 653897 एवं गैरकार्यशील जनसंख्या 731984 है। यहाँ के निवासियों के जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत कृषि है क्यों कि 84.9 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर (44 प्रतिशत कृषक, 40.9 प्रतिशत कृषि मजदूर) है। जिले में ग्रामीण साक्षरता दर 43.74 प्रतिशत (म.प्र. में 63.94 प्रतिशत) है। कपास, गेहूँ, ज्वार, गन्ना, चावल, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। काली, भूरी एवं मिश्रित मिट्टी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। प्रशासकीय दृष्टि से जिले में 9 तहसीलें, 7 विकासखंड, 716 कुल ग्राम (आबाद ग्राम 696) एवं 417 ग्राम पंचायतें है।

जिले में ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्त्रोत – बड़वानी जिले में संस्थागत स्त्रोतों का ढाँचा संपूर्ण म.प्र. व भारतवर्ष अनुसार ही है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा देशभर में ग्रामीण साख की व्यवस्था के लिए अधिकृत 'नाबार्ड' के दिशा–निर्देशों के अधीन जिले में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु बैंकिंग शाखाओं का जाल इस प्रकार है– **(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

इस प्रकार जिले के कुल सात विकासखंडो बड़वानी, निवाली, पानसेमल, पाटी, राजपुर, सेंधवा एवं ठीकरी में विभिन्न बैंकों की कुल 116 शाखाएं (म.प्र. की कुल शाखाओं 7684 का 1.51 प्रतिशत) है, जिसका 47 प्रतिशत अर्थात 55 शाखाएं (संपूर्ण म.प्र. की 2755 शाखाएं) ग्रामीण अंचलो में है। जिले में निजी क्षेत्र की कोई ग्रामीण शाखा नहीं है, और सार्वजनिक क्षेत्र की व्यावसायिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2017 के पश्चात् एक भी ग्रामीण शाखा स्थापित नहीं की गयी है। म.प्र. के बैंकों में उधार–जमा अनुपात की स्थिति इस प्रकार है – **(तालिकादेखे आगे पृष्ठ पर)**

म.प्र. में यदि बड़वानी जिले में इस अनुपात की बात की जाए तो 30 जुन 2018 की स्थिति में जमा राशि 2992 करोड़ एवं ऋण राशि 4096 करोड़ रूपए है। ऋण–जमा अनुपात 136.90 है अर्थात् उपलब्ध संसाधनों की तुलना में ऋण अधिक वितरित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार सभी बैंकों को अपने ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों को देना है। यदि इसमें कोई कमी रहती है तो वह कमी बैंकों को नाबार्ड के RIDF में कम ब्याज दर पर जमा करनी होती है। नाबार्ड उस राशि को ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारो को उधार देती है। प्राथमिक क्षेत्रो में कृषि, शिक्षा, छोटे उद्योग आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। PSL (Priority Sector Lending) समावेशी विकास, क्षमता विकास, आय की असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण है। शासन की विभिन्न वित्त योजनाएं बैंक शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण जन–जन तक पहुँचती है। जिले में ग्रामीणो को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है :

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – परियोजना लागत अधिकतम 50000, समाज के सबसे गरीब वर्ग (18 से 55 वर्ष), शैक्षणिक योग्यता

* अतिथि विद्वान(पूर्व) एवं नवचयनित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) (म.प्र.) भारत

अनिवार्य नहीं, वित्तीय सहायता : मार्जिनमनी, ब्याज अनुदान, गांरटी फीस के संबंध में।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – परियोजना लागत 50000 से 10 लाख, नवीन उद्यमी (18 से 45 वर्ष), न्युनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण, वित्तीय सहायता : मार्जिनमनी, ब्याज अनुदान, गांरटी फीस के संबंध में।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – परियोजना लागत 50000 से 2 करोड़, किसान पुत्र-पुत्री (18 से 45 वर्ष), न्युनतम दसवी कक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण **की व्यवस्था, वित्तीय सहायता –** मार्जिनमनी, ब्याज अनुदान, गांरटी फीस के संबंध में।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना – परियोजना लागत 10 लाख से 2 करोड़, युवा उद्यमी (18 से 40 वर्ष), न्युनतम दसवी कक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण की **व्यवस्था, वित्तीय सहायता –** मार्जिनमनी, ब्याज अनुदान, गांरटी फीस के संबंध में।

राज्य शासन की उपरोक्त योजनाओं के लिए चालू वर्ष 2019-20 कि लिए राज्य साख योजना निम्न तालिका से स्पष्ट की जा सकती है – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

राज्य शासन की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बड़वानी जिले में साख व्यवस्था कर रही है। इनमें से प्रमुख है –

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) – ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में स्थायी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2008 को दो आधारभूत योजनाओं (PMRY) एवं (REGP) को संयोजित कर जिले में यह योजना MSME एवं KVIC द्वारा प्रशासित की जा रही है। परियोजना लागत 25 लाख (निर्माणी) 10 लाख (सेवा), 18 वर्ष से अधिक, न्युनतम सातवी पास, वित्तीय सहायता : मार्जिनमनी, ब्याज अनुदान के संबंध में।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) – सूक्ष्म इकाईयों के विकास और पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2016 के बजट में इस योजना की घोषणा की गयी। इकाईयों के विकास एवं कोष आवश्यकता के आधार पर इस योजना में तीन स्तर निर्धारित किए गए है : शिशु (50000 तक), किषोर (50000 से 5 लाख तक) एवं तरूण (5 लाख से 10 लाख तक), यह योजना भी बड़वानी जिले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

स्टेण्ड अप इंडिया स्कीम – अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिलाओं में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम संचालित है, जो उनके उत्थान में महत्वपूर्ण है।

NRLM - NRLM(NATIONAL RURAL LIVELIHOODS MISSION) भारत में गरीबी निवारण हेतु ग्रामीण, गरीबो व महिलाओं की आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महती भूमिका अदा कर रही है। नवम्बर 2015 से इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है।

स्वयं सहायता समूह (SHGs) – स्वयं सहायता समूह एवं बैंक लिंकेज (SHG-BLP) म.प्र. में लगभग 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसके अंतर्गत महिला समूहो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परस्पर सहयोगाश्रित साख व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। म.प्र उन चुनिंदा 13 राज्यों में से एक है, जिन्हें इस योजना के लिए 'प्राथमिक राज्य' के रूप में चुना गया है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में म.प्र. में लगभग 225000 स्वयं सहायता समूह, साख व्यवस्था में अपना योगदान दे रहें है।

इस प्रकार म.प्र. राज्य एवं इसके बड़वानी जिले में राज्य एवं केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों व विभागों के सहयोग से साख व्यवस्था कर रही है। यही नहीं इस संबंध में मार्गदर्शन व प्रशिक्षण हेतु कुछ विशेष संस्थाएं भी है –

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIS) एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLCs) – प्रत्येक जिले के ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास एवं प्रषिक्षण के लिए विभिन्न बैंकें, केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान संचालित कर रही हैं। म.प्र. में 51 संस्थानों में से 1 बड़वानी जिले में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। यही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गो जैसे कृषक, छोटे उद्यमी, स्वयंसहायता समूहों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए म.प्र. में कुल 51 FLCs भी संचालित हैं। जिनमें से 1 बड़वानी जिले में अपनी सेवाएं दे रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – प्रस्तुत शोध-पत्र में म.प्र. के ग्रामीण अंचलों (मुख्यत: बड़वानी जिले) में विभिन्न संस्थागत साख स्त्रोतों (बैंक एवं योजनाएं) का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से संस्थागत क्षेत्र ग्रामीण दशा-दिशा सुधारने में स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन कर कृषि क्षेत्र पर दबाव कम कर रहा है। किंतु फिर भी जिलें में संस्थागत वित्त स्त्रोतों की पर्याप्तता सीमित ही है। क्योंकि –

1. जिले में विभिन्न बैंक शाखाओं का मात्र 47.41 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है। जबकि जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 85.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण है। इस दृष्टि से ये शाखाएं अपर्याप्त है।
2. बड़वानी जिले में ऋण-जमा अनुपात 136.89 (बहुत अधिक) है। जो बैंकिंग शाखाओं पर अत्याधिक ऋण-भार को इंगित करता है।
3. जिले में ग्रामीण साक्षरता दर म.प्र. (63.94 प्रतिशत) की तुलना में 43.74 प्रतिशत है। साक्षरता के अभाव में संस्थागत साख स्त्रोत अपर्याप्त सिद्ध हो रहे है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर शोध की परिकल्पना सही सिद्ध होती है। सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि –

1. केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका समुचित विश्लेषण, मॉनिटरिंग, संशोधन और प्रभावो का अध्ययन भी जरूरी है।
2. योजनाओं की सफलता के लिए शासकीय तंत्र में व्याप्त ब्यूरोकेसी, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार जैसे दोषो पर पूर्ण अंकुश अनिवार्य है।
3. जिले में वर्ष 2017 के पश्चात् एक भी बैंक शाखा (ग्रामीण) नहीं खोली गयी है। जबकि ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंक शाखाएं खोली जाने की आवश्यकता है।
4. उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण अंचलो में आयोजित किए जा कर व्यवहारिक व तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
5. जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 27.57 प्रतिशत (म.प्र. में 20.35 प्रतिशत) है। इस पर अंकुश अनिवार्य है।

यदि इन सुझावो को व्यवहारिक रूप से अमल में लाया जाए तो निश्चित रूप से संस्थागत साख व्यवस्था ग्राम-प्रधान बड़वानी जिले एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.censusindia.gov.in
2. medium.com/@raghvendraiitb
3. mpmsme.gov.in

4. www.prabhatkhabar.com, Feb 17, 2019
5. अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था 2018
6. भारत में आर्थिक विकास और आयोजन – श्री एस.के.मिश्र

बड़वानी जिले में साख व्यवस्था हेतु बैंकिंग शाखाओं का विवरण
(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	बैंक का प्रकार	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धनगरीय व नगरीय शाखाएं	कुल शाखाएं
01	व्यावसायिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र)	24	39	63
02	व्यावसायिक बैंक (निजी क्षेत्र)	निरंक	12	12
03	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18	03	21
04	सहकारी बैंक	13	07	20
	कुल योग	55	61	116

(Reference : www.samast.mp.gov.in)

म.प्र. के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात की स्थिति (30 जून 2018 की स्थिति में)
(राशि करोड़ रु. में)

क्रमांक	बैंक का प्रकार	जमा राशि	ऋण राशि	अनुपात
01	व्यावसायिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र)	286186	176375	61.63
02	व्यावसायिक बैंक (निजी क्षेत्र)	37185	51587	138.73
03	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20249	11682	57.69
04	सहकारी बैंक	23969	30779	128.41
05	लघु वित्त बैंक	1271	2889	227.30
	कुल योग	368860	273312	74.10

(Reference : www.slbcmadhyapradesh.in)

राज्य साख योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 (जिला-बड़वानी)
(राशि लाख रु. में)

क्रमांक	योजना का नाम	ऋण राशि	मार्जिन मनी	कुल
01	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	357.34	56.01	413.35
02	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3513.00	303.45	3816.45
03	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना	3564.54	169.96	3734.50
04	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	1000.00	15.00	1015.00
	कुल योग	8434.88	544.42	8979.30

(Reference : www.dif.mp.gov.in)

****

ई-व्यवसाय- सामाजिक और नैतिक मुद्दे

डॉ. बालमुकुन्द बघेल *

प्रस्तावना – यह बात तो सर्वविदित है कि इस धरा पर पाए जाने वाले प्राणियों में मनुष्य सर्वाधिक गुणवान,ज्ञानवान,बुद्धिमान एवं चेतनाशील होता है। उसके पास अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझने की शक्ति होती है। जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। संसार में जितनी भी मानवनीय गतिविधियॉ हो रही है, वह मानव के लिए ही हो रही है।व्यवसाय के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक व्यवसाय की शुरूआत होना एक बहुत ही अच्छी पहल या आईडिया है, जिसने स्वरोजगार के क्षेत्र में तथा मानव को आत्मनिर्भर बनाने में, लोगों की जीवन शैली को सरल बनाने में महती भूमिका अदा की है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के पहिए को भी गति मिली है और व्यापार का यह क्षेत्र दिन दूनी और रात चौगूनी तेजी से आगे बढ रहा है। भारत का हृदय गॉव में बसता है और 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है, जो कि 2021 तक बढकर 150 करोड़ के ऑकडे को पार कर जावेगी। अभी इलेक्ट्रानिक व्यवसाय की पहुंच बमुश्किल से देश के 10 प्रतिशत लोगों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी शहरी क्षेत्र जहॉ इंटरनेट की आसान उपलब्धता है, वही ई-व्यवसाय का प्रचलन ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी इस सुविधा से वंचित है क्योंकि बहुत कम गॉव में तेज गति से चलने वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। सही माना जाए तो इलेक्ट्रानिक व्यवसाय का यह पहला चरण है, जिसे 100 प्रतिशत लोगों तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। ई- बिजनेस के क्षेत्र में व्यापक संभावना विद्यमान है। चूकि इलेक्ट्रानिक व्यवसाय ने समाज का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं के लिए एक आचार संहिता हो। इलेक्ट्रानिक व्यवसाय खूब प्रगति करे इस क्षेत्र का निरंतर विकास और विस्तार हो, इलेक्ट्रानिक व्यवसास से जुडें लोग आर्थिक रूप से मजबूत और सक्षम बने। इसमें कोई दो राय नहीं है किंतु सामाजिक जिम्मेदारी एवॅ नैतिक जिम्मेदारी सबसे प्रमुख बात है। जिसकी किसी भी कीमत पर उपेक्षा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार के नियम/ कानून अपनी जगह है किंतु इलेक्ट्रानिक व्यवसाय करने वाली कंपनियों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने व्यापार, प्रबंधन एवॅ नीतियों को इस प्रकार से डिजाईन करने लागू करे कि जिससे समाज का भला हो सके। समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधरे वे जिस उद्धेश्य के लिए वस्तु खरीद रहे है, उनका वह उद्धेश्य पूरा हो। आए दिन ऑनलाईन शॉपिग के नाम पर कुछ फर्जी कंपनियों के द्धारा भोले-भाले ग्राहकों के साथ धोखाधडी की जाती है, उस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए।

इसके लिए ऑनलाईन कंपनी के एसोशियेशन को सामने आना चाहिए और बडी कंपनियों को चाहिए कि वे ऑनलाईन मार्केटिंग को लेकर जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाए। झूठ के नाम पर व्यापार करने वाली कंपनियों के नाम उजागर करने में मदद करें और उनके खिलाफ कानून का सहारा ले। लाभ कमाने वाली कंपनियॉ सामाजिक कल्याण की नीति अपने व्यापार मॉडल में शामिल करें तथा अपनी आय का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा मानव कल्याण के लिए आधारभूत ढॉचे के निर्माण में यथा सडक, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय आदि में अंशदान दे सकती है।

सामाजिक दायित्व से आशय – सामाजिक दायित्व से आशय है, ऐसे कृत्यों के लिए नीतिबद्ध होना अथवा नैतिक रूप से जिम्मेदार होना जो किसी व्यक्ति,संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करते हैं। इलेक्ट्रानिक व्यवसाय के लिए सामाजिक दायित्व का अर्थ है, व्यावसायिक गतिविधि से जुडा हुआ आत्म विनियमन जो टिकाऊ इलेक्ट्रानिक व्यवसायिक गतिविधि तक ले जाता है।

टिकाऊ इलेक्ट्रानिक व्यवसायिक गतिविधि नीतिबद्ध रूप में व्यवहार करने और समाज के जीवन में सुधार लाने के साथ-साथ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने की व्यवसाय की वचनबद्धता और जिम्मेदारी है। इस प्रकार टिकाऊ इलेक्ट्रानिक व्यावसायिक गतिविधि संगठनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से वर्तमान और भावी पीढियों के लिए संसाधनों, निवेश, प्रौद्योगिकीय विकास के दीर्घकालिक आवंटन की ओर उन्मुख होती है।

दि इंटरनेशनल ऑगनाईजेशन फॉर स्टेण्डर्डाइडेशन (आईएसओ) के आईएसओ 26000 कार्यदल ने ईएसआई/सीएसआर की एक परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है –

'वह पद्धति जिससे फर्मे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सरोंकारों को अपने मूल्यों, संस्कृति, निर्णय-प्रक्रिया, रणनीति एवं परिचालनों में पारदर्शी व जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से शामिल करती है और इस प्रकार फर्म के भीतर बेहतर पद्धतियॉ स्थापित करती है, संपत्ति निर्मित करती है और समाज को सुधारती हैं।'

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) – हॉलाकि ऑनलाईन मार्केटिंग करके पैसा कमाने वाली कंपनियॉ को वर्तमान में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) का हिस्सा नहीं बनाया गया है तथा इसको लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है किंतु यह ऐसा विषय है, जिसमें कानून है तो बहुत अच्छी बात है किंतु कानून नहीं भी है और तब भी कंपनियॉ की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जिस उपभोक्ता समूह को लक्षित करके लाभ कमाती है। यदि लाभ का थोडा सा हिस्सा उसी समाज के लिए खर्च किया जाता है तो इसमें उन्हें कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका भी उन्हें विज्ञापन

*वरिष्ठ व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

के रूप में प्रतिफल मिलना तय है।

पिछले कई दशकों में टाटा औद्योगिक समूह ने देश में न्यासों की स्थापना की है, जिनके जरिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांईस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च जैसे संस्थान बने। विप्रो कंपनी के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने देश में स्कूली शिक्षा की दशा सुधारने के लिए करीब दस हजार करोड रूपये दान में दिए हैं। इंफोसिंस कंपनी ने भी हर साल सामाजिक कार्यो के लिए इंफोसिंस फाउंडेशन के जरिए अपने लाभ का एक प्रतिशत देने की प्रतिबद्धता जतायी है। इसके अलावा अन्य औद्योगिक घरानों जैसे बिडला, महिन्द्रा, कल्याणी ने भी अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज के हित के लिए देने की बात कही है।

इन उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट है कि भले की कम संख्या में हो लेकिन देश में ऐसी कंपनियॉ अवश्य हैं, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी या सीएसआर का निर्वहन करती हैं। ये कंपनियॉ जहां स्थित है, वहाँ के समुदाय के विकास कार्यो में संलग्न हैं। टाटा कंपनी ने ऐसा ही उदाहरण पेश करते हुए जमशेदपुर में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा एवॅ पूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में काफी काम किया हैं।

कानूनी प्रावधान –

- नया कंपनी अधिनियम, 2013 सामाजिक मुद्दो का हल निकालने और गरीब एवं वंचित समूहों का समावेशी विकास करने सहित उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव लाने और इन समूहों को उत्पादक एवं सम्मानजनक जीवनयापन में मदद करने हेतु कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के मद में लाभ का 2 प्रतिशत का योगदान करने का अनिवार्य प्रावधान करता है। सीएसआर के नय नियमों पर गहन विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। इसे 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी करने के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वो कंपनियॉ जिनकी शाखाऐं या परियोजना कार्यालय भारत में है उन्हें अपनी सभी सीएसआर गतिविधियों को भारत में करना होगा। ये नये मानदंड विदेशी कंपनियॉ पर भी लागू होगा। जिन कंपनियॉ पर ये नियम लागू होगें उसके लिए मुख्य पैमाने कुछ इस तरह है।
- 1,000 करोड रूपये और उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनी।
- 5 करोड और इससे अधिक की शुद्ध लाभ वाली सभी कंपनी।
- बदलाव के बाद कंपनी अधिनियम, अनुसूची 7 में जिन महत्वपूर्ण गतिविधियॉ को शामिल किया गया है वो है।
- (क) निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेय जल उपलब्धिता को बढावा देना।
- (ख) महिलाओं और अनाथों के लिए घर व हॉस्टल, वृद्धाश्रम,दैनिक देखभाल केन्द्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाऐं स्थापित करना व सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछडे समूहों के लिए असामनता में कमी लाने के उपाय करना।
- (ग) पर्यावरण संतुलन, वनस्पति व प्राणी समूह की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, जल एव वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- (घ) आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाऐं।
- (ड) राष्ट्रीय विरासत, कला व ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का संरक्षण व कलाकृतियॉ सहित संस्कृति की सुरक्षा, जन पुस्तकालयों की स्थापना और परंपरागत कला व हस्त शिल्प का विकास व संवर्द्धन।
- (च) सशस्त्र बल के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और इनके आश्रितों के लाभ के लिए कदम उठाना।
- (छ) ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय या मान्यता प्राप्त खेलों, पैरा–औलंपिक खेलों व औलंपिक खेलों के संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण।
- (ज) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों को अंशदान अथवा निधि योगदान देना।
- (झ) ग्रामीण विकास परियोजनाऐं।
- नियम के प्रभावी होने के बाद सीएसआर निभाने वाली कंपनियों को पहले की तरह केवल अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण की पहल भी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दायरें में नहीं आएगा।

व्यवसायिक नीति – बिजनेस एथिक्स या कारपोरेट एथिक्स नैतिकता का वह रूप है, जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धातों और नैतिक समस्याओं की जॉच करता रहता है और उनके संदर्भ में कुछ मानदण्डों की स्थापना करता हैं। यह व्यवसाय के आचरण से जुडें सभी पहलुओं पर लागू होता है और यह व्यक्तियों और व्यापार संगठनों के आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है। व्यावहारिक आचार नीति एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका संबंध कई क्षेत्रों में पैदा हुए नैतिक सवालों से है जैसे चिकित्सीय, तकनीकी,कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता। 21 वीं सदी में तेजी से अंतरात्मा केंद्रित बाजारों के बढ़ने के बाद और अधिक नैतिक व्यवसाय प्रक्रिया और कार्यवाही (जिसे नैतिकतावाद कहते हैं) की मॉग बढ़ी, इसके साथ ही साथ उद्योग पर यह दबाव पडा कि वह नए सार्वजनिक पहल और कानून के जरिए व्यवसायिक आचार नीति का विकास करें। उदाहरण के तौर पर (अधिक उच्च उत्सर्जन वाहनों पर अधिक ब्रिटेन का सडक कर) कारोबार में अक्सर अनैतिक तरीके अपनाकर अल्पकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहार आगे चलकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करते है।

व्यावसायिक नैतिकता प्रामाणिक और वर्णनात्मक अनुशासन दोनों प्रकार की हो सकती है। एक कंपनी के कामकाज में और पेशेगत विशेषज्ञता के संबंध में यह क्षेत्र मुख्य रूप से प्रामाणिक है। शिक्षा में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को भी स्थान दिया जा रहा है। व्यावसायिक नैतिकता से मुद्दों की मात्रा और सीमा इस बात से प्रदर्शित होती है कि व्यवसाय में कथित तौर पर बाधक माने जाने वाले गैर–आर्थिक सामाजिक मूल्यों को वह किस हद तक अपनाता है। ऐतिहासिक तौर पर व्यावसायिक नैतिकता के प्रति रूझान नाटकीय रूप से 1980 से 1990 के दशक में प्रमुख कंपनियों और शिक्षाविदों दोनों के बीच बढा। उदाहरण के लिए आज की ज्यादातर प्रमुख कंपनियॉ की वेबसाइटें विभिन्न हेडलाइन्स के साथ गैर– आर्थिक, सामाजिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता पर जोर दे रही हैं। (जैसे आचार संहिता, सामाजिक दायित्व घोषणापत्र) कुछ मामलों में, कंपनियॉ अपने बुनियादी मूल्यों को व्यावसायिक नैतिकता की सिफारिशों के आलोक में परिभाषित करती है। (जैसे BP का पेट्रोलियम से परे जो पर्यावरण के प्रति झुकाव को दर्शाता है।)

सामान्य व्यापार नीतिशास्त्र –

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी या CSR एक ऐसा साझा तंत्र है, जिसमें कंपनियों और समाज के नैतिक अधिकार और कर्तव्य पर बहस जारी है।
- कंपनी और उसके अंशधारकों के नैतिक अधिकार और कर्तव्य के मुद्दे: प्रत्ययी जिम्मेदारी, हितधारक अवधारणा, शेयरधारक अवधारणा।
- विभिन्न कंपनियों के बीच आचार संबंधी मुद्दे उदाहरण – शत्रुतापूर्ण टेकओवर, औद्योगिक जासूसी।

- नेतृत्व के मुद्दे : कंपनी प्रशासन
- कंपनियों की ओर से राजनीतिक योगदान.
- कानूनी सुधार, मसलन कार्पोरेट हत्या जैसे अपराध पर नैतिक बहस की शुरूआत.
- विपणन उपकरणों के रूप में कार्पोरेट आचार नीतियों पर दुरूपयोग।

निष्कर्ष – ई– व्यवसाय के जुडी अमेरिकन कंपनी अमेजन हो या चीनी कंपनी अलीबाबा या भारतीय कंपनी फिलिप कार्ट जिसे वालमार्ट ने खरीद लिया है ये सभी कंपनियॉ भारतीय उपभोक्ता बाजार से पैसा कमा रही है। सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के नियम बनाए है, वैसे नियम ई– व्यवसाय करने वाली कंपनियों पर भी लागू किए जाने चाहिए वैसे भी इन कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जिस समाज से पैसा कमा रही है अपने लाभ का नाममात्र का हिस्सा 2 या 3 प्रतिशत उस समाज को वापिस करे क्योंकि ये कंपनियॉ लाभ कमाने के लिए भारतीय ढॉचे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल तो कर ही रही है फिर दूसरा बाधा खतरा इन कंपनियों के विकास एवं विस्तार से कहीं न कहीं भारतीय खुदरा व्यापारियों के व्यवसाय को चोट पहुँचने की संभावना है सरकार चाहे तो कर के रूप में इनसे राशि लेकर भारतीय खुदरा व्यापारियों की मदद के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा न हो कि ये कंपनियॉ भारतीय बाजार से पैसा बनाती रहे और अपना कुछ अंशदान भी न दे। किसी भी रूप में इनके द्वारा बड़ी मात्रा में कमाए जाने वाले लाभ का हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा सामाजिक जिम्मेदारी से भागने वाली कंपनियों पर कठोर कार्यवाही होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http://hi.wikipedia.org/../
2. http://smallb.sidbi.in/hi/book/export/html
3. http://dainektribuneonline.com/
4. http://www.mpnewstoday.com/news-today/indusrtialists-organized-discharge-theircorporate-social-responsibility/http://hindi.indiawaterportal.org/node/

****

पर्यटन प्रबन्धन से सामाजिक विकास के आयाम

डॉ. तरूण दुबे *

प्रस्तावना – 'पर्यटन' के कारक के रूप में विभिन्न सामाजिक, मान्यताएँ एवं प्रथाएँ समाहित हैं। किन्तु सभी में कम से कम एक समानता अवश्य है। इस मूलभूत विशेषता से पर्यटन को परिभाषित करने में मदद मिलती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार 'जब लोग 24 घण्टे से अधिक और 1 वर्ष से कम समय की अवधि के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते है, तो इस प्रकार की गतिविधि को पर्यटन में शामिल किया जाता है।'

पर्यटन वस्तुत: दैनिक जीवन के कार्यकलापों से आई ऊब को दूर करने का एक प्रयास है, जिसमें आम जीवन के विपरीत कुछ भी नियमित, नियंत्रित कार्य नहीं होता है। आज की सामाजिक व्यवस्था काम और दैनिक नियमित क्रियाकलापों को छोड़ प्रफुल्लित होने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ बना ली हैं, वे खास स्थान और समयावधि में अवस्थित होते है। पर्यटन में लोग यात्राएँ करने के लिए निकलते है और विभिन्न स्थानों पर ठहरते हैं। इस यात्रा के दौरान यातायात, आवास, भोजन, और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।

यात्री और पर्यटक – पर्यटन में एक यात्री और पर्यटक में अन्तर होता है। यात्रा की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जबकि पर्यटन सामूहिक होता है। पर्यटन के दौरान पर्यटक कुछ खास दर्शनीय स्थलों पर जाता है। उसके मन में एक दर्शनीय स्थलों को देखने की ललक होती है, उसे विभिन्न माध्यमों में से फिल्म, टी.वी., उपन्यास, पत्रिका, दस्तावेजों से इसके विषय में जानकारी मिलती है। वह उन दर्शनीय स्थलों के सौन्दर्य की कल्पना करता है, और उसके मन में एक प्रकार की ललक पैदा होती है। एक पर्यटक की दृष्टि कुछ अनूठेपन की खोज में रहती है। वह ऐसा काम चाहता है, जो जीवन से अलग हटकर हो। वह खोजता है एक मनोरम स्थल, ऐतिहासिक इमारत या एक घटना जो उसे अनूठी लगे और जिसे देखकर उसे सुख और आनन्द की प्राप्ति हो।

पर्यटन एक प्रस्थिति के रूप में – आधुनिक समाज में पर्यटन हैसियत का प्रतीक बन गया है। यह भी माना जाने लगा है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विकसित देशों में अवकाश अवधि का 40 प्रतिशत समय यात्रा और घूमने में बिताया जाता है। 1990 में 429 लाख पर्यटकों ने 429 अरब अमेरिकी डालर खर्च किए और 2010 ई. तक आते-आते पर्यटक संभवत: विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने का स्त्रोत बन जाएगा।

पर्यटन के सामाजिक सिद्धान्त – समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ सामाजिक विकास से है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों जिसमें विशेषकर कौंत, स्पेन्सर एवं हॉबहाउस ने 'सामाजिक उद्विकास', 'प्रगति', एवं 'सामाजिक विकास' को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को कुछ विशेष अर्थ में ही इस्तेमाल करते हैं। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यत: सामाजिक विकास से है। इसका प्रयोग विशेषकर उद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अन्तर स्पष्ट करने के लिए होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है और उसी के तहत हम परम्परागत समाज, संक्रमणशील समाज एवं आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं। आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, सामन्तवाद से पूँजीवाद की ओर जाना भी एक प्रकार का विकास है।

पर्यटन सामाजिक एकता में सहायक – पर्यटन का मुख्य उद्देश्य मानव समाज को एकजुट सम्पर्क में लाना है। समस्त लोग अवकाश बदलाव एवं अनुकरण चाहते हैं। विभिन्न जातियों, क्षेत्रों तथा राजनीतिक वर्गों के लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। पर्यटन को इस तरह संगठित किया जा सकता है कि असंख्य व्यक्तिगत पारिवारिक व अन्य सामाजिक गुणों को सुगम किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में श्री अंगर ने कहा है कि विदेश भ्रमण करते समय हम सबको अपने आपको क्राइटोफर कोलम्ब्स समझना चाहिए एवं उनके जैसा एक जिज्ञासा होनी चाहिए। एक समाज जो पूर्ण विकास होने की सिथति में हो उसे अपने नागरिकों के समस्त बनधनों को हटा देना चाहिऐ एवं साथ ही सम्पूर्ण विश्व का अच्छा ज्ञान प्रदान करके उनकी आध्यात्मिक व बुद्धिमता की विशारद में वृद्धि करनी चाहिए।

पर्यटन से विश्व शान्ति में योगदान – देश-विदेश की जाने वाली यात्राएं दो देशों के मध्य हुए तनावों को कम करती हैं। यह विश्व में सद्भावना व शान्ति स्थापित रखने की महत्वपूर्ण शक्ति है। द्विपक्षीय यात्राए शान्ति स्थापित करने की गति में उत्प्रेरक करने का कार्य करती हैं, लोगों की आमने-सामने की मुलाकातें सीमाओं का अन्त करती हैं व सद्भावनाओं को अधिक बढ़ावा देती हैं एवं सामान्य समस्याओं का गहन अध्ययन करवाती हैं। यह समस्त मानव-कल्याण हेतु एक स्वतन्त्र विश्व, संस्कृति तथा व्यापार में योगदान करती हैं। यह विश्व में एकता को बढ़वा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मूलत: शान्ति, सहयोग व सद्भावना के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। बहुत से राष्ट्रों में पर्यटन का विकास ही अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र के पर्यटकों के बीच सहयोग होने से सीमाओं के पार पर्यटकों के स्वतन्त्र तथा पारस्परिक बदलाव को प्रोत्साहन मिलता है। पर्यटन से लोग आकर्षित होते हैं। राष्ट्र एक-दूसरे के समीप आते हैं एवं वैमनस्य की भावना का अन्त होता है। गलतफहमी की भावना में सुधार आता है जिससे विश्व शान्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।

* सहायक आचार्य, जे.आर.शर्मा पी.जी कॉलेज, झाड़ोल (फ.) भारत

पर्यटन विदेशीय सम्बन्धों में सहायक – पर्यटन स्थल पर प्राय: व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती है। जब व्यक्ति दूर देशों में यात्रा के लिए जाते हैं, तो उन्हें उन लोगों की रीति–रिवाज व रहन–सहन का गहन ज्ञान होता है एवं साथ ही वे मानव समाज की असली छिपी हुई एकता का अनुभव कर सकते हैं।

एक बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बावत महात्मा गांधी जी ने कहा था: 'मैं नहीं चाहता कि मेरे घरों के चारों तरफ दीवारें हों एवं खिड़कियां बन्द हों। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के चारों तरफ समस्त राष्ट्रों की संस्कृति जितना सम्भव हो सके स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवाहित हो। परन्तु मेरे पैर किसी के माध्यम से नहीं उखड़ने चाहिए।'

गांधी जी के उपर्युक्त शब्दों से उस असली भावना का आभास होता है जिसके लिए हम एक भिन्नतापूर्ण सहयोग व ख्याति का वातावरण चाहते हैं। पर्यटन द्वारा अन्य लोगों के रहन–सहन तथा संस्थाओं की प्रशंसा करने से राष्ट्र हेतु एक ख्याति निर्मित की जा सकती है। पर्यटन किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माता, अपने स्वयं के व्यक्तित्व का द्योतक एवं समझबूझ व क्रियाओं का जोड़ है। पर्यटन स्वदेश का एक आइना है, अतएव अपनी मातृभूमि की वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब है।

जब यात्री किसी भी देश में यात्रा करता हैं, तो अपने देश की मजबूत भौगोलिक दशा को अपने साथ–साथ ले जाते हैं। वह वहीं देखना चाहते हैं जिसको उन्हें देखने की इच्छा है एवं जिससे उन्हें सन्तोष प्राप्त होता है। वे लोगों के सम्पर्क में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सद्भावना व ख्याति बढ़ती है, जब विभिन्न राष्ट्रों में पर्यटक एक–दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, तो इससे ख्याति व सद्भावना का प्रादुर्भाव (आगमन) होता है। आज का विश्व एक बन्द समाज नहीं है अपितु एक विशद समाज है। आज का विश्व समाज के समस्त राष्ट्रीय बाधाओं को तोड़ डालता है एवं विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के लोग कुछ विशेष कारणों से दूसरे क्षेत्रों की बारम्बार यात्रा करने हेतु आते हैं।

यात्रा के माध्यम ही युद्ध में क्षति ग्रस्त हुए सामग्रियों को सुव्यस्थित किया जा सकता है एवं युद्ध से प्रभावित राष्ट्रों के बीच वैमनस्य की भावना को दूर किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में ब्रिटेन तथा पूर्वी जर्मनी का उदाहरण दिया जा सकता है। अमेरिका तथा रूस के बीच के सम्बन्धों की भी यही स्थिति है। राजनैतिक दृष्टि से भी, स्थानीय निवासित लोगों का विदेशी पर्यटकों के सम्पर्क में आना लाभकारी सिद्ध हुआ है। साम्यवादी राष्ट्रों का विश्व पर्यटन मार्केट में पदार्पण करने से पूँजीवादी व साम्यवादी पर्यटन निर्यातकों के मध्य की सूचनाओं व विचाराधाराओं के अन्तर को कम करने के प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। पर्यटकों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यात्रा निर्यातकों को विदेशी संस्कृति व सूचनाओं के प्रभावों जैसे रियायती मैगजीन, फिल्म, संगीत आदि को प्रभावी करने हेतु बाध्य होना पड़ता है। पर्यटकों के यात्राकृत स्थान व उसमें निवासित लोगों के सम्पर्क में आने से सामाजिक विनियम होता है, उनकी मौजूदगी एवं सामाजिक भूमिका का प्रभाव पर्यटन स्थलों के सामाजिक ढांचे व रहन–सहन की प्रणाली पर पड़ता है। इसी तरह पर्यटकों पर भी इस अनुभव का प्रभाव पड़ता है। वे वापसी में स्वदेश को नई आदतें व नयी जिन्दगी की भावना का विचार ले जाते हैं।

1965 में मैक्सिकों शहर में हुए आई. यू.टी. ओ. की साधारण सभा में मैक्सिकों के राष्ट्रपति श्री गुस्तामी डाएज ओरडज के अनुसार, 'विश्व में पर्यटन को केवल व्यापार ही नहीं समझना चाहिए, अपितु यह एक साधन है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के विचारों को जानते हैं व एक दूसरे को समझते हैं जो कि आज के विश्व तथा समय में बहुत ही अनिवार्य है– यह बिल्कुल सत्य है कि अच्छे आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्धों से राष्ट्र अपने नागरिकों की जिन्दगी में समृद्धि लाते है। यह भी सही है कि सांस्कृतिक सम्बन्धों से शान्ति का वातावरण निर्मित होता है, जो कि आपसी सद्भावना व प्रत्येक राष्ट्र की अनोखी आध्यात्मिकता के परिणामस्वरूप जागृत होती है। साथ ही सांस्कृतिक सहयोग के परिणामस्वरूप आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में समझौतों को स्थापित करने की सम्भावना होती है।'

यात्रा अनुभवों से व्यक्तिगत जिन्दगी व समस्त समाज बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। सामूहिक यात्रा आज एक सामाजिक प्रवृत्ति बन चुकी है एवं एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। जो व्यक्ति सामूहिक यात्रा के इच्छुक हैं, वे सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं व एक दूसरे का साथ पसन्द करते हैं। इसी तरह लोग नये क्षेत्रों की प्रथम बार यात्रा करते हैं एवं वह चाहते हैं कि उनकी यात्रा मनोविनोदकारी हो, भय व चिनता से मुक्त हो, वे स्वयं व अपने परिवार के नजदीकी सदस्यों के साथ इस तरह की यात्रा की कोशिश करते हैं।

पर्यटन प्रक्रिया के शैक्षिक लाभ – वर्तमान की नवीन शिक्षा पर्यटन के जरिए सद्भावना व प्रेम का विकास होता है। यह विदेशी प्रेम एकता की भावना का विकास करती है। समस्त राजनैतिक तथा आर्थिक स्त्रोतों में अन्तर्राष्ट्रीय एकता की भावना लाने हेतु असफल पर्यटनों के पश्चात् भी पर्यटन की तरफ ही एक आशा लगी हुई है। विभिन्न रहन–सहन वाले व विभिन्न समय के लोगों के अलिखित व बिना कहे सम्बधों को स्थापित करने में यात्रा व पर्यटन ही एक मात्रा उत्तर है। अक्सर यात्रा करने वालों व स्वागत करने वालों की सांस्कृतिक विनिमय तथा सांस्कृतिक महत्ता के साथ–साथ पर्यटन रहता है। सांस्कृतिक कारण ही पर्यटकों को भिन्न–भिन्न पर्यटक स्थलों, वस्तुकला, ऐतिहासिक इमारतों आदि की तरफ आकर्षित करते।

पर्यटन क्षेत्रीय विकास में सहायक – क्षेत्रीय स्तर पर समान विनियोजन की सम्भावनाओं से हुए औद्योगिक विकास की तुलना में पर्यटन से उत्पन्न फैलाव अत्यन्त ही अधिक होता है। पर्यटन से राष्ट्र के उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यह राष्ट्र के तहत क्षेत्रीय संतुलन को बनाने में सहायक होता है। यह क्षेत्रीय विकास के केन्द्रों का बनाए रखता है क्योंकि पर्यटन का स्थानीयकरण अविकसित क्षेत्रों में होता है। जिनमें उत्पादन के स्त्रोता कम होते हैं। पर्यटन के माध्यम से की गई शुरूआत से कठिबद्ध क्षेत्रों को लाल होता है एवं साथ ही अग्रगामी विकास के स्तर में स्वत: चलन के माध्यम से प्रवेश होने का अवसर प्राप्त होता है। पर्यटन के विस्तार राष्ट्र के अविकसित क्षेत्रों में विकास की क्रिया में बुनियादी महत्ता की भूमिका अदा करते हैं।

निष्कर्ष – पर्यटकों की मांगों की पूर्ति करने हेतु बहुत से उद्योगों तथा व्यापारिक सेवाओं की जरूरत होती है। यह अनुमान है कि यात्रियों की जरूरत पूर्ति हेतु स्थापित खाद्य व कास्तकारिक उद्योग समस्त व्यापारिक वर्ग हेतु आय का अच्छा स्त्रोत बन जाता है। समाज में वे आय को पुन: विनियोजित करते हैं। यह भी अनुमान है कि पर्यटक धन का 50 प्रतिशत भाग समाज के तहत व्यय करने हेतु विद्यमान रहता है। यह अतिरिक्त आय कर के रूप में रहती है, जिसका समस्त शहरवासी लोगों के माध्यम से शिक्षा व अन्य सामाजिक सुविधाओं के रूप में फायदा उठाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह रतनदीप–टुअरिज्म टुडे, यू. आई., नई दिल्ली, 1994
2. आर.,बी.एन.–एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हास्पिटलिटी एण्ड टुअरिज्म, न्यूयार्क, 1993

3. मी, जान–टुअरिज्म मैनेजमेन्ट इन इण्डिया, आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1990
4. भाटिया, ए.के. –टुअरिज्म डवलपमेन्ट, प्रिन्सीपल एण्ड प्रेक्टिस, स्टार्लिग् पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1986
5. प्रगति प्रतिवेदन 2001–2002 – पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग, राज्य सरकार,जयपुर
6. कौल, वीरेन्द्र– टुअरिज्म एण्ड इकोनामी, नई दिल्ली, 1994
7. डोनाल्ड, ई. लुंडवर्ग– टूअरिस्ट बिजनेस, न्यूयार्क, 1990

****

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रयास

डॉ. संगीता कुँभारे *

शोध सारांश – बैंकिंग एक अतिप्राचीन व्यवस्था है, बैंक धन व पूँजी को संचित रखने का वह सुरक्षित स्थान हैं, जहाँ व्यक्ति का अटूट विश्वास व भरोसा होता है। बैंकों की कार्यप्रणाली आज जैसी है पहले नहीं थी इस स्थिति में आने में उसे एक लंबा समय गुजारना पड़ा है। बैंक किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के दर्पण कहे जाते है। वर्तमान में देश की अधिकांश पूँजी का आगमन एवं निगमन बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। देश की वित्तीय नीति का निर्धारण एवं संचालन बैंक के द्वारा ही होता है। आज बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के समक्ष अनेक चुनौतियां है, ये चुनौतियां बैंकों की लाभदायकता को प्रभावित कर रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को संकट झेलना पड रहा है।

प्रस्तावना – अप्रैल से जून की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) छ:साल के न्यूनतम स्तर पर आकर पॉच फीसदी रह गया है। पिछली तिमाही में यह 5.8 फीसदी था। इसकी संभवता सरकार को इसका अनुमान था। इसलिए वह लगातार इकोनॉमि में तेजी लाने के उपायों में जुटी हुई है। बैंको के मर्जन से लेकर वीमल जालान कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करना इन्हीं उपायों का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने जालान कमेटी की सिफारिसों को स्वीकार करते हुए अपने खजाने से 176051करोड़ रूपये की सर्पलस राशि सरकार को देने का फैसला कर लिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब बाजार में घटती मॉग ने सामाजिक व आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियॉ उत्पन्न कर दी है। यह माना जा रहा है कि इस पैसे से सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्व में आने वाली कमी को काफी हद तक पूरा कर लेगी। इस फैसले पर राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच में भी मतभेद है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार के लिए आगे रिजर्व बैंक से पैसा लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में इस तरह से दी जाने वाली राशि का निर्धारण तय फार्मूले के आधार पर होगा और न्यूनतम कन्टीजेंट रिस्क बफर सी.आर.बी. बनाए रखने की बाध्यता भी होगी। आज सबसे जरूरी है कि सरकार रिजर्व बैंक से मिली इस राशि का इस्तेमाल बुद्धिमता के साथ करें और उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करें। यह बजट के गणित को विश्वसनीय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है सरकार द्वारा आर.बी.आई. के खजाने से पैसा लेने के बारे में प्रतिकूल राय रखने वाले अर्थशास्त्री इस बात से कुछ राहत महसूस कर रहे है कि जालान कमेटी ने रिजर्व बैंक के रिवेल्युशन रिजर्व को सरकार के हाथों से दूर रखा है साथ ही यह प्रावधान भी किया है कि कन्टीजेन्सी फण्ड से जिस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा ऐसा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि मौजूदा न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए उसमें पैसा डालना पडेगा। वे इस बात पर चिंता व्यक्त करते है कि कन्टीजेन्सी फण्ड अब अपने न्यूनतम स्तर पर होने से रिजर्व बैंक के पास भविष्य में बहुत अधिक विकल्प नहीं होगें।

आर.बी.आई.रिजर्व के चार हिस्से होते है –

1. **करेन्सी एण्ड गोल्ड रेवेल्सूएशन –** आर.बी.आई.विदेशी मुद्रा और सोने में निवेश करता रहता है इनकी कीमतों में परिवर्तन से यह खाता प्रभावित होता है। आर.बी.आई. अगर 60 रूपये की दर से 100 डॉलर खरीदता है तो उसकी कुल पूँजी छ:हजार रूपये होगी अगर यह कीमत बढकर 70 रूपये हो जाती है, तो आर.बी.आई. के इस खाते में 1000 रूपये आ जाएगें यही सोने पर भी लागू होता है। यही आर.बी.आई. का सबसे बडा हिस्सा होता है और इसमें 2010 से लगातार वृद्धि हो रही है। करेंन्सी वेल्यूएशन माह के अंतिम कार्यदिवस को और सोने का वेल्यूएशन 90 दिन के औसत पर लिया जाता है। आर.बी.आई.की बैलेंसशीट में इस रिजर्व के तहत 6.9 लाख करोड रूपए थे।

2. **कंटींजेंसी फंण्ड –** सी.ए आपात स्थिति में रिजर्व बैंक इस पैसे का इस्तेमाल करता है। यह रिजर्व बैंक के कुल खजाने का एक चौथाई होता है। आरबीआई लाभ का एक हिस्सा इस अकाउंट में डालता रहता है। बैलेंस शीट में 2.3 लाख करोड रूपये था।

इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट आईआरए यह अकाउंट दो हिस्सों में होता है। एक में विदेशी प्रतिभूतियां होती है।

एसेट डेवलपमें बैक एडी यह अकाउंट अंदरूनी पूंजी खर्चो को पूरा करने और सहयक संगठनों में निवेश करने के लिए होता है।

वे दोनों रिजर्व का छोटा हिस्सा होते है। बैलेंस शीट में यह 30 हजार करोड़ रूपये था।

कहॉ कहॉ से होती है रिजर्व बैंक की आमदनी– आरबीआई सामान्यत: निवेश एवं ऋण पर मिलने वाले ब्याज प्रतिभूतियों की खरीद से होने वाले लाभ एवं करेंन्सी के मुद्रण से होने वाले लाभ के रूप में आय अर्जित करता है। इस साल रिजर्व बैंक की बैलेंन्सशीट का साईज करीब 41 लाख करोड था। किन स्थितियों में इस्तेमाल होती है, कन्टीजेन्सी फण्ड– जब अप्रत्याशित वित्तीय संकट,किसी बडें सायबर फ्रॉट और आपरेशनल रिस्क, जिसमें प्रतिभूति एवं मुद्रा की कीमत में भारी गिरावट आ जाए एवं किसी बड़े बैंक मे अप्रत्याशित संकट आ जाए तो इनको समर्थन देने के लिए रिजर्व बैंक इस फण्ड का इस्तेमाल करता है।

आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को क्या मिलेगा – इस धन से ग्राहकों को एवं आमआदमी को अभी सीधा कोई लाभ होगा ऐसा नहीं दिख

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पंडित दीनदयाल आर्ट्स कामर्स महाविद्यालय,सागर (म.प्र.) भारत

रहा है लेकिन इससे सरकार लोगों पर पड़ रहे टेक्स के बोझ को कम कर सकती है। यह कमी इनकम टेक्स दरों के सरलीकरण के रूप में सामने आ सकती है। हाल ही में इस तरह की सिफारिश सरकार द्वारा गठित टास्कफोर्स भी कर चुकी है।

सरकार कैसे खर्च करेगी इस सर्पलश फण्ड को – अब सवाल यह है कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करती है पिछले कुछ वर्षो में जीडीपी की तुलना में पूँजीगत खर्च का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। इस बार सरकार को इस धन का उपभोग बढाने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उत्पादकता के लिए इस्तेमाल करना चाहिएं ताकि इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर स्थाई और गुणात्मक रूप में पडे।

बडा बैंकिंग सुधार – देश में कुल 12 सरकारी बैंक रहेंगे, विलिय से बैंकों की बैलेंसशीट मजबूत होगी व कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी।

10 बैंक मिलाकर 4 बडे बैंक बनाए, छंटनी से इनकार – वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों की बैलेंसशीट मजबूत करने और कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने के लिए 6 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय करने का ऐलान किया। इस प्रक्रिया से कुल 10 सार्वजनिक बैंक 4 बडे बैंकों मे बदल जाएंगे।

इसके बाद देश में केवल 12 सरकारी बैंक बचेंगे। 2017 में इनकी कुल संख्या 27 थी। सरकार इससे पहले दो चरणों में भी बैकों का विलय कर चुकी है। इसे 1969 में बैकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिग सेक्टर का सबसे बड़ा सुधर बताया जा रहा है।

विलय से ग्राहकों के लिए यह बदलेगा – खाता संख्या, कस्टमर आइडी आइएफएसस कोड बदल सकता है। एसआइपी और लोन की ईएमआइ के लिए नए मैनडेट भरने होंगे। एफडी सर्टिफिकेट अपडेट कराने पड़ सकते है। ब्याज दर में बदलाव नहीं होगा।

कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं – कर्मचारियों की कोई छटनी नहीं होगी। कर्मचारियों की सुविधाएं बेहतर होंगी। वित सचिव के अनुसार कारोबार भी बढ़ेगा और शाखाएं भी

1. पंजाब नेशनल बैंक: शाखाओं और कारोबार के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक,पीएनबी का कारोबार डेढ़ गुना हो जाएगा।

घरेलू	कुल कारोबार	कुल
शाखाएं	दूसरा सबसे बड़ा बैंक	कर्मचारी
11,434	17.94लाख करोड़	1,00,649

2. केनरा बैंक शाखाओं के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, मौजूदा कारोबार का डेढ गुना हो जाएगा।

घरेल	कुल कारोबार	कुल
शाखाए	दूसरा सबसे बड़ा बैंक	कर्मचारी
10,342	15.20 लाख करोड़	89,885

3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: शाखाओं के अनुसार 4 सबसे बड़ा बैंक बनेगा, विलय होने के बाद मौजूदा कारोबार दोगुना हो जाएगा।

घरेलू	कुल कारोबार	कुल
शाखाएं	दूसरा सबसे बड़ा बैंक	कर्मचारी
9,609	14.59 लाख करोड़	75,384

4. इंडियन बैंक: मौजूदा कारोबार 19 गुना हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व भारत में मजबूत उपस्थिति

घरेलू	कुल कारोबार	कुल
शाखाएं	दूसरा सबसे बड़ा बैंक	कर्मचारी
6,104	8.08 लाख कराड़	42.814

निष्कर्ष – आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से बैकों का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वे विकसित हो विकासशील बैंकों की नितांन्त आवश्यकता है, जिस प्रकार रक्तवाहिनी नाडियॉ सारे शरीर में रक्त पहुँचाकर उसे स्वस्थ्य रखती है, उसी प्रकार बैंक भी संम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में वित का संचार करती है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्रमाण कहा जाता है। किसी भी देश का उत्पादन व्यवसाय व्यापार तथा उद्योग धंधे सभी लिए बैंकिंग विकास आवश्यक है बैंकों के बिना आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते है। बैंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दैनिक समाचार पत्र।
2. इण्डिया टुडे।
3. मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र।
4. योजना मासिक पत्रिका।

****

मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (माकवा) का कृषक महिलाओं की भूमिका व समस्या पर प्रभाव

प्रियंका शर्मा * डॉ. प्रवीण ओझा**

प्रस्तावना – ग्रामीण अथवा शहरी कोई भी क्षेत्र हो महिलाएँ आबादी का लगभग आधा अंश होती हैं। वे परिवार समाज समुदाय का एक बड़ा ही सार्थक अंग हैं। जो समाज के स्वरूप को सशक्त रूप से प्रभावित करती हैं। महिलाएँ राष्ट्र के विकास में पुरूषों के बराबर ही महत्व रखती हैं। हमारे देश में 70 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उनमें से अधिकांश कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। ग्रामीण महिलाएँ गृह कार्य तथा बच्चों को सम्भालने के साथ-साथ खेत के काम में भी हाथ बँटाती हैं।

सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. स्वामीनाथन के अनुसार विश्व में खेती का सूत्रपात और वैज्ञानिक विकास का प्रारम्भ महिलाओं ने ही किया। चक्रवर्ती के अनुसार घर और खेत पर महिलाओं का देश के आर्थिक विकास में लगभग पचास प्रतिशत योगदान रहता है। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनीकरण और नई टेक्नोलॉजी का महिलाओं द्वारा स्वीकार किया जाना महत्तवपूर्ण बात समझी जा रही है।

महिलाओं के प्रत्यक्ष योगदान एवं सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप भारत अनेक प्रकार के फल सब्जी और अनाज के मामले में महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया है। पशुपालन, मछली पालन, चटनी, अचार मुरब्बे यानिकी खाद्य परिरक्षण हथकरघा दस्तकारी जैसे कामों में ग्रामीण महिलाएँ पीछे नहीं हैं। वे खेतों में कार्य करने के अलावा कृषि सम्बन्धी मामलों में महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं।

कृषि जनगणना के अनुसार –

- कृषि जनगणना (2010-11 के अनुसार, अनुमानित 118.7 मिलियन किसानों में से 30.3% महिलाएँ थी। इसी प्रकार, अनुमानित 144.3 मिलियन कृषि श्रमिकों में से 42.6% महिलाएँ थी।
- परिचालन संपत्ति के स्वामित्व के मामले में नवीनतम कृषि जनगणना (2015-16) चौंकाने वाली है। कुल 146 मिलियन परिचालन संपत्ति में से महिला परिचालन संपत्ति धारकों का हिस्सा 13.87% (20.25 मिलियन) है, जिसमें पाँच वर्षों में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- जबकि कृषि में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सरकार को महिला किसानों और मजदूरों के सामनेआने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार होना शेष है।

महिला किसानों की अधिकार हीनता –

- पुरुष किसानों की तुलना में लंबे समय तक अधिक काम (वैतनिक तथा अवैतनिक) करने के बावजूद महिला किसान न तो उत्पादन पर कोई दावा कर सकती हैं और न ही उच्च मजदूरी दर की माँग कर सकती हैं।
- खेत पर काम करने के अलावा, उनके पास घर और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। कम मुआवजे के साथ बढ़े हुए काम का बोझ उन्हें हाशिए पर ले जाने के लिए जिम्मेदार एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- अभी तक, महिला किसानों का समाज में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व है और किसानों के संगठनों या समयदसमय पर किए जाने वाले आंदोलनों में उनका कहीं भी स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं हैं। वे ऐसी अदृश्य श्रमिक हैं। जिनके बिना कृषि अर्थ व्यवस्था में वृद्धि करना मुश्किल है।

महिला किसानों के समक्ष समस्याएँ –

1. **भू-स्वामित्तव –**

- महिला किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस भूमि पर वे खेती कर रही हैं, उस पर स्वामित्त्व का दावा करने के मामले में वे शक्तिहीन हैं।
- कृषि जनगणना 2015 के अनुसार, लगभग 86% महिला किसान इस संपत्ति से शायद इसलिये वंचित हैं क्यों कि हमारे समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है।विशेष रूप से भूमि परस्वामित्व की कमी महिला किसानों को संस्थागत ऋण के लिये बैंकों से संपर्क करने की अनुमति नहीं देती क्योंकि बैंक आमतौर पर जमीन के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं।
- दुनिया भर में किए गए शोधों से पता चलता है कि जिन महिलाओं की पहुँच सुरक्षितभूमि, औपचारिक ऋण और बाजार तक है, वे फसल-सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार करने के लिये अधिक निवेश कर पाती हैं।

2. **भूमि अधिग्रहण –** पिछले वर्षों में भूमि अधिग्रहण दो गुना हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप खेतों का औसत आकार घट गया है। इसलिए, अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग (एक श्रेणी जो निर्विवाद रूप से महिला किसानों को शामिल करती है) के अंतर्गत आते हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है।

3. **अनुकूल मशीनरी –** महिला किसान और मजदूर आमतौर पर श्रम-केंद्रित कार्य (कुदाल या फावड़े की मदद से गड्ढा खोदना, घास काटना, खरपत वार हटाना, कटाई करना, बेंत का संग्रह, पशु धन की देख भाल) करती हैं।

- विभिन्न कृषि परिचालनों के लिए महिला-अनुकूल उपकरणऔर मशीनरी रखना महत्तवपूर्ण है।
- अधिकाँश कृषि मशीनरी ऐसी हैं जिनका संचालन करना महिलाओं के लिये मुश्किल है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

* शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एण्ड बिजनेस स्टेडिज, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष बी.एस.पी., शासकीय पी.जी. (म.प्र.) भारत

4. **संसाधनों तक पहुँच –** अंतिम समस्या यह है कि कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए संसाधनों और आधुनिक उपकरणों (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक महिला किसानों की पहुँच आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम होती है।

- खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो जाने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 2.5: से 4% की वृद्धि हो सकती है।

मापवा योजना – मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी परियोजना (प्रथम चरण) वर्ष 1994 में, डेनमार्क सरकार की सहायता से मध्यप्रदेश के 7 जिलों जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदबाडा, मंडला, रायसेन, शहडोल एवं बिलासपुर (अब छत्तीसगढ़ में) प्रारंभ की गई है। परियोजना के द्वितीय चरा में कटनी, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, सतना, अनूपपुर एवं बालाघाट जिले शामिल किए गए। परियोजना दिसम्बर 2005 तक प्रभावशील रही। परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्र में पदस्थ महिला विस्तार कर्मियों द्वारा कृषि कार्य में लगी महिला कृषकों को कृषि की कम लागत तकनीकी का प्रशिक्षण देकर उनकी कृषि में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की गई। परियोजना के अनुभवों को देखते हुए विभाग पूरे प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से कृषि में महिलाओं की भागीदारी (माकपा) योजना लागू की है। योजना हेतु वर्ष 2007-08 मैं रू. 100 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

योजना का उद्देश्य महिला कृषकों के जीवनयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थापित्व लागना है। इस हेतु विभाग के सामान्य विसतार तंत्र को प्रशिक्षित कर, महिला कृषकों विशेषकर किसान दीदी को कृषि तकनीकि प्रशिक्षण देने एवं उनको तकनीकि हस्तांतरण करने योग्य बनाना है। जिलों में महिला कृषकों को कम लागत की तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाना है, साथ ही सामान्य कृषि विस्तार तंत्र को मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण के माध्यम से जेण्डर के प्रति संवेदनशील बनाकर उसमें वैज्ञानिक, विस्तार कार्यकर्ता एवं कृषकों के बीच परस्पर संबंध विकसित करने एवं नेतृत्व करने की योग्यता का विकास करना है।

इस योजना का कार्य जिले में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी करेंगे। महिला अधिकारी विशेष रूप से इस योजना में कार्य करेंगी।

योजना के प्रमुख घटक बेंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसरण, भ्रमण, विशेष प्रशिक्षण, अंतर्जिला अध्ययन भ्रमण, समूह गठन प्रशिक्षण, कृषक महिला समूह गठन, मानव संसाधन विकास एवं प्रचार-प्रसार हैं।

उद्देश्य – महिला कृषकों के जीवनयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिए योजनान्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं।

योजना का कार्यक्षेत्र – ग्वालियर संभाग व चंबल संभाग के साथ-साथ पूरे मध्यप्रदेश में क्रियान्वित

योजना का स्वरूप – महिलाओं के लिये बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसरण भ्रमण, समूह गठन प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, विशेष प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दिशा-निर्देश – योजना की विस्तृत जानकारी के लिए दिशा-निर्देश जिला कलेक्टर, कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला उप संचालक कृषि के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

पात्र हितग्राही – सीमित वर्ग की महिला कृषक।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया – एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिए 25 कृषक महिलाओं का चयन हेतु समाान्य, लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे कृषि योग्य भूमि सिंचाई के साधन, पशुधन आदि सूचकों के आधार मानकार किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन – योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (माकपा) नामांकित किया गया है।

योजना का कार्य जिले में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (विशेष रूप से महिला अधिकारी) द्वारा किया जाएगा।

महिला कृषकों की समस्याओं का निदान – इन्हें किसान निर्माता संगठनों के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी सरकारी प्रमुख योजनाओं में महिला केंद्रितरण नीतियों और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिये। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों को विस्तार सेवाओं के साथ-साथ अभिनव प्रौद्योगि की के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।

सहकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं को भी सहकारी समितियों से ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि उत्पादों का विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। महिलाओं को संस्थागत-ऋण प्राप्त हो, इसके लिए खेत पर पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा होना चाहिए। महिलाओं की कुशलता और उनके कृषि औजारों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए कृषि कार्यों में जुड़े ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

कृषि मंत्रालय के स्तर से भी निरंतर इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि कृषि कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो। हमारे देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा विकास हेतु कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

निष्कर्ष – जब महिलाएँ कृषि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, तो इस कार्य में उनकी निरंतरता को- बनाए रखने के लिये सबसे महत्तवपूर्ण कार्य है उन्हें भूमि संपत्ति के अधिकारों को सौंपना। एक बार महिला किसानों को प्राथमिक अर्जक और भूमि परिसंपत्तियों के मालिकों के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाए तो उनके लिये बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही महिला किसान तकनीक और मशीनों का उपयोग करके फसल उगाने और गाँव के व्यापारियों या थोक बाजारों में उपज का निपटान करने का निर्णय ले सकेंगी। इस प्रकार वास्तविक और दृश्य मान किसानों के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।

सदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.mp.krishi.org
2. www.krishi.gov.in
3. www.worldeconomic.in
4. www.drishtiias.com
5. www.afeias.com/knowledge-center/current-content
6. http://gshindi.com/pib/rastriya-krishi-vikash-yojna
7. www.agriculturedepartment.in

भारत में उद्यमिता विकास एक विश्लेषण

डॉ. बालमुकुन्द बघेल *

शोध सारांश – आज निजीकरण, उदारीकरण वैश्वीकरण का युग है। बढ़ती जनसंख्या ,बढ़ती बेरोजगारी , घटते रोजगार के अवसरों के बीच जहां आत्मनिर्भर बनने की असीम संभावना मौजूद है: वह है उद्यमिता या उद्यम का मार्ग चुनना। उद्यमिता अर्थात् स्वं के साधनों से स्वं का विकास करना, स्वं साहस जुटाकर पूंजी लगाकर जोखिम वहन करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से नव उत्पाद या वस्तु का सृजन करना होता है।उद्यम या व्यवसाय का चुनाव कोई सरल मार्ग नहीं है क्योंकि इसमें व्याप्त जोखिम तत्व घबराहट को जन्म देता है किन्तु ये भय वास्तविक कम और परिकल्पित ज्यादा होता है।इस भय से निकलने का मार्ग है चुने जाने वाले उद्यम के बारे में पूर्ण जानकारी रखना, व्यवसाय में निहित SWOT विश्लेषण को समझना होगा। साथ ही सरकार द्वार उद्यमिता विकास हेतु चलाई जा रही योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

शब्द कुंजी – मलूवतकेरू, उद्यमिता,व्यवसाय SWOT योजनाओं।

प्रस्तावना – आज निजीकरण, उदारीकरण वैश्वीकरण का युग है। बढ़ती जनसंख्या,बढ़ती बेरोजगारी, घटते रोजगार के अवसरों के बीच जहाँ आत्मनिर्भर बनने की असीम संभावना मौजूद है: वह है उद्यमिता या उद्यम का मार्ग चुनना। उद्यमिता अर्थात् स्वॅय के साधनों से स्वॅय का विकास करना, स्वॅय साहस जुटाकर पूंजी लगाकर जोखिम वहन करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से नव उत्पाद या वस्तु का सृजन करना। मानव के समक्ष जीविकोपार्जन के दो रास्ते है– पहला रोजगार या नौकरी और दूसरा है स्वरोजगार या व्यवसाय का रास्ता। परम्परागत रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ये चलन रहा है कि अधिकॉश लोग सोचते है कि उन्हें नौकरी मिल जाती तो जीवन निश्चित हो जाता , जीवन की उठापटक से मुक्ति मिल जाती किन्तु ऐसा होता नहीं है क्योंकि जीवन संघर्ष के लिए मिला है आराम से बिताने के लिए नहीं। कम से कम 50 की उम्र तक तो उद्यम के क्षेत्र में नवीन चूनौती स्वीकार करने एवं जोखिम लेने के लिए मेहनत की जा सकती है फिर कारोबार को आगे बढ़ाने में प्रबंधन का काम संभाला जा सकता है। नौकरी चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या शासकीय क्षेत्र में उसका दायरा सीमित ही होता है। नौकरी करने वाले का आर्थिक विकास बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं होती क्योंकि विकास वेतन से निर्धारित होता है, ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी ,घर ,थोड़ी बहुत जमा पूंजी बस,जबकि व्यवसाय में आय की कोई सीमा नहीं होती। यदि व्यवसाय चल पड़ा फिर विकास ही विकास है,उड़ने के लिए सारा आसमान हमारा है। नौकरी में मनमर्जी जैसी कोई बात नहीं होती। नौकरी में सेवा नियमों का पालन करना होता है खुलकर राजनीतिक या अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। एक दायरे में रहकर कार्य करना होता है, यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के पास बहुत अच्छा आईडिया या विचार भी है तो वह लागू हो या न हो गारंटी नहीं होती ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के पास कुछ कर गुजरने की ललक है तो क्यों न अपना उद्यम या व्यवसाय करे जिसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रा हो? क्यों न मालिक बनने का रास्ते चुने? दरसल उद्यम या व्यवसाय का चुनाव कोई सरल मार्ग नहीं है क्योंकि इसमें व्याप्त जोखिम तत्व घबराहट को जन्म देता है किन्तु ये भय वास्तविक कम और परिकल्पित ज्यादा होता है। इस भय से निकलने का मार्ग है चुने जाने वाले उद्यम के बारे में पूर्ण जानकारी रखना, व्यवसाय में निहित SWOT विश्लेषण को समझना होगा। SWOT विश्लेषण में S-strength (मजबूती) W-weaknesses (कमजोरी) O-opportunities (अवसर) T-threats(आशंका) का द्योतक है। SWOT विश्लेषण (या SWOT मैट्रिक्स) एक रणनीतिक योजना तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा या परियोजना से संबंधित शक्तियों ,कमजोरियों ,अवसरों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवसायिक उद्यम या परियोजना के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल आंतरिक एवं बाहरी कारको की पहचान करना है।

इसको विस्तार से बिन्दुवार इस प्रकार समझा जा सकता है –

शक्ति – व्यवसाय या परियोजना की विशेषताऐं जो इसे दूसरो पर लाभ देती है।

कमजोरी – व्यवसाय की विशेषताऐं जो व्यवसाय या परियोजना को दूसरे के सापेक्ष नुकसान पहुंचाती है।

अवसर – पर्यावरण में ऐसे तत्व जिनका प्रयोग व्यवसाय या परियोजना अपने लाभ के लिए दोहन कर सकते है।

खतरे – पर्यावरण में ऐसे तत्व जो व्यवसाय या परियोजना के लिए परेशानी का कारण बन सकते है।

SWOT को रणनीतिक विश्लेषण में अजमाए गए एवं सच्चे उपकरण के रूप में वर्णित किया गया है लेकिन इसकी सीमाएं भी होती है पूर्ण जानकारी जुटाने और पूरी तैयारी एवं समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उद्यम चुनने को लेकर डर तब होता है, जब उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती या नजरिया पेशेवर नहीं होता है। वास्तव में वे लोग ज्यादा घबराते है जिनके आसपास का वातावरण व्यवसाय वाला नहीं होता क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने का अनुभव नहीं होता। एक तरीका ये हो सकता है कि जिस प्रकार के

*वरिष्ठ व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

व्यवसाय को चुनने का इरादा है। उस व्यवसाय को नजदीक से देखकर पहले उसमें निहित जोखिम और जरूरी चीजों का अनुभव लेकर आगे बढ़ा जावे। उन व्यक्तियों की सलाह ली जावे जो व्यवसाय या उद्यम को जानते या समझते है , या इस क्षेत्र में अनुभव रखते है। जिन्हें उद्यम की समझ नहीं होती उनसे तो मुफ्त में भी सलाह न ली जावे क्योंकि ऐसी सलाह घातक हो सकती है।

उद्यमिता का महत्व – उद्यमिता केवल वस्तु का उत्पादन करने या उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होती बल्कि इसके अतंर्गत वस्तु का विक्रय व्यापार एवं बाजार का रूख और सेवा इत्यादि भी शामिल होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उद्यम की बहुत महत्ता है , खासकर भारत जैसे विकासशील देश में उद्यम न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि देश के कृषि एवं सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित महत्व देख सकते है –

- भारत एक विकासशील देश है, जहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस अनुपात में रोजगार के अवसर बहुत कम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ही मार्ग है वह है। उद्यम के मार्ग का चुनाव होना। इस कदम से देश में फेल रही बेरोजगारी के भीषण संकट से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। उद्यमी एक नई सोच विचार लेकर व्यवसाय में प्रवेश करता है, वह स्वंय तो आत्मनिर्भर बनता ही है साथ में अनेक लोगों को इस कार्य से जोड़कर उन्हें भी रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमी देश में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का वाहक होता है जो कर चुकाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना आर्थिक योगदान दे सकता है।
- उद्यम करने से व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है क्योंकि उद्यमिता एक सतत् प्रक्रिया होती है,जिसमें व्यक्ति उन उत्पाद और वस्तुओं का सृजन करने में लगा रहता है जो समाज के लिए उपयोगी और दैनिक जीवन को सरल बनाने वाली होती है अर्थात् वह नव-सृजन का जन्मदाता होता है। वह लोगों की आवश्यकता,मांग और रूचि को ध्यान में रखकर नवीन उत्पादों का अविष्कार करने में जुटा रहता है।
- उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता निर्णय की स्वतंत्रता होना है । इस स्वतंत्रता होने के कारण वह उद्यम में निहित अवसरों को भुना सकता है। उद्यमी की वजह से ही नवीन उत्पाद बनाने वाली नई-नई इकाईयाँ दिन प्रतिदिन खड़ी हो रही है, जिससे जहां काम चाहने वालों को काम मिल रहा है वही दूसरी ओर भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है।
- हर हाथ को काम मिले ये सरकार की भावना है और सरकार इसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। उद्यमी को प्रोत्साहन देने की कई योजना चल रही है और कई नवीन योजनाएं लागू की जा रही है ताकि भारतीय मानव संसाधन का समुचित दोहन किया जा सके और बढ़ती जनसंख्या एक दायित्व के स्थान पर संपत्ति बने सके। उद्यमिता की भावना समाज में साहस की भावना को जन्म देती है और साहसी समाज नव-सृजन को जन्म देने में समक्ष बनाता है जिससे देश का विकास रफ्तार से हो पाता है।

सरकार द्वारा उद्यमिता विकास हेतु उठाए गए कदम – एक अनुमान के अनुसार भारत में 65 प्रतिशत जनसंख्या युवा है। यदि युवा वर्ग सही दिशा में जाए तो न केवल उनकी दशा सुधर जाएगी बल्कि देश की दिशा और दशा भी बदल जाएगी और हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सकते है। भारत की आजादी के बाद पहली बार , कौशल विकास के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। भारत में कौशल परिस्थितिकी तंत्र, कुछ महान सुधारों और नीतिगत हस्तक्षेपों को देख रहा है, जो आज देश के कार्यबल को फिर से मजबूत और फिर से सक्रिय कर रहे हैं और युवाओं को अंतराष्ट्रीय बाजार में नौकरी और विकास के अवसर के लिए तैयार कर रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा आज तक करोड़ो लोगों को कुशल और एक नए सफल भारत के लिए तैयार किया गया है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कौशल मिशन जिसे स्किल इंडिया मिशन भी कहते है ने करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें उद्यम का मार्ग चुनाव करने के लिए सक्षम बनाया है। स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जो देश के युवाओं को कौशल विकसित करने के साथ-साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई जो अपने काम के माहौल में अधिक रोजगारपरक और अधिक उत्पादक बनाते है। ये मिशन सतत् रूप से जारी है जिसमें भारत देश में 40 क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत उद्योग और सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से जुड़े होते है। पाठ्यक्रम एक व्यक्ति को काम के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद करते है और उसे तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद करते है ताकि प्रशिक्षाणार्थी नौकरी के लिए पहले दिन से तैयार रहे और उसे नौकरी प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण हेतु कंपनियों को पैसा न चुकाना पड़े। व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पॉलिटेक्निक और आई टी आई के माध्यम से ही इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान ने कौशल विकास और उद्योग से जुड़े स्थायी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) नामक एक योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत, भारत सरकार शिक्षुता के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करती है। अब तक 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण आयोजित किए गए है।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान ने प्रधानमंत्री युवा योजना (PM-YUVA) की भी शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य संभावित और शुरूआती चरणों के उद्यमी को शिक्षित और कुशलता से सुसज्जित करना है और आकांक्षी उद्यमियों का समर्थन करने के लिए एक सांस्कृतिक बदलाव को उत्प्रेरित करना है। प्रारंभिक व्यवसायिक वित्त पोषण में सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सरकार की मुद्रा योजना से जोड़ा है।

बजट एवं उद्यमिता – 5 जुलाई 2019 को वित्ता मंत्री ने बजट में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों (MSMES) के लिए इंटरेस्ट सववेंशन स्कीम में 350 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को नए या वृद्धिशील कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2 फीसदी छूट दी जाती है। इसी स्कीम के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

एमएसएमई को आसानी से क्रेडिट सुविधा मिल सके , इसके लिए सरकार ने 59 मिनट में एक करोड़ रुपए का लोन देने की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू की है। 1.5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्न ओवर वाले तीन करोड़ रिटेल ट्रेडर्स और छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी

मानधन स्कीम नाम की नई योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा।

100 नए कलस्टर की घोषणा के तहत वित्तमंत्री ने Scheme of fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) नाम की योजना के तहत 2019-2020 मे 100 नए कलस्टर स्थापित किए जाएगें, जिससे 50000 कारीगर इकोनॉमिक वैल्यू चेन से जुड़ सके। स्फूर्ति योजना का लक्ष्य है कॉमन फेसिलिटी सेंटर स्थापित करना , जिससे कलाकारों का क्लस्टर आधारित विकास हो सके। इसके जरिये पांरपरिक उद्योग अधिक उत्पादक, लाभकारी और रोजगार पैदा करने में सक्षम हो सकेगें। बांस और शहद को प्राथमिकता में शामिल किया गया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रिय बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के तहत कई प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनसे एमएसएमई सेक्टर को लाभ पहुंचे।

ग्रामीण इंडस्ट्री के विकास के लिए सरकार द्वारा 'Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स (LBIs) और 20 टेक्नोलाजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे कृषि ग्रामीण सेक्टर में 75000 कुशल एंटरप्रन्योर तैयार किए जाएंगे।

निष्कर्ष – ये बात तो स्पष्ट है भारत विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें अनेक संभावनाएं मौजूद है। सरकार के लक्ष्य के अनुरूप यदि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो उद्ययमशीलता को बढ़ाना आवश्यक कदम होना चाहिए। लोगों को उद्ययम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें आवश्यक बुनयादी ढांचा, वित्तीय सुविधा, प्रशिक्षण आदि आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए। नवीन उद्यमी और कुछ कर गुजरने वाली चाह रखने वाले उद्यमियों से ये अपेक्षा है कि पूर्ण तैयारी के साथ इस मार्ग में बढ़े और अनावश्यक परिकल्पित भय को दूर हटाये क्योंकि डर के आगे ही जीत छिपी है। कई व्यवसाय ऐसे है जिनमें न्यूनतम रिस्क होती है किन्तु अनुभव या जानकारी के अभाव में लोग उसे अपनाने में डरते है। नपा तुला जोखिम ले सकते है उद्यम का रास्ता अपनाकर नौकरी देने वाले बने, यदि उद्यम का चुनाव करने से डर महसूस करते है या पूंजी की कमी आ रही है तो अपने दोस्त या रिश्तेदारों या समान सोच वालों को साथ लेकर फर्म साझेदारी/कंपनी व्यवसाय को चुने ताकि एक दूसरे से संबल मिलता रहे और जोखिम आपस में विभाजित हो सके। लोगों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए और निश्चय कीजिए कि कौन सी वस्तु या सेवा देने से आप लाभ कमा सकते है। भारत शासन द्वारा उद्यमिता विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हासिल करके उनका लाभ उठाएं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. En.wikipedia.org. (2019). *SWOT analysis*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis [Accessed 10 Jul. 2019].
2. "Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship". *Msde.Gov.In*, 2019, https:// www.msde.gov.in/National- Policy-2015.html. Accessed 10 July 2019.
3. "Development Commissioner Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises". *Dcmsme.Gov.In*, 2019, http://dcmsme.gov.in/scheme_a.html. Accessed 11 July 2019.

****

The Role Of Microfinance Towards The Sustainable Development Of The Rural Poor

Dr. Kiran Kumar P*

Abstract - Financial services actively contribute to the humane and economic development of the society. This led tosocial safety net and protects the people from economic shocks. Hence, each and every individual should be provided with affordable institutional financial products/services popularly called financial inclusion. Financial inclusion is the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed bu vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. The present paper deals with how the mechanism of microfinance can enable the; financial inclusion of hitherto excluded population, especially the women, into the formal financial sector. The paper also focuses light on the economic empowerment of women especially women of the rural area. Policy recommendation includes the delivering of credit services to the marginalized and vulnerable poor women at a minimum cost will have wider impact on the socio- economic welfare. Micro finance serves as an umbrella that describes the provision of banking services by poverty focused financial institutions to poor parts of the population that are not being served by mainstream financial services providers.
Key Words - Financial Inclusions, Microfinance, Self Help Group.

Introduction - The process of economic growth, especially when it is on high growth trajectory, must strive to encompass participation from all sections of society. Lack of access to finance for small, marginal farmers and weaker sections of the society has been recognized as a serious threat to economic progress especially in developing countries. A World Bank report states, "Financial inclusion is defined as an absence of price or non price barriers in the use of financial services." The report also stresses the distinction between 'access to' and 'use of' financial services as it has implications for policy makers. Among the non-users of formal financial services a clear distinction needs to be made between voluntary and involuntary exclusion (Nirupam Mehrotra et. al, 2009).

The experiment of Mohammad Yunus of Bangladesh with the Grameen Bank project gave further boost to the concept of microfinance in India in the 1980s many other countries like Indonesia, Philippians, Kenya, Latin America, Central USA and Srilanka also followed this kind of approach with some different models. This ultimately lead to several debates, seminars, works and studies on the concept of 'Microfinance' and 'Women Empowerment' all over the world including India. Across the world, microfinance originated from the activity of Non Governmental Organizations (NGO's) that were aided largely or partly by foreign donors for their leading operations. There were also cases such as in Indonesia, where micro finance was promoted directly through state owned banks/organizations (Pallavi and Biradjar 2009).

Need Of The Study And Data Base - It is evident from the views given above that the overall outlook on financial inclusion a positive and optimistic one. On the basis of these reviews, it has become imperative to analyze the condition of microfinance and need for financial inclusion in the country. The present study has been undertaken in the context of these following objectives;

- To analyse the context of microfinance in empowering the women and to understand the concept of financial inclusion
- To study how microfinance helps the excluded society to empower economically in the study area
- Finally, to suggest practical insights for organizing entrepreneurial activities for sustainable development and to discusses the government initiative which can help Indian poor to cross the poverty line by building their capacities in terms of technical and entrepreneurial skills for establishing micro-enterprises and income generating activities.

The study is based on both secondary and primary data. The primary data were collected by canvassing the structured interview schedule for the sample households of 240 in Dakshina Kannada district of Karnataka State. Dakshina Kannada is one of the forward Districts in the State of Karnataka. The sample members of SHGs of three different promotes, i.e. NGO, Co-operative and Government were interviewed for collection of primary data. From each promoter, the members of SHGs belonging to the Scheduled Caste (SCs), the Scheduled Tribes (STs) and

***Asst. Professor (Economics) Rani Channamma University, S.R Kanthi P.G Centre, S.C Nandimath Law College Premises, Bagalkot (Karnataka) INDIA**

others (Other castes including Other Backward Castes and minorities) were considered as the target group members. Further, an attempt has been made to include members of different income groups. From each promoter 80 SHG members consisting 40 members from each district 20 members from each taluk, 10 SHG members from each village were selected for the interview.

Financial Inclusion And Economic Empowerment Of Women -

Changes in the Pattern of Savings - Saving in the formal sources like, banks/post offices is considered as the first step of financial inclusion. Therefore, savings and credit management are the key activities of SHG. It is found that the proportion of women who started saving only after joining the group was as high as 93.5 per cent in respect of STs and 83.9 per cent in respect of SCs as against others who accounted for 75 per cent. In the case of income groups, it has been found that the proportion of members who started saving only after joining the group tended to decline as the level of income of the household tended to increase. This means that the proportion of such members was found to be higher in the case of the households of low income groups as compared to those of very high income group households. The members reporting that their savings and saving practices have been improved a lot after joining SHG. A close of 80 per cent of the SHG members has reported that their savings have gone up after joining SHG.

Occupational Changes - It has been observed that a larger proportion of members of SHG belonging to other (39.4%) have reported that their occupation was changed as compared to those belonging to SCs (32.3%) and STs (32.6%). This means that the change in the occupational structure was more glaring in respect of others as against SC's and ST's. This is due to the fact that as the consumption of needs of SC/ST-SHG members have not fulfilled, they have accorded less priority for investment and consequent change in the occupational status was expected to be limited as compared to those belonged to other households whose consumption needs are found to be relatively better met.

Changes in the level of Income - It is evident that an about 60.4% have opined that their income has increased after joining SHG. Across social groups, the proportion of SHG members reporting their increased income was higher for those SHG members belonging to other household (61.4%) as compared that of SC (59.7%) and ST (58.7%) households. No significant variation, however, was observed in this regard. This shows that most of the SC and ST- SHG members used the bulk of the micro credit for consumption purpose as their most basic needs are not yet fulfilled by default. It shows that as the income of the SHG households tended to rise, the proportion of SHG members saying that their income levels have gone up after joining SHG, by and large, tended to increase, except in respect of very high income group households, mostly due to prior hike in their income levels.

Increase in Asset Possession - Across different social and income groups, it was higher for those SHG members belonged to other (62.1%) households followed by STs (58.7%) and SCs (54.8%). For different income group households, it has been observed that the proportion of SHG members reporting an improvement in their assets after joining SHG tended to decline as the income of the households tended rise. This is quite possible that when there is an increase in income of the income poor households, there will be an improvement in the base of their assets.

Ability to Repay the Loan - The repayment of loan out of their earnings may also reflect economic empowerment of women. There are several instances where the members of SHG attempted to repay the loan by way of borrowing, in which case they are reduced to debtor, leading to disempowerment. The proportion of members repaying the loan amount out of their earnings was found to be relatively higher among those SHG members belonged to SC (67.74 %) and ST (60.84%) households as compared to others (60.41%) households. Whereas, in the case of income groups, it was higher for the SHG members of Medium (71.73 %) and High income (50.84%) households as compared to Low Income (39.13%) and Very High (35.0%) income households.

Policy Prescriptions - It is suggested that to address financial inclusion effectively banking system has to develop a holistic approach in creating awareness about financial products, education, and advice on money management, debt counselling, savings and affordable credit. The banks need to redesign their business strategies to incorporate specific plans to promote financial inclusion of low-income group treating it both a business opportunity as well as a corporate social responsibility. Simple procedure and right encouragement from the financial agencies may enable women to form more and more SHGs in their locality. The financial institutions including various government departments should give wider publicity on the availability of credit facilities and others benefits that can be offered to the SHGs. It can be suggested that motivational campaign may be conducted for inculcating saving habit in the minds of the members. The members who would like to save more should be encouraged to save in other avenues like pigmy, post office, bank etc. The promoters should create awareness among the SC/ST and low income members to reduce consumption expenditure and concentrate on investment expenditure. Special attention should be given to SC, ST and low income groups. Promotes have to motivate their & respective members to change their occupation in favour of better paid self employment. There must be an exclusive department or cell to handle micro credit, instead of this issue being handled merely under priority sector lending because the latter also covers larger and broader credit needs beyond the scope of those living below poverty line.

Conclusions - Microfinance has drawn attention to an entire sector of borrowers who had been previously poorly served by the formal financial sector. The 'SHG – Bank Linkage' programme plays a predominant role in the financial inclusion of poor. But the provision of micro credit is not a magic bullet to bring about far-reaching changes in the life of the women and there are no hundred percent guarantees that microfinance always leads to empowerment of women and poverty eradication. The variations in performance of SHGs across the social and income groups need immediate attention. Government has to take proper initiative, so that the spread of SHGs movement can be streamlined across the country. At the same time banking system has to develop a holistic approach in creating awareness about financial products, education, and advice on money management, debt counselling, savings and affordable credit to make microfinance a sustainable strategy.

References :-

1. Dinesha P T (2012) "Empowerment of Women through Microfinance: A Case Study of Dakshina Kannada and Udupi Districts" Unpublished Ph.D thesis, submitted to Mangalore University
2. Hans, V. Basil (2006), Towards A Vibrant Indian Agriculture, Kisan World, Vol. 33, No.2, February, pp. 18-20.
3. Kiran Kumar P (2015) "Sustainable Rural Transformation: The Role of Micro-finance", in Huchhe Gowda, et al (Eds) 'Sustainable Rural Development: Challenges and Opportunities in India', Professional Book Publishers, Hyderabad, pp-191-201.
4. Kiran Kumar P (2015) "Sustaining Rural Women and Floriculture: Constraints and Suggestions", in Siddaraju and Ramesh (EDs) Rural Development and Inclusive Growth: Linkages and Implications, Kalpaz Publications, New Delhi.
5. Kiran Kumar P and Dinesha P T (2012) "Financial Inclusion and Microfinance: A Micro Perspective", in Siddaraju and Ramesh (Eds) 'Financial Inclusion in India: Issue and Challenges', Gyan Publications, New Delhi 2012. ISBN: 978-81-2121-182-6,pp-453-464.

****

Socio Economic Status And Health Seeking Behavior Of Slum Dwellers In Odisha - A District Level Study

Lopamudra Sahoo*

Abstract - Slums are created mainly because of poverty, social backwardness and unemployment of the people living in the countryside. In this study Health expenditure was found to be a major burden for slum dwellers.This paper was focous the slum dwellers socio-economic status, availability and accessibility to health care facilities, nature and pattern of health expenditure, and its impact on socio economic status etc. This study will be based both on secondary data as well as on primary surveys. The three major sources of secondary data on slum dwellers health condition in India includes: National Family Health Survey (NFHS), Census and the National Sample Survey (NSS).
Key Word- Poverty, unemployment, accessibility, expenditure.

Introduction - According to Census 2011, there were 17.4% of urban India's population lives in slum. In Odisha percentage of slum population was 23 percent. In slum area poor living condition resulting an ill health. The living condition is very unhygienic, there is lack of basic necessities just like water, sanitation, electricity. So people are suffering so many diseases. Odisha has lower per capita income and high level of poverty is extensively visible throughout the state (UNDP report) and the expenditure towards health is very low. The condition of government hospitals has relatively deteriorated that's why patients depend on private sources of health care. Due to exorbitant fees charged by the private hospital, people also suffer a lot since they do not afford high prices charged by them. As result, there is a greater impact on the pattern of health expenditure of the people residing in urban slums. Thus, fewer houses hold income and highly expensive in health care that affects the standard of living of slum peoples. Sometimes due to health expenditure Slum people also faces debt pressure. Health expenditure can be broadly divided in to the drugs and medicines ,hospital stay, dr fees,transport cost and other miscellaneous expenditure.

Central government is currently spending around 1.2% of its total GDP towards health care which is significantly lower than other developed and developing nation (Rural Health Statistic 2017). Public spending on medical, public health, and family welfare in India is much below than required. Further, the gap between the actual spending and the required amount is larger in the relatively low-income states and this results in marked inter-state inequality. The low levels of spending have had an adverse impact on the creation of a preventative health infrastructure. With over 63 percent of the spending on health being out of pocket (National health accounts report) the low level of public spending and its uneven distribution have been a major cause of the immiseration of the poor. As a result, the share of state health expenditure has become less and marginally distributed. Due to the low distribution of health share, health facilities have deteriorated not only in the rural areas rather it has greater effect on urban slums. In slum area poor living condition resulting in ill health.

In developing nation health seeking behaviors and health care services utilization pattern classified into physical, socio-economic, cultural and political context. Health of an individual impacted by various factors. It may be including his/her health seeking behavior, environmental condition, level of education, disease pattern etc(Babar 2014).

Objectives -

1. To study socio-economic status of slum dwellers
2. To explore health care seeking behavior of slum dwellers.

Research Methodlogy - In this study both primary and secondary data was used. For obtaining primary data an interview schedule was prepared. The interview schedule included the indicators like socio-economic details of house hold, education status, work status, housing condition, road link with health center, households sources of income and Out of pocket expenditure in health etc. The survey was conducted in Bhadrak district of Odisha. A total number of 8 slums (80 household) were selected for the study. For each slum 10 households has been chosen by systematic random sampling technique. The major sources of secondary data on health condition of slum dwellers in India includes: National Family Health Survey (NFHS), Census and the National Sample Survey (NSS). The secondary data available in these sources would be used for analyzing the current scenario of health seeking behavior as well as

*Research Scholar, MPISSR, Ujjain (M.P.) INDIA

their living pattern.

Educational Status - Education plays an essential role in the level of social wellbeing. The level of economic attainment determines education quality in many respects . The level of education of the household members also affects their employment opportunity, health seeking behavior and other development activities of their family. Out of 80 respondent 30% male were found illiterate. The young generation of the slum peope were found to aware about education. The professional or technical education is highly expensive that's why the parents were unable to give that type of education.

(Graph see in the last page)

Monthly income level of slum households - As majority of earning members of the slum households are engaged into unskilled sector. More than 50% households monthly income is less than 5000. It cannot expect to meet its daily subsistence needs by ensuring food security for all in the family.

Monthly income	No of HHs	Percent
0-2000	1	2
2001-3000	6	8
3001-4000	40	50
4001-6000	28	35
6001-8000	5	6
Total	80	100.0

Source - field data.

The average family size of the sample slum households is 4 persons and on this basis the average per capita monthly income is also very low. This indicates that in spite of Orissa's low level per capita income as compared to the national per capita level income, there is huge gap between the average per capita state income and the average per capita income of a slum dwelling family . The slum dwelling population on the whole not only earns less than the average per capita state income, but also many among them live in acute form of poverty (Das & Meher 2012).

Monthly expenditure - The slum household spent their earnings mainly on food, alcohol and tobaco. .From the study it was found that those slum dwellers income has 3000-4000,19 percent respondent expenditure total amount in food and non-food related items. It has been found majority of slum dwellers are under debt pressure from both formal and informal sources. They are borrowing to meet their basic requirement of the families like medical expenditure. Their expenditure on health services was very low. Sometimes social event(marriage, death etc) force them to borrowing from informal sector with high interest rate. Sometime it was found their expenditure is more than income.

Occupation of slum dwellers - The occupational profile of the surveyed households in the sample reveals that majority of them earn their livelihood by doing daily wage work in the informal sector of the town. 32% of the household said that daily wage work are their major source of earning. Most of the cases both husband and wife was found doing construction work. The average days of wage employment of a regular wage worker varies between 15 to 18 days during a month but in rainy season, sometimes it comes down to 5 days in a month. 12% households found self employed occupations like chicken shop, selling sonpapdi or other stationery items. 3% households engaging in government service but all are in class four employee such as peon, messengers, sweepers, watchmen.13% of the households working in casual work for example, electrician, painters, clothing man, domestic helper and other specialist organizations. 7% adult members found unemployed and they were dependent in earning member of the family. 5% household members found agricultural labour, They were engaging in works only harvesting season of paddy. The work pattern of household shows that majoring of earning members are engaging with uncertain job or low paid job.

Toilet facility - The study area has very less in sanitation facility. Only 8% households have toilet facility, where 92% households do not have any toilet .They usually go for defecation in to river side, train line or open ground. The government of Odisha launched a programme for common toilet facility for slum dwellers. But the toilets are not useable because lack of water.There is no proper drainage facility also.

Source of Drinking Water - It was found in the study area 71% of the slum dwellers depend on municipality water supply. 29% households has own tube well or using neighbors' well. Those households has no own tube well they boiling supply water for drinking purpose of their children.

Health seeking behavior - The data collected from the field reveals that around 40% slum dwellers used only government hospital for their treatment. Eight percent slum dwellers first preference is private clinic. 50% household told when the traditional medical practitioners fails, they prefer to visit government hospital or private clinic.90% household told cost is the most important factor while selecting a hospital for treatment.

It is found in the field survey that slum dwellers avoid visiting government hospital for several reason. One most important factor is they feel that most of the doctors in government hospitals work on their own private clinic. so doctor in his own clinic prescribed more effective medicines. Another reason was distance. Slum dwellers needs to travel a long distance for accessing free government health care. Some private clinics found near to slum, so it's easy to accessing. many of them were daily wage laborers and they could not manage to wait for long time for getting free treatment. In some household both husband and wife working as daily wage labourer , for them time was important factor. They could not wait for long time for access treatment.

65 percent slum dwellers preferred government hospital because of free medicines.The medicines are so expensive in market so all house holds are not able to buy

.33% households were go government hospital due to less doctor fees. In private hospitals or clinic the doctor fees are very high.2 percent respondents were told they prefer because of no bed charges. The government hospital also provides special facility those who have BPL cards.

27% respondent told they prefer homeopathy treatment for their babies. Because homeopathy treatment has no side effect.

Quack do not have any medical certificate or any authorized permission to prescribe medicine for diseases. But it was found 31% household depend on quack. 25% household still going to gunia in any kind of disease. If they failed there then they may think to go for other treatment.

Low household income and high expenditure in health is a burden of slum dweller.Due to health expenditure their living style got more vulnerable. As per above data 27 percent respondent replied due to health expenditure poverty has increased, more than 35 percent told no savings due to health issues. Family income is low but health expenditure is high so they were unable to saving money. family maintenance has decreased 30 % household told.7 percent told they are facing more burden because of health expenditure.

Low household income and the highly expensive curative health care available force the households to borrowing from others. In was found 47% house hold had borrowed to meet the curative health care expense. A big majority of slum household borrowings from private money lenders and neiboughers with high intrest. 36 % respondent loan repay in right time and due to some problem 15 % house holds were unable to repay the loan in right time.

Conclusion - The condition of water supply has been improved in the recent years but sanitation condition is very poor till now. Slum dwellers preferred to treat minor sickness in taking home remedy or consumed medicine recommended by local medical shop. It was notices quacks are very popular among urban slum dwellers. Percapita Monthly expenditure on health care is found high, out of which medicine cost, charges on diagnostic tests and doctor's fee etc included. Public health care system in urban areas is inadequate to meet the rising requirements of the slum population so slum dwellers has been forced to use private clinic or other traditional treatment. Low income and high out of pocket expenditure on the healthcare forced the slum dwellers to borrowing from money lenders.

References :-

1. Das, sanjukta (2012) "morbidity household spending and the burden of healthcare on the urban poor", journal of health management, vol-14(2)
2. Das Partha sarathi, Kishor Meher (2012) "A critical analysis of economics activities of slum dwellers; A study of khurda district,Odisha, The international journal of management, vol-1(2)
3. Gupta indrani, Purnamita dasgupta (2003), "Health seeking behavior in urban delhi,an exploratory study", journal of health and population in developing countries, vol-3(2)
4. Sundar ramamani, Abhilasa Sharma (2002), A survey of urban poor in delhi & chenai, economic political weekly, vol-37(47)
5. National sample survey organization reports on various round.

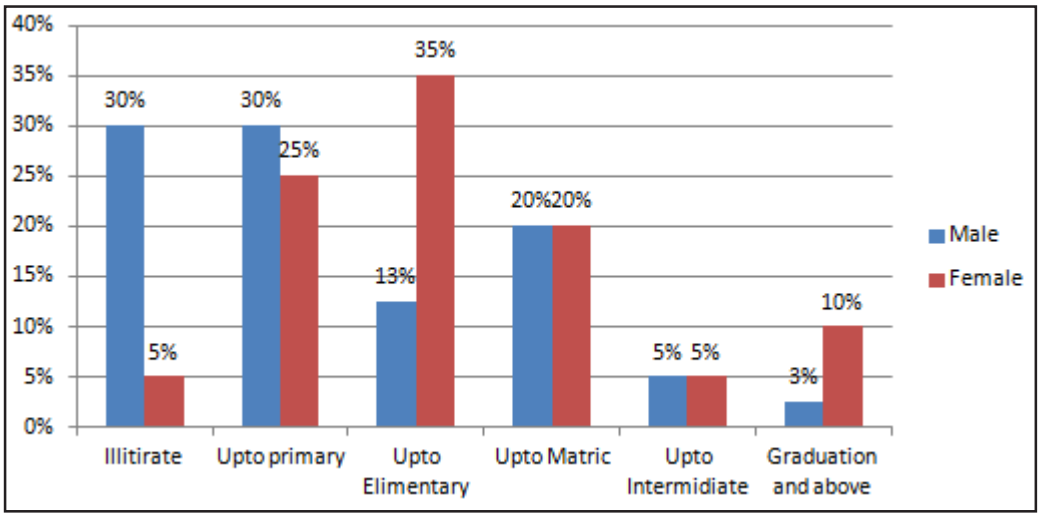

Source - Survey Data.

****

भारत के प्रमुख किसान आंदोलन

डॉ. वसुधा अग्रवाल *

प्रस्तावना – भारत एक प्रधान देश है। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारतीय कृषि समृद्ध थी एवं कृषक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सन् 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन प्रसारित होने लगा। उसी समय इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरुप भारत को वहाँ के उद्योगों हेतु कच्चे माल को प्राप्ति के साधन के रूप में देखा गया। अब कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कृषकों को वह उपजाने हेतु बाध्य किया, जिसकी आवश्यकता ब्रिटिश उद्योंगों का कच्चे माल के रूप में थी। इसके अलावा ब्रिटिश भूराजस्व (स्थाई बन्दोबस्त, महालबाडी एवं रैयतवाडी) ने भी भारतीय कृषकों की रीढ़ तोड़ दी। अत्याधिक भू राजस्व न चुकाने के कारण कृषक भूमिहीन होने लगे। इससे कृषकों में असंतोष व्याप्त हुआ। कृषक साहूकारों के ऋण जाल में फंसे थे, अत: साहूकार, जमींदार एवं सरकार तीनों को ही कृषकों ने अपना दुश्मन माना। इनके अत्याचारों ने कृषकों को विद्रोह करने को बाध्य किया

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय किसानों के हितों पर भारी चोट हुई। फलस्वरुप किसानों में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। किसानों ने कई विद्रोह अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किए। इस हेतु किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन 18 वीं शताब्दी से 20वीं तक हुए जो निम्न प्रकार है–

1. **संथाल विद्रोह (1855) –** छोटा नागपुर के संथालों का विद्रोहों में सबसे व्यापक था। संथालों ने जंगली जमीन साफ करके खेती योग्य बनाया और उस पर वे तंबाकू और सरसों की फसल करने लगे थे। मैदानी भाग के जमींदार उस भूमि कब्जा करने लगे और राजस्व देने के लिए उनको बाध्य किया जाने लगा। इसके अतिरिक्ति संथालों विभिन्न तरीकों से तंग किया गया। स्थानीय साहूकारों ने सथालों ने संगठित एवं उत्तेजित होकर साहूकारों, जमींदारों एवं दरोगा पर हमला बोल दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सीदो और कान्हू थे। ब्रिटिश सरकार की सेना तथा पुलिस ने इस आंदोलन को कुचल दिया। 1855 में उनकी भूमि को विनिमय रहित जिला घोषित करके उन्हें पूर्ण रुप से दण्डित किया गया।

2. **नील आंदोलन (1859–60) –** उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देश में किसानों के जो अनके विद्रोह हुए उनमें बंगाल का नील आंदोलन सबसे अधिक व्यापक और उग्र था। यह प्रथम संगठित विद्रोह था। बंगाल के ज्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे और वे बंगाल एवं बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे जबकि किसान अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल या अन्य फसल उगाना चाहते थे। नील उत्पादक मामूली सी रकम देकर किसानों से करार लिखवा लेते थे। इसे ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गाँव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। उस समय के बुद्धिजीवियों ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया। हिन्दू पैट्रियर नामक समाचार पत्र ने नील बगानों के मालिकों के अत्याचारों का भांडाफोड दिया। दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण में किसानो की दुर्दशा का वर्णन किया। कृषकों पर होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए नील किसानों ने अपने संगठन बनाए और नील की खेती करना बंद कर दी। किसान विद्रोह के कारण यूरोपीय लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। सरकार ने किसानों को आतंकित करने के लिए सैनिक टुकडियां भेजी। विद्रोह का रुप इतना उग्र था। कि गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग जो प्रथम वाइसराय था वह भी आंतकित हो गया। सरकार को विश्वास हो गया कि विद्रोह के पीछे संगठन भी है और हजारों किसान मर मिटने के लिए तैयार थे। सरकार ने एक जाँच समिति (1860) गठित की। आयोग ने किसानों की शिकायतों को सुना और इस निष्कष पर पहुँचे कि किसान किसी भी शर्त पर नील उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। 1862 में सरकार ने कानून पारित किया कि किसानों को नील उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बंगाल में अंग्रेजों मात खाकर बिहार और उत्तर प्रदेश में चले गए।

3. **पावना विद्रोह (1873–76) –** पूर्वी बंगाल के कृषकों पर जमींदार अत्याचार करते थे। वे मनमाने ढंग से लगान वसूल करते थे। किसानों के अनाज और मवेशी उठा ले जाते थे। 1873 मे आंदोलन की शुरुआत पावना जिले में यूसुफ साही परगना पावना प्रमुख पटसन उत्पादक क्षेत्र है। किसानों ने संघ बनाकर अपनी मांग रखी कि वे लगान नहीं देंगें तथा जमींदारों के विरुद्ध मुकदमें के लिए चंदा इकट्ठा किया। किसानों ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक लड़ाई लड़ना आंदोलनकारियों का नारा था – 'हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं।'

हिन्दू पैट्रियट, हरीशचंद्र मुखर्जी, हिन्दू जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान किसानों का आंदोलन माना। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर रय्यतों को संरक्षण दिया।

4. **दक्कन विद्रोह (1875) –** लगान की अधिकता के कारण महाराष्ट्र के किसानों को मारवाड या गुजराती साहूकारों से ऋण लेना पडता था। न्यायालय साहूकारों के पक्ष में निर्णय देने के कारण किसानों को बेदखल कर साहूकार जमीन पर कब्जा कर लेते थे। विद्रोह का आरंभ 1874 में करदेह गाँव के साहूकार कल्लूराम मारवाडी ने बाबा साहब देशमुख नामक किसान के विरुद्ध न्यायालय से बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। किसान इस अत्याचार से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने साहूकारों के घरों को जला दिया था। इन परिस्थितियों में बाध्य होकर सरकार ने दक्कन राइट्स कमीशन को जाचँ के लिए नियुक्त किया। आयोग की अुनशंसा पर सरकार

* विभागाध्याक्ष एवं प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.) भारत

ने 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया।

5. मोपला विद्रोह (1836, 1921) – मद्रास, बंगाल, मालाबार, केरल मुस्लिम बहुसंख्यक कृषक चाय, कॉफी के बागानों में काम (मजदूर) करते थे। अत्याचार होने के कारण किसानों ने मोपला विद्रोह किया। पावना विद्रोह बंगाल में अहिंसात्मक विद्रोह था जबकि मोपला विद्रोह हिंसात्मक था। इस विद्रोह को खिलाफत आंदोलन के नेताओं को सपोर्ट था इस कारण अंग्रेजों की खिलाफत की बैठक पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हेतु पुलिस ने गोली भी चलाई जिसके कारण मोपला कृषक हिंसा पर उतर आए। तब अंग्रेजों ने इसे सांप्रदायिक दंगे का रुप दे दिया।

6. फडके आंदोलन (1879) – महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फडके ने आंदोलन प्रारंभ किया। महादेव गोविंद रानाडे के धन निष्कासन के सिद्धांत, सन 1876-79 में भयंकर अकाल के कारण बनाया। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के साथ मिलकर रमोशी आदिवासियों को साथ लेकर संगठन बनाया। जिनका काम डकैती डालना, धन एकत्रित करना, लूटपाट करना, संचार व्यवस्था नष्ट करना इनका कार्य था। फडके ने हिन्दू राज्य की स्थापना का नारा दिया। 1880 में इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 1883 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई।

7. बिजौलिया आंदोलन (1913-41) – यह आंदोलन मेवाड के जमींदारों ने शुरु किया था। उन्होंने किसानों पर 84 प्रकार के लगान वसूली प्रारंभ कर दिया था। इनमें भूपसिंह, रासबिहारी बोस, सचीन्द्रनाथ सान्याल ने आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसके लिए जाचँ आयोग की स्थापना की गई थी। बिजौलिया जाकर समझौता कराया गया तथा 35 करों पर समझौता हुआ तथा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1942 में किसानों को काफी संघर्ष के बाद भूमि वापस मिली।

9. चंपारण का नील आंदोलन (1917) – गाँधी जी को सबसे पहले चंपारण के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रथम सत्याग्रह आंदोलन द्वारा सरकार से संघर्ष करना पडा। किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील बगानों के मालिक किसानों का क्रूर शोषण किया करते थे। गाँधी जी ने चंपारण जाकर जाचँ कार्य प्रारंभ किया। जाचँ से नील बागान मालिकों के द्वारा भयंकर उत्पीडन के तथ्य सामने आए। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गाँधी जी को चंपारण बुलाया। गाँधी जी के साथ ब्रजकिशोर, राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारख, जे. बी. कृपलानी आदि के साथ ग्रामों में भ्रमण कर समस्याओं को समझना। सर एडवर्ड ग्रेट की अध्यक्षता में सरकार में सरकार एग्रीयन आयोग 1917 में गठित किया। तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गाँधी जी के अनुसार 25 प्रतिशत अवैध रुप से वसूल की गई रकम को किसानों को लौटा दी गई। अंत में एक दशक के भीतर ही गोरे बागान मालिकों ने चंपारण को छोड दिया।

9. खेड़ा सत्याग्रह (1918) – सर्वप्रथम खेड़ा के कापडगंज के मोहनलाल पंड्या से गाँधी जी को पता चला कि खेड़ा जिले के किसान बहुत मुसीबत में है, क्योंकि वहाँ फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार उनसे मालगुजारी वसूल हो रही है। 'सर्वेन्ट ऑफ इण्डिया सोसाइटी' के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गाँधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है और राजस्व संहिता के अनुसार पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। गाँधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारु संघर्ष करो तथा सरकार को बता दो कि जनता की राय के बिना प्रशासन नहीं चला सकते। खेड़ा जिले के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक ने भी प्लेग, मंहगाई और सूखे के कारण खेड़ा के किसान संघर्ष की स्थिति में नहीं थे। अत: उन्हें लगान नहीं देना पड़ा। और इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया।

10. एका आंदोलन (1921-1922) – उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यूपी के अवध क्षेत्र में किसानों की हालात खराब थी। 1918 में किसान सभा का गठन किया गया। 1919 में प्रतापगढ में किसानों ने विद्रोह आरंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र जी ने किया। गैर कानूनी रुप से किसानों को खेती से बेदखल करना एवं लगान की राशि 50 प्रतिशत तक अधिक वसूली जाती थी। हरदोई, बहराईच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अवध में यह आंदोलन मुख्यत: यादवों एवं पारसी द्वारा चलाया गया। रायबरेली एवं फैजाबाद में किसानों पर गोलियों चलाई। सुल्तानपुर, इलाहाबाद में भी किसानों ने जंगी प्रदर्शन किया। अंत में चौरा-चौरी की घटना 1922 में हुई। किसानों के जुलूस पुलिस ने गोलियाँ चलाई। अंत में गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।

11. बारदौली सत्याग्रह (1928) – बारदौली गुजरात के सूरत जिले का एक तालुका था। उसमें 137 गाँव थे। बंबई सरकार ने किसानों पर 22 प्रतिशत लगान बढा दिया। इसके विरुद्ध किसानों ने विद्रोह कर दिया। बीस कट्टे क एक एकड था। उसमें से तीन कट्टे पर नील की खेती करना अनिवार्य थी इसी प्रथा को तीन कठिया कहा जाता था। यह आंदोलन पुन: 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया। कालियाराज (काले लोग) बारदौली तालुका की एक जनजाति थी जिसकी स्थिति दयनीय थी। उच्च जाति के लोगों के यहाँ 60 प्रतिशत बंधुआ मजदूरी (पुश्तैनी मजदूरी) के रुप में कार्य करना पड़ता था। इसे हाली पद्धति कहते थे। वल्लभ भाई पटेल ने गाँधीवाद शांतिपूर्ण ढंग से लगानबंदी आंदोलन चलाया। सरकार ने दमनचक्र तेजी से और क्रूरतापूर्वक चलाया और किसानों की भूमि तथा पशु कुर्क कर लिए गए। बंबई की सरकार को बाध्य होकर लगान वृद्धि की पूरी योजना त्यागनी पडी और जुलाई 1929 में उसने घोषणा की कि जब तक संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जब तक लगान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

12. वर्ली आंदोलन (1945) – पश्चिमी भारत में बंबई नगर के समीप रहने वाले आदिवासी बर्ली के लोग जंगलों के ठेकेदार, कृषक, साहूकार थे। 1942 से 1945 के काल में किसानों को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पडा। चोर बाजारियों, जमाखोरों तथा भ्रष्ट नौकरशाही की काली करतूतों के कारण किसानों को अकालों का शिकार बनना पडा।

13. तेभागा आंदोलन (1946) – यह आंदोलन त्रिपुरा के हसनबाद से आरंभ हुआ। तेभागा का अर्थ होता है - दो तिहाई। किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को केवल एक तिहाई भाग लगान के रुप में देंगें। यह आंदोलन अन्य भागों में भी फैल गया। इससे 50 लाख किसानों ने भाग लिया। किसानों पर पुलिस और जमींदार के गुंडों ने हमला किया लेकिन वे डटे रहे। सरकार ने कठोरता से किसानों का दमन किया। इससे किसानों में नव जागृति तथा स्फूर्ति आई।

14. तेलंगाना किसान आंदोलन (1945-48) – तेलंगाना (हैदराबाद राज्य) क्षेत्र में किसानों ने पटवारियों तथा पटेल के विरुद्ध आंदोलन किया। जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह झूठे आरोप लगाकर और अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इन जमींदारों को

निजाम का संरक्षण प्राप्त था। अंत में किसानों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह आंरभ किया। उन्हें कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टियों का सहयोग प्राप्त था। रियासत के मुस्लिम अर्द्ध सैनिक दल रजाकारों ने किसानों पर भयंकर जुल्म किए। उन्होंने एक नेता कमरय्या की हत्या कर दी। इससे आंदोलन और तेज हो गया।

15. भूदान आंदोलन 1951 – भूदान आंदोलन संत विनाबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। सर्वोदय समाज गाँधी जी की कल्पनाओं का समाज था, जिसके केन्द्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। विनोबा जी ने कहा था सर्वोदय का अर्थ है – सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति। सर्वोदय के व्यावहारिक स्वरुप को बहुत हद तक विनोबा जी के भूदान आंदोलन में देख सकते हैं। 18 अप्रैल 1951 में हिंसक आंदोलन की जन्मस्थली तेलंगाना के एक छोटे से गाँव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकडा दान में दिया। यह भूदान आंदोलन की शुरुआत थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमताओं को दूर करके उपजाऊ को बढावा देना था। इस आंदोलन के अंतर्गत विनाबा भावे जमीन के स्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने का आग्रह कर रहे थे। दान में मिली जमीन को भूमिहीनों में बाँट कर स्वामित्व विसंगतियों को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। अंत में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से विद्रोह शांत हो गया।

भारतीय किसानों ने ब्रिटिश सरकार को एक बार धर दबोचा तो उन्होंने स्वभावत: सोचा कि ये राजे महाराजे जमींदार और साहूकार उसी के बनाए तथा उसी छात्र छाया में पलने पनपने वाले हैं। जब किसानों पर होने वाले जुल्म असहय हो जाते थे और अपने लिए उन्हें दूसरा रास्ता नहीं दिखता था तो वे हिंसा के लिए विवश हो जाते थे। यही उनकी कमजोरी थी। इसलिए उनके अधिकांश आंदोलन दबा दिए गए और विफल भी रहे। उन आंदोलनों का परिणाम किसानों के लिए सार्थक भी रहा और कितने ही कानून किसानों की हित रक्षा के लिए बनाए गए। किंतु अहिंसा की प्रचंड लहर का युग होने से वह डूबा रहा। खेड़ाचंपारण का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। जन आंदोलनों को शांतिपूर्ण रुप मिलने के कारण प्रत्यक्ष सफलता कम मिली। किसान आंदोलनों को सफलता इसलिए नहीं मिल पायी क्योंकि किसानों में आत्मविश्वास की कमी थी। इस कारण वह उत्पीड़कों से लड़ नहीं सके। उनके हाथ निराशा ही आयी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. किसान आंदोलन – दशा और दिशा – किशन पटनायक।
2. किसान आंदोलन – एकलव्य।
3. किसान आंदोलन और साहित्य – डॉ. भीमसेन।
4. विरसा मुण्डा और उनका आंदोलन – सुरेश सिंह।
5. भारत के किसान आंदोलन – एल. नटराजन।
6. उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन – महेन्द्र प्रताप।
7. आदिवासी विकास – ब्रह्मदेव शर्मा।
8. किसान की गरीबी का राज – ब्रह्मदेव शर्मा।

****

म.प्र. में कृषि विपणन में उपज किस्मों एवं भण्डारण की क्षमता की स्थिति

भानु जाधव *

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। देश में कृषि एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दुर्भाग्य की तो यह बात है कि कृषि का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद यहाँ कृषि एवं कृषक दोनों ही दयनीय स्थिति में हैं। कृषक की दयनीय स्थिति में होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि कृषि उत्पादन में आधुनिकीकरण को अपनाने में असमर्थ है। देश में सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने के कारण कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिये कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है।

भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी कृषि प्राचीन एवं परम्परागत तरीकों से की जाती है। प्राचीन काल में कृषि को केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती थी। भारत में समय-समय पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं कृषक की स्थिति को सुधारने हेतु प्रावधान किए गए हैं। किसानों को शोषण से बचाने के लिए एवं उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा उचित माप-तौल की व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुवे कृषि उपज विपणन हेतु कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई।

कृषकों द्वारा उन्नत कृषि आगतों को अपनाएँ जाने के कारण कृषि लागतों में वृद्धि दर्ज हुई है, जनजातीय कृषक अपनी आजीविका चलाने हेतु मिश्रित विधि से अपने खेतों में अनेक उत्पाद उत्पादित करते थे, जो उनके परिवार के लिए प्राय: पर्याप्त होता था। उनके पास विक्रय करने के लिए बहुत कम मात्रा बचती थी। उत्पादों की इस अधिशेष मात्रा को कृषक दूसरे आवश्यक उत्पादों से वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा प्राप्त करके अपना जीवन-यापन करते थे।

आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शासन व समुदायों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से कृषि ज्ञान में वृद्धि करके, कृषि में उन्नत तकनीकी विधियों का उपयोग, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खाद का होने के कारण उत्पादों की मात्रा में बढ़ोत्तरी होने लगी है तथा आदिवासी अर्थव्यवस्था व इनके दैनिक जीवनचर्या में मुद्रा के प्रचलन, मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में वृद्धि होने के कारण जो कीमते हैं, वो वस्तुओं की बजाय मुद्रा में प्रकट होने लगी हैं। कृषि कार्य का उद्देश्य अधिक से अधिक मुद्रा अर्जन होने लगा है। आदिवासी कृषक अपनी उपज को बेचने के लिए बनिया, महाजनों व व्यापारियों पर निर्भर होने लगे, क्योंकि कृषि उप-मंडियाँ दूर शहरों में स्थित होने के कारण इन मण्डियों में कुछ ही उपज का विपणन होता है। आदिवासी किसानों के पास अधिकांश परिवहन के साधनों के अभाव होने के कारण कृषि उपज मंडियाँ इनके पहुँच से बाहर हो रही हैं। कृषक को अपनी उपज बेचने के लिए इनकी निर्भरता स्थानीय व निकट के कस्बों के व्यापारियों, बनिया व महाजनों पर बढ़ती गई। एक कारण ये भी है कि इनका इन क्षेत्रों में बैंकों की कमी का होना।

राष्ट्र स्तर पर कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश के कुल दलहन एवं तिलहन उत्पादन में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर आता हैं। फसलों की विशेषता के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्र के कुल सोयाबीन उत्पादन में 59 प्रतिशत और चना उत्पादन में 39 प्रतिशत की हिस्सेदारी में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद मसूर और सरसों के उत्पादन में 28.42 व 10.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में मध्यप्रदेश का स्थान दूसरा है। राज्य के कृषि रूझानों को जानने के लिए फसल विशेष के उत्पादन के बारे में जानना भी जरूरी होता है।

विपणन अवस्थापन में भण्डारण ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। देश में 1957-58 में भण्डारण ग्रहों की कुल संख्या 07 थी जो बढ़कर 2000-01 में 2105 हो गयी तथा इनकी भण्डारण क्षमता 1957-58 के 0.07 लाख टन से बढ़कर 2000-01 में 232.9 लाख टन हो गयी। राज्य भण्डारग्रह निगमों ने भण्डारण की सुविधाओं का विकास करने के लिए गोदामों का स्थान-स्थान पर निर्माण करवा के देश में भण्डारण का जाल फैला दिया हैं। मार्च 2002 में 475 भण्डारण गोदाम केन्द्रीय भण्डारग्रह निगम के एवं 1540 भण्डारण गोदाम राज्य भण्डारग्रह निगमों के थे। इनकी कुल संग्रहण क्षमता 27.466 मिलियन टन थी। यह संग्रहण क्षमता वर्ष 1960-61 में मात्र 0.357 मिलियन टन ही थी। क्षेत्र में उपलब्ध गोदामों को किराये पर लेकर भी संग्रहण की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। देश में खाद्यान्नों की उत्पादित मात्रा एवं विक्रय अधिशेष की मात्रा को देखते हुए, उपलब्ध संग्रहण सुविधा आज भी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण सुविधा की आवश्यकता को महसूस करते हुवे भारत सरकार ने सर्वप्रथम मार्च 1979 में उक्त विशेषज्ञ समिति का गठन भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में किया था। ग्रामीण गोदामों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुवे भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गोदामों के निर्माण के लिए वर्ष 2001 में ग्रामीण गोदामों के निर्माण पूँजी निवेश सहायता एवं ऋण संबंधित योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत नवम्बर 2012 तक 10816 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 23.35 मिलियन टन है।

उद्देश्य –

1. मध्यप्रदेश में भण्डारण की क्षमता का अध्ययन करना।
2. मध्यप्रदेश में उपज किस्मों की फसलों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र द्वितीय समंकों पर आधारित हैं, जिससे हमारे

* (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

द्वारा विभिन्न उपयुक्त संबंधित दस्तावेजों एवं प्रलेखों और प्रपत्रों से समंकों को एकत्रित कर उनका सारणीयन, वर्गीकरण, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके निष्कर्ष किया गया है जिसमें प्रमुख वेबसाइट एवं कृषि विकास और विभिन्न वार्षिक परिपत्रों का अध्ययन कर उद्देश्यों की प्राप्ति की गई हैं।

तालिका क्रमांक – 1 – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

मध्यप्रदेश में कुल 286 शाखाओं के साथ मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने 56.86 लाख मेट्रिक टन की वर्तमान भण्डारण क्षमता को प्राप्त किया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल भण्डारण क्षमता के अधिभोग स्तर का उचित उपयोग किया गया है।

तालिका क्रमांक – 2 – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

ये सभी उच्च उपज किस्म के अंतर्गत प्रमुख फसलों में से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल 61 प्रतिशत गेहूँ की फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है, धान दूसरे स्थान पर जो 21 प्रतिशत क्षेत्रफल है, जिसमें उच्च उपज किस्म में मक्का, ज्वार और बाजरा के अंतर्गत कम क्षेत्रफल आता हैं। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह बताती है कि प्रदेश में फसलों की उच्च उपज किस्म के उपयोग को बढ़ाए जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज भण्डारण क्षमता 56.85 लाख मेट्रिक टन की वर्तमान क्षमता को प्राप्त किया है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कुल भण्डारण क्षमता का आधे स्तर का उपयोग किया गया हैं। मध्यप्रदेश में उपज किस्मों के अंतर्गत प्रमुख फसलों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 61 प्रतिशत गेहूँ की फसलों की उच्च उपज किस्मों के उपयोग को बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मध्यप्रदेश में कृषि विपणन (2011–12) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश.
2. मध्यप्रदेश में कृषि आर्थिक सर्वेक्षण (2014) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन.
3. गुप्ता, पी. के., कृषि अर्थशास्त्र वृंदा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006.
4. प्रतियोगिता दर्पण 2013–17, साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली 138.

तालिका क्रमांक – 1 – मध्यप्रदेश में भण्डारण क्षमता (मेट्रीक टन में)

वर्ष	निजी क्षमता	किराये की क्षमता	कुल क्षमता	अधिभोग	प्रतिशत में
2006–07	1053028	117498	1170526	825948	71
2007–08	1102960	88377	1191337	890772	75
2008–09	1141145	256620	1397765	1181510	85
2009–10	1167110	245118	2051275	1688013	82
2010–11	1186619	503584	2949527	2535101	86
2011–12	1311000	613000	3663000	2966000	81
2012–13	1586000	8330000	5986200	5654000	94

स्त्रोत – भण्डारण और उपस्कर निगम, मध्यप्रदेश शासन।

तालिका क्रमांक 2 – मध्यप्रदेश में उपज किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहूँ	मक्का	ज्वार	बाजरा	कुल
2005–06	12.8	36.5	5.1	5.1	1.2	60.6
2006–07	11.3	35.5	5.2	5.3	1.2	58.5
2007–08	13.6	36.0	5.4	5.0	1.6	61.5
2008–09	13.7	36.5	5.5	5.0	1.6	62
2009–10	14.2	40.0	6.0	4.0	1.6	65.8
2010–11	13.3	43.4	8.8	4.0	1.7	71.2
2011–12	16.1	49.4	8.8	4.0	1.9	80.2

स्त्रोत – कृषि विभाग मध्यप्रदेश शासन।

****

भारतीय राजनीति में सफाई कामगारों की स्थिति आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में

मनमोहन द्विवेदी *

शोध सारांश – वर्तमान समय में आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आया है। भारतीय राजनीति हर वर्ग द्वारा इस पर स्पष्ट रूप से अपना रूख रखा। परन्तु अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाला सफाई कामगार वर्ग की राजनीतिक भागीदारी निश्चित ही एक शोध का विषय है। इस हेतु भारत के 9 राज्यों म. प्र., उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में लोकसभा, विधानसभा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष तीनों मिलाकर कुल 50 सदस्यों को अध्ययन हेतु किया गया तथा इन प्रतिनिधियों में शिक्षा, आरक्षण, राजनीति, मान–सम्मान विरोध, वंशवाद, छुआछुत, वर्ग–संघर्ष प्रतिनिधित्व, राजनीतिक शक्तियों से सम्बन्धित प्रश्नों पर सूक्ष्म अध्ययन किया गया तथा निष्कर्ष एवं सुझाव दिए गए है।
शब्द कुंजी – आरक्षण, सफाई कामगार, अस्पृश्यता।

प्रस्तावना – हिन्दू समाज का मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित किया गया है। जिन्हें क्रमश: ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया है। वैदिक काल में भारतीय समाज व्यवस्था इसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इनमें से शूद्र वर्ण में तीन प्रकार की जातियां सम्मिलित थी। प्रथम वर्ग में वे जातियां थी, जिन्हें समाज के अन्य वर्ण के लोग स्पर्श करते थे, उनके साथ संबंध रखते थे, उनके हाथ का छुआ पानी पीते थे, दूसरे वर्ग में वे जातियां थी जिन्हें उच्च वर्ग के लोग स्पर्श तो कर सकते थे किंतु उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे, न ही इनके यहां भोजन ग्रहण कर सकते थे।

भारतीय समाज में अति प्राचीन काल से विराजमान विविधता व अनेकता ने ऐसे विरोधाभासों व विसंगतियों को जन्म दिया जो कालांतर में भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गई। अत: चिंतन, विश्वास व आचार व्यवहार व अन्तर्विरोध भारतीय समाज में सरलतापूर्वक देखे जा सकते हैं। अस्पृश्यता भी इनमें से एक है।

एक और वर्ग शूद्र वर्ग में दिखलाई पड़ता है, इसमें वे जातियां शामिल की जा सकती हैं, जिन्हें उच्च वर्ण के अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोग न तो स्पर्श करते हैं न ही उनके हाथ का छुआ पानी व अन्न ग्रहण करते हैं इन्हें अस्पृश्य जाति माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें पंचम वर्ण कहा है। अस्पृश्य या अछूत जाति वे जातियां हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही अन्य जातियों के लोग स्वयं को अपवित्र महसूस करें तथा जिनके पवित्र होन के लिए उन्हें कुछ विधि विधान या कर्मकाण्ड का सहारा लेना पड़े।

शोध समस्या का चयन – प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति विशेषकर सफाई कामगार वर्ग को प्रमुखता से लिया गया है। यह वर्ग राजनीति में कितनी भागीदारी करता है क्या आरक्षण नीति का इस वर्ग पर अनुकूल प्रभार है। यह एक शोध का विषय है। शोधार्थी द्वारा इस समस्या को लेकर विस्तृत अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की प्रासंगिकता – प्रस्तुत शोध अध्ययन संपूर्ण भारत में से सफाई कामगारों की राजनीतिक सहभागिता का प्रतिनिधित्व किस स्तर तक करता है। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति का यह वर्ग कहाँ तक सफल हुआ है। यह जानना अति आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1) सफाई कामगारों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का अध्ययन।
2) सफाई कामगारों की सामाजिक उपेक्षा संबंधित जानकारी का अध्ययन।

शोध प्रविधि –

1) **अध्ययन का क्षेत्र –** भारत के 9 राज्य अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लिए गए हैं।
2) **अध्ययन का समग्र –** भारत के 9 राज्यों में से लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, अनुसूचित जाति में सफाई कामगारों की संख्या अध्ययन का समग्र है।
3) **अध्ययन की ईकाई –** भारत के निर्वाचित सांसद, विधायक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष अध्ययन की ईकाई है।
4) **निदर्शन –** प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा भारत के 9 राज्यों का चयन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली सम्मिलित है।

इन नौ राज्यों की कुल लोकसभा सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की है, जिसमें सफाई कामगारों की 07 सीटें हैं, कुल विधानसभा सीटों में से अनु. जाति की 269 सीटें हैं, जिसमें 31 सफाई कामगार है। तथा इन्हीं राज्यों में जिला पंचायत की कुल सीटों में से अनु. जाति वर्ग की 45 सीटें है जिसमें 09 सीटों पर सफाई कामगार का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार कुल 50 सफाई कामगारों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिसमें 16 महिलायें तथा 34 पुरुष प्रतिनिधित्व है।

5) **आँकड़ों का संकलन –** प्राथमिक आँकड़ों का संकलन निर्वाचित सदस्यों में अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार के द्वारा किया गया। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन भारतीय निर्वाचन कार्यालय, सांख्यिकी विभाग, जनगणना रिपोर्ट, जिला कार्यालय, पंचायती राज विभाग,

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) माता जीजा बाई शासकीय बालिका पी.जी. महाविद्यालय, डी.ए.वी.वी., इन्दौर (म.प्र.) भारत

विधानसभा भवन, मुख्य कार्यालय, लोकसभा, सफाई कामगार कार्यालय, अनुसूचित जाति विभाग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

6) **आँकड़ों का सांख्यिकीय निरूपण –** शोध में प्राप्त आँकड़ों को सारणीबद्ध किया गया तथा उनका सांख्यिकीय परीक्षण करके निष्कर्ष पर पहुँचा गया। प्राप्त निष्कर्षों के तत्पश्चात् शोधार्थी द्वारा मूल्यांकन कर सुझाव प्रस्तुत किए गए।

भारतीय राजनीति में आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में सफाई कामगारों की स्थिति – सफाई कामगारों की राजनीति में भागीदारी एवं आरक्षण द्वारा इस पर सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 543 लोकसभा सदस्य है, जिनमें अनुसूचित जाति के 84 सदस्य है। जिसमें सफाई कामगार वर्ग से संबंधित 04 सदस्य है। इसी प्रकार विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 4120 है, जिसमें अनुसूचित जाति के कुल 607 सदस्य है, जिसमें सफाई कामगारों की संख्या 16 है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आरक्षण के बावजूद संख्या में कमी देखी गयी है।

इन नौ राज्यों की लोकसभा की कुल 276 सीटों में से 42 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य निर्वाचित हैं, इनमें से 07 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार इन राज्यों की कुल विधानसभा सीट 1797 में से अनु. जाति की 269 सीटें हैं जिनमें 34 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इसी क्रम उपरोक्त में से 08 राज्यों में (दिल्ली को छोड़कर) जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल 325 सीटों में से अनु. जाति वर्ग की 45 सीटें है, जिनमें 09 सीटों पर सफाई कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार कुल 50 सफाई कामगारों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

तालिका **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका – राजनीतिक भागीदारी

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	लोकसभा सदस्य	07	14
2.	विधानसभा सदस्य	34	68
3.	जिला पंचायत अध्यक्ष	09	18
		50	100

रेखाचित्र

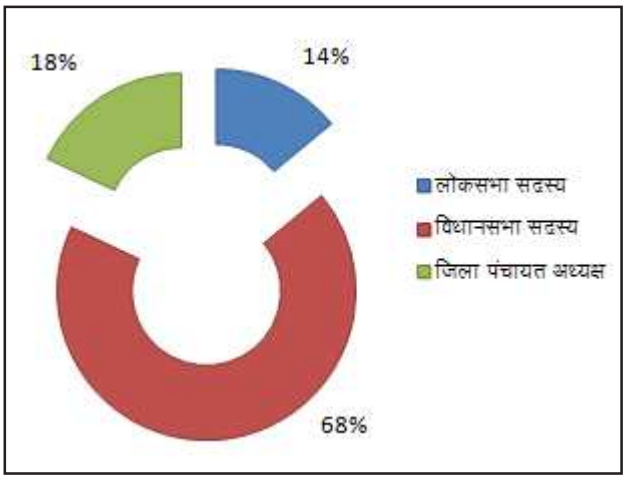

उपरोक्त तालिका के अनुसार सफाई कामगारों की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करने पर 14 प्रतिशत लोकसभा, 68 प्रतिशत विधानसभा, 18 प्रतिशत जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करते है। उपरोक्त तीनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं का मत एवं व्यवहार तथा पद में भिन्नता है परंतु तीनों की राजनीतिक भागीदारी में सफाई कामगारों की स्थिति का अध्ययन मुख्य केन्द्र बिन्दु है। अत: इसकी राजनीतिक स्थिति ही इसकी सहभागिता का प्रमाण है।

तालिका

सफाई कामगार वर्ग के प्रति अन्य वर्ग का दृष्टिकोण

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	32	64
2.	नहीं	13	26
3.	कभी–कभी	05	10
		50	100

रेखाचित्र

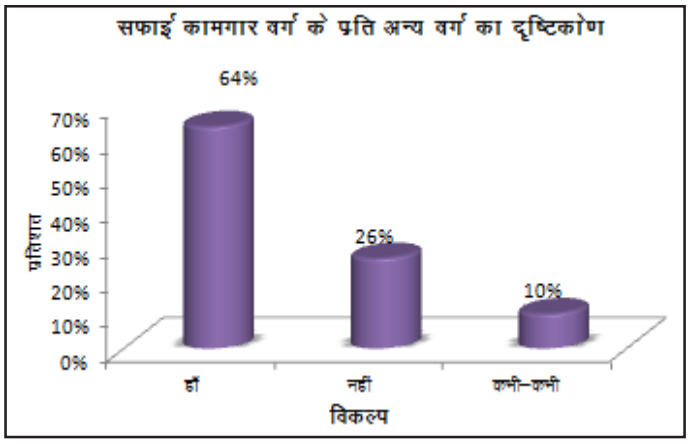

उपरोक्त तालिका के अनुसार 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि हमें समाज में आज भी उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है जो कि चिंता का विषय हैं वहीं 26 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि समाज में अच्छी स्थिति प्राप्त है तथा 10 प्रतिशत यह भी मानते हैं कि कभी–कभी उच्च वर्ग की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता हैं फिर भी भारतीय संविधान व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है।

तालिका – शासकीय कार्यों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	23	46
2.	नहीं	19	38
3.	कभी–कभी	08	16
		50	100

रेखाचित्र

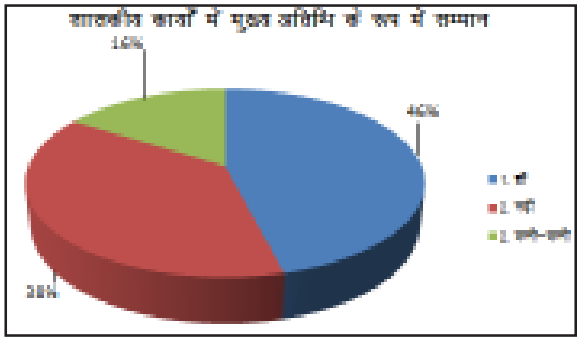

उपरोक्त तालिका के अनुसार 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासकीय तथा अशासकीय कार्यों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया तथा 16 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में कभी-कभी आमंत्रित किया जाता है।

तालिका

सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	15	30
2.	नहीं	30	60
3.	कभी-कभी	05	10
		50	100

रेखाचित्र

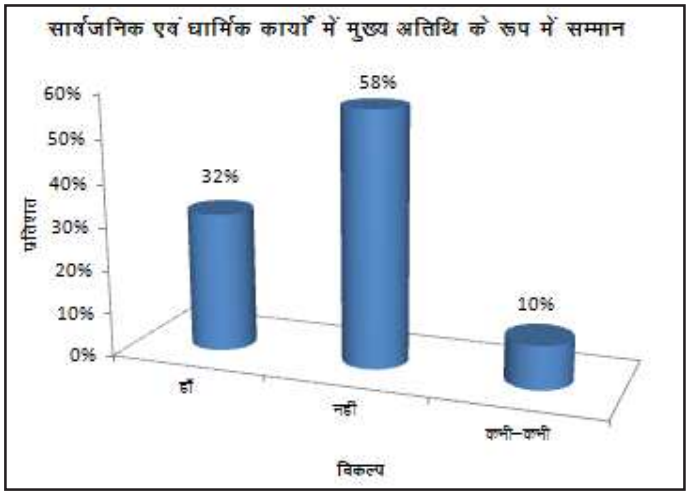

उपरोक्त तालिका के अनुसार 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यों में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। 58 प्रतिशत के अनुसार नहीं बुलाया जाता है तथा 10 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों के अनुसार कभी-कभी बुलाया जाता है। अत: स्पष्ट होता है कि सफाई कामगार वर्ग के जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यों में मुख्य अतिथि के रूप में जनता द्वारा नहीं बुलाया जाता है।

निष्कर्ष -

1. उत्तरदाताओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करने पर 14 प्रतिशत लोकसभा सदस्य, 68 प्रतिशत विधानसभा सदस्य तथा 18 प्रतिशत जिला पंचायत अध्यक्ष प्राप्त हुए। इससे विभिन्न राज्यों के विधानसभा में सफाई कामगारों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व सबसे अधिक देखने को मिला उससे कम जिला पंचायत तथा लोकसभा में भागीदारी देखने को मिली। इस अध्ययन के अनुसार कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तो 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती है परंतु भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सफाई कामगारों का प्रतिनिधित्व नगण्य प्रतीत होता है।
2. उत्तरदाताओं में सफाई कामगार वर्ग के प्रति अन्य वर्गों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर 64 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षा का शिकार होना बताया। 26 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि उन्हें उपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ा जबकि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अन्य वर्गों द्वारा उपेक्षा का सामना कभी-कभी करना बताया गया है। अत: स्पष्ट है कि राजनैतिक पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उपरांत भी उपेक्षा सहन करना पड़ता है जो कि चिंता का विषय है।
3. सफाई कामगार जनप्रतिनिधियों को शासकीय कार्यों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने का अध्ययन किया गया जिसमें 46 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा बताया गया कि उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है 38 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें नहीं बुलाया जाता जबकि 16 प्रतिशत वर्ग ऐसा भी है जिनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कभी-कभी बुलाया जाता है। अत: यहाँ पर संदेहास्पद स्थिति बनती है क्योंकि यह एक राजनैतिक बिंदु है अगर राजनैतिक पद पर वर्तमान सरकार का सफाई कामगार जनप्रतिनिधि है तो उसे मान-सम्मान ज्यादा प्राप्त होता है जबकि विपक्षी पार्टी का होने से भी नहीं बुलाया जाता है।

   यही बात धार्मिक कार्यों में भी मुख्य अतिथि के रूप में लागू होती है जिसमें 32 प्रतिशत उत्तरदाता ने कहा कि हमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान दिया जाता है जबकि 68 प्रतिशत उत्तरदाता अब भी यह मानते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है।
4. अध्ययन क्षेत्र में आरक्षण नीति में सुधार संबंधी स्थिति देखने पर 06 प्रतिशत सफाईकर्मी उत्तरदाता मानते हैं कि वर्तमान आरक्षण नीति में सुधार होना चाहिए जबकि 94 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानता है कि वर्तमान आरक्षण नीति जो संविधान के आधार पर बनाई गयी वह सबसे उत्तम है।

सुझाव-

1. सफाई कामगार वर्ग को आरक्षण नीति में विशेष दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए पृथक से आरक्षण नीति होना चाहिये।
2. अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सफाई कामगार जनप्रतिनिधियों से भी सलाह लेना चाहिए।
3. सफाई कामगार वर्ग के जिन नेताओं को एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका हो उन्हें दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
4. संसद सत्र के दौरान सफाई कामगार वर्ग के जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
5. सभी राजनैतिक दल के नेताओं को राष्ट्रीय हित में एक होना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विमल कीर्ति, (1998) - 'बाबा साहेब आम्बेडकर और कमजोर वर्ग,' आई.एन. एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
2. वाल्मिकी ओमप्रकाश, (1986) - 'अस्पृष्यता एवं मानवता' किताब घर, गांधी नगर, दिल्ली
3. धर्मवीर, 'डॉ. आम्बेडकर और दलित आंदोलन' शेष साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
4. मोहन्ती के.के. (1993) - 'सोशल मोबिलिट एण्ड कास्ट डायनैमिक,' रावत पब्लिकेशन, जयपुर और नई दिल्ली
5 Chandan R.C., (1989) - 'Special Dementions of scheduled castes in India, Chugh Publication, Allahabad'.
6 Dr. Bindeswar Pathak 'Socialogices Social activest * founder & Social refor movements'.

तालिका

भारत के चयनित राज्यों में कामगारों का प्रतिनिधित्व

राज्य का नाम	लोकसभा सीट	अनु. जाति	सफाई कामगार	विधानसभा	अनु. जाति	सफाई कामगार	जिला पंचायत अध्यक्ष	अनु. जाति	सफाई कामगार	कुल
मध्यप्रदेश	29	04	00	230	35	05	50	07	01	06
राजस्थान	25	04	00	200	30	02	33	05	01	03
महाराष्ट्र	48	05	01	288	43	08	36	05	02	11
छत्तीसगढ़	11	01	01	90	14	02	27	04	01	04
उत्तरप्रदेश	80	17	03	404	61	08	75	11	02	13
बिहार	40	06	01	243	36	03	38	05	01	05
गुजरात	26	02	00	182	27	03	33	05	01	04
हरियाणा	10	02	00	90	13	01	22	03	00	01
दिल्ली	07	01	01	70	10	02	–	–	–	03
	276	42	07	1797	269	34	314	45	09	50

स्त्रोत – भारतीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़े अनुसार तालिका

****

भारतीय दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि– एक संक्षिप्त अध्ययन

सुफिया साहिन *

शोध सारांश – 'सीमित सरकार और अत्यधिक सुशासन' यह कथन मई 2014 में पूर्ण बहुमत से गठित सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का है, जिनका राजनीतिक दल दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल का श्रेय उन दलों को प्राप्त है, जो राजनीतिक प्रकृति वाले अधिकारों के प्रति झुकाव रखते हैं, समानता की तुलना में स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, व्यापक भूमिका वाली सरकार के पक्षधर हैं, आर्थिक क्षेत्र में बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था के पैरोकार होते हैं। भारत जो विविधता में एकता वाला राज्य है, इसकी पहचान प्राचीनता और आधुनिकता वाली रही है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित पुरातन पंथी विचार आधुनिक विचारों के साथ अस्तित्व में रहे हैं।

प्रस्तावना – भारतीय राजनीतिक विचारकों में कई ऐसे विचारक है, जिनके विचारों में, सहमति में तथा इनके द्धारा बनाए गए नियमों में दक्षिणपंथी विचारधारा की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ती है जिनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानन्द एक महान शक्तिशाली तेजस्वी तथा रहस्यात्मक अनुभूति वाले व्यक्ति थे। पक्के राष्ट्रवादी तथा धार्मिक व्यक्ति थे। उनके अनुसार जिस प्रकार हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है, बाकि के सभी तत्व उसी में केन्द्रित होते है। भारत का ये तत्व धर्म है। विवेकानन्द राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरूदण्ड बनेगा। अतीत की महत्त ही वर्तमान की नींव है। विवेकानन्द देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद के विषय में घोषणा की कि 'अगले पचास वर्ष के लिए सभी व्यर्थ देवी देवता को अपने मन से निकाल दो। उस देवता की पूजा करो जो हमारे चारों ओर है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं और ये देवता हमारे देशवासी हैं। स्वामी जी हिन्दू धर्म को अन्य सभी धर्मों की जननी मानते थे, और वैदिक धर्म से लेकर वैष्णव धर्म तक सम्पूर्ण हिन्दुत्व के प्रतिनिधि थे। विवेकानन्द की स्वतंत्रता की धारणा भी बहुत व्यापक है, वे मानते है कि सम्पूर्ण विश्व अनवरत गति से स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र है, यदि कोई सामाजिक नियम स्वतंत्रता के विकास में बाधक बनती है, तो उसे शीघ्र नष्ट कर देना चाहिए। विवेकानन्द मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानते थे, उनके अनुसार मनुष्य अपने शरीर बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करे। स्वामी विवेकानन्द न स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया है।

बाल गंगाधर तिलक का देश के इतिहास में अनूठा स्थान है। उनकी विचार और कृत्यों में दृढ़ राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रवृत्ति साफ तौर पर नजर आती है। 1881 ई. में 'केसरी' और 'मराठा' समाचार पत्रों में छपे लेखों के द्धारा वे महाराष्ट्र की जनता में उग्र देश भक्ति की भावना भरने लगे। उन्होंने 1893 ई. में गणपति उत्सव तथा 1895 ई. में शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। उनके अनुसार इन अवसरों पर एकत्रित होकर वीर पूजा करना राष्ट्रोद्धार का एक महान कार्य हो सकता है। उनका उद्देश्य देश की धार्मिक और ऐतिहासिक परम्परा और आदर्शों के द्धारा देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना था। वे हिन्दुओं में निर्भयता और संघर्ष शक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहते थे।

विनायक दामोदर सावरकर का हिन्दू भाग्य, हिन्दुत्व के सम्मान और हिन्दुत्व के पुनरूत्थान में रहा। वे भारत की स्वतंत्रता हिन्दुत्व और उसके विचार मंत्रों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। सावरकर का पालन–पोषण एक निर्भिक आतंकवादी एवं क्रांतिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक कट्टर हिन्दू एकतावादी के रूप में हुआ था। उनके विचारों में आजीवन कट्टर हिन्दुत्व की झलक मिलती है। कई टीकाकार उन्हें मूलभूत रूप से मुसलमान विरोधी व साम्प्रदायिक मानते थे।[1] सावरकर चाहत थे कि हिन्दु मुस्लिम एकता के प्रश्न सहित सभी राष्ट्रीय मामलों पर बहुसंख्यक हिन्दु अपना प्रभाव डालें। सावरकर तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं करते थे। उनकी दृढ़ आस्था थी कि स्वराज मुसलमानों के सहयोग के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। सावरकर के अनुसार हिन्दू भक्त भारत भक्त हुए बिना अपना नाम सार्थक नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग की देश विरोधी नीतियों को गाँधी जी का समर्थन सावरकर को कभी स्वीकार नहीं था। 1942 से 1945 के राजनीतिक मोर्चे पर केवल मुस्लिम लीग जो विभाजन की माँग कर रही थी और हिन्दू महासभा जो सावरकर के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र, एक राज्य' का नारा लगा रही थी। सावरकर का मानना था कि जब हिन्दुओं के समुचित अधिकारों की रक्षा होगी तभी अल्पसंख्यक समुदायों की समुचित अधिकारों की रक्षा होगी। सावरकर का मानना था कि जब तक भारत में हिन्दू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक भारत हिन्दू राष्ट्र रहेगा।

केशव वलिराम हेडगेवार जो सावरकर के घनिष्ठ मित्र थे, और हिन्दू महासभा के अनेक वर्षों तक सदस्य भी रहे। हेडगेवार ने 1925 ई. में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य हिन्दुओं में सैनिक अनुशासन की भवना जागृत करना और उनकी सांस्कृतिक चेतना को बल प्रदान करना था। हेडगेवर हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओं का है मानते थे, और इसकी निर्भीक घोषणा भी चाहते थे। संघ प्रमुख जो सरसंघचालक कहलाताथा वे निर्वाचित नहीं होते थे बल्कि सरसंघचालक द्धारा उत्तराधिकारी का नाम निर्देशित किया जाता था। संघ के नेतृत्व का गठन श्रेणीमूलक है, न कि

* राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड) भारत

लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा निर्वाचित। यह पद्धति पुरानी हिन्दू परम्परा के अनुकूल रही है। डॉ. हेडगेवार के उत्तराधिकारी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर बने जो एक कुशल संगठन कर्त्ता राष्ट्रवादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। वे हिन्दू समाज के उत्थान में पूरा जीवन लगा दिया वे कहते थे' हमें हिन्दू समाज को संगठित कर इतना शक्तिशाली बनाना है कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इस पर कुदृष्टि न डाल सके।[2] श्री गुरूजी कार्यकर्त्ताओं में देशभक्ति, आत्मविश्वास तथा आत्म सम्मान का बोध करना चाहते थे। अपनी परम्परागत जीवन पद्धति और धर्म के प्रति गौरव उत्पन्न करना चाहते थे।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विचार दक्षिण पंथी विचारधारा के काफी करीब रही है। सन् 1959 में वे कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में स्वतंत्र पार्टी के विकल्प के रूप में स्वतंत्र पार्टी के गठन की घोषणा की। वे नेहरू के द्वारा बनाई गई कई नीतियों से असहमत रहे, जिनमें नेहरू का समाजवाद प्रमुख रहा है। राजा जी परमिट लाइसेंस कोटा राज को भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली तथा देश के विकास में बाधक बताया। राजा जी निजी उद्योग की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, जिस कारण कांग्रेस उनकी पार्टी को पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली प्रतिक्रियावादी पार्टी कहती थी। राजा ही कहते थे कि मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रतिक्रियावादी है, तो स्वतंत्र पार्टी प्रतिक्रियावादी है। 90 के दशक में नरसिंहा राव की सरकार ने जो सुधार शुरू किया राजा जी ने इसका सुझाव 50 के दशक में शुरूआत में ही दे दिया था। राजा जी ने बैंक राष्ट्रीकरण तथा प्रीवीपर्स बंद करने के लिए भी सरकार की खुली आलोचना की थी।

1959 ई. में स्थापित स्वतंत्र पार्टी आयोजन समिति के अध्यक्ष मीनू मसानी थे, जिन्होंने भी वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को अन्य सभी अधिकारों से महत्वपूर्ण माना है। मीनू मसानी ने पार्टी की स्थापना से पहले होने वाले चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों से जो राजनीतिक नहीं थे उनसे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का आग्रह किया ताकि कुछ ऐसे सदस्य भी संसद पहुँचे जो राज्य नियंत्रणवादी नीतियों का विरोध कर तथा मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक के रूप में अपना पक्ष रख सके। उनके अनुसार राज्य के स्वामित्व और प्रबंधन से कुशलता को क्षति पहुचांती है, और औद्योगिक विकास में बाधा आती है, वे चाहते थे कि निजी उद्यम के योजना एवं समन्वयन के लिए सभी तरह के आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और कम से कम नियंत्रण रहना चाहिए, जो किसी उद्योग में 5 प्रतिशत तो किसी में 25 प्रतिशत की दर से अलग-अलग होना चाहिए।[3] उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति समाजवादी कहलाने का हकदार नहीं है, यदि वह 'मानव के अधिकारों' के पक्ष में खड़ा नहीं होता।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू के कई फैसले में अपनी असहमति दर्ज कराई है। वे भारतीय जनसंघ के निर्माता भी रहे है, जिसमें बलराज मद्योक ने उनका पूरा साथ दिया। बलराज मद्योक ने ही श्यामाप्रसाद कुमर्जी से विचार-विमर्श कर नई पार्टी की घोषणा पत्र तैयार किया जो सावरकर की हिन्दुत्ववादी सोच से पूर्णत: प्रभावित थी। घोषणा पत्र के अनुसार नई पार्टी हिन्दू भारत के लिए होगी हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं संघ का जहाँ हिन्दू राष्ट्र में पूरी तरह विश्वास था। वही श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने भी हिन्दू राष्ट्र के आदर्श में अपनी पूर्ण सहमति दे दी। उनके अनुसार एक हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य रूप से अपने तमाम नागरिकों को, गैर-हिन्दू समेत सभी धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में आजादी के अधिकार की गारंटी देगा। श्यामाप्रसाद मुकर्जी के असामयिक मृत्यु के बाद पार्टी की कमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संभाला। उन्होंने धर्म के साथ-साथ अर्थ की भी महत्ता को बताया उनके अनुसार अर्थ के अभाव में धर्म नहीं टिकता है। दीनदयाल जी ने पूँजी निर्माण के विषय में कहा कि- 'संयम से जो बनचाया है। उसका भावी उत्पादन के लिए विनियोग किए बिना वह पूँजी नहीं बनेगा।' छोटे उद्योग वित्त संचय में भारी योगदान दे सकते है। शासन की कोई उल्लेखनीय सहायता न होने पर भी देश में इन छोटे उद्योग-धंधों का राष्ट्रीय आय में योगदान सदैव रहा है। दीनदयाल जी निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा विदेशों में नए बाजारों के खोज को महत्व देते है। वे बाजारों का मुक्त रूप से विकास चाहते थे।

अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्रित्व काल में उदारीकरण व निजीकरण पर जोर दिया। उस समय भारत आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहा था। उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देना जरूरी था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही की वजह से लोगों की भागीदारी कम रही है। वे निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पंचायत की देख-रेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों को अनुमति पर विचार करना होगा। इसी प्रकार निजी शैक्षिक एजेंसियों को सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि व्यवसायिक शिक्षा, कृषि, रोजगार संबंधित अन्य कौशल उपलब्ध करा सके। उनके अनुसार वैसे असंगठित क्षेत्र जिनका हमारी अर्थव्यवस्था में भागीदारी दो तिहाई है इन्हें बैंकों से सहायता नहीं मिलती है। इन्हें साधन मुहैया होने आवश्यक है।

मई, 2014 में पूर्ण बहुमत से गठित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार काफी समय बाद सत्ता में आई। भाजपा की यह सरकार ने चुनावी रैली के दौरान ही स्पष्ट कर दिया कि वे मोदीफिकेशन नहीं बल्कि मोडीफिकेशन चाहते है, और उनका नारा रहा है 'सीमित सरकार अत्यधिक सुशासन।'[4] मोदी द्वारा अहस्तक्षेप की नीति के तहत खुले बाजार की नीति और उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जो पार्टी के दक्षिणपंथी रूझान को साफ तौर पर दर्शाती है।

17वीं लोक सभा चुनाव में एक बार फिर मतदाताओं ने प्रचण्ड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर नरेन्द्र मोदी के हाथों में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यशवंत गोपाल भावे, विनायक दामोदर सावरकर, अर्चना प्रकाशन, 2009, भोपाल, पृष्ठ-72
2. जागेश्वर पटेल, श्री गुरूजी, एक बहुआयामी व्यक्तित्व, सुरूचि प्रकाशन, 2013, नई दिल्ली, पृष्ठ - 81
3. एस.वी. राजू, मीनू मसानी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2014, नई दिल्ली, पृष्ठ-43
4. मीनाक्षी सिंह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, एक संघर्ष गाथा, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 2014, नई दिल्ली, पृष्ठ - 159

****

महाराजा अजीत सिंह कालीन प्रशासनिक व्यवस्था

डॉ. संजीव कुमार *

शोध सारांश – अजीतसिंह के समय में प्रशासन के सभी विभागों का समुचित प्रबन्ध था। यद्यपि यहाँ की शासन प्रणाली पर मुगल शासन–प्रणाली का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था, तथापि स्थानीय परम्पराए पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, यहाँ के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही निश्चित किए जाते थे।अजीत सिंह के समय में जोधपुर में प्रशासन के सभी विभागों में प्रत्येक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करके समुचित प्रबन्ध कर रखा था ।न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों में हुआ करती थी। अन्य शासको में दीवान, खानेसामान, किलेदार, पोलरा नायक, चोबदार, सीकदार,सयरा रा दरोगा, मिरदा,'बख्शी', नामक पदाधिकारी, राजा के हाथ में न्याय की ही नहीं बल्कि हर तरह की सर्वोच्च शक्ति राजा के ही हाथों में थी राजपूताने के सभी राज्यों में सामन्त आजीवन राजा की सेवा में प्रस्तुत रहते थे। राजा जब जिस स्थान पर चाहे–देश अथवा विदेश– उनकी सेवा माँगने का अधिकार रखता था। राज्य की रक्षा व प्रतिष्ठा के लिए सामन्तों का एक समूह सदैव राजधानी में उपस्थित रहा करता था। थोड़े दिन उपरान्त जब इन सामन्तों को अपनी जागीर को लौटाने की अनुमति मिलती थी, तो उनके स्थान पर दूसरा समूह राजधानी में आ जाए करता था।

राजा जब कभी स्वयं सैन्य संचालन करता था तो सभी सामन्तों का एकत्र होना अनिवार्य था। सामन्त बिना अवकाश लिए दरबार से अनुपस्थित नहीं हो सकते थे। राजा के साथ वे शिकार पर जाया करते थे, और युद्धों में अथवा शाही दरबार में भी राजा अपनी इच्छानुसार उन्हें साथ ले जायो करता था। राजा की कन्या का विवाह अथवा शत्रु का आक्रमण होने पर सामन्तों को राजा को आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी। इस प्रकार सामन्तों को पूर्णरूप से अपने अधीन रखने के साथ–साथ राजा समय–समय पर इनाम व जागीरें देकर उन्हें संतुष्ट भी रखा करते थे। प्रधानमंत्री, अन्य उच्चाधिकारियों, विभिन्न परगनों के हाकिम तथा राजा के नायब सूबेदार अथवा नायब फौजदार का चुनाव इन्हीं सामन्तों में से किया जाता था। न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी न्याय की ही नहीं बल्कि हर तरह की सर्वोच्च शक्ति राजा के ही हाथों में थी राजा को मंत्री परामर्श दे सकते थे उनकी बातों को मानना या न मानना राजा पर निर्भर करता था ।

जोधपुर राज्य में भी शासकीय कार्यों के लिए 'दीवान' हुआ करता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी 'खानेसामान' था। मुगल–दरबार में भी इसी नाम का एक पदाधिकारी हुआ करता था जो बादशाह के गृह–प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होता था । जोधपुर राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए 'दफ्तर रा दारोगा' नामक अधिकारी हुआ करता था। वह सर्वसाधारण पर दृष्टि रखता था और राज्य की सभी घटनाओं को ठीक–ठीक सूचना राजा तक पहुँचाता था। राज्यकोश के प्रबंध के लिए 'खजांची' नामक अधिकारी था। किले की सुरक्षा का भार 'किलेदार' पर होता था। राज्य की सुरक्षा का पूरा दायित्व 'कोतवाल' अथवा 'सीकदार' नामक अधिकारी पर होता था। हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता था। राजा का विरोध करके शत्रु पक्ष से मिल जाने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाता था। 'व्यास' तथा 'बारहठ' का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवत: यह पदाधिकारी राज्य के धर्म सम्बन्धी कार्य किया करते थे। दस–दस कोस पर एक डाक–चौकी हुआ करती थी, जहाँ का अधिकारी 'मिरदा' कहलाता था। उसके अधीन बहुत से पत्रवाहक होते ।जोधपुर राज्य की सेना के संगठन व नियंत्रण के लिए 'बख्शी' नामक पदाधिकारी हुआ करता था। न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी।परगनों में न्याय का कार्य हाकिम किया करते थे। उन्हें दीवानी व फौजदारी दोनों अधिकार प्राप्त थे। हाकिम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रार्थी को 'अदालत रा दरोगा' नामक अधिकारी के पास अपील करने का पूरा अधिकार था। इसके निर्णय के विरूद्ध 'दीवान' के पास अपील की जा सकती थी। न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी।

प्रस्तावना – जिस प्रकार मुगल शासन–प्रणाली में शासकीय कार्यो का प्रधान 'दीवान' कहलाता था, उसी प्रकार जोधपुर राज्य में भी शासकीय कार्यों के लिए 'दीवान' हुआ करता था। जोधपुर राज्य के दीवान के कर्तव्य व अधिकार लगभग वहीं थे, जो शाही दीवान के। राज्य के समस्त शासन प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए वह उत्तरदायी था, और राज्य के जमा–खर्च का समस्त कार्य उसके अधीन हुआ करता था। विभिन्न परगनों से होने वाली पैदावार के जमा–खर्च का ब्यौरा, तथा जागीरदारों द्वारा दिए गए वार्षिक कर का विवरण उसी के पास रहता था। राज्य के सभी पदाधिकारी उसके अधीन थे और वह सब के कार्यों का पूरा–पूरा ध्यान रखता था। यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़ती तो वह तुरंत महाराजा को सूचित करता और उसमें सुधार करवाता था। वह प्रतिदिन दरबार में जाता था और महाराजा को जमा खर्च की सूची सुनाता था। परगनों के हाकिमों को यद्यपि शासक स्वयं नियुक्त करता था, परन्तु दीवान का उन पर पूरा नियंत्रण रहा करता था।[1]

राज्य पर दूसरा प्रमुख अधिकारी 'खानेसामान' था। मुगल–दरबार में भी इसी नाम का एक पदाधिकारी हुआ करता था जो बादशाह के गृह–प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होता था और राजकीय भवन, मार्ग व बाग आदि का ध्यान रखता था। परन्तु जोधपुर राज्य में खानेसामान के अधिकार व कर्तव्य इतने विस्तृत नहीं थे, वह केवल राजकीय अन्न के भण्डार का अध्यक्ष होता था। पट्टों पर दी गई राजा की निजी भूमि से होने वाली समस्त पैदावार को वह पट्टेदारों से उचित दामों पर खरीद लेता था, और भण्डार में अन्य सभी

* पी.एचडी. (इतिहास) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा (उ.प्र.) भारत

आवश्यक वस्तुओं की देख-रेख किया करता था। जोधपुर में इस पदाधिकारी को 'अन्न रै कोठार का दरोगा' भी कहा जाता था।[2]

जोधपुर राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'दफ्तर रा दारोगा' नामक अधिकारी हुआ करता था वह सर्वसाधारण पर दृष्टि रखता था और राज्य की सभी घटनाओं को ठीक-ठीक सूचना राजा तक पहुँचाता था। राज्यकोश के प्रबंध के लिए 'खजांची' नामक अधिकारी था। वह कोश में जमा होने और निकाले जाने वाले धन का पूरा-पूरा हिसाब रखता था, और इस विवरण की एक सूची पर प्रतिदिन महाराजा के हस्ताक्षर भी करवाता था। किले की सुरक्षा का भार 'किलेदार' पर होता था। किले के सारे सामान की देख-रेख करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। किले में तोपों व अन्य अस्त्र-शस्त्र का प्रबंध भी उसके हाथ में रहता था। वह किले की सुरक्षा के लिए स्वयं ही अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता था, परन्तु इसके लिए राजा की अनुमति आवश्यक थी। किले के विभिन्न द्वारों पर एक-एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, जिसे 'पोलांरा नायक' (द्वार का नायक) कहते थे। राजा के महल तथा रनिवास की ड्योढी पर 'ड्योढ़ीदार' अथवा 'चोबदार' रहा करते थे। राज्य की सुरक्षा का पूरा दायित्व 'कोतवाल' अथवा 'सीकदार' नामक अधिकारी पर होता था। रात्रि के समय शहर भर में पहरा लगा दिया जाता था और एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था। कुछ घोड़ों को शहर से बाहर सदैव तैयार रखा जाता था, ताकि आकस्मिक आवश्यकता उत्पन्न होने पर उनका उपयोग किया जा सके। शहर में यदि कोई नया व्यक्ति आता था तो कोतवाल को इसकी सूचना दे दी जाती थी, और जब तक कोई व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व नहीं ले लेता था उसे शहर में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता था। चोरी व लूटमार उस समय के प्रचलित अपराध थे। कोतवाल ऐसे अपराधियों पर निगाह रखा करता था, और चोरों के पकड़े जाने पर उनसे उनकी सम्पत्ति व अस्त्र छीन लिए जाते थे। हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता था। राजा का विरोध करके शत्रु पक्ष से मिल जाने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाता था। अपराध के अनुसार कभी उससे नकद दण्ड लिया जाता था और कभी उसकी भूमि छीन ली जाती थी। दण्ड राजा की इच्छा पर ही निर्भर हुआ करता था, परन्तु बहुधा ऐसे अपराधियों को क्षमा नहीं किया जाता था।[3]

व्यापारिक वस्तुओं पर कर वसूल करने के लिए सायरा रा दारोगा नामक अधिकारी था। वह सभी व्यापारियों से सम्बन्ध रखता था और उनसे कर वसूलता था।[4]

अजीतसिंह के समय में 'पुरोहित' भी होते थे, जो सम्भवत: राजगुरू होते थे। इसके अतिरिक्त 'व्यास' तथा 'बारहठ' का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवत: यह पदाधिकारी राज्य के धर्म सम्बन्धी कार्य किया करते थे। जोधपुर राज्य में स्थान-स्थान पर संदेश भेजने का भी समुचित प्रबंध था। दस-दस कोस पर एक डाक-चौकी हुआ करती थी, जहाँ का अधिकारी 'मिरदा' कहलाता था। उसके अधीन बहुत से पत्रवाहक होते थे। सम्पूर्ण राज्य कई परगनों में विभक्त था। यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी 'हाकिम' कहलाता था। हाकिम की नियुक्ति राजा स्वयं करता था, और यह दीवान के अधीन हुआ करता था। दीवान के माध्यम से ही राजा के आदेश उसके पास पहुँचते थे और उसकी प्रार्थना राजा के पास पहुँचती थी। अपने परगने की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उस पर रहता था। वह परगने के सरदारों से सम्पर्क रखता था, चोरी और लूटमार से व्यापारियों की रक्षा करता था, वस्तुओं के भाव का निरीक्षण करता और जनता से कर वसूल करता था।[5]

राज्य का सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी 'प्रधान' हुआ करता था। राजा की सम्पूर्ण सेना का नेतृत्व वही सम्भालता था।[6] मुगल शासक से जब जोधपुर के राजाओं का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया, और यहाँ के शासक बहुधा बादशाह की सेवा में रहने लगे, तब 'तन-दीवान' नामक एक और पद की सृष्टि की गई। यह पदाधिकारी महाराजा के साथ बाहर रहा करता था। स्वदेश के बाहर रहते हुए राजा बादशाह, की आज्ञा से जहाँ और जब भी अपनी सेना भेजता था, तब 'तन-दीवान' ही उस सेना का संचालन करता था।जोधपुर राज्य की सेना के संगठन व नियंत्रण के लिए 'बख्शी' नामक पदाधिकारी हुआ करता था। उसके अधिकार व कर्तव्य लगभग वही थे जो मुगल सेना में 'मीर बख्शी' के थे। राजा की आय के विभिन्न साधन थे। उसकी निजी भूमि होती थी, जिसे वह पट्टे पर दिया करता था और इसके बदले में पट्टेदारों से निर्धारित राशि लेता था। भूमि-कर आय का अन्य साधन था। इसके अतिरिक्त उसके जागीरदार समय-समय पर राजा को भेंट व नजराना भी दिया करते थे।[7]

जिस प्रकार मुगल-दरबार में मनसब व जागीर मिलने पर लोग बादशाह को पेशकश नजर किया करते थे, उसी प्रकार जोधपुर राज्य में भी जब राजा किसी व्यक्ति को जागीर देता था तो वह उसे पेशकश देता था। जोधपुर राज्य में न्याय व्यवस्था का भी समुचित प्रबन्ध था। शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव था जहाँ न्याय का अधिकार पंचायत को था। धन सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय धर्मशास्त्रों के आधार पर होता था और अन्य झगड़े रीति-रिवाज के अनुसार निर्णित किए जाते थे। पारस्परिक लड़ाई-झगड़ों को व्यक्तिगत अपराध समझा जाता था और उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग आपस में ही इसका फैसला कर लिया करते थे।[8]

परगनों में न्याय का कार्य हाकिम किया करते थे। उन्हें दीवानी व फौजदारी दोनों अधिकार प्राप्त थे। हाकिम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रार्थी को अदालत रा दरोगा नामक अधिकारी के पास अपील करने का पूरा अधिकार था। इसके निर्णय के विरूद्ध 'दीवान' के पास अपील की जा सकती थी। न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी। न्याय कार्य अधिकतर मौखिक होते थे और लिखा पढ़ी कम होती थी।[9]

मुगल शासकों के सम्पर्क में आने से पूर्व राजपूत शासक तथा उनके सामन्तों के बीच अधिकारी व अधीनस्थ का प्रश्न नहीं था। जिस प्रकार राजा का अधिकार एक निश्चित भू-प्रदेश पर था, उसी प्रकार सामन्तों के पास भी अपनी-अपनी जागीरें हुआ करती थी। अजीतसिंह द्वारा दिए गए पट्टों में न केवल सम्पूर्ण जागीर का ही विवरण मिलता है, वरन् जागीर के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न गाँवों की आय का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है।[10]

मोटा राजा उदयसिंह के समय (सन् 1583-1595 ई0) में 'पेशकश' या 'नजराना' देने की प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र को कुछ धन-राशि राजा को भेंट करके जागीर का नया पट्टा प्राप्त करना पड़ता था। यह स्पष्टतया मुगल प्रभाव था। जोधपुर के राजा स्वयं भी राज्य का अधिकार पाने के लिए बादशाह को नजराना दिया करते थे। अजीतसिंह के राज्यत्व-काल में इसे पेशकश या नजराना के स्थान पर 'हुक्मनामा' कहा जाने लगा था।[11]

निष्कर्ष - मुगल शासकों के सम्पर्क में आने से पूर्व राजपूत शासक तथा उनके सामन्तों के बीच अधिकारी व अधीनस्थ का प्रश्न नहीं था। जिस प्रकार राजा का अधिकार एक निश्चित भू-प्रदेश पर था, उसी प्रकार सामन्तों के पास भी अपनी-अपनी जागीरें हुआ करती थी। राजा की ही भाँति अपनी जागीर पर सामन्त का वंशानुगत अधिकार होता था। चूँकि जागीर उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति थी और उनकी शक्ति का आधार थी, राजा जागीरदारों से ऊँचा व्यक्ति नहीं समझा जाता था। वरन् शासक व सामन्त में परस्पर भ्रातृत्व

व समानता का सम्बन्ध था। अपने क्षेत्र में सामन्त पूर्ण स्वतंत्र थे। फलत: वे किसी के आश्रित रहना अपनी मर्यादा के विरूद्ध समझते थे। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण जब भी उन्हें अवसर मिलता था, वे अपनी शक्ति बढ़ा लिया करते थे और कभी-कभी राजा को निर्बल पाकर उसकी उपेक्षा भी कर देते थे। परन्तु जब वे मुगल-बादशाह के सम्पर्क में आए, तो जिस प्रकार उनकी शासन प्रणाली मुगल शासन-पद्धति से प्रभावित हुई, उसी प्रकार शासक एवं सामन्त के पारस्परिक सम्बन्ध में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और राजपूत शासक भी मुगल-सम्राट की भाँति अपने जागीरदारों पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करने लगे।अजीत सिंह के समय में जोधपुर में प्रशासन के सभी विभागों प्रत्येक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करके समुचित प्रबन्ध कर रखा था।न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों में हुआ करती थी। अन्य शासको में दीवान, खानेसामान ,किलेदार पोलरा नायक, चोबदार, सीकदार,सयरा रा दरोगा, मिरदा 'बख्शी' नामक पदाधिकारी, राजा के हाथ में थी न्याय की ही नहीं बल्कि हर तरह की सर्वोच्च शक्ति राजा के ही हाथों में थी।

परगनों में न्याय का कार्य हाकिम किया करते थे। उन्हें दीवानी व फौजदारी दोनों अधिकार प्राप्त थे। हाकिम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रार्थी को अदालत रा दरोगा नामक अधिकारी के पास अपील करने का पूरा अधिकार था जोधपुर के राजा इस विषय में विशेष सजग रहने लगे कि सामन्तों की शक्ति इतनी न बढ़ जाए कि वे विद्रोही हो जाए। इसी कारण जागीर देते समय उस जागीर से होने वाली आय पर भी ध्यान दिया जाने लगा और जागीरदारों को पट्टा देते समय इस आय का उल्लेख भी पट्टे में किया जाने लगा। शासक व सामन्तों के पारस्परिक सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्तर आ जाने का स्वाभाविक परिणाम हुआ कि दोनों में सदियों से चली आ रही बन्धुत्व की भावना धीरे-धीरे समाप्त हो गई। अब शासक न केवल सामन्तों से, वरन् राजवंश के अन्य सदस्यों से भी ऊँचा माना जाने लगा था। धीरे-धीरे यह पारस्परिक दूरी बढ़ती गई और सामन्तों का एक अलग वर्ग पनपने लगा। जोधपुर के राजाओं ने इनकी शक्ति कम करने के लिए तथा इन्हें अपने प्रति स्वामिभक्त बनाए रखने के लिए जागीरदारों को कई भागों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी में वे सामन्त आते थे, जो शासक के निकट सम्बन्धी होने के कारण जागीरें प्राप्त करते थे। दूसरी श्रेणी के सामन्त वे थे, जिन्हें 'मुन्ड कटाई' (राजा के लिए युद्ध करना) के बदले में जागीरें दी जाती थीं। जिन्हें राजा प्रसन्न होकर जागीरें दिया करता था, वे सामन्त 'इनामदार' कहलाते थे। इन तीनों के अतिरिक्त 'भूमिया' नामक एक अन्य श्रेणी भी थी। इसमें वे व्यक्ति थे जिनके पूर्वजों को राजा ने किसी पद पर कार्य करने के बदले में भूमि दी थी, और वह पद वंशानुगत हो गया और साथ ही साथ दी हुई भूमि पर अधिकार भी वंशानुगत हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ब्याव री वही नं. 1; हरदयालसिंह, मजमू ए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़, अध्याय 11; इब्न हसन, 205-6; शर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, 40-2।
   टाड (भाग 1; 150) व शर्मा, (स्टडीज 200) ने भी लिखा है कि प्रशासकीय कार्यों का अधिकार 'प्रधान' को नहीं होता था। उसके लिए अलग कर्मचारी हुआ करता था।
2. ब्यावरी वही नं. 1, इब्न हसन 238-43; शर्मा; एडमिनिस्ट्रेशन, 47-8।
3. व्याव री वही नं. 1।
4. व्याव री वही नं. 1।
   जोधपुर राज्य के लगभग सभी पदाधिकारियों का विवरण व्याह वही नं. 1 (213-8) पर आधारित है। इस वही में अन्य विभागों के नाम इस प्रकार लिखे हुए हैं।
   1 कपड़ा रै कोठार 2 जरगरखाना 3 गऊखानी 4 घोड़ा, रैतेबलो 5 सुतर खानौ, 6 बागां रै कोठार, 7 जिनावर खानौ 8 रसोडो 9 जलखानौ।
5. ब्याव री वही नं. 1।
6. टाड भाग 1, 150; शर्मा स्टडीज, 200; जसवंतसिंह 154।
7. आईन, भाग 2, 273; सरन 126, 127 टि0, 130-1; एग्रेरियन सिस्टम आव मुस्लिम इंडिया, 119; शर्मा, स्टडीज, 201; टाड-भाग 1, 129-30, पूर्व, 67; जयसिंह, 18, 19-20; जसवंत सिंह 7।
8. शर्मा, स्टडीज,, 201; टाड-भाग 1, 119-20; जसवंतसिंह, 155। व्याव री बही नं0 1 में भी लिखा है कि दंड धर्मशास्त्र के अनुसार दिया जाता था।
9. हरदयालसिंह, मजमूए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़ 687; व्याव री बही नं0 1।
10. रा.पु.बी. में अजीतसिंह द्वारा दिये गये बहुत से पट्टों की नकलें हैं।
11. हरदयालसिंह, मजमूए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़ 439-40; हरदयालसिंह, तवारीख जागीरदारान राज मारवाड़; शर्मा स्टडीज, 199; जसवंतसिंह 157।

****

मुगलकालीन मुस्लिम समाज

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – मुसलमान मुख्य रूप से नगरों में रहना पसन्द करते थे। उन्हें देहाती जीवन से भय लगता था। यद्यपि वे अधिकतर सैनिक और राजकीय नागरिक अधिकारी होते थे लेकिन उनमें से कुछ व्यापार वाणिज्य में लगे रहते थे। उनमें से काफी लोग दुकानदारी और मकतबों में अध्यापन कार्य भी करते थे। भारतीय मुसलमान नगरों में शिल्प दस्तकारी और छोटे-मोटे धन्धों में लगे रहते थे। बहुत ही थोड़े मुसलमान खेती-बाड़ी करते थे। कारीगरों मे अधिकतर हिन्दू ही थे, जिनको मुसलमान बना लिया था। मुसलमान विजेताओं ने इन कारीगरों को ही सबसे पहले मुसलमान बनाकर अपनी इमारतें बनाने के लिए लगाया था। मुसलमान भिश्ती, बसाई, शव नहलाने वाले, खुदाई का काम करने वाले, चित्रकार, मशालची और हकीम भी थे। उनमें से कुछ सुन्दर लिखाई का काम भी करते थे और कुरान की नकलें किया करते थे। बहुत से मुसलमान जुलाहे, धोबी, नाई, बढ़ई, लुहार, दर्जी और लकड़हारे भी थे। उच्च शाही सेवाओं पर ईरानियों और तूरानियों का एकाधिकार सा था। इनमें हिन्दुस्तानी मुसलमानों की संख्या अधिक न थी।[1]

वर्ग विभेद का विकास – समाज में अधिकांश निम्न वर्ग के कारीगर, सेवक आदि थे। इनके घोर परिश्रम से अर्जित धन का दुरूपयोग उच्च सीमान्त वर्ग व मनसबदार करते थे तथा इनका जीवन दरिद्र और असन्तुष्ट था। [2] इस प्रकार समाज स्पष्टत: तीन वर्गो में बंटा था। उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग भी अर्थसंकट में नहीं था क्योंकि मुसलमान साम्प्रदायिक आग्रह से लगाए गए करों से मुक्त थे। जिनके पास खाने-पहनने की कमी भी उनके लिए राज्य की ओर से खानकाह खुले थे जिसमें उन्हें भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त होते थे। अत: खेती या परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी। अत: निवासचारी जी लिखते है कि उनमें क्रियाशीलता का अभाव होने लगा और वे तेजी के साथ विलासी और शराबी बनने लगे।[3] डॉ. के.एस.अशरफ ने लिखा है कि 'इस युग में विदेशी जातियों से सम्बद्ध मुस्लिम वर्ग को शासन मे विशेषाधिकार मिलने के कारण प्रत्येक सामान्य व्यक्ति भी अपनी रक्त परम्परा को विदेशी पूर्वजों या जातियों में खोजने तथा स्वयं को उससे सम्बद्ध करने लगा।[4] इसी प्रकार कुछ धार्मिक मान्यताएँ भी वर्ग भेद के निर्माण में सहायक बनी। सामाजिक महत्व प्राप्त उलेमाओं के नैतिक पतन के कारण 'शेख नामक वर्ग को भी धार्मिक सम्मान मिलने लगा और साथ ही सैय्यदों को भी इस कारण सदैव सम्मान प्राप्त होता रहा क्योंकि वे मुहम्मद साहब की पुत्री फातिमा की वंश परम्परा से संबंधित थे जिनके कारण उन्हें निम्न स्थान पाप नहीं तो अनुचित अवश्य समझा जाता था। [5].....निजी जीवन में सुल्तान और अन्य श्रेष्ठ अमीरों की वेशभूषा में सामग्री की उत्कृष्टता और वस्त्र परिवर्तन की तत्परता को छोड़कर कोई अन्य अन्तर नहीं था।.....मुगल सम्राट हुमायूँ ने लबादे के एक नये स्वरूप का अविष्कार किया, जो कमर में कटा होता था और सामने खुला रहता था।[6]

पीटर डेला बेला लिखता है कि 'मुसलमान सिर मुड़ाते हैं, इसके विपरीत हिन्दू लोग सिर पर बाल रखते है जिन्हें वे एक बहुत ही स्वच्छ और छोटी पगड़ी से बांधते हैं.....। [7]

पैरो में जूते का प्रयोग उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग करते थे। बर्नियर लिखता है कि 'हिन्दुस्तान में गर्मी इतनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य यहाँ तक कि राजा भी मौजे नहीं पहनता है।'[8]

पेलसर्ट के अनुसार-

'They freely took beef, mutton, fish of goats, sheep an other beasts and bird of prey.' [9]

मॉस का सेवन, पर-स्त्री-गमन, द्यूतक्रीड़ा, छल-कपट, जालसाजी, नृत्य-गायन आदि इनके जीवन के प्रधान अंग बन गए थे, जिनमें वे पानी की भॉति धन बहाते थे। सेना में भी नैतिक पतन बढ़ चुका था। डॉ. अशरफ के शब्दों में फैली हुई वेश्यावृत्ति कभी-कभी तो शासकों की कठिनाई एवं चिन्ता का विषय बन जाती थी।[10]

स्त्रियों की दशा – भारत में मुसलमान स्त्रियों की अरब स्त्रियों जैसी अच्छी स्थिति न थी। भारत मे वे पुरूषों के अधीन थी, और अपने बहुपत्नी रखने वाले पतियों की मनमानी सहती थी। कोई भी स्वतंत्र जन्म मुसलमान एक ही साथ चार पत्नियॉ रख सकता था, इसलिए मुस्लिक परिवार में कोई भी स्त्री गृहस्वामिनी होने का दावा नहीं कर सकती थी।..... उनमें कड़ा पर्दा था, और उच्च वंशीय स्त्रियॉ लगभग सदैव बुर्का पहनकर ही बाहर निकलती थीं।[11]

कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। पुत्र जन्म पर दावतें होती थी,। 'मुख्यतया यदि एक स्त्री बार-बार कन्याओं को जन्म देती थी तो उसे पग-पग पर अपमानित होना पड़ता था और कभी-कभी तो उसे तलाक दे दिया जाता था।[12] अगर कोई तरूणी गलियों और बाजार में बिना पर्दे या घूँघट के दिखाई दे अथवा जिसने अपनी इच्छा से पर्दे को तोड़ा हो तो उसे वेश्यालय में लाया जाए और ऐसे पेशे को अपनाने दिया जाये।[13] नारी जाति का अपने स्वामियों या अन्य पुरूष संबंधितों पर आश्रित रहना इस युग के सामाजिक जीवन का प्रधान लक्षण था, तथा दाम्पत्य जीवन के अन्तर्गत उनसे दृढ़ पतिव्रत धर्म की अपेक्षा की जाती थी।[14]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. के0एम0 अशरफ-हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियॉ, भाग-3, पृ0 168.
2. श्री रामधारी सिंह दिनकर-संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण-1962, अध्याय-तीसरा, पृ0 473.

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

3. श्री रामधारी सिंह दिनकर–संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण–1962, अध्याय–तीसरा, पृ0 472.
4. डॉ0 ईश्वरी प्रसाद भारत का इतिहास, अध्याय–27वाँ, पृ0 435.
5. डॉ. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, संस्करण 1982, अध्याय–3, पृ0 26–27.
6. बी0एल0 लुनिया–मुगल कालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, संस्करण–1971, अध्याय–24, पृ0939.
7. श्री निवासचारी–मध्यकालीन भारत का सातवां परिच्छेद, पृ0 –155.
8. डॉ0 के0एम0 अशरफ– लाइफ एण्ड कण्डीशन ऑफ दि पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान भाग–3, पृ0 171–75, एवं 183–83.
9. डॉ0 के0एम0 अशरफ–हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितयॉ, भाग–3, पृ0 215.
10. Travels of Pietro Della Valle, ed, Edward Grey, Hakluyt, Society, Auoted by Dr. Yousuf Husain.
11. Major India in the Fifteenth Century.
12. Mandelso, P.68.
13. डॉ0 के0एम0 अशरफ–लाइफ एण्ड कण्डीशन ऑफ दि पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान, भाग–3, पृ0 227–28.
14. डॉ0 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव– मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, संस्करण–1982 अध्याय–39, पृ029.

****

1930 का जंगल सत्याग्रह 'सतपुड़ांचल के विशेष संदर्भ में'

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् गाँधीजी द्वारा संचालित दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था– 'सविनय अवज्ञा आंदोलन'। सविनय अवज्ञा एक ऐसा माध्यम है, जो जनता को शासन से असहमति एवं विरोध प्रकट करने का मार्ग प्रदान करता है। यह व्यक्ति या जनता के समक्ष एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा जनता शासन के दोषपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कानून के प्रति विरोध प्रकट कर सके। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका तत्पश्चात भारत में सविनय अवज्ञा का प्रयोग जन आंदोलन के रूप में किया। उन्होंने स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन शीघ्र ही समस्त भारत में फैल गया। मध्यप्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित सतपुड़ांचल में भी आंदोलन की लगभग वही स्थिति थी जो कि देश के अन्य भागों में थी। सत्याग्रह की एकमात्र भिन्नता यह थी कि नमक कानून उल्लंघन करने के बजाय, जिसके लिये यहाँ कोई प्राकृतिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सत्याग्रह के रूप में जंगल सत्याग्रह को अपनाया गया। सतपुड़ांचल के सिवनी तथा बैतूल जिलों के ग्रामीणों तथा आदिवासियों ने अविस्मरणीय योगदान दिया। छिन्दवाड़ा जिले के 'खुटामा' तथा खण्डवा जिले के 'डोंगरगांव' में भी व्यापक स्तर पर जंगल सत्याग्रह किया गया। प्रस्तुत शोधपत्र में जंगल सत्याग्रह एवं उसका सतपुड़ांचल पर प्रभाव को बतलाने का प्रयास किया गया है।
शब्द कुंजी – जंगल सत्याग्रह।

प्रस्तावना – असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के पश्चात् देश में राजनीतिक शून्यता की स्थिति निर्मित होने लगी थी। इस नैराश्य की अवधि में मध्यप्रांत के झंडा सत्याग्रह, गांधीजी के रचनात्मक कार्य एवं स्वराज्य दल की सफलता ने जनता का मनोबल बनाये रखने का प्रयास किया लेकिन 1927 तक भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। श्रमिक तथा कृषक संगठित होकर आंदोलन को संघर्षशील एवं विकराल बना रहे थे। युवकों विशेषकर विद्यार्थियों में अभूतपूर्व जागृति आ रही थी जिसका व्यापक प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों में प्रकट हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ निरंतर बढ़ती जा रही थी।[1] इस समय भारतीय राजनैतिक पटल पर दो युवा नेताओं पं. जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचंद्र बोस का उदय हुआ। ये दोनों नेता पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवाद के प्रचार कार्य में संलग्न हो गये।[2] वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हुआ। पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में प्रबल भावनाओं को देखते हुये गांधीजी ने मध्यम मार्ग अपनाते हुये यह सुझाव रखा कि यदि ब्रिटिश संसद एक वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृत कर ले तो औपनिवेशिक राज्य को स्वीकार कर लिया जायेगा, यद्यपि सरकार द्वारा इसे 'अतिप्रगतिशील' कहकर अस्वीकृत कर दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 31 दिसम्बर 1929 का दिन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अर्द्ध रात्रि को पं. जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया।[3] 26 जनवरी 1930 को देश के सभी प्रमुख स्थानों पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मार्च 1930 में ही महात्मा गांधी ने संघर्ष टालने का अंतिम प्रयास करते हुए तात्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। लॉर्ड इरविन द्वारा इस पर कोई ध्यान न दिए जाने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया।[4] 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों को साथ लेकर साबरमती से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की। लगभग 325 कि.मी. की दूरी 24 दिनों में तय कर गांधीजी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे जहाँ उन्होंने 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया शीघ्र ही यह आंदोलन भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया तथा विभिन्न स्थानों में लोगों ने अपने–अपने तरीकों से कानून के अवहेलना कर आंदोलन का संचालित किया।

नमक सत्याग्रह से सतपुड़ांचल भी प्रभावित हुआ। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों यथा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल तथा निमाड़ में नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन को गति प्रदान की गई। सिवनी नगर के गांधीचौक में एक आमसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जनता के समक्ष दुर्गाशंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह का शुभारंभ किया। उन्होंने जो नमक बनाया उसे नीलाम किया गया तथा लोगों ने पाँच–पाँच रूपये में एक–एक पैकेट खरीदा।[5] छिंदवाड़ा जिले में साल्पेकर महोदय के कुशल संचालन में नमक कानून का उल्लंघन किया गया।[6] इस जिले में स्थान–स्थान पर सैकड़ों व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर कानून की अवज्ञा की। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर शांतिप्रिय था इसलिए यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।[7] बैतूल जिले में अप्रैल माह में नमक कानून की अवहेलना कर सत्याग्रह किया गया किन्तु व्यय की अधिकता के कारण मई माह में नमक सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया था उसके स्थान पर शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे यदा–कदा धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किया गया।[8]

11 अप्रैल 1930 को खण्डवा में पं. माखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गांधी चौक में एक सभा आयोजित की गई जिसमें नमक कानून तोड़ने

* अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

वाले सत्याग्रहियों की सूची तैयार की गई। इसके बाद स्थान-स्थान पर सभाओं को आयोजित कर नमक कानून का उल्लंघन किया गया[9] जबकि खरगोन जिले के मंशालाल वर्मा, मोतीलाल महाजन, भागीरथ पाठक, नारायण परसाई इत्यादि सत्याग्रहियों ने नमक सत्याग्रह को सफल बनाया।[10] इस प्रकार स्पष्ट है कि सतपुड़ांचल में नमक कानून का उल्लंघन कुशलतापूर्वक किया गया तथा यहाँ के निवासियों ने इस सत्याग्रह में उत्साहपूर्वक योगदान दिया। इस क्षेत्र की समुद्रतट से दूरी एवं व्यय की अधिकता के कारण दीर्घ अवधि तक इस आंदोलन को संचालित कर पाना संदिग्ध था अतएव सतपुड़ांचल में नमक सत्याग्रह के स्थान पर वन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया।

जंगल सत्याग्रह का प्रस्ताव सर्वप्रथम पं. द्वारका प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत किया। वे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति लेने के लिए मोतीलाल नेहरू से मिले जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। एक लंबे विचार-विमर्श के पश्चात् द्वारकाप्रसाद मिश्र, मोतीलाल नेहरू से अनुमति प्राप्त करने में सफल हुये।[11] इसके पश्चात् प. मिश्र ने जबलपुर पहुँचकर समाचार-पत्रों के माध्यम से जंगल सत्याग्रह का कार्यक्रम का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इससे मध्यप्रांत की सरकार सतर्क हो गई तथा सरकार ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने से पूर्व ही कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। द्वारकाप्रसाद मिश्र, जिन्होंने इस सत्याग्रह की परिकल्पना की थी और उसे क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,[12] वे स्वयं इस आंदोलन में भाग न ले सके क्योंकि सरकार ने अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था लेकिन उनके प्रभाव से जंगल सत्याग्रह बैतूल, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा इत्यादि जिलों में तीव्र गति से प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही संपूर्ण मध्यप्रांत में फैल गया।

जंगल सत्याग्रह के समय बालाघाट जिला कांग्रेस के सर्वेसर्वा चिंतामनराव केलकर थे। उनके निवास स्थल पर इस सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें 1 सितम्बर 1930 को जिले में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस दिन लगभग 20,000 सत्याग्रहियों का जुलूस बालाघाट नगर के गांधीचौक से रवाना हुआ।[13] वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, बैहर, लांजी तथा अन्य स्थानों से आकर अनेक व्यक्ति जुलूस में शामिल हुए थे। बद्रीनारायण अग्रवाल के नेतृत्व में बालाघाट-सिवनी मार्ग पर स्थित गर्राघाट के शासकीय वन में घास एवं वृक्षों की कटाईकर जंगल कानून की अवहेलना की गई। लांजी क्षेत्र में नित्यानंद, लक्ष्मण पटेल, आवाजी रेंच, बालकृष्ण रामटेक्कर, भवानी पटेल इत्यादि स्थानीय नागरिकों ने जंगल सत्याग्रह को गति प्रदान की।[14] वारासिवनी में चिंतामन लोधी, बुद्धूलाल गढ़ेवाल, राधाकिसन मिश्रा, शिवप्रसाद सोनी इत्यादि ने सत्याग्रह में सक्रियता प्रदर्शित की।[15] जिले के बैहर एवं परसवाड़ा क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान कोई विशेष उल्लेखनीय घटना घटित नहीं हुई।

सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ शासकीय चंदन बगीचे में घास काटकर किया गया।[16] जिले के टुरिया नामक स्थान पर किया गया जंगल सत्याग्रह विशिष्ट महत्व रखता है। यहाँ मूका लोहार के नेतृत्व में 9 अक्टूबर 1930 को सत्याग्रह किया गया जिसके कारण स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सत्याग्रहियों के अभिनंदन हेतु निकटवर्ती ग्रामों से विषाल संख्या में जनसमूह एकत्र हुआ जिनके साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया जिससे ये उत्तोजित हो गए। अतएव पुलिस ने गोलीचालन कर दिया जिसमें चार आदिवासी शहीद हो गए। इनके नाम गुड्डोबाई(ग्राम खामरीठ), टेनीबाई(ग्राम खंबा), देभोबाई(ग्राम भीलवा) तथा बिरजू भोई थे।[17] इस घटना में 30 अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए। टुरिया गोलीकाण्ड की जांच करने पर पाया गया कि तात्कालीन डिप्टी कमिष्नर सीमन ने इन्हें सबक सिखाने (Teach Them a lesson) का आदेश पहले ही दे रखा था।[18] घटना के दौरान उस आदेश का क्रियान्वयन मात्र ही किया गया था।

छिंदवाड़ा जिले में वन सत्याग्रह का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के तात्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ दामोदर साल्पेकर के नेतृत्व में किया गया। यह सत्याग्रह 21 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा-नागपुर सड़क मार्ग पर जिले से लगभग 45 कि.मी. दूर स्थित वन विश्रामगृह खुटामा में किया गया।[19] इस सत्याग्रह के बाद जिले के अन्य भागों में भी सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। पांढुर्ना परिक्षेत्र के भिंगोटी, ढाना तथा जटामखेरा, दाढ़ीमेंटा, मोही, अम्बाड़ा इत्यादि स्थानों पर वनों में घास व लकड़ी काटकर जंगल कानून की अवज्ञा की गई थी जबकि सौंसर तहसील के लाखानी नौथर वन में घास काटकर वन विधान भंग किया गया। अमरवाड़ा के उत्तर में स्थित चंदेली पहाड़ पर सत्याग्रह किया गया। इस तरह समूचे जिले में सत्याग्रहियों द्वारा उत्साहपूर्वक आंदोलन संचालित किया गया। इस आंदोलन को जिले में इतने बड़े स्तर पर किये जाने के बाद भी यहाँ कोई गोलीचालन न होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी अपेक्षाकृत उदार प्रवृत्ति के थे।

बैतूल जिले का जंगल सत्याग्रह बहुत व्यापक और विस्तृत था। जिले में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ 1 अगस्त 1930 को दीपचंद गोठी के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बैतूल के समीप चिखलार ग्राम के आरक्षित वन की ओर जाने वाले एक जुलूस का नेतृत्व किया।[20] इस जुलूस में लगभग 5000 वनवासी भी शामिल थे जिनमें अधिकांशत: गोंड एवं कोरकू जाति के थे। दीपचंद गोठी को गिफ्तार कर लिया गया। जिले में 22 अगस्त 1930 को स्वाधीनता आंदोलन में स्थानीय नेतृत्व देने की एक दुर्लभ मिसाल बंजारीढाल नामक आदिवासी ग्राम में कायम की गई।[21] यहाँ जंगल सत्याग्रह को नेतृत्व स्थानीय कोरकू नौजवान गंजनसिंह ने किया। उसे बंदी बनाने के प्रयास में पुलिस तथा ग्रामीणों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस प्रकरण में कई आदिवासी गिरफ्तार किए गए। इसी प्रकार जिले के आदिवासियों एवं ग्रामीणों द्वारा कई स्थानों पर उत्साहपूर्वक यह आंदोलन संचालित किया गया।

जंगल सत्याग्रह से निमाड़ का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। यहाँ खंडवा की वन सत्याग्रह समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह हेतु डोंगरगाँव में एक सत्याग्रह शिविर का आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व सिद्धनाथ आगरकर एवं बाबूलाल तिवारी ने किया।[22] खंडवा, बुरहानपुर, रूस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, खरगोन, बड़वाह, महेश्वर, सनावद इत्यादि स्थानों पर सत्याग्रहियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किये गये।[23] इस आंदोलन ने भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा की भावना को और अधिक बढ़ा दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश ; मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 70
2. चंद, विपिन (सं.) ;भारत का स्वतंत्रता संघर्ष , पृ. 202
3. वही, पृ. 207
4. गुरू,एस.डी. ; मध्यप्रदेश में स्वाधीनता संघर्ष (1857-1950), पृ. 178
5. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-एक, पृ. 12
6. गुरू,एस.डी.; वही, पृ. 196

7. शुक्ल, भगवत प्रसाद 1968; भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सन 1818 से 1947 तक छिंदवाड़ा जिले का इतिहास, हस्तलिखित ग्रंथ, पृ. 82
8. श्रीवास्तव, पी.एन. ; बैतूल जिला गजेटियर, पृ. 60
9. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-पाँच पृ. 98
10. वही, पृ. 83-91
11. सक्सेना, घनश्याम; जंगल सत्य और जंगल सत्याग्रह, पृ. 115-117
12. मिश्र, द्वारकाप्रसाद; मेरा जीया हुआ युग भाग एक,(अनुवादक सत्येन्द्र प्रसाद मिश्र) पृ. 126-28
13. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-एक, पृ. 166
14. भारतीय स्वाधीनता संग्राम और बालाघाट जिले का योगदान, जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट 1972, पृ. 14-15
15. वही, पृ. 15
16. सक्सेना, घनश्याम; जंगल सत्य और जंगल सत्याग्रह, पृ. 160
17. जंगल सत्यागह, मध्यपदेश शासन स्वराज संस्थान, पृ. 10
18. सक्सेना सुधीर; मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी, पृ. 188
19. सक्सेना, घनश्याम; वही, पृ. 162-63
20. वही, पृ. 121
21. मध्यप्रदेश स्वतंत्रत संग्राम सेनानी खण्ड-पाँच, पृ. 131
22. सक्सेना, घनश्याम; वही, पृ. 180
23. श्रीवास्तव, पी.एन.; पूर्वी निमाड़ जिला गजेटियर, पृ. 94

****

मुगलकालीन भारत का हिन्दू परिवेश

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – मुसलमानों के आगमन से पूर्व, भारत में एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता कायम थी। धर्म, रीति-रिवाज, भाषाएँ और सांस्कृतियाँ तो तब भी अनेक थी, किन्तु सब लोगों के हिन्दू होने के कारण ये विविधताएँ एक ही भाषा की अनेक बोलियों के समान एक दूसरे के समीप थी, एक दूसरी जगह से गुथी हुई थी। किन्तु मुस्लिम-धर्म के आगमन से भारत में संस्कृति की दो धाराएँ समानान्तर रूप से चलती हैं। एकाध जगह से एक दूसरे को स्पर्श भी करती है, किन्तु मिलकर वे एक नहीं हो पाती।[1]

भारत को अपना देश पहले की भी कुछ विदेशी जातियों ने माना था, किन्तु उनके और मुसलमानों के बीच भारी भेद था। एक और पूर्ण भारत में कभी वह राजनीतिक प्रबलता नहीं प्राप्त कर सके थे, जो प्रबलता मुसलमानों ने प्राप्त की। इस देश पर मुसलमानों का राज्य, प्राय: छ: सौ वर्षो तक रहा था। इसीलिए यद्यपि, शक और पूर्ण, धीरे-धीरे हिन्दुत्व में समा गए, किन्तु मुसलमान हिन्दुत्व से अलग बने रहे। [2]

इस युग का इस्लाम अपूर्व जीवन-शक्ति तथा नई महत्वकांक्षाएँ लेकर अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर हुआ। डॉ0 सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार उनके समाज में अन्तर्जीवन की उदारता तथा कम से कम प्रतिबन्धों के कारण स्वयं की सुरक्षा के साथ ही विधर्मी समाज को सरलता से आत्मसात कर लेने की अद्भुत क्षमता भी थी, और इस विशेषता के कारण भारत ही नहीं अपितु संसार के अनेक देशों में उक्त धर्मगत तथा समाज का पसार एवं विस्तार सरलता से हुआ।[3] इसके अतिरिक्त प्रो. वासुदेव उपाध्याय लिखते है कि भारत के सामाजिक जीवन की आधारशिला के रूप में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित वर्ण व्यवस्था इस युग के चार-पॉच सौ वर्ष से पूर्व से ही विश्रृंखलित होकर अनेक पेशेवर जातियों तथा उपजातियों में बँट गई थी।[4]

हिन्दू समाज की तत्कालीन दशा – मुगल युग (1526-1803) में भी देश की जनसंख्या मे हिन्दुओं का बहुमत था। जैन-बौद्ध और सिख सभी हिन्दुओं में गिने जाते थे। ब्राम्हण, राजपूत, कायस्थ और बौद्ध उच्च वर्ग के थे। उनमें आपस में अर्न्तजातीय खानपान या वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। ब्राम्हण पुरोहितहाई और अध्ययन-कार्य करते थे। वे मुस्लिकाल के पूर्व खेती-बाड़ी नहीं करते थे। पर अब वे खेती-बाड़ी करने लगे थे।[6] डॉ घोषाल ने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित जातियों में से ब्राम्हणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पश्चात् पेशेवर जातियों के सामाजिक महत्व द्विजातियों से कम होते हुए भी उन्हें हीन तथा अस्पृश्य नहीं समझा जाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर शुद्रों के यहॉ ब्राम्हण भोजन भी कर सकते थे।[7] वे (अस्पृश्य जातियॉ) बहुत बड़ी संख्या में ब्राम्हणों की व्यवस्था से पीड़ित होकर इसीलिए मुसलमान हो गई क्योंकि वैसा करके वे अस्पृश्यता के मामले में हिन्दुओं से बराबरी का दावा कर सकती थी।[8]

अनेक जातियों की सामाजिक स्थिति से कुछ भिन्न स्थिति विजयनगर साम्राज्य की थी। वहॉ सम्राट के पश्चात् ब्राम्हणों तथा तदुपरान्त चेट्टी नामक व्यापारियों की जाति के बाद वीर पांचाल (कारीगर), वेवकोल (वस्त्रोधोगी) एवं अन्य व्यवसाइयों का महत्व था। पेशों के अनुसार जातियों के संगठन का मूल कारण भारत की अर्थव्यवस्था थी।[9]

हिन्दु समाज के समक्ष एक और शासक वर्ग की ओर से बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की समस्या थी। तो दूसरी ओर प्रलोभन भी थे। तीसरी समस्या थी कि धर्म परिवर्तित व्यक्तियों को समाज में किस प्रकार का स्थान दिया जाए। डॉ0 राधाकृष्ण के अनुसार 'इस युग मे उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए'देवल स्मृति की रचना हुई जिसमें धर्म के कारण समाज परिवर्तित स्त्री-पुरूषों को हिन्दू समाज में सम्मान पूर्वक सम्मिलित किया जाना विधेय ठहराया गया। [10] इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संस्कृति के युगानुरूप परिवर्तन करने वाले प्रगतिशील तत्व की योजना की द्योतिका है जिसे उसने प्राचीन काल से स्थान दिया है। [11]

रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते है कि 'हिन्दुस्तान समृद्ध देश है, उसके तौर-तरीके और सामाजिक आचार आकर्षक हैं। ये बातें भारत के बाहर भी खूब प्रचलित थी। अतएव, जब मुसलमान हिन्दुस्तान आए, वे बड़ी ही शीघ्रता के साथ यहॉ के तौर-तरीके सीखने लगे।[12]

भोजन तथा रहन-सहन – के.एम.अशरफ के अनुसार हिन्दुस्तान में पारिवारिक परम्परा प्राय: इतिहास के प्रारंभ से ही संगठित सामाजिक जीवन का कार्य चलाने के लिये प्रमुख तत्व रही है। कालान्तर में विकसित होकर इसने हिन्दू-परिवार का रूप धारण कर लिया।[13]

हिन्दु स्त्रियों की दशा अच्छी न थी। दिनकर जी लिखते है कि हिन्दुओं में मुसलमानों को जातिवाद का जहर पिलाया, बदले में मुसलमानों ने हिन्दुओं को पर्दे का शाप दिया। [14]

मध्यम वर्ग का भोजन सादा था। दिनकर जी लिखते है कि फलों का अचार तैयार करने की प्रथा भारत की प्रथा थी। वह मुसलमानों के यहॉ भी चल पड़ी। भारत के मोहन-भोग का प्रभाव पुलाव पर पड़ा। भारतीय मुसलमानों का पुलाव और कोरम वही नहीं रहा जो ईरान और खुरासान में था। [15]

अकबर ने त्यौहार स्वतंत्रता पूर्वक मनाने की आज्ञा दे दी थी। जहॉगीर की आत्मकथा के अनुसार वह रक्षा बंधन को एक महान धार्मिक कृत्य समझता था। हिन्दू सरदारों और पंचों से राखी बंधवाता था। [16]

संदर्भ ग्रन्थ स्त्रोत –

1. रामधारी सिंह दिनकर-संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण-1962, तीसरा अध्याय पृ0 470.

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

2. रामधारी सिंह दिनकर–संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण–1962, तीसरा अध्याय पृ0 470.
3. डॉ0 सत्यकेतु विद्यालंकार–भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, संस्करण 1953, अध्याय–24वाँ, पृ0 58.
4. प्रो. वासुदेव उपाध्याय–पूर्व मध्यकालीन भारत, अध्याय–5, पृ0 316–20.
5. डॉ. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, संस्करण 1982, अध्याय–3, पृ0–23.
6. डॉ. आर.सी. मजूमदार– दि देहली सल्तनत, अध्याय–17, पृ0–775–77.
7. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर–संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण–2, अध्याय तीसरा, पृ0 275.
8. डॉ. आर.सी. मजूमदार– दि देहली सल्तनत, अध्याय–15 पृ0 554–55.
9. डॉ. राधाकृष्णन–रिलीजन एण्ड सोसाइटी, संस्करण–1953, लेक्चर–3, पृ0 116.
10. डॉ. राधाकमल सिंह दिनकर–संस्कृति के चार अध्याय, संस्करण 1962, अध्याय–तीसरा, पृ0 472.

****

भारत में वृद्ध महिलाओं का परिदृष्य - एक विवेचन

जितेन्द्र सेन *

प्रस्तावना – देश में बढ़ती उम्र की आबादी अवसरों के साथ चुनौतियां भी पैदा करती है, लगातार बढ़ती आबादी विकासशील और विकसित देशों के नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रत्येक देश की आबादी में बुजुर्गों के अनुपात में वृद्धि हुई है। भारत में वृद्ध पुरूषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धों में बढ़ते हुए लिंगानुपात और निर्भरता के स्तर को देखते हुए वृद्ध महिलाओं के प्रति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक हो गया है।

वृद्ध वैश्विक परिदृश्य और भारत – संयुक्त राष्ट्र की हालियां की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष आयु वर्ग की वैश्विक जनसंख्या,जो वर्ष 1980 में 382 मिलियन थी वह 2017 में 962 मिलियन से अधिक हो गई है और वर्ष 2050 तक यह 2.1 बिलियन तक पहुँच जाऐगी ,वर्तमान में जापान 65 वर्ष की आयु के 26.3 प्रतिशत लोगों के साथ विश्व का सबसे वृद्ध आबादी वाला देश है, ऐसे ही इटली 25 प्रतिशत पुर्तगाल 22 प्रतिशत वृद्ध आबादी के साथ क्रमश:द्वितीय और तृतीय स्थान रखते है। आँकड़ों के अनुसार 1950 में 8 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर थी जो 2010 में 11 प्रतिशत हो गयी है और यह 2050 तक 22 प्रतिशत हो जाऐगी 2050 तक जापान, चीन और दक्षिण-कोरिया में वृद्ध आबादी 40 प्रतिशत हो जाऐगी। भारत वृद्धों की आबादी वाले शीर्ष 10 देशों में से एक होगा, भारत में वृद्ध आबादी 2050 तक 34 करोड़ हो जाऐगी आज का युवा भारत अब वृद्ध भारत का होने की और बढ़ चला है अभी हर 12 वाँ व्यक्ति वृद्ध है 2050 तक प्रत्येक पाँचवा व्यक्ति वृद्ध होगा जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 19.4 प्रतिशत हो जाऐगी 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 0.9 फीसदी से बढ़कर 2.8 प्रतिशत होने की संभावना है। **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

भारत में वृद्ध जनसंख्या परिदृश्य – वृद्धजनों में महिला पुरूष अनुपात 1951 में 1028: 1000 था जिसमें बाद के कुछ वर्षों में गिरावट आई परंतु यह वर्ष 2011 में बढ़कर 1033:1000 महिला परूष हो गया है । बदलते समाजिक परिदृश्य में आबादी के बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाऐं भी बढ़ी है, जिसके चलते वृद्धजनों की आयु संभावना भी बढ़ गयी है वर्ष 2009-13 के दौरान स्त्री आयु संभावित 69.3 वर्ष और पुरूष आयु संभाविता 65.8 वर्ष तक पहुँच गयी है। वृद्ध आश्रित अनुपात पर गौर करे तो 1961 में यह 10.9 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 14.2 हो गया है परंतु इसमें भी यह ध्यान रखने योग्य बात है कि महिलाओं में यह 14.9 प्रतिशत और पुरूषों में 13.6 प्रतिशत हो गया है। देश में वृद्धजनों की भी दो श्रेणी है, जिनमें से एक संगठित क्षेत्र एवं दूसरी असंगठित क्षेत्र से संबंधित है. देश में कुल 400 मिलियन श्रम शक्ति में से 35 मिलियन के पास बुढ़ापे में आय संरक्षण के रूप में औपचारिक समाजिक सुरक्षा है, जबकि अभी भी एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण लगातार कार्यरत है ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध आबादी में 66 प्रतिशत वृद्ध पुरूष एवं 28 प्रतिशत महिलाऐं और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 46 प्रतिशत पुरूष और 11 प्रतिशत महिलाऐं कार्यरत है। वृंद्ध आबादी में वृद्ध शिक्षा के आँकड़े दर्शाते है कि 1991 में साक्षरता प्रतिशत 27 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 44 प्रतिशत हो गया है। जिसमें बुजुर्ग पुरूषों में 59 प्रतिशत साक्षरता दर है वहीं वृद्ध महिलाओं में आधे से भी कम 28 प्रतिशत ही है। वृद्धजनों की बढ़ती जनसंख्या भारत जैसे विकासशील देश के लिए विचार विमर्श का विषय है हमें यह ध्यान रखना होगा वृद्धों की बढ़ती आबादी में वृद्ध पुरूषों की अपेक्षा वृद्ध महिलाओं की स्थिती अत्याधिक चिंतनीय है।

भारत में विभिन्न आयु समूह के आधार पर आबादी का प्रतिशत बंटवारा **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

भारत में वृद्ध महिलाओं की सामाजिक स्थिति – कुछ वर्षों पूर्व भारत में बुजुर्गों का समाज में रहने की व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि उनके परिवार द्वारा उनकी देखभाल करने की उम्मीद रहती थी। परंतु वर्तमान परिदृष्य बदल गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वृद्ध महिलाओं की कुल आबादी 52.8 प्रतिशत है आश्रित अनुपात 14.9 प्रतिशत एवं अभी भी कार्यों के संलग्नता 24.4 प्रतिशत है जीवन प्रत्याषा 19 प्रतिशत मृत्यु दर 16.1 प्रतिशत एवं साक्षरता दर 28.5 प्रतिशत है। वृद्ध महिलाओं के संदर्भ में जो हालियां आँकड़े उजागर हुए है उनके हिसाब से वृद्ध पुरूषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है।

पिछले वर्षों के दौरान वृद्ध जनों के बीच साक्षरता का प्रतिशत (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सामाजिक स्थिति – महिलाओं में उम्र बढ़ने के नारीकरण वर्तमान परिस्थिती में विचार -विमर्श का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है 2000-2050 के दौरान भारत की समग्र जनसंख्या 56 प्रतिशत बढ़ेगी जबकि 60 वर्ष से अधिक लोगों की जनसंख्या 3.26 प्रतिशत बढ़ेगी इस अवधि के दौरान 80 वर्ष से अधिक आबादी की विधवा और अत्यधिक आश्रित वृद्ध महिलाओं की प्रबलता 700 प्रतिशत तक बढ़ जाऐगी वृद्ध पुरूषों की संख्या की तुलना में वृद्ध महिलाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ।

आम आबादी और वृद्ध आबादी में स्त्री-पुरूष (प्रति 1000 पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या) अनुपात का रूझान **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

जीवन प्रत्याशा सेंपल रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक 50-60 साल के उम्र में जीवन प्रत्याशा 1970 -1975 में 14 साल से बढ़कर

* मध्य प्रदेश समाजिक विज्ञान, शोध संस्थान, विक्रम विश्व विद्यालय , उज्जैन (म.प्र.) भारत

2010-2014 में 18 साल की हो गयी है। उसमें पुरूषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं की उम्र 2 साल अधिक है देश के सभी राज्यों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं के लिए बुढ़ापें में उच्च जीवन प्रत्याशा है। 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों में वैवाहिक स्थिति विवरण दर्शाता है कि वर्तमान में 66 प्रतिशत विवाहित है 32 प्रतिशत विधवा है और 3 प्रतिशत तलाकशुदा है, वर्तमान में वृद्ध पुरूषों में 82 प्रतिशत विवाहित है। जबकी वृद्ध महिलाओ में केवल 50 प्रतिशत ही विवाहित और लगभग 48 प्रतिशत वृद्ध महिलाऐं विधवा है चूँकि वित्तीय सुरक्षा के लिए पुरूषों की तुलना में महिलाओं को पति की मृत्यु के पश्चात् अधिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है।

आम आबादी और वृद्ध आबादी में स्त्री-पुरूष (प्रति 1000 पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या) अनुपात का रूझान

जनगणना	आम आबादी	वृद्धजन महिला आबादी
1951	946	1028
1961	941	1000
1971	930	938
1981	934	960
1991	927	930
2001	933	972
2011	943	1033

आर्थिक स्थिति – बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति में स्वामित्व से उत्पन्न वित्तीय सुरक्षा वृद्ध व्यक्तियों की भलाई का एक प्रमुख निर्धारण है आंकड़ों से पता चलता है कि 26 प्रतिशत वृद्ध पुरूषों और लगभग 60 प्रतिशत वृद्ध महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अकेला रहता है। इस अवस्था में आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है आंकड़ों के अनुसार लगभग 2/4 बुजुर्ग पूरी तरह या आरंभिक रूप से दूसरों पर निर्भर है ओर ऐसी निर्भरता पुरूषों की अपेक्षा बुजुर्ग महिलाओं में अत्याधिक है।

आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत विभाजन **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

स्वास्थ्य – आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और विकास की अवस्था ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर दी है इसके बावजूद भी देखा गया है कि बुजुर्ग महिलाओं में रूग्णता की व्यापकता दर अधिक है स्वास्थ्य देखभाल और लिंग अंतर का संकेत देने वाले आंकड़ों मे पुरूषों की तुलना में महिलाओं की अस्पताल में भर्ती अधिक है। गैर संचारी रोग पुरानी बीमारियों भारत में वृद्धों में बुजुर्ग महिलाओं में क्रोनिक बीमारियाँ अधिक प्रचलित है। वृद्ध महिलाओं में दृश्य विकलांगता अधिक आम है जबकि वृद्ध पुरूषों में गतिशीलता विकलांगता अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य आबादि के 22.1 प्रतिशत प्रति 1000 की तुलना में बुजुर्गों के लिए विकलांगता दर प्रति 1000 में 3.8 प्रतिशत प्रति 1000 और 80 से अधिक आबादी के लिए 84.4 प्रतिशत प्रति 1000 थी इसमें भी वृद्ध महिलाओं में विकलांगता के उच्च स्तर है जो पुरूषों की तुलना में अधिक नुकसान की स्थिति में है।

विभिन्न प्रकार की विकलांगता के आधार पर प्रति 100,000 बुजुर्गों में शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों की संख्या **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

वृद्धजनों से दुर्व्यवहार सर्वेक्षण 2011 ने भारत के सात राज्यों के सर्वेक्षण में पाया कि वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार में अपराधी आमतौर पर परिवार के सदस्य रिश्तेदार दोस्त या विश्वसनीय देखभाल करने वाले ही होते है। हेल्प इंडिया 2015 में द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि देश में लगभग आधी बुजुर्ग आबादी किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का सामना करती है पुरूषों की तुलना में महिलाओं में यह अधिक गम्भीर स्थिति को दर्शाता है। मौखिक रूप से अपमान और उपेक्षा आम तोर पर बहु ओर बैटे द्वारा दुर्व्यवहार सामान्य रूप से देखें गए है BKPAI* आंकड़ों के मुताबिक जो वृद्ध अकेले और शिक्षा के निम्नस्तर पर है खराब आर्थिक स्थिति में है, उनके साथ दुर्व्यवहार अधिक हुआ है।

BKPAI* बिल्डिंग ए नॉलेज बेस ऑन पापूलेशन एजिंग।

भारत में लिंग और निवास स्थान के अनुसार वृद्धावस्था आश्रितता अनुपात, 1961-2011 **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सामाजिक सुरक्षा – वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा के विषय में भी जो रिपोर्ट वर्तमान में आयी है वह अच्छी स्थिति को नही प्रदर्शित करती भारत में समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की विस्तृत श्रंखला होने के बाद भी समग्र सार्वजनिक व्यय की तुलना में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत है जो दुनिया भर के कई मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कम है केवल 70 प्रतिशत लोग ही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानते है कि बुजुर्ग महिलाओं की तुलना में बुजुर्ग पुरूष अधिक जानकारी रखते है केवल 18 प्रतिशत वृद्धों की पहुंच वृद्धावस्था पेंशन योजना तक है। देश में महाराष्ट्र केवल ऐसा राज्य है जहाँ चार में से एक बुजुर्ग सरकार द्वारा दि जाने वाली रियायतों का लाभ उठा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले विधवाऐं केवल 25 प्रतिशत के आसपास योजना का लाभ उठा पा रही है। वृद्धावस्था के नारीकरण का परिणाम यह हे कि वृद्ध महिलाओं में बार-बार उपेक्षा और भेदभाव का अनुमान जीवन के स्वर्णिम क्षणों में किया जा रहा है।

जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार कार्यरत वृद्धजनों की आबादी का प्रतिशत **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

निष्कर्ष – भारत में वृद्धजनों की उत्तरोतर बढ़ती आबादी चुनौतियैं को बढ़ा रही है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्ध महिलाओं की स्थिती सभी स्वरूपों में चिंतनीय है। जिसमें शारीरिक क्षमताओं में कमी अश्क्तता आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है रोजमर्रा के कार्य जीवन के मूल कार्य है अक्षमता आ जाने के कारण वृद्धों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है वृद्ध पुरूषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं में यह उच्च स्तरीय समस्या है। संयुक्त परिवार के विघटन और समाज एकल परिवार के चलन की अधिकता हो गयी है भारतीय समाज में पति-पत्नी और बच्चे संकुचित दायरे में सिमट कर रह गए है। (गुप्ता सुभाष 2009) दिनों-दिन तेजी से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक दस में से 1 वृद्ध महिला अकेली रहती है।2011 के आंकड़े के अनुसार दुनिया में हर दस में से 1 व्यक्ति वृद्ध है 2050 तक हर 5 वाँ और साल 2150 तक दुनिया की एक तिहाई आबादी बुजुर्गों की होगी उसमें वृद्ध महिलाओं की संख्या अत्यधिक होगी। यादव एस.आर (2009) आंकड़े बताते है कि भारत में उम्र बढ़ने के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों में आधे से अधिक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक, सामाजिक ,मनोवैज्ञानिक संकट में है एवं जो कम शिक्षित एवं गरीब महिलाऐं है उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के मुद्दे अधिक है।वृद्ध पुरूषों की अपेक्षा वृद्ध महिलाओं से अधिक दुर्व्यवहार किया जाता है और समाजिक- आर्थिक तौर पर वृद्ध महिलाएं बढती उम्र के साथ हासिए पर खड़ी नजर आती है बढ़ते निर्भरता अनुपात और लिंग विषमताओं के प्रति संवेदनशील होकर वृद्ध महिलाओं के प्रति संवेदनेशील होकर स्थिति पर गंभीरता से विमर्श कर कार्य करने की आवश्यकता है।

SUBI* - जो किसी व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के समूह द्वारा दिन–प्रतिदिन के जीवन की चिंताओं में भलाई या बीमारी होने और भावनाओं को मापन के लिए स्केल डिजाईन किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सेन्ट्रल स्टेटिक्स ऑफिस (2011), मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिसटिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्पलीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया : सिचुएशन एनालिसिस ऑफ एल्डर्ली इन इंडिया जून 2011।
2. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (2011), सेन्सेक्स ऑफ इंडिया, 2011
3. केयरिंग फॉर ऑवर एल्डरस (2017), : श्यरली रेसपोंस इंडिया एजिंग रिपोर्ट।
4. गुप्ता चंन्द्र सुभाष वृद्ध महिलाओं की उपेक्षा, शोषण एवं समस्या अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली (2009), ।
5. यादव एस.आर (2009),जनसंख्या एवं नगरीकरण : इलाहबाद पब्लिशर्स, इलाहबाद 2009।
6. भारत में वृद्ध(2016), सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली (2004), ।
7. आहूजा आर (1995) क्राईम अगेन्सट वूमेन रावत पब्लिषर , जबलपुर।
8. देसाई नीता (2003) आधुनिक भारत मे नारी बोरा पब्लिशर्स प्रा.लि.मुम्बई।
9. अग्रवाल सी.एम.(2003) नारी अंतरदर्शन व समाज इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटरर्स दिल्ली।
10. कुमार आनंद (2004), इंडियन सोषल प्राब्लमस साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2004 ।
11. वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाईजेशन (2004) थिम ऑफ ओल्डर चेयरसन ऑल ओल्डर ऐजस
12. गुप्ता, कमलेश कुमार(2015), महिलाऐं : शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर ,2015 ।

स्त्रोत	कुल			ग्रामीण	शहरी
	व्यक्ति	महिला	पुरूष		
जनगणना 1961	24.7	12.4	12.4	21.0	3.7
जनगणना 1971	32.7	15.8	16.9	27.3	5.4
जनगणना 1981	43.2	21.1	22.0	34.7	8.5
जनगणना 1991	56.7	27.3	29.4	44.3	12.4
जनगणना 2001	76.6	38.9	37.8	57.4	19.4
जनगणना 2011	103.8	52.8	51.1	73.3	30.6

वृद्धजनों की आबादी (60 वर्ष एवं उस से ऊपर की आयु) के ऑकड़े मिलियन में

भारत में विभिन्न आयु समूह के आधार पर आबादी का प्रतिशत बंटवारा

वर्ष	आयु समूह			
	0–14	15–59	60 अधिक	कुल
जनगणना 1951	38.4	56.1	5.5	100
जनगणना 1961	412.1	53.3	5.6	100
जनगणना 1971	42.0	52.0	6.0	100
जनगणना 1981	39.7	53.9	6.4	100
जनगणना 1991	37.6	55.7	6.7	100
जनगणना 2001	35.3	56.9	7.4	100
जनगणना 2011	30.8	60.3	8.6	100

स्त्रोत जनगणना आंकड़ा

आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत विभाजन

आबादी उप समूह	सर्वेक्षण (वर्ष)	बुजुर्गों का प्रतिशत किसी पर आश्रित नही	दूसरों पर आंशिक रूप से आश्रित	दूसरों पर पूर्णरूपेण आश्रित	कुल
ग्रामीण पुरूष	2004	51	15	31	100
	1995-96	49	18	31	100
ग्रामीण महिला	2004	14	12	72	100
	1995-96	12	15	71	100
ग्रामीण व्यक्ति	2005	33	14	52	100
	1995-96	30	16	51	100
शहरी पुरूष	2004	56	13	30	100
	1995-96	52	17	30	100
शहरी महिला	2004	17	10	72	100
	1995-96	12	11	76	100
शहरी व्यक्ति	2004	36	11	52	100
	1995-96	31	14	53	100

स्त्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ,60वां दौर (जनवरी-जून 2004)

पिछले वर्षों के दौरान वृद्ध जनों के बीच साक्षरता का प्रतिशत

निवास स्थान	लिंग	जनगणना 1991	जनगणना 2001	जनगणना 2011
ग्रामीण	पुरूष	34	45	51
	महिला	8	13	18
	व्यक्ति	21	29	34
शहरी	पुरूष	66	75	80
	महिला	31	42	53
	व्यक्ति	49	58	66
शहरी तथा ग्रामीण	पुरूष	41	53	59
	महिला	13	20	28
	व्यक्ति	27	36	44

स्त्रोत - महापंजीयक कार्यालय, भारत।

आम आबादी और वृद्ध आबादी में स्त्री-पुरूष (प्रति 1000 पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या) अनुपात का रूझान

जनगणना	आम आबादी	वृद्धजन आबादी
1951	946	1028
1961	941	1000
1971	930	938
1981	934	960
1991	927	930
2001	933	972
2011	943	1033

विभिन्न प्रकार की विकलांगता के आधार पर प्रति 100,000 बुजुर्गों में शारिरीक रूप से अक्षम बुजुर्गों की संख्या

निवास स्थान	शारीरिक अक्षमता							
	दृष्टि	बोलना	सुनना	चलना-फिरना	मंद बुद्धि	मानसिक रोग	अन्य	विभिन्न प्रकार की विकलांगता
ग्रामीण	1467	182	1043	1425	86	86	595	708
शहरी	931	230	844	1029	89	93	580	386

भारत में लिंग और निवास स्थान के अनुसार वृद्धावस्था आश्रितता अनुपात, 1961-2011

वर्ष	समय	पुरूष	महिला	ग्रामीण	शहरी
1961	10.9	10.9	10.9	11.4	8.7
1971	11.5	11.4	11.6	12.2	8.9
1981	12	11.8	12.2	13	9.2
1991	12.2	12.2	12.2	13.2	9.7
2001	13.1	12.5	13.8	14.1	10.8
2011	14.2	13.6	14.9	15.1	12.4

स्त्रोत: महापंजीयक कार्यालय, भारत।

जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार कार्यरत वृद्धजनों की आबादी का प्रतिशत

निवास स्थान	लिंग	मुख्य रूप से कार्यरत		आंशिक रूप से कार्यरत		मुख्य रूप से कार्यरत तथा आंशिक रूप से कार्यरत		कार्यरत नही	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
ग्रामीण	पुरूष	56.8	53.0	8.8	13.5	65.6	66.4	34.4	33.6
	महिला	13.7	16.3	11.2	12.1	24.9	28.4	75.1	71.6
शहरी	पुरूष	40.7	41.0	3.4	5.1	44.1	46.1	55.9	53.9
	महिला	6.8	8.3	2.1	3.0	9.0	11.3	91.0	88.7

स्त्रोत: महापंजीयक कार्यालय ,भारत

****

कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

संपत राठौड़ *

प्रस्तावना – महिलाओं के पास सीखने के लिए कम समय होता है क्योंकि उन्हें घर का काफी काम करना होता है तथा इसके अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी। वैसे तो संचार माध्यम समाज के विकास में बहुत सहायक हैं। परंतु महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात करते समय सूचना प्रौद्योगिकी की सशक्त भूमिका को सर्वोपरि मानना होगा। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला, मनोरंजन–हर क्षेत्र में स्त्रियां अपनी प्रतिभा उजागर कर रही हैं। उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नि:संदेह हाल के दो दशकों में महिला हिंसा की घटनाओं में अभूतपूर्व वृध्दि दर्ज की गई है। परंतु इसी अवधि में महिलाओं ने विश्व में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। महिला के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी घटनाएं पहले से घटती आ रही हैं। परंतु मीडिया ने उनमें वह चेतना जगाई है, जिसके कारण अब वे अत्याचार के विरुध्द मुखर हो रही हैं और सरकार को भी उनके हित में कानून बनाने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है। बहरहाल जिस तेजी से भौतिकता एवं प्रौद्योगिकी के पक्ष में स्त्री चेतना का विस्तार दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि उसी गति से स्त्री अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत हो सके तो समाज के अनेक ऐसे वलंत प्रश्नों का हल आसानी से मिल सकता है जिनका समाधान कानून द्वारा अद्यपर्यंत संभव नहीं हो पाया है। सूचना प्रौद्योगिकी की ईमानदार प्रतिबध्दता निश्चय ही महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ सकती है। सरकार को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका को जानना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं के समाजीकरण की प्रक्रिया को देखना।

प्राक्कल्पनाएँ –

1. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में प्रभावी संप्रेषण का स्तर बढ़ा है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाएँ अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर रहीं है।

अध्ययन प्रकृति – प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति अन्वेन्षणात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक एवं अनुभाविक है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण को ज्ञात करने हेतु शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग,पुलिस विभाग एवं निजी व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाओं के मत को एक साथ देखने का प्रयास सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से पूर्व में नहीं हुआ है, इस कारण यह अध्ययन अन्वेन्षणात्मक है। इन सभी पहलुओं पर वैधानिक एवं सामाजिक रूप से विविध पहलुओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन इसकी मूल्यांकनात्मक प्रकृति को बताता है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु प्रत्यक्ष सम्पर्क इस अध्ययन की आनुभाविक प्रकृति को तथा प्राथमिक एवं द्वैतियक तथ्य आधारित तथ्यात्मक विवेचना इसकी वर्णनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है।

तथ्य संकलन तकनीक एवं स्त्रोत – प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्त्रोतों को काम में लिया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन पद्धति के साथ साक्षात्कार–अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व में किए गए अध्ययन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी तथ्यों को आधार बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग,पुलिस विभाग एवं निजी व्यवसाय करने वाली महिलाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए सुविधानुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य संकलन का कार्य सम्पन्न किया गया है।

न्यादर्श चयन – प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। उदयपुर शहर में सम्पन्न इस अध्ययन का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण हेतु शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग,पुलिस विभाग एवं निजी व्यवसाय करने वाली महिलाओं से सम्पर्क कर तथ्य जुटाना रहा है। इस दृष्टि से उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निदर्शन का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहा। वैधानिक प्रक्रिया एवं समय सीमा की बाध्यता के कारण यह निदर्शन विधि कारगर रही। इस प्रकार उदयपुर शहर से उपर्युक्त विवरणानुसार 200 महिलाओं को निदर्शन में सम्मिलित किया गया है।

एक नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई महिलाओं जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं निजी व्यवसाय करने वाली इन महिलाओं हेतु अलग– अलग साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। प्रशासनिक विधि से शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पुलिस विभाग से पत्राचार द्वारा साक्षात्कार लेने की अनुमति प्राप्त की गई।

आयु के अनुसार उत्तरदाता

दण्ड आरेख 01(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

दण्ड आरेख 01 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण दिया गया हैं, जिसमें 19 प्रतिशत महिलाएँ 18 से 25 वर्ष की आयु की है और 25.5 प्रतिशत महिलाएँ 26 से 31 वर्ष की आयु की है एवं 19 प्रतिशत महिलाएँ 33 से 38 वर्ष की आयु की है तथा 22.5 प्रतिशत महिलाएँ 39 से 45 वर्ष की आयु की है, जबकि 14 प्रतिशत महिलाएँ 46 से 55 वर्ष की आयु की है।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शिक्षा का स्तर – आरेख 02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

दण्ड आरेख 02 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं का शिक्षा के अनुसार विवरण दिया गया हैं जिसमें 7 प्रतिशत महिलाओं ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर रखी है और 5.5 प्रतिशत महिलाओं ने उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर रखी है एवं स्नातक स्तर तक 31 प्रतिशत महिलाओं ने अध्ययन किया है तथा स्नात्कोत्तर तक 26 प्रतिशत महिलाओं ने अध्ययन किया है जबकि 30.5 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य प्रकार की उपाधियाँ भी प्राप्त कर रखी है।

कार्मिक की भूमिका – आरेख 03 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख 03 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं की सूचना प्रौद्योगिकी में कार्मिक की भूमिका के अनुसार विवरण दिया गया हैं जिसमें 25 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है और 28.5 प्रतिशत महिलाएँ मानती है कि उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी है एवं 15 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी ठीक–ठाक है तथा 12 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी कम उपयोगी है जबकि 19.5 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी अनुपयोगी है।

विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका – आरेख 04 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख 04 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं के विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के अनुसार विवरण दिया गया हैं, जिसमें विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में 35.5 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है और 22 प्रतिशत महिलाएँ मानती है कि विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी है एवं 19 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनकी विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी ठीक–ठाक है तथा 12 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी कम उपयोगी है जबकि 11.5 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी अनुपयोगी है।

प्रभावी संप्रेषण – आरेख 05 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख 05 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं के सूचना प्रौद्योगिकी के कारण प्रभावी संप्रेषण के विकास के अनुसार विवरण दिया गया हैं जिसमें 50.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें प्रभावी संप्रेषण के विकास से पूर्ण सहमत है एवं 28 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें प्रभावी संप्रेषण के विकास से सहमत है और 7.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें प्रभावी संप्रेषण के विकास के विषय पर तठस्थ है तथा 6.5 प्रतिशत महिलाओं ने उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से प्रभावी संप्रेषण के विकास पर असहमती दी है जबकि 7.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी से प्रभावी संप्रेषण के विकास पर पूर्ण असहमत है।

समस्या समाधान – आरेख 06 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख 06 में 200 कामकाजी महिला उत्तरदाताओं के सूचना प्रौद्योगिकी के कारण समस्या समाधान के विकास के अनुसार विवरण दिया गया हैं, जिसमें 52.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें समस्या समाधान के विकास से पूर्ण सहमत है और 27 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें समस्या समाधान के विकास से सहमत है एवं 8 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें समस्या समाधान के विकास के विषय पर तठस्थ है तथा 6 प्रतिशत महिलाओं ने उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से समस्या समाधान के विकास पर असहमती दी है जबकि 6.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी से समस्या समाधान के विकास पर पूर्ण असहमत है।

निष्कर्ष :

- 25 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनकी कार्मिक की भूमिका में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है।
- विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका के निर्वहन में 35.5 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी महत्व है।
- 50.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें प्रभावी संप्रेषण के विकास से पूर्ण सहमत है।
- 52.5 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें समस्या समाधान के के कौशल का विकास हुआ है।

सुझाव :

- सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक उन्हें अधिक शिक्षा उपलब्ध कराना है और यह साक्षरता से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय षिक्षा तक सभी स्तरों पर करना होगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों को अनेक भूमिकाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता है जो कि सूचना प्रौद्योगिकीका प्रयोक्ता, निर्माता, डिजाइनर और प्रबंधक तक कुछ भी हो सकता है।
- औपचारिक स्कूल की पढ़ाई में और स्कूल से बाहर भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों के अध्ययन में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना होगा। इसमें प्रशिक्षण की पद्धति तथा विषय वस्तु की समीक्षा करना भी शामिल है।
- छात्रवृत्ति की संभावना भी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित विषयों में प्रवेश करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।
- औपचारिक स्कूली पढ़ाई से बाहर और काम कर रही महिलाओं की उन्नयन और पुन: प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक पहुंच होना चाहिए अथवा नया कौशल हासिल करने की संभावना होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण देने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे महिला पर विशेष ध्यान दें तथा समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गुप्ता वी. एस. (2001), 'नेशनल बिल्डिंग एण्ड एम्पवारमेण्ट आ्फ वूमेन', न्यू दिल्ली पब्लिकेशन, पृष्ठ–3
2. श्रीवास्तव टी.एन. (1976), 'वूमेन एण्ड द ला', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, मरडाक (1949) 'जेण्डर एण्ड पावर', सोशल स्ट्रक्चर, न्यूयार्क मेकमिलन, पृष्ठ–39
3. आहुजा, कृष्णा. (1995), 'वूमेन एण्ड सस्टेनेबल डवलपमेण्ट, इन इंटरनेशनल डायमेंशन', आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, पृष्ठ 108–111

दण्ड आरेख 01 – आयु के अनुसार उत्तरदाता

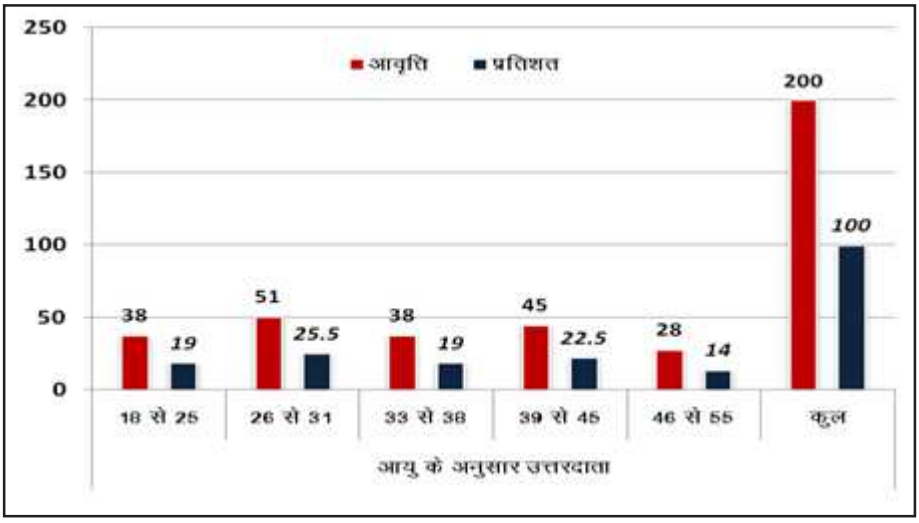

आरेख 02 – उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर

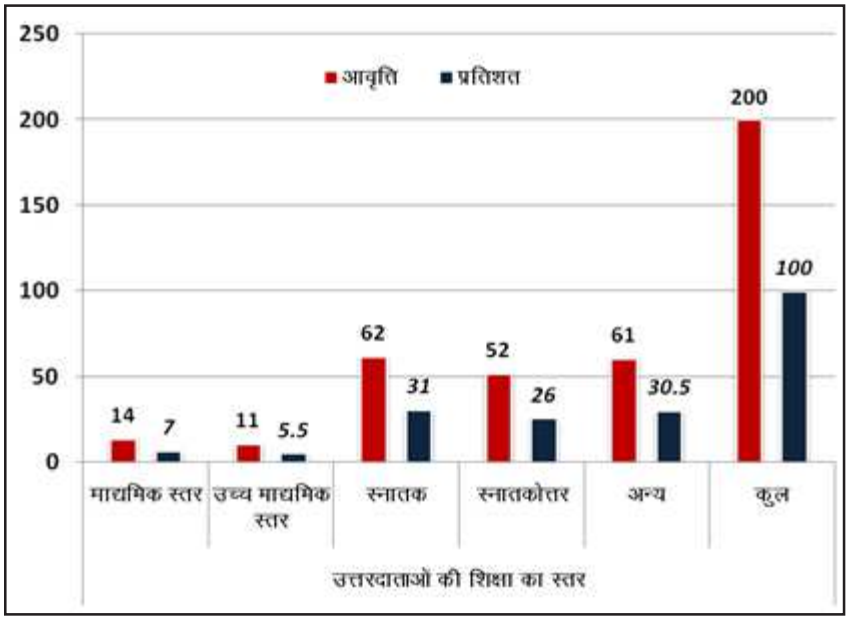

आरेख 03 – सूचना प्रौद्योगिकी में कार्मिक की भूमिका

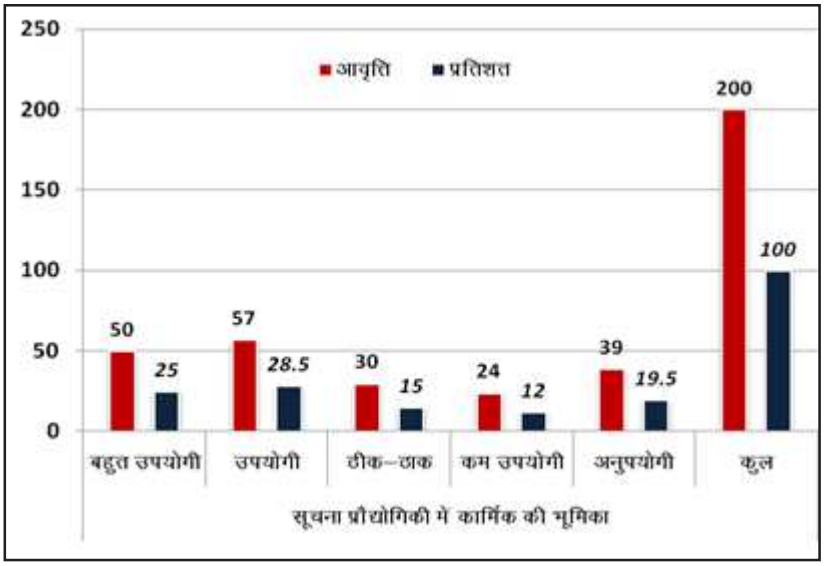

आरेख 04 – महिलाओं का विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु की भूमिका निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

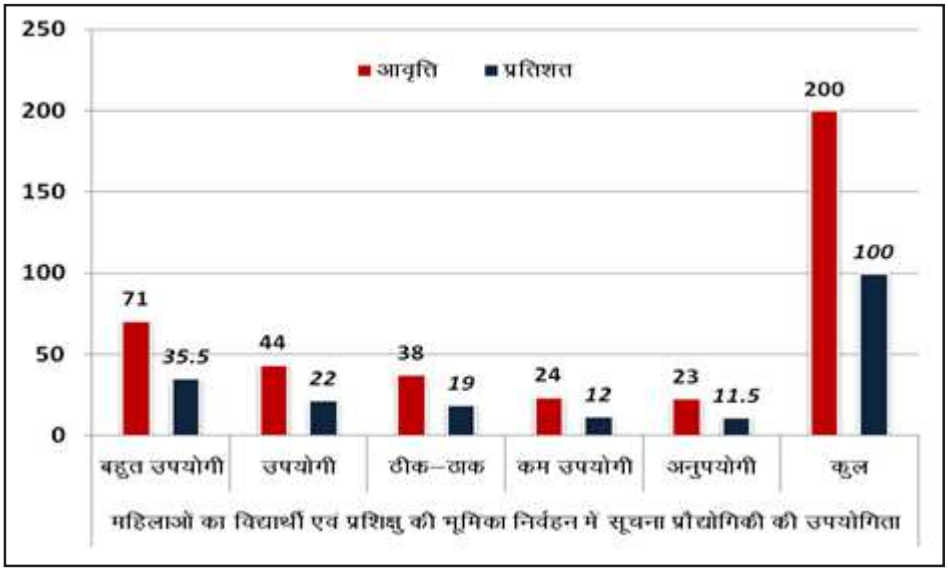

आरेख 05– सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में प्रभावी संप्रेषण का विकास

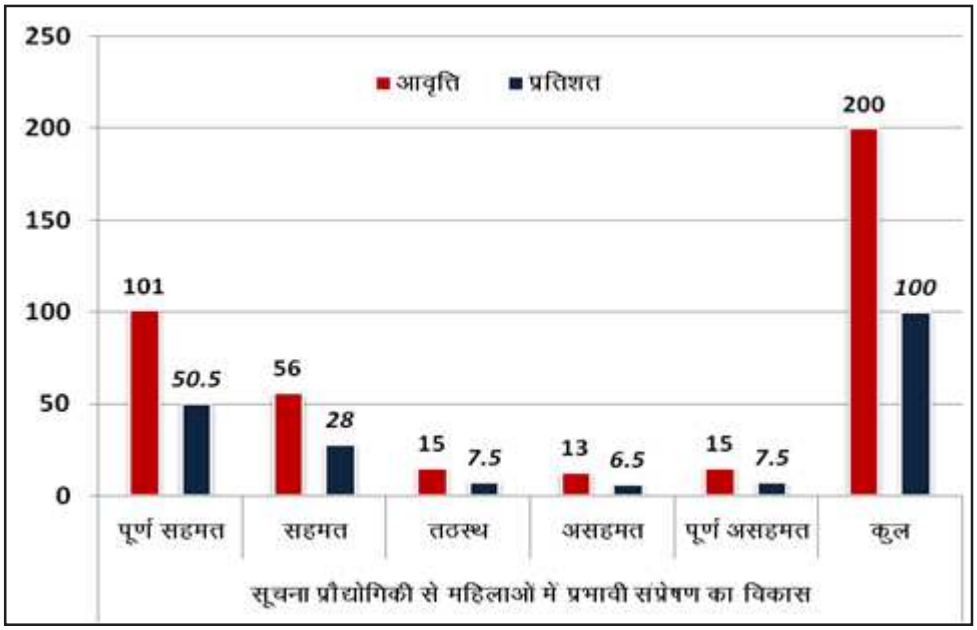

आरेख 06 – सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में समस्या समाधान करने का विकास

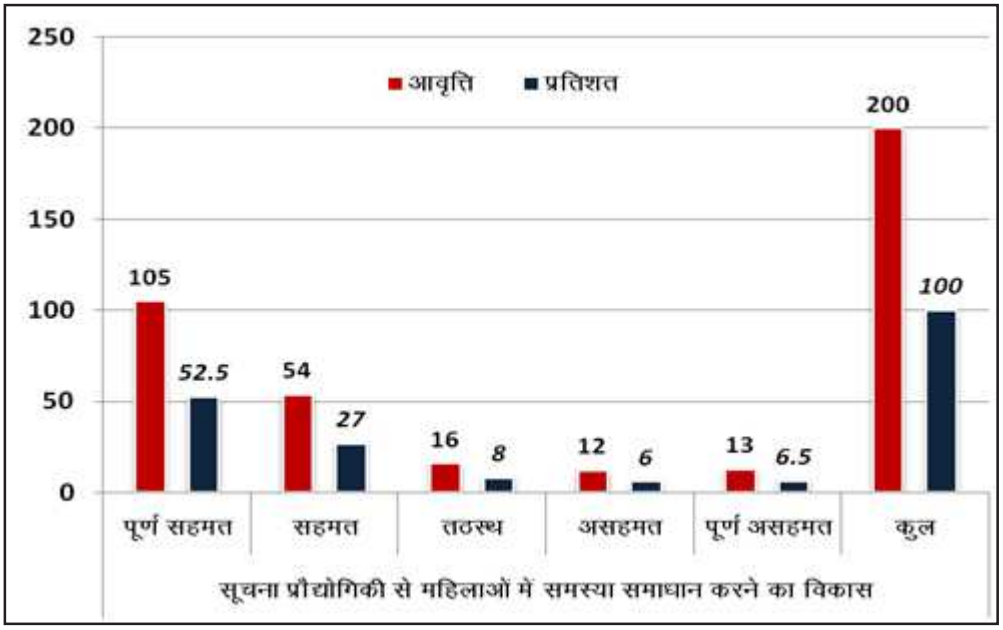

****

दलितों के जीवन में अम्बेडकर जी की भूमिका

डॉ. एस.एस. मौर्य * प्रिया मिश्रा**

प्रस्तावना – डॉ भीमरॉव अम्बेडकर का जीवन परिचय – डॉ भीमरॉव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू (इन्दौर) मध्यप्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमा बाई व पिता का नाम रामजी सतपाल था। उनका परिवार मराठी था और यह आंबडवे गांव के थे जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है से सम्बंधित थे वे हिन्दु महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ आर्थिक व सामाजिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव जी को गौतम बुध्द की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। स्कूली शिक्षा के दौरान भी भीमराव को अपनी जाति के कारण सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बाबजूद डॉ अम्बेडकर को और अन्य अस्पृश्र्य बच्चो को विद्यालय में अलग या बाहर बैठाया जाता था और अध्यपकों द्वारा न ध्यान दिया जाता था और न ही कोई सहायता दी जाती थी यहा तक की प्यास लगने पर पानी के पात्र तक को छूने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी।

रामजी सतपाल ने स्कूल में अपने बेटे भीमराव का उपनाम सतपाल की जगह अम्बडवेकर लिखवाया बाद में एक देशस्त ब्रद्याण शिक्षक ने 'आम्बडवेकर' हटाकर अम्बेडकर उपनाम जोड दिया। आज अम्बेडकर नाम सम्पूर्ण विश्व में अमर हो गया है।

अम्बेडकर जी ने सन् 1907 में मैट्रिक पास की उसके पश्चात् एलिफिन्सटन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। उन्होने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सन 1915 में अर्थशास्त्र से एम.ए. किया। इसके बाद अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अम्बेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सन् 1917 में पीएच.डी की उपाधी प्राप्त कर ली।

भारतरत्न बाबा साहेब डॉ भीमरॉव अम्बेडकर 20 वी शताब्दी के एक श्रेष्ठ चिंतक, यशस्वी वक्ता, दूरदर्शी, भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित आन्दोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरूध्द अभियान चलाया और श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरूद्ध एक पराक्रमी योध्दा की भॉति संग्राम कर दीन – हीन तथा दलितों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही डॉ अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित चेतना का अभ्युदय हुआ।

अम्बेडकर जी ने कहा कि 'यदि लोकमान्य तिलक मेरी जगह होते तो वी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है के स्थान पर 'अस्पृश्यता' से मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहते। डॉ अम्बेडकर दलितों को भारत की स्वतंत्रता के साथ हिन्दू धर्म की दासता से भी मुक्ति दिलाना चाहते है।

दलितों के सम्बन्ध में डॉ अम्बेडकर के विचार – डॉ अम्बेडकर ने अपने जीवन का काफी समय अछूतों व गरीबों की सेवा में लगाया। बाबा साहेब अपने समय की इस सामाजिक व्यवस्था से अत्यन्त क्षुब्ध थे। क्योंकि वे स्वंय दलित थे और पग – पग पर होने वाले अपमान और तिरस्कार उन्हे झेलना पडा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि– मनुस्मृति वास्तव में स्वर्ण हिन्दुओं के लिए अधिकारों का चार्टर है। जबकि अछूतों के लिए वह दासता की एक बाइबिल है।

डॉ अम्बेडकर का कहना थ कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति चतुवर्ण से हुई है। अतएव उन्होंने चतुवर्ण को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अधिकांशत: इतिहासकार यह मानते थे कि चतुवर्ण की स्थापना श्रम विभाजन के आधार पर हुयी थी पर डॉ अम्बेडकर इससे सहमत नहीं थे।

डॉ अम्बेडकर ने दलित वर्गो को संगठित करने की आवश्यकता महसूस की ताकि वे सवर्णे द्वारा किये जा रहे सामाजिक अन्याय का विरोध कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने 20 जुलाई 1924 को 'बहिष्कार हितकारिणी सभा' की स्थापना की डॉ अम्बेडकर ने दलित वर्गो को संगठित करने की प्रेरणा भी दी। संगठित संग्रह प्रारंभ 'मेहद सत्याग्रह' से हुआ। इसके बाद डॉ अम्बेडकर ने दलित चेतना जागृत करने और उनके अधिकार दिलाने के लिए पूना पार्वती सत्याग्रह कल्याण मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह आदि आन्दोलनों को प्रभावशाली नेतृत्व किया। सन् 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। उन्होंने प्रथम व द्वितीय गोलमेज सममेलन में दलितों को विधान परिषदों में हिन्दू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की मांग भी उठाई। डॉ अम्बेडकर का दृष्टिगत यह था कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो स्वंय अछूत नहीं है।

डॉ अम्बेडकर यह अनुभव कर रहे थे कि हिन्दू धर्म में दलितों को सम्मानजनक स्थिति नहीं है अपने अछूतों को शिक्षित होने तथा अत्याचारो के विरूद्ध संगठित होने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने अपने आध्यत्मिक तथा छुआछूत के विरोध की शिक्षा ग्रहण की। डॉ अम्बेडकर ने यह समझ लिया था कि अछुत सभी प्रकार से कमजोर है और वे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलू पर सवर्णो का मुकाबला नही कर सकते।

दलितो को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त हो इस बात के लिए संवैधानिक व्यवस्था डॉ अम्बेडकर के प्रयत्नो का ही परिणाम है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

* सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कला एंव विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (समाज शास्त्र)विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था करी गई की राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म मूल, वंश जाति लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित विषयों मे सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करना और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है और संविधान में ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है। उसमें डॉ अम्बेडकर का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। डॉ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में समानता का संदेश पाया। अत: सन् 1965 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होनें बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन का उददेश्य दलित वर्ग को अलग पहचान बनाना और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना था।

डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था पूर्णत: अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में इसने कार्य कुशलता को आघात पहुँचाया है तथा सामाजिक जीवन में जड़ता रूढ़िवादिता एवं विद्वेष को जन्म दिया है। डॉ अम्बेडकर ने अपने पत्रो और भाषणो में इस बात पर जोर दिया कि अछूतों को भीख मांगना, झूठ बोलना छोड देना चाहिए। इन सबके अतिरिक्त उन्हें हीनता की भावना त्यागकर स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान के साथ जीवन बिताने का संकल्प लेना चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते है कि डॉ अम्बेडकर का मानना था कि मानव मानव में असमानता और सामाजिक एंव आर्थिक विषमताओं ने उनें मन में कडवाहट भर दी थी वे चाहते थे की दलित वर्ग उपर उठे और इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मिले जो वर्ग सदियों से पीसता चला आया है। वे उनको देश के दूसरे नागरिकों के समक्ष लाना चाहते थे और वे यह भी चाहते थे कि जो लोग इस वर्ग के पिछडेपन के लिए जिम्मेदार है उनमें सद्बुद्धि आए।

डॉ भीमराव अम्बेडकर केवल अनुसूचित जाति जनजाति और पिछडा वर्ग के लिए ही संघर्षरत नहीं रहे अपितु सम्पूर्ण दलित समाज की जातियों को 'मनुष्य के द्वारा मनुष्य की दासता से मुक्ति' के लिए संघर्षरत रहे। इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है इसी के फलस्वरूप दलित समाज में सृजनात्मक क्रान्ति चेतना का उदय हुआ जिसके कारण विद्रोह, आक्रोश निषेध एंव संघर्ष का आत्मबल प्राप्त हुआ। इस चेतना के पीछे डॉ भीमराव अम्बेडकर का 'अपना दीपक आप बनो' का संदेश एंव 'शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो' का मूल मंत्र ही है। जिसका प्रभाव स्वतंत्रयोत्तर भारत के दलित समाज पर पड़ा है। और अनुसूचित जनजाति आया।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. प्रो. गुप्ता एम.एल. एंव डॉ शर्मा डी. डी, 2010 'समाजशास्त्र' आगरा पब्लिकेशन पृष्ठ क्रमांक 366 – 367।
2. डॉ परमार तारा, 1999 'अनुसूचित जातियों के हितों के लिए डॉ अम्बेडकर की भूमिका'पब्लिकेशन स्कीम जबलपुर।
3. गॉधी एम.के. 1982 'दी क्लेक्टिड वार्क्स ऑफ महात्मा गाँधी' खण्ड 85, नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक 222।
4. लक्ष्मीकान्त एम, 'भारत की राजव्यवस्था' चतुर्थ संस्करण MC GRAW HILL EDUCATIOn पृष्ठ क्रमांक 3.10

****

ग्वालियर संभाग के जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति वर्ष 2017

महिमा राठौड*

शोध सारांश – मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है। इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। जल का प्रतिस्थापन मुश्किल है, जल की अपर्याप्तता और अशुद्धता से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जल के इसी महत्व के कारण प्राचीनकाल से ही नगरो की स्थापना जल स्त्रोतों के किनारे होती रही है। वही शुष्क मरूस्थलीय भागों में जलापूर्ति की कमी के कारण जनसंख्या को वितरण एवं घनत्व निम्न देखा जाता है।[1] प्रस्तुत शोध में ग्वालियर संभाग के जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति की मानक मात्रा एवं उपलब्धता का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – मानव की दैनिक जल आवश्यकताओं में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो पाना ही सर्वोपरि है। परंतु आधुनिक नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और जल के प्रति व्यक्ति अधिक खपत के कारण उपलब्ध जल संसाधन समाप्त होने जा रहा है। सामान्यत: एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 100 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, यह उसे मुख्यत: पेयजल, खाना बनाने, विभिन्न सफाई आदि कार्यो के लिए आवश्यक होता है, भारतीय मानक सूचना संस्थान के अनुसार तालिका क्रमांक 1 में निम्न प्रमुख घरेलू उद्देश्यों के लिए जल का उपयोग किया जाता है।

तालिका क्रमांक 1 (देखें अंतिम पृष्ठ पर)

अध्ययन क्षेत्र में भी जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व मृदा के साथ साथ जलापूर्ति व्यवस्था से प्रत्यक्षत: प्रभावित है। यहां जनसंख्या भूमिगत जल सम्पन्न क्षेत्रों में ज्यादा सघन देखी जाती है। इस दृष्टि से शिवपुरी, गुना व दतिया के पठारी व पहाडी भू-भागों में जल उपलब्धता कम होने के कारण जनसंख्या वितरण व घनत्व विरल है।

अध्ययन क्षेत्र–

तालिका क्रमांक 2 (देखें अंतिम पृष्ठ पर)

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय – प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में ग्वालियर संभाग के 5 जिला मुख्यालय नगरों को लिया गया है, जो क्रमश: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर है, इन नगरों की भौगोलिक स्थिति– ग्वालियर नगर 26°12' उत्तरी अक्षांश 76°18' से पूर्वी देशान्तर पर स्थित है, तथा इस नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 173.68 वर्ग कि.मी. है। दतिया नगर राज्य के उत्तरी भाग में 25°28' उत्तरी अक्षांश तथा 26°20' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है, इस नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 6.64 वर्ग कि.मी. है, शिवपुरी नगर 26°25' उत्तरी अक्षांश व 77°49' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 81.11 वर्ग कि.मी. है। गुना नगर 24°39' उत्तरी अक्षांश तथा 77°21' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 45.75 वर्ग कि.मी. है। तथा अशोकनगर 24°0' उत्तरी अक्षांश तथा 74°21' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4.43 वर्ग कि.मी. है।

उद्देश्य – ग्वालियर संभाग जिला मुख्यालयों नगरों में मानक स्तर की पेयजल आपूर्ति केवल ग्वालियर एवं दतिया में है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु में यह आपूर्ति मानक स्तर से कम हो जाती है। पेयजल आपूर्ति कि कमी के कारण ज्ञात करना एवं सुझाव देना अध्ययन का उद्देश्य है।

विधि तंत्र – अध्ययन क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति संबंधित द्वितीयक आँकडे नगरीय निकायों से प्राप्त किए गए हैं तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप सभी जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति का विश्लेषण कर आवश्यकता अनुसार रेखाचित्र बनाए गए है।

ग्वालियर संभाग के जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति – नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना नगरीय निकाय का महत्वपूर्ण दायित्व है। ग्वालियर संभाग के जिला मुख्यालय नगरों में जल आपूर्ति का अध्ययन करने हेतु जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता का विश्लेषण तालिका क्र. 3 में किया गया है।

तालिका क्रमांक 3 (देखें अंतिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नई दिल्ली में मानकों के अनुरूप केवल ग्वालियर एवं दतिया नगर में जल आपूर्ति की जा रही है किन्तु ग्रीष्म ऋतु में जल की आवश्यकता और अधिक होती है। जल की कमी के कारण यह आपूर्ति कम हो जाती है।

1. **ग्वालियर –** ग्वालियर नगर में ग्रीष्म काल में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता के विरूद्ध 104 लीटर जल प्रदाय किया जाता है , जबकि शेष अन्य माहों में 100 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से अधिक 135 लीटर जल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति करने में सक्षम है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी का सामना इस संभाग मुख्यालय नगर को भी करना पड रहा है।
2. **दतिया –** दतिया नगर में ग्रीष्म काल में प्रतिदिन 150 प्रतिव्यक्ति के स्था पर 10ली तथा अन्य शेष माह में भी 100 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार यह नगर ग्रीष्म काल को छोडकर शेष माह में आवश्यकता मान के अनुरूप ही है।
3. **शिवपुरी –** शिवपुरी नगर आवश्यकता के मान से ग्रीष्म ऋतु में 150 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के स्थान पर मात्र 47 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की जा रही है जबकि शेष अन्य माहों में यह आपूर्ति 100 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 60 लीटर

*शोधार्थी (भूगोल) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध कराने में सक्षम है।

4. **अशोक नगर –** अशोक नगर की आवश्यकता के मान से ग्रीष्म ऋतु में 150 लीटर के विरूद्ध 41 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति तथा शेष माहों में 100 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 60 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है।
5. **गुना –** गुना नगर आवश्यकता के मान से ग्रीष्म ऋतु में 150 लीटर प्रतिव्यक्ति के स्थान पर 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की जा रही है तथा अन्य शेष माह में भी 100 लीटर प्रतिव्यक्ति के स्थान पर 70 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति कराने में सक्षम है। ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी होने पर यह आपूर्ति अन्य स्त्रोंतो से 18 टैंकरो व 2 ट्रेक्टरों से जल प्रदाय किया जाता है। गुना में 435 नलकूपों में से 413 चालू है।

सुझाव – ग्वालियर संभाग जिला मुख्यालय नगरों में ग्रीष्म ऋतु में मानक स्तर से कम पाई जाती है तथा अन्य माहो में भी शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर में पेयजल आपूर्ति मानक स्तर से कम हैं तथा मानविय स्वभाव जल के प्रति लापावाही भरा रूख रहता है। अत: निम्नवत सुझावों को अपनाकर जल की आपूर्ति को बढाया जा सकता है।

1. घरेलू नल को उपयोग के तुरन्त बाद उसे बन्द कर दें।
2. धुलाई कार्यों में पेयजल का उपयोग न करें, साथ ही पाइप की अपेक्षा बाल्टी भर कर धुलाई कार्य करें।
3. **भूमिगत जल पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन–** भूमिगत जल का अविवेकी ढंग से किए संदोहन के फलस्वरूप जलस्तर में कमी, क्षरण, उच्च खनिज जल स्तर में भारी कमी का सामना करना पड़ता है, इस समस्या से निजात पाने के लिए भूमिगत जल के पुनर्भरण को अधिकतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में पिछले दशकों से तेजी से कमी आई है, तथा सरकार के द्वारा शहरी पर्यावरण के उन्नयन के लिए उपयुक्त स्थानों पर पुनर्भरण कुएं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. स्वच्छ जल एवं बहिस्त्राव का बहाव अलग–अलग तथा परस्पर दूरी बनाए रखते हुए पाईप लाइनों के माध्यम से हो ताकि इनका जल मिश्रित ना हो पाए।
5. वर्षा जल संचयन करने के लिए छत संग्रह का निर्माण एवं तालाबों की व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए सूखे एवं पुराने जलाशयों का जिर्णोद्धार करके वर्षा जल संचयन किया जा सकता है।
6. झीलों, नदियों एवं नहरों को जोड़ कर जुड़ाव पद्धति परियोजना को अपनाना चाहिए।
7. रिचार्ज हेतु उपलब्ध जल में गाद की मात्रा हो वहां गड्डे में कंकड़, बजरी तथा रेत की परत के फिलटर द्वारा जल को छाना जाता है इस विधि में विशाल क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है तथा लघु रूप में इसे घरों में प्रयुक्त रसोई घर के अपशिष्ट जल के रिचार्ज हेतु स्थानीय तौर पर लाभ प्रदान कर सकते है।
8. उपभोग एवं उपयोग के प्रकार के अनुसार युक्तिपूर्ण तथा ठीक–ठाक जलदर के निर्धारण हेतु मीटर स्थापित करना चाहिए।
9. ब्लैक वाटर (काला पानी या अपशिष्ट जल) को शोधित कर पीने के अतिरिक्त अन्य कार्यो कपड़े धोने, वाहनो की सफाई, सिंचाई कार्य एवं हरित पटटी के विकास, जानवरों के पानी पिलाने हेतु किया जाना चाहिए। इस पानी की आपूर्ति शुद्ध पेयजल के अगले दिन की जाना चाहिए।
10. व्यक्तिगत स्तर पर छत द्वारा जल संग्रह हेतु जन जागरूकता एवं प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना प्रक्रिया में पर्याप्त शासकीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
11. घरेलू क्षेत्रों में जल का मितव्ययी प्रयोग हो जल की व्यर्थ बर्बादी पर स्थानीय रूप से नियंत्रण करने के लिये छोटी–छोटी समितियों का गठन हो साथ ही इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त विधियों द्वारा अध्ययन क्षेत्र के जल कमी वाले क्षेत्र में भूमिगत जल को रिचार्ज कर जल की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है जिससे ग्रीष्मकाल में अन्य स्त्रोतों के सूख जाने पर जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष – भारत में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नई दिल्ली द्वारा यह प्रावधान है कि 20 हजार से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में यह आवश्यकता 10 से 150 लीटर एवं 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने का प्रावधान है।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नई दिल्ली की जल मानव आवश्यकता के अनुरूप ये अध्ययन जिला मुख्यालय नगरों में केवल ग्वालियर व दतिया नगर में ही किया जा गया है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु काल में जल की कमी का सामना इन नगरों को भी करना पड रहा है। इसके बाद गुना जिला आता है , तत्पश्चात शेष जिले शिवपुरी एवं अशोकनगर आते है। इन दोनों नगरों में ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही दयनीय स्थिति है। ग्वालियर संभाग में पानी की समस्या में समाधान के लिये चंबल नदी से पानी लाना प्रस्तावित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. माथुर, रश्मि – नगर आकारिकी : दतिया नगर के सन्दर्भ में 2003 (अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध प्रबंध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर,) पृष्ठ क्रमांक 96
2. Gwalior municipla corporation Dec. 2017
3. Shivpuri municipality 2017
4. Guna municipality 2017
5. Datia Municipality 2017
6. Ashok nagar municipality 2017

तालिका क्रमांक– 1

घरेलू उद्देश्यों के लिए जल का उपयोग

क्र.सं.	उद्देश्य	दैनिक जल उपयोग (लीटर जल प्रति व्यक्ति)
1.	पानी पीने के लिए	2.3
2.	खाना बनाने के लिए	4.5
3.	धार्मिक कार्य के लिए	18.5
4.	रसोई में बर्तन सफाई के लिए	13.6
5.	कपड़ो की धुलाई के लिए	13.5
6.	शौचालय के लिए	20.3
7.	स्नान के लिए	27.3

स्त्रोत– मिश्रा एस.पी. (2007) – जलसंसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण, आविष्कार पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स–जयपुर (राजस्थान) पृष्ठ संख्या 109 तथा भारतीय मानक सूचना संस्थान।

तालिका क्रं. 2

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय 2011

क्र.	नगर	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	जनघनत्व
1.	ग्वालियर	173.68	1069,276	6,156
2.	दतिया	6.64	100,284	15,103
3.	शिवपुरी	81.11	1,79,977	2.218
4.	गुना	45.75	1,80,953	3,955
5.	अशोकनगर	4.43	81.828	18.471

स्त्रोत– जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011

तालिका क्रं. 3

जिला मुख्यालय नगरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दिसम्बर 2017

क्र.	नगर	प्रतिदिन जल आपूर्ति (लाख लीटर में)		जल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल की मात्रा (लीटर में)		नगर के आधार पर प्रतिव्यक्ति मानक मात्रा एवं उपलब्धता (लीटर में)		मानक मात्रा तथा उपलब्धता में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन अंतर (लीटर में)	
		ग्रीष्म	अन्य माह	ग्रीष्म	अन्य माह	ग्रीष्म	अन्य माह	ग्रीष्म	अन्य माह
1	ग्वालियर	125	180	104	135	150	100	–46	+35
2	दतिया	14	14	100	100	150	100	–50	+0
3	शिवपुरी	90	12	47	60	150	100	–103	–40
4	अशोक नगर	3.00	4.00	41	60	150	100	–109	–40
5	गुना	11.75	11.75	70	70	150	100	–80	–30

स्त्रोत :– नगरीय प्रशासन संभागीय कार्यालय एवं जनसंख्या पुस्तिका के आधार

- केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार

****

Charles Lamb As The First Mile - Stone On The Road To Personal Essay

Dr. Jalaj Dixit*

Abstract - By a study of the writings of an author it may be possible for the reader to form some idea about the circumstances which have occasioned them : but this may be misleading or sometimes altogether wrong. Therefore, it is far better to rely on the autobiography, or, in the absence of this, on a biography by close associates, or by impartial background biographers of the author. In order to discover the source of Lamb's essays, We have referred to the Charles Lamb by Alfred Ainger, which deals with most of the essays by Lamb, besides his other writings.

Introduction - The writings of an author are most often occasioned by the pressing circumstances of his life, provided he has the gift of expression. Or by an impulse to write about what he has suffered, or delighted in, during his life-time, in order to leave behind him the record of his times, his emotions and interests, his relations with the world and the morals he arrives at. The events, happenings, situations and circumstances materials for the writer to write about ; or they constitute a background for the utterances of the author.

Lamb was born on the 10th February, 1775, in Crown office Row in Temple; "The line of buildings facing the garden and the river he has so lovingly commemorated." 1 In such surroundings lived Lamb's father, John Lamb, who was clerk and servant to Mr. Samuel Salt, a Bencher of the Inner Temple. Born to Elizabeth Field, whom John Lamb married, were seven children whose baptisms are recorded in the registers of the Temple Church from the year 1762 to1775. Out of them only three survived their early childhood. They were Charles, the youngest of them, John his brother, and Marry Anne, (Marry, as mentioned at most placed by Lamb in his writings) his sister. John was twelve years of age and Mary ten years his senior. Though the youngest of them, Charles had to grapple with difficulties, thus proving his heroism in later life.

In the essay, "Old Benchers of the Inner Temple" Lamb depicts the beautiful surroundings of his house, and describes his father, John Lamb, under the name of Lovell, clerk to Mr. Samuel Salt, a Bencher of the Inner Temple.

And essays "On Gallantry", "A Complaint Of The Decay Of Beggars" and "Chimney Sweepers", are full of facts which reflect Lamb's inherited virtues of Chivalry and tenderness.

The circumstances of Lamb's being poor was a pressing one to turn him to contribute to magazines and journals, to add to his income. A variety of situations which he had to face and experience provided him with material for his essays.

Before Lamb was seven years of age, he acquired his earlier learning under one Mr. William Bird, whose school room looked "into a discoloured dingy garden in the passage leading from Fetter Lane into Bartlett's Buildings." In a latter written to Hone, the editor of the Every Day Book, in 1826, we find information about Mr. Bird's school, about one Captain Starkey, who was assistant of Mr. Bird. Both brother and sister, had the advantage of his teaching.

After the elementary education of Lamb at Mr. Bird's academy, it must have been perplexing for his father, Lovell, on account of his slender means, to provide his son on education, satisfying his natural ambition. Thanks to one Mr. Yeates, a governor of Chirst's Hospital, who offered him an admission to that admirable charity. And on the 9th October, 1782. Charles Lamb, then in his eighth year, entered the institution and remained there for the next seven years.

During his seven years at Hospital, Lamb had the occasion to make friends with those who were congenial to him. They were Charles valentine Le Grice, and Samuel Taylor Coleridge who was remarkable for being Logician, Metaphysician and Bard ! At this school he had the good fortune of being instructed by such learned masters as Matthew Field and James Boyer.

Lamb had such sweetness of manners though he suffered from mental excitability at times, which beset Mary, his sister, whom Charles had to look after in later days when she had the attack of this insanity.

During seven years, from 1782 to 1789, at Christ's Hospital, where Lamb was being educated under the Rev, Matthew field the under grammar master, and the Rev. James Boyer, the head-master, he felt the value of their effective teaching. Besides, "he had read", Talfourd goes on to tell us, "Virgil, Sallust, Terence, Lucian and Xenophon,

*Principal, Savita Devi Jaiswal Memorial College, Shamgarh, Distt. Mandsaur (M.P.) INDIA

and had evinced considerable skill in the fourteen at that time, a doubtless scholar. While he had the command of Latin, he enjoyed the poetic genius of Coleridge, feels grateful for waking in him love, sympathy and fancy. Charles Lamb also felt the charm of Bowle's poetry.

Lamb had to leave Christ's Hospital in 1789. This was mainly due to poverty in his home. Though he had the love of studies, to satisfy it was not possible. He suffered from an impediment in his speech, which came in the way of his eligibility for the exhibitions to the universities.

Sometime in this year Lamb obtained a post, within two years of his leaving Christ's Hospital, in the South Sea House, where his elder brother was holding an appointment.

The essay on the "South Sea House", has much on Lamb's association with its office, in which he made his entry in the April of 1792. He was awfully occupied in his official duties, having little time to indulge in his love of reading and writing. He had, in his first years of service, his annual holiday of a single week, which he so much wished for to spend in his favourite Hertfordshire.

The love for the theatre was immeasurable in Lamb and his sister. In the essay on "My First Play" he preserves the memory of the plays "The Lady Of the Manor" ,Artaxerses" and the "Way of the World: , that he saw when he was between six and seven years old. During his seven years at Christ's Hospital he was not permitted to see them. Thus, this break made his love for the theatre to waver. But when he saw Mrs. Siddons, his love for the acted drama returned. "The theatre became to him once again", he tells us, "the most delightful of recreations." 14 He cherishes the name of this great actress in one of his earlist sonnets. And, on perusing the correspondence between Coleridge and Lamb, the reader will find how important a part the drama and all its associations were playing in the direction of his genius.

In the year 1795-96, Lamb fell into temporary frenzy, and had to be in confinement for some weeks. In his lucid hours of his prison house, he writes, in his letter to Coleridge, these touching lines :

"IF from my lips some angry accents fell,
Peevish complaint, of harsh reproof unkind,
"Twas but the error of a sickly mind
And troubled thoughts, clouding the purer well
And waters clear of Reason, and for me,
Let this my verse the poor atonement be –" 18

During the period 1796-1800 Lamb was marked for the variety of literary interests, which he discovered to the world in spite of being young man of twenty-one. This came to light, when his published correspondence with Coleridge began in the year 1796, with a letter, and other letters of the same year disclosed the literary talents of Lamb. He sends his own sonnets to Coleridge, a poetic genius, and acknowledges his debt to the passages of giving his opinion of the poems of Coleridge, who send them to Lamb for his criticism sometime, in 1795, he was introduced to Southey by Coleridge.

In the essay on "Books and Reading" Lamb confides in us his bent to read anything which he called a book. He had thus a taste for various matter and manner of writing. This delayed Lamb's discovery of the fact as to where his strength as a writer lay. His first essays were imitative. Still they had their peculiar charm. They were attractive to the readers not only for their authorship but also for the light they throw on the growth of Lamb's mind.

The subject-matter of all the verses by Lamb concerned the past, the thought of his sister, his childhood his pious "Grandamee in Hertfordshire" and his disappointed love.

Coleridge was married, and living at Nether Stowey, near Bristol, where Lamb and Mary paid their first visit in the summer of 1797. On their visit, when he was left alone in his garden, coleridge composed some verse in which he apostrophizes Lamb as the "gentle-hearted Charies: who had -

"Hungered after nature, many a year
In the great city Pent, winning the way
With sad and patient zeal, through evil and pain
And strange calamity." 24

Charles felt that the epithet "gentle-hearted" implied pity and condescension. Moreover, the year 1797, was of the publication of the joint volume by Lamb and Lloyd and the question of precedence between the two was settled in favour of Loyd. Also, mature criticism was indulged in by both Coleridge and Lamb, on the writings of each other. These events had adverse effect on the relations of the two congenial friends, when Coleridge was leaving for Germany with the Wordsworths in 1798. Lamb, however, did not cease to feel for Coleridge, so dear to him. In the beginning of this year. Lamb, composed verses in which he made a confession about the "Old Familiar Faces".

Early in the year 1800 Lamb and Mary shifted from Queen Street to Chapel Street, Pentonvile. Charles' burden of constant anxiety not to relax in attention to his sister Mary.

During the period 1800-1809. Lamb tried his hand at being the author of dramas, and proved his capacity for dramatic criticism. He now came to live in his beloved Temple, in Mitre Court Buildings, Between 1800-1803 he was an occasional contributor to the newspapers of the day. The journal Albion having been prosecuted, Lamb suffered a fall in his income. However, through his friend George Dyer's influence, he was contributing to the Morning Chronicle under the editorship of Perry. In 1802 he was again working for the Post, doing a work of more dignified character than that of six jokes a day; this he obtained by the help of his friend Coleridge, who was contributing to this paper. It too, came to an end in 1803.

In the summer of 1802, brother and sister their holiday, three weeks, with Coleridge at Keswick. During this interval of bracing air at Keswick, the life in the Temple Lodging at this time was full of anxieties.

The truth is that my liquors a nest of friendly harpies about my house, who consume me, This is a pitiful tale to

read to St. Gothard, but it is just now nearest my heart." 26

These years of anxiety have a ray of love which makes its way through the lines on Hester Savary. During the few months of stay at Pentonville in 1800, Lamb had fallen in love with a young quakeress. But this beloved whom Charles must have seen on his walks to and from the office died one day and his true vein runs through the lines on Hester Savary, Sent to Manning (In Paris) in 1803.

Lamb bore his failure as he bore all his disappointments with a cheerful sweetness.

In 1805 he had made the acquaintance of William Hazlitt, who introduced him to William Godwin. Godwin had ventured on writing a series of books for children, in which task he himself contributed under the name of Edward Baldwin. As shown by the letter of Lamb to Manning in 1806, the brother and sister took the engagement to write for children under the scheme of Godwin. Mary was to do for Godwin's bookseller twenty of Shakespeare's plays and Lamb, all the tragedies. They were excellently done.

In the autumn of 1817, Lamb and his sister moved house from Temple where they resided for seventeen years, to Great Russell street, Covent Garden, the corner of Bow Street.

In a letter to Mrs. Wordsworth, a few months after his removal to Russell Street, Lamb writes,

"I cannot walk home from office, but some officious friend
Offers his unwelcome courtesies to accompany me….
I am never C.L. but always C.L. & Co." 30

In 1818, Lamb made the acquaintance of a young bookseller, Charles Ollier, who asked Lamb to bring out a complete collection of his scattered writings. The edition appeared in 1818, it two volumes. It contained John Woodvil, his drama and Rosamund Gray, a story, and some verse (Including the Farewell To Tabacco), the essays on the "Recollections of Christ's Hospital", "The Tragedies of Shakespeare considered with reference to their fitness for

Lamb' works must have proved beyond doubt his capacity as a critic and essayist. He was now well known, enjoying appreciation by some of the finest minds of his day. The edition of 1818 gave him a status which he had not before enjoyed. And now he was nearing the day which was to bring to light his special faculty.

The first series of the "Essays of Elia" appeared in a collected from in 1823. It consisted of some five-and-twenty essays, contributed at the rate of one a month (some-times two) without a break between August, 1820 and December, 1822. The editor, it would seem, imposed no conditions upon Lamb as to the subject-matter of his essays. He was allowed to write about the experiences of his life. "with any discursiveness into which he might be allured on the way." 33 The subject-matter of most of the essays of this series is autobiographical.

The first essay "The South-Sea-House", has in its background, the official life he started as a clerk thirty years ago, to face poverty in his home then. Much of its matter must have been related to Lamb by his elder brother John, who remained long in the office after Charles had left.

The second essay on "Oxford In the Vacation", has in its background, Lamb's love for studies, which he never failed to indulge in by visits to the great University towns, when he got a week's holiday from his office every year.

The third essay in order of appearance is an account of "Christ's Hospital". "This was published earlier under the title "Christ's Hospital Five And Thirty years Ago".

The fourth if a discursive meditation of the "Two Races on Men". Lamb means those who borrow, and those who lend. He illustrates this by the example of one Ralph Bigod, never bothering to pay back and Coleridge who freely borrowed from Lamb's library and returned the loan with interest in the shape of marginal annotations. More titles swell Lamb's contributions.

"New Year's Eve" reflects Lamb's love for life; he never thinks of death. He talks of a old lady in his essay on "Mrs. Battle's Opinions On Whist", whom he had known in person, or by repute, at the old mansion in Hertfordshire. In "A Chapter on Ears", Lamb's humour on having no ear for music, is always to be enjoyed by the reader. "All Fool's Day" is full of Lamb's mood for an innocent laugh on April first, by calling the wisest fools. In "Imperfect Sympathies" he doesn't hesitate to make a confession of his like and dislike for certain communities, which he finds natural to a human being. Lamb suffered much in childhood under night fears, of which he relates in his essay of "Witches And Other Night Fears". In "My Relations" and "Mackey End In Hertfordshire:, he portrays the members of his family, and much of family life. "The Old Benchers Of the Inner Temple." relates to the boyhood spent in the Temple; and notable masters of the Bench of that day, of whom he knew from his father, lovel, of the essay, and his father's loyal friend Randal Norris, the sub-Treasurer of the Inner Temple. The essay "Dream Children" appeared in the London Magazine for January, 1822. When Lamb's elder brother John was lately dead.

Other essays, such as "The Praise Of Chimney Sweepers" and "A Complaint of the Decay of Beggars", speak of Lamb's innate love for the down-trodden, and of his keen observation. "On Some Of The Old Actors", "On the Artificial Comedy Of The Last Century" and "On the Acting of Munden" declare Lamb's love for the stage and his dramatic bent, which however, he failed to accomplish, being wanting in the fundamental excellences of the dramatic genius.

During 1823-26 Lamb felt "a certain deadness to everything. "This was due to the death of his elder brother John in 1821, and to that of other friends who died about the same time and who were dear to Charles. They had moved from Russell Street, to a cottage in Colebrook, Islington.

The second series, published in 1833 by Mr. Moxon, under the title "The Last Essays of Elia", consists of the essays which exhibit Lamb's qualities at their highest. Some

of the most loved are : “Preface, by a friend of the Late Elia”, Blakesmoor in H-shire”, “Poor Relations”, “The Old Margate Hoy”, “Old China”, “Barbara S” and “The Superannuated Man”.

Lamb was delivered of his official confinement in April of 1825. In his essay on “Superannuated Man” published a month later in the London Magazine, Lamb dilates on the feelings which he wished to cultivate and preserve. “A Man Can Never have too much time to himself, nor too little to do. Had I a little son, I would christen him Nothing – To – Do; he should do nothing. Man, I verily believe, is out of his element as long as he is operative. I am altogether for the life contemplative,” 36

In July, 1834, Coleridge died, after many months of suffering. His death was Charles Lamb’s death-blow. On the 27th of December Lamb’s life ended tranquilly. On the following Saturday his remains were laid in a deep grave in Edmonton Churchyard, made in a spot which, about a fortnight before, he had pointed to his sister on an afternoon wintry walk, as the place where he wished to be buried.

This brief discussion of Lamb’s background gives us much information and insight into his personality. It is hoped that armed with this background, we shall be able to analyze and appreciate his important essays and bring out the Personal element, which we seek for. This also goes a long way to help us understand the importance of the personal element is the most important aspect of the modern essay as we know it. This background will also help us in proper understanding and appreciation of Charles Lamb as the first great mile-stone on the road to Personal Essay.

References :-

1. The Complete Works And Letters Of Charles Lamb(New York - The Modern Library, 1935), P.539
2. Alfred Ainger, Charles Lamb, op.cit., P.4
3. Alfred Ainger, Charles Lamb, op.cit., PP.27-28
4. Ibid., P.33
5. Talfourd, T.N. - Remarks On The Writings Of Lamb”.New Monthly Magazine (August, 1820)
6. Literary History - Club, John Hopkins University, Volume 18,1951.

****

Women Stalwarts In History

Dr. Hansa Paul *

Introduction - The feminist leaders of history have carved a niche for women facing the hurdles and predicaments with indomitable spirit of audacity. Women have made an incredible journey through suppression and oppression over the centuries and have arrived at the present status. The current position of women to be narrated in the words of Clara Nubile is that "In modern India the situation is still far from an ideal, liberated, democratic model. Indian women keep on struggling against the burden of tradition, against the legacy of the past and the orthodoxy of patriarchal system" (Nubile 271).

Feminism, as a philosophy and movement over the centuries and feminist stalwarts at the helm has created a feminist history. Feminism envelops varied aspects of women's life and experiences, in terms of their social, political and economic situation. The stable male dominated society offered no space for women to involve actively in political, economic, or social affairs. According to Lerner patriarchy is domination, "Patriarchy means the manifestation and institutionalization of male dominance over women and children in the family and the extension of male dominance over women in society in general" (Lerner 505). She says patriarchy accumulates power, "It implies that men hold power in all the important institutions of society and that women are deprived of access to such power" (Lerner 505).

A movement with its ideas gathered momentum under the term feminism in the beginning of the twentieth century. Feminism has passed through various stages growing in its stature demanding total equality in every sphere. Susan Faludi argued for the treatment of women as equal, "just as deserving of rights and opportunities, just as capable of participating in the world's events" (Faludi 18). The movement's history was divided into three waves by feminists and scholars. The early feminist movement was the first wave feminism, referring to suffrage movement that claimed right for women to vote. Women were considered passive by nature and traditional in their activities. To change the patriarchal mindset and prove women's assertiveness, "The suffragettes smashed the image of women as a passive, dependent creature as effectively as they smashed the plate-glass windows of Regent Street" (Rover 20).

The beginning of 1960s was the commencement of the second wave feminism with women's liberation movement on social and legal rights. The third wave feminism started from 1990 onwards to the present in response to what young women perceived as failures of the second wave. Charlotte Bunch holds the view that feminism as a force must bring transformation to everyone. She is an American activist and Founding Director of the CWGL (Centre for Women's Global Leadership) in Rutgers University. She posted a blog on feminism and posits its meaning for today's society: "Feminism is a transformational force, an individual and social force. It is a way of looking at the world - a questioning of power/domination issues, an affirmation of women's energy" (Bunch).

Mary Wollstonecraft, the eighteenth century thinker, is a prophetic visionary of the past and present times and she is called the first feminist or mother of feminism. Her work, *A Vindication of the Rights of Women* (1792) is considered a classic of feminist history and a touchstone for generations of women committed to equality and rights, based on social, political and economic issues. She insisted that women should not be measured by men's standards. Virginia Woolf much influenced by Mary Wollstonecraft says, "she is alive and active, she argues and experiments, we hear her voice and trace her influence even now among the living" (Shukla 53). Wollstonecraft has laid a tradition of feminism through her writing, thus bringing the agendas of women to the centre stage to discuss and debate for a change in the society and for the benefit of one half of the human species.

Virginia Woolf is considered to be one of the greatest writers and a feminist of the twentieth century. She vehemently revolts against the patriarchy that deprives them of education, economic independence, and a domestic space. In *A Room of One's Own* (1929) she rightly claimed that: "A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction" (Shukla 79). Being a rebel, Woolf carves a space for women in English literature and urges them to create their own history and literature.

The foundation of modern feminist movement is laid by the French writer, Simone De Beauvoir. Her best known book *The Second Sex* (1949) is considered as a feminist text. According to Beauvoir, a woman continue to view

*(English) St. Norbert's College, Jabalpur (M.P.) INDIA

herself as being inferior and dependent on man as she is given to believe that "the world is masculine on the whole, those who fashioned it, ruled it and still dominate it today are men." (Beauvoir) Biological difference between man and woman is a fact that has to complement each other. Women's role as inferior beings is no longer acceptable as they have proved by occupying every professional positions of the society. Simone de Beauvoir asserts that "one is not born but becomes a woman" (Beauvoir 14) because the environment in which women are born teach them to behave and live to fulfil the expected norms of patriarchy. Toril Moi claims that Beauvoir was "the greatest feminist theorist of the twentieth century" (Moi 3).

Betty Friedan, the American feminist crusader is deemed as one of the major architects of 1960s movement for women's liberation. She is the author of *The Feminine Mystique* (1963) which is considered as one among the influential books of the twentieth century. She contends women need political and legal equality to remove the inferior status in the society. The National Organization for Women (NOW) which had been established in 1966 and Friedan was appointed its president to transform the social fabric of women's life with economic equality. She called for a new social policy as, "new thinking about competitiveness … new thinking about work in terms of time and family, and new definitions of success" (Friedan 46). This period as a time of incredible energy that created optimistic belief towards radical social change with the emergence of innumerable feminist writers.

Feminists demand for inclusion of women in the man-made political and economic structures and for recognition of her values, qualities and roles. In today's scenario the term 'postmodern' is used to illustrate the rapidly changing societies where everything seems transitory. Judith Squires explores postmodern strategy of 'inclusion' of women without gender discrimination in the society. According to Judith, "The strategy of inclusion seeks gender-neutrality; the strategy of reversal seeks recognition for a specifically female gendered identity" (Squires 3). Thus female gendered identity is treated with equality and respect in the society.

Feminist writers contributed a substantial body of literature; they are Betty and Theodore Roszak's *Masciline/ Feminine* (1969), Germaine Greer's *The Female Eunuch* (1970), Kate Millet's *Sexual Politics* (1970), Robin Morgan's *Sisterhood is powerful* (1970), Shulamith Firestone's *The Dialectic of Sex* (1970), Eva Figes' *Patriarchal Attitudes* (1970),Michelle Wandor's *The Body Politic* (1972) and Leslie Tanner's *Voices from Women Liberation* (1970). These writers focused on a social system in need of transformation as it is based on female subordination and male domination.

The emergence of women novelists in the period of the nineteenth century was a landmark in the history of literature and they propounded a new direction in the writing of English fiction. During a conversation between K.R. Srinivasa Iyengar and an English Professor of a Scottish University in 1951, the English professor exclaimed at the steady growth of women writers in each year with their significant contributions to the English novel.

It was almost a case of more women than men, qualitatively as well as numerically! Jane Austen and George Eliot, the Brontes and Mrs.Gaskell, Dorothy Richardson and Virginia Woolf had established their own 'great tradition', and today a woman novelist in England, lacking neither a room of her own nor financial independence can ordinarily hold her own with the male of the species (Iyengar 435).

Conclusion - The daring woman is proficient in conquering the barriers and impediments positioned on her path thus to emerge triumphant. In the words of Kanwar Singh, the modern woman "has raised her voice against the atrocity and injustice done to her. The new woman dares to pronounce her volitions and convictions" (Singh 12). Women writers have deliberately climbed the ladder of success contributing towards collective literary history, and feminism have played a significant role in shaping the growth in women's writing in literature. The bold and brave women are challenging the suffocating, existing order so that a new panorama will evolve into outlook of the society.

References :-

1. Beauvoir, de Simone. *The Second Sex*. Trans. H.M, Parshley. London: Penguin, 1980. Print.
2. Bunch, Charlotte. "Feminizzle." 14 January 2010 Web. 20 September 2015.
3. Faludi, Susan. *Backlash: The Undeclared War against Women*. London: Chatto & Windus, 1992. Print.
4. Friedan, Betty. *The Second Stage*. London: Michael Joseph Ltd, 1981. Print.
5. Iyengar, K.R. Srinivasa. *Indian Writing in English*. New Delhi: Sterling Publications Pvt. Ltd, 1987. Print.
6. Lerner, Gerda. *The Creation of Patriarchy*. New York and Oxford: Oxford, UP, 1986. Print.
7. Moi, Toril. *Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman*. Oxford: Blackwell, 1994. Print.
8. Nubile, Clara. *The Danger of Gender*. New Delhi: Sarup & Sons, 2003. Print.
9. Rover, C. *Women's Suffrage and Party Politics in England 1866-1914*. London: Routledge & Kegan Paul, 1967. Print.
10. Singh, Kanwar Dinesh. Feminism and Post-Feminism. New Delhi: Sarup & Sons, 2004. Print.
11. Shukla, Bhasker A. *The British Feminists*. Jaipur: Book Enclave, 2008. Print.
12. Squires, Judith. *Gender in Political Theory.* Cambridge: Polity Press, 1999. Print.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

नागार्जुन के उपन्यास 'इमरतिया' में सामाजिक सरोकार – एक विश्लेषण

देवेन्द्रसिंह ठाकुर* डॉ. मंजुला जोशी **

शोध सारांश – उपन्यास का अर्थ है– मानव जीवन के निकट मानव जीवन की स्थापना। उपन्यास में मानव जीवन का चित्रण होता है, जिसे पढ़कर पाठक मानव जीवन को समझने बुझने का प्रयास करता है। मानवतावादी उपन्यासकार नागार्जुन का '**इमरतिया**' उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। जिसे नागार्जुन ने बोल कर लिखवाया था। यह उपन्यास पहले **'जमनिया के बाबा'** के नाम से प्रकाशित हुआ था बाद में इसे इमरतिया के नाम से प्रकाशित किया गया। उपन्यास के प्रमुख पात्रों के रूप में इमरतिया, बाबा, मस्तराम, भगौनीदास आदि का नाम लिया जा सकता है। जिनके द्वारा कथा को बारी–बारी से प्रस्तुत किया जाता है। इस उपन्यास का कथानक नागार्जुन के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है।नागार्जुन ने जमनिया मठ के माध्यम से समाज के ऐसे पाखण्डी लोगों का चिट्ठा पाठक के समक्ष खोलकर रख दिया। यह वर्ग छड़ी मारकर आशीर्वाद देता है और स्त्रियों के सतीत्व को हरता है साथ ही विदेशी एजेंटों के रूप में अवैध एवं देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता है।

शब्द कुंजी– समाज, अंधविश्वास, नारी जीवन, आम आदमी।

प्रस्तावना – नागार्जुन का **'इमरतिया'** उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। जिसमें आपने जमनिया मठ के माध्यम से मठों, साधु–संतों के ढेरों में होने वाले पाखण्ड, नारी शोषण, ढोंग, चालाकियों का यथार्थ चित्रण किया है। उपन्यास में सभ्य समाज के चोला ओढे कपटी, जालसाजी, बेईमान लोगों को चित्रण किया गया है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आम आदमी का शोषण करते हैं। उन्हें अंधविश्वास के जाल में ऐसे फँसा लेते है कि वह बेचारा सारी उमर इनके जाल से बाहर आ ही नहीं पाता। उपन्यास के प्रमुख पात्रों के रूप में इमरतिया, बाबा, मस्तराम, भगौनीदास आदि का नाम लिया जा सकता है। इस उपन्यास का कथानक नागार्जुन के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है। जमनिया पठ का बाबा अपने भोले भाले भक्तों को छड़ी मार कर आशीर्वाद देता है और स्त्रियों के सतीत्व को हरता है साथ ही विदेशी एजेंटों के रूप में अवैध एवं देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता है।

उपन्यास में चित्रित सामाजिक सरोकार– नागार्जुन ने **'इमरतिया'** उपन्यास में विविध पात्रों के माध्यम से आम आदमी और नारी जीवन से जुड़ी विविध समस्याओं, स्त्री–पुरूष में भेद, ढोंग–पाखण्ड, मठों में होने वाले व्यभिचार, साधु–संतों के ढोंग, धार्मिक और सामाजिक बुराईयों, आडंबरों, अंधविश्वास, रूढ़ियों, राजनैतिक दुर्व्यवस्थाओं आदि का यथार्थ अंकन किया है, जो इस प्रकार है–

मठों में होने वाले व्यभिचार का पर्दाफाश– प्राचीन काल में ऋषि–मुनि मठ, आश्रम की स्थापना करके धार्मिक कर्मकाण्ड और नैतिकता की शिक्षा देते थे। परन्तु धीरे–धीरे वहाँ व्यभिचार, अनाचार का जन्म हुआ। इन ढोंगी बाबाओं के चेले–चपाटी अपने मायाजाल से जनता को भ्रम जाल में फँसाकर रखते हैं। महिला साधु नर–नारी दोनों को फाँसने का काम करके अपने मठ का माया जाल फैलाती रहती है। 'अवधूतिन को जमनिया के दरबार में इमरतीदास नाम दिया गया तो वह अपने नए नाम से बेहद खुश हुई थी। इमरतिया पर कई लोगों की निगाह गड़ी है। देखें किस के नसीब में जाती है ! मैं नहीं रोकूँगा। न, मुझ को रत्ती–भर भी ललक नहीं है इमरतिया के लिए।' जब जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का कानून पास हुआ तो जमनिया और लखनौली के भू–स्वामियों ने जमीन हड़पने के लिए जमनिया मठ की स्थापना कर डाली। एक औघड़ कोला कर महंत घोषित कर दिया। लेकिन वो मठ न होकर देह व्यापार, व्यभिचार और तस्कर–व्यापार का अड्डा हैं।

समाज में जब कभी ऐसे ढोंगी बाबा पुलिस के मत्थे चढ़ जाते है तो उनकी बड़ी दुर्गती होती है। अखबारों में जमनिया मठ के बारे में इतना ज्यादा छपा है कि वकील बोला 'मर्डर, रेप, स्मगलिंग, जासूसी, जोर–जुल्म, कौन सा चार्ज नहीं लगाया गया है, इस बाबा पर ? स्वामी अभयानंद ने कैंप मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, यह फौजदारी का अदनासा मामला नहीं है !'

बाबा सोचता है मेरी जटाओं के जादू से भगौती ने चारों लड़कियों की शादी में लाखों रूपये खर्च किया, लालता ने बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया, सेठ बिर्धीचंद की तोंद तिगुनी हो गई। हिंदू जाति सचमुच गाय होती है। बार–बार दुहते जाओं, बूँद–बूँद निचोड़ लो। जनता को दुहने के लिए भगौती ने हमारी जटाओं से बछडे का काम लिया।

धार्मिक, सामाजिक आडंबरों, रूढ़ियों और पाखण्डों का चित्रण– जब कोई दार्शनिक सिद्धांत सर्वमान्य होकर किसी संप्रदाय में व्यवहारिक रुप प्राप्त कर लेता है, तब उसे धर्म कहा जाने लगता है। आज अधिकांश धार्मिक स्थल दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के केंद्र बनकर रह गये है। धर्म के नाम पर ढोंगी साधु–संतो द्वारा कई प्रकार के कुकर्म दिन–रात किए जा रहे है। कुछेक साधु–संतो के द्वारा इस तरह के अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया जाता रहा है पर समाज में नये मूल्य स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय समाज में धार्मिक कट्टरता की जडे बहुत ही गहरी है।

अधिकांश साधु–संत उच्च वर्ग से संबंधित होते है और वे धर्म के नाम

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, धरमपुरी, जिला– धार (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (हिन्दी) श. भी. ना. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

पर निम्नवर्ग का शोषण करने में लगे रहते है। धर्म के ठेकेदार निम्न वर्ग को धर्म के नाम पर डरा-धमका कर अनुष्ठान, पूजा-पाठ आदि कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। हमारा समाज कर्म की अपेक्षा धर्म पर अधिक विश्वास करता है। इसलिए स्वार्थी व्यक्ति धर्म ध्वजा की आड़ में अनैतिक और काले कारनामें आसानी से करता रहता हैं।

साधुओं की दाढ़ी ही उनका आभुषण होती है जिसके बल पर वह आम आदमी को अंधविश्वास में रखकर अपना उल्लू सीधा करता है। जमनिया के मठ में आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद के रूप में छड़ी से पाँच बार मारा जाता था। 'औरतें हठ करती थी कि उन्हें जोर से पीटा जाय। मुसहर जाति की एक जवान औरत एक बार अड़के बैठ गई कि मस्तराम कम से कम पच्चीस बार उसकी पीठ पर बेंत फटकारे।'

बाबा की दुर्गति तब से शुरु हुई जब एक साधु ने बाबा को साष्टांग प्रणाम नहीं किया, वह खड़ा रहा तब मस्तराम ने गुस्से में आकर साधु की पीठ को बेंत से फटकारकर लहुलूहान कर दिया था। वह जिद्दी साधु मार खाता रहा पर उसने जमनिया के बाबा के सामने मत्था नहीं टेका। जमनिया का बाबा धुर्त, कपटी था तभी तो मस्तराम के द्वारा एक दूसरे साधु को मारने पर चुपचाप देखता रहा।

मानवतावादी दृष्टिकोण का चित्रण- पुलिस मठ में से बाबा के साथ चेले-चपाटियों और अवधूतिन को भी पुलिस पकड़ लाती है। उस बेचारी को बिना कसूर के ही गिरफ्तार किया गया है। भगौतीप्रसाद अवधूतिन को जमानत पर छुड़वाने की कोशिश करने लगा।

समाज में कुछ भले लोग आम जनता को ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फँसने से बचाने का प्रयास करते है। 'जब एक बेकसूर को मस्तराम ने बेंत से पीटा तो उस साधु ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। तब सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कोई मामूली साधु नहीं है। जरूर पढ़ा लिखा होगा, पड़ोस के जिले में गरीब किसानों और खेत-मजदूरों के लिए उसने जमींदारों से लोहा लिया था।'

उपन्यास में जेल के पाखाने की बात करते हुए बाबा कहता है कि अंग्रेज बहादुरों के आने से फिनायल का चलन हुआ। देश के लाखों भंगी और मेहतर फिनायल का इस्तेमाल करके निहाल हो उठे। अंग्रेजो की अधीन रहकर उन्हें पहली बार अपने देश के बडे ज़ातिवालों की अंदरूनी दुर्गंध का पता चला होगा।

भारतीय समाज में मानवता को सबसे ऊँचा स्थान दिया गयाहै। 'जब बाबा ने मस्तराम के लिए खीर पहुँचाई तो उसने खीर मेहतर असरफी को दे दी। पहले तो वह सकपकाया कि भला भंगी को कौन खीर देता है बेचारा नहीं ले रहा था। आखिर डाँटकर मैंने कहा-'गधा कहीं का ! खीर नहीं खाएगा और कुत्तों की तरह गू चाटता फिरेगा ! तब उसने खीर ले ली।'

यथार्थवादी दृष्टिकोण का चित्रण- उपन्यास का ढोंगी बाबा समाज के रूख को जानता है और इसलिए उसने जमनिया को अड्डा बनाया था क्योंकि पिछड़ी जातियाँ साधुओं को बड़ा आदर करती है और आसानी से मूर्ख बन जाती है।जबकि उच्चवर्ग के लोग साधुओं का मखौल उड़ाते है और साधुओं भेष और रंग के पीछे का ज्ञान की परखने की कोशिश करते हैं।

नागार्जुन ने उपन्यास में वकील जमात की सच्चाई को वकील के मुँह से ही कबूल करवाई है। किस प्रकार वकील झूठे मुकदमों के बल पर काली कमाई करके घर भरते है। कुछ अपने मुवक्किल को सही राय देते है। वकील अस्थना, भगौती को बताता है कि बाबा की लंबी जटाओं का मोह छोड़ कर घर जाओ। आपके खाने-खरचने के लिए बहुत जायदाद है, बढ़िया परिवार हैं। मैं तो अपनी फीस ले लूँगा पर मुझे पता है कि तुम ये मुकदमा हार जाओंगे।

सामाजिक समानता की अभिव्यक्ति- यहाँ नागार्जुन ने सर्वहारा वर्ग के मेहतर समाज की व्यथा पर बाबा भी औघड़ दृष्टि से सोचता है कि मल और मूत्र तो इसी शरीर से निकलते हैं फिर अपने चूतड़ों की सफाई कहीं कोई भंगी से करवाता है क्या ? अपनी गंदगी को हमें स्वयं ही साफ करना चाहिए। मल-मूत्र त्यागने के बाद हम साबुन से हाथ धोते हैं, फिर अपने को पवित्र मानते हुए सब काम करते है। ठीक इसी प्रकार मेहतर भी साफ-सफाई करने के बाद नहा-धोले, तो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता ? शरीर का चोला अलग हो सकता है पर आत्मा तो एक ही होती है।

जनवादी दृष्टिकोण का चित्रण- जनवादी बाबा नागार्जुन ने जन आंदोलन के समर्थकों ने और किसान हितैशी स्वामी सहजानंद से प्रेरित होने के कारण किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने उपन्यासों में प्रगतिशील चरित्रों को गढ़ा, 'जो किसान-मजदूरों के विविध संगठनों, संस्थाओं के जरिए जमींदारों के अत्याचारों, नौकरशाही, भ्रष्टाचार आदि के विरूद्ध संघर्ष कर सके। यथार्थवादी लेखक ने आम आदमी को अपने उपन्यास का मुख्य पात्र बनाया है।'

आपने उपन्यास में मार्क्सवाद विचारधारा का चित्रण भी किया है। चीनी के लाल झंडेवालों ने हड़ताल कर दी तो मजदूरों को जेल में भेज दिया गया लेकिन जेल में भी उन्होंने सरकार, मंत्री, मालिक के विरोध में नारे बाजी शुरू कर दी। आखिर जेलर को उनकी माँग माननी पड़ी। क्योंकि एकता में ताकत होती है। आसाढ़ के मेले के आयोजन हेतु समिति की बैठक में श्रद्धा और भक्ति, धर्म और कर्म आदि कई बातों कुटाई-पिटाई चल रही थी।तब एक बोला पैसा न हो तो सब बाते बकवास है। यदि भगत लोग अपनी गाँठ नहीं खोले ओर लक्ष्मी जी रूठ जाए तो सारे मठ-मंदिर खंडहर हो जायेगा।

साधु-संतो के व्यभिचार का चित्रण- जमनिया का मठ पाखंडी साधु और महंतों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर आने वाली भक्तमंडली को तमाम तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। जो ढोंगी, आलसी, कामचोर, धुर्त, चालाक होते है वे साधु का चोला धारण करके समाज के भोले भाले लोगों को अपने मायाजाल में फँसाकर अपना गंदा खेल खेलते रहते है। बाबा ने भी जेल के सुपरिटेंडेंट के दौरे पर ऐसा स्वाँग रचाया था कि उससे प्रभावित होकर जेलर ने सब सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करा दी।

समाज में नारी को सिर्फ भोग विलास और सजावट की वस्तु माना जाता है। बाबा कहता है कि 'इमरितिया चली जाएगी तो जलेबिया आ जाएगी। एक आध सधुआइन न रहे तो मठ उदास लगता है ! भगतों की तबियत उचटी-उचटी सी रहती है।' जमनिया मठ पर भी भक्तों को खुश रखने के लिए इमरतिया, जलेबिया जैसी बेबस स्त्रियाँ को योगिनी, देवदासी जैसे श्रद्धेय नाम देकर रखा गया है।

उपन्यास में भगौती जेल में बाबा के लिए शाही पकवान, कपड़े, बिस्तर आदि सबकी व्यवस्था करवा देता है। वह जेल में भी शाही ठाट से रहता है। अंधविश्वासी दारोगा भी कहता है, बाबाजी आप मेरी पीठ पर भी पाँच बार बेंत मारकर मेरा सोया भाग्य जगा दे, मुझे भी आशीर्वाद दे।

जेल से आने के बाद भी इमरितिया का साधु वेश उसे महान बनाए रखता है। लोग उसे एक औरत के रूप में नहीं बल्कि सधुआइन के रूप में देखते है, पूजते है। इमरतीदास महाराज। इस नाम से लोगों को यही लगेगा कि यह माई किसी बड़े अखाडे की महंथिन होगी।

जब लक्ष्मी के बच्चे की बलि दी गई तो अफवाह उड़ी कि भरतपुर का थानेदार तहकीकात करन जमनिया पहुँचने वाला है, पर भगौती खुद ही

गौरी को लेकर थानेदार की सेवा में हाजिर हो गया। 'चार दिन रहे और पाँचवे दिन खुशी-खुशी लौट आए। बड़ी-बड़ी खिजाबी मूँछों वाला थानेदार सादुल्ला खाँ गौरी को खूब पसंद आया होगा.....गौरी भी मुसल्ले को जमी होगी !'

बेंत से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए खानदानी औरतें तक मिन्नते करती थी- 'आपकी बेंत लगेगी तो ठूँठ की कोख से भी हरा-हरा पौधा निकल आएगा, बेंत की पिटाई के बाद अगला मोर्चा भगौती-लालता-रामजनम-सुखदेव का गिरोह सँभालता था। पत्थर पर दूब जनमाने की हिकमत इन्हीं लोगों को मालूम थी।'

नारी वर्ग के संघर्ष का चित्रण- भारतीय समाज में नारी को हमेशा से ही छला जाता रहा है। नागार्जुन ने अपने उपन्यास साहित्य में प्रताड़ना, उत्पीड़न और शोषण का शिकार स्त्री पात्रों का विकास जीवन की यथार्थ पृष्ठभूमि पर किया है। इस संदर्भ में आलोचना पत्रिका में मधुरेश जी लिखते है- 'नागार्जुन के पुरूष पात्रों की अपेक्षा स्त्री-पात्र अपनी मिट्टी और परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत और भी सच्चे हैं।'

उपन्यास की नायिका बहादुर और संवेदनशील स्त्री है परन्तु धुर्त बाबा मस्तराम के जाल में फँसने के कारण उसमें भी अपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। उसमें अतृप्त यौन आकांक्षा भी है, इसीलिए वह बाबा मस्तराम के प्रति प्रेमभावना प्रकट करने का प्रयास भी करती है। डॉ. प्रणव के अनुसार-'मठों में धर्म-कर्म के नाम पर नारी शोषण का कलंक भी दूर से चमकताहै। जमनियों जैसे मठों का पर्दाफाश करते हुए नागार्जुन ने धर्म, रूढ़ियों और पाखण्ड को अपनी कृतियों में खूब उकेरा है।'

इमरितिया के दिल में मस्तराम के लिए कहीं न कहीं प्रेम छलकता है इसलिए उसने मस्तराम के बारे में सोचा कि 'कैसा उजड्ड है, जंगली है मस्तराम। मेरा बस चलता तो उसको निकाल बाहर करती। इस जंगली का, साँड का यहाँ क्या काम ? लेकिन कंडे की आँच भी है उसमें। मेरे किस काम आएगी यह आँच ? इस भट्टी में डाल दूँ तो गलकर अर्क नहीं बन जाऊँगी।'

अतृप्त वासना का चित्रण- कामभावना सभी जीवों की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। परन्तु कुछ कामी लोग अतृप्त वासना को व्यभिचार के द्वारा तृप्त करते है। **'इमरतिया'** में इमरितिया सोचती है कि मस्तराम का साथ मिल जाए तो सारी दुनिया से मुकाबला कर लेगी। सपने में उसकी गालियों और तमाचों की आवाज सुन लेती हूँ। 'मैं सो जाती हूँ सपने में ही, फिर महसूस करती हूँ किसी मर्द का बदन मेरे बदन को दबा रहा है.... नींद में कपडे ख़राब हो जाते हैं ! ये मर्द कौन था ? जो सपने में मेरे साथ सटकर सोया था.... '

मठ में बाबा अपनी सुख सुविधाओं और पुरूष जजमानों को आकर्षित करने के लिए महिला अवधूतिनों को रखते है। इमरितिया गौरी के बारे सोचती है कि छिनाल अपने आपको नवाब की नातिन समझती थी। तभी बाबा उस राँड को कुंभ में कनफटा बाबा के पास रख आए है। जड़ी बुटियों की तरह बाबा औरतों को भी कूटता-छानता होगा और उनका अर्क निकालता होगा। गौरी तो साल-साल में दो-तीन मर्द बदलती थी। एक बार मठ का घोड़ा गरमाकर हिनहिना रहा था। 'घोडे को उस बेताबी में देखा तो गौरी मुझसे बोली-'मैं इसको ठंडा कर सकती हूँ.....अपनी समूची मर्दानगी यह मेरे अंदर डाल दे तो हमेशा के लिए अघा जाय..... मैंने आँखे तरेरकर घूरा। वह तो खुलेआम कहती- 'मैं डायन हूँ, कच्चा चबाने के लिए मुझे आदमी ही चाहिए और हमेशा चाहिए.....लड़का हो या सत्तर साल का बुड्ढा हो तो भी चलेगा..... '

नर-नारी जीवन रूपी गाड़ी के दोपहिए है वे एक-दूसरे के बिना अधूरे है। अवधूतिन इमरितिया हरिद्धार जाने से पहले मस्तराम से जेल में मिलने जाती है। एक-दूसरे को देखते रहते है, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते है।'हम एक-दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा नही जानते हैं। दोनों ने एक-दूसरे को देखा, परखा, महसूस किया। दोनों साधु जीवन बिता रहे थे। फिर भी प्रकृति के तौर पर उनमें एक पुरूष और एक नारी थी.....मस्तराम तुम हर द्धार आकर मुझसे मिलोगे ?'

निष्कर्ष- इस प्रकार उपन्यास **'इमरतिया'** का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसके माध्यम से नागार्जुन ने समाज में धर्म के नाम स्थापित मठों, आश्रमों और साधु-संतो के डेरों में व्याप्त व्यभिचार का चित्रण करके भारतीय जनता को ऐसे घटिया लोगों के मकड़जाल से मुक्त होने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है। ऐसा भी नहीं है इन पाखण्डियों के जाल में आम लोग ही फँसते है इनके पास तो पढे-लिखे लोगो की भी लाइन लगी रहती हैं। ऐसे कतिपय साधु-संत के साथ समाज के सभ्य कहे जाने वाले वे लोग जुड़ जाते है जिनका अपना स्वार्थ होता है। इस प्रकार दोनों अपने-अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे का इस्तेमाल करके अपनी अपनी दुकान चलाते है। ये व्यभिचारी सबसे पहले औरतों को अपना शिकार बनाते है क्योंकि वे जानते है कि भारतीय औरतों का स्वभाव धर्मभीरू, कोमल, कमजोर, मार्मिक, संवेदनाओं से भरा होता है वे जल्द ही ऐसे धुर्त लोगों के चंगुल में फँस जाती है और इन औरतों बदौलत ही ये पाखण्डी अपने बुरे इरादों में कामयाब हो जाते है। नि:संदेह नागार्जुन का यह उपन्यास आम जनता का मार्गदर्षन करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नागार्जुन (2011)- इमरतिया, नागार्जुन रचनावली- 5, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. प्रो. सय्यद समीर गुलाब (2014), नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित स्त्री जीवन।
3. आलोचना- संपादक डॉ. नामवरसिंह, (त्रैमासिक पत्रिका जुलाई-सितंबर 1972)।
4. डॉ. प्रणव- नागार्जुन के उपन्यासों में व्यंग्य।

****

साहित्यकार अमृतराय के 'कठघरे' कहानी संग्रह में जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति का अध्ययन

डॉ. विनय कुमार सोनवानी*

प्रस्तावना – 'कठघरे' कहानी संग्रह में जीवन मूल्य – यह कहानी संग्रह सन् 1952 ई. में प्रकाशित हुआ। इसके पहले संस्करण में कुल बारह कहानियाँ संकलित थी। वर्तमान संस्करण (अक्टूबर, 1995 ई.) में अग्रलिखित केवल ग्यारह कहानियाँ संकलित हैं– कठघरे, नंगा आदमी नंगा जख्म, किस्सा अलिफ लैला, गोबर गनेश, दूरियाँ, पहाड़ यात्रा, रेल की खिड़की से, सावनी समाँ, डाक मुंशी की एक शाम, राम कहानी के दो पन्ने, चक्रवर्ती – अथ इति। बारहवीं कहानी का शीर्षक है –'यम का छाता'। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ अपनी एक अलग विशिष्टता रखती हैं। कहानियों का नामकरण करते समय अमृतराय बहुत सतर्क रहते थे या यों कहा जाए कि उनके अन्दर का व्यंग्यकार यहाँ भी प्रच्छन्न रूप से अपना कार्य करता था तो कोई अत्युक्ति न होगी।

'कठघरे' अर्थात् जेल, जहाँ से बचने के लिए मुवक्किल वकीलों की शरण में जाते हैं। वकील कई तरह के होते हैं– 'इन मुजाहिदों में सभी जात, सभी कौम, सभी रंग, सभी मजहब के लोग हैं, मगर सब इंसाफ के यकसाँ मुजाहिद हैं, और कोई किसी से घटकर नहीं है, सब में वही जोश–ओ–खरोश है।' कचहरी वह जगह है, जहाँ स्वत्वों की लड़ाई लड़ी जाती है। क्या अजब कि यह लड़ाई खुद वकीलों से और उनके तख्ते–ताउस से शुरू होती है।' लेखक ने कचहरी, वकील और दलाल का परिचय देने के बाद, वकील के परिवार की दयनीय अवस्था का भी चित्रण किया है। घर भी कचहरी के समान बीमार पत्नी की खींझ, बच्चों का शोर, गंदा घर आदि जेल की ही याद दिलाता है।

कहानी 'नंगा आदमी नंगा जख्म' में नेताओं की खुदगर्जी और स्वार्थनीति का चित्रण किया गया है। इसमें पंडित मुकुटमणि त्रिपाठी ऐसे मंत्री हैं,जो अच्छा ही खाते और पहनते हैं। उनकी नीतियाँ दोगली हैं। जिस प्रकार का उनका रहन–सहन तथा ठाट–बाट है– वे सब उन्हें मजदूरों के ही शोषण से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि वे मजदूरों के हित के लिए नयी–नयी योजनाएँ बनाते हैं, किन्तु उन योजनाओं में उनका पूरा–पूरा स्वार्थ सम्मिलित है। इस पर व्यंग्य करते हुए कथाकर ने लिखा है –'अदृश्य की योजना के संग पंडित मुकुटमणि की अपनी योजना भी कुछ उसी खूबी के साथ मिल गई है, जैसे सोनेमें सुहागा। उधर सैकड़ों एकड़ के फार्म पर रामेश्वर बाबू की देख–रेख में नये तरीकों से खेती होती है। उन्नति की सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए अपने प्रदेश के योजना–मंत्री बन गए, ताकि प्रादेशिक जीवन में भी वह वैसी ही सुन्दर योजना चालू कर दें जो उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है।'

स्वार्थन्धता एवं अमानवीयता के सजीव रूप को यहाँ चित्रित किया गया है। मंत्री महोदय अपना लम्बा भाषण दे रहे हैं। जनता का ध्यान मंत्री के भाषण से अधिक मंत्री के पास खड़े नंगे आदमी पर है, जिसके सिर पर गांधी टोपी है–मानो उसने अपनी कौम की लाज ढँकने के लिए टोपी सिर पर धारण किया है। उस नंगे व्यक्ति को देखकर लेखक कहता है, जैसे मनुष्य का एक नंगा जख्म हमारे सामने खड़ा है और मंत्री महोदय अपनी असलियत को ढाँकने के लिए, जनता के सामने लम्बा–चौड़ा भाषण दे रहे हैं।' पर नंगे आदमी की कहानी, उसका नंगापन खुद बता रहा है, उसे भाषण देने या अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का परिचय, वह स्वयं होता है, यही भाव लेखक ने बतलाया है।

'किस्सा अलिफ लैला' में अमृतराय सरकार की नीति–न्याय की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण अपराधी भावना और अधिक पनपती है। एक लाख रुपये के गबन के आरोप में, धनी चतुरमल के बेटे, कन्हैया को सात साल के लिए जेल भेजा जाता है। जेल से छूटने पर वह पुन: उन रुपयों में मौज करता है। सात साल की सजा, उसके लिए सजा न थी, बल्कि लाख रुपये का परवाना था। जेल का समय भी बीत गया, कुछ दिन मित्रगण भी खिंचे रहे, पुन: पैसे को पाकर, मित्र भी सब एक हो गए।

प्रस्तुत कहानी में अमृतराय ने यह स्पष्ट किया है कि – 'यह पैसा मुन्शी चतुर लाल को कहाँ से मिला, वह राज उनके साथ ही चला गया। मगर पैसा सब उनके साथ नहीं गया और उनके बाल–बच्चों ने अच्छी तरह उसको भोगा। मुन्शी चतुर लाल के यहाँ कन्हैया का अवतार उस समय हुआ जब उनका सितारा अपनी चोटी पर था। लिहाजा कन्हैया ने अपने घर की रईसी ही देखी। बुढ़ापे की औलाद था, बाप ने खुले हाथों उसके हर शौक को पूरा किया। मुँह से उसके बात निकलती और फरमाइश पूरी होती। दूसरे बच्चों को बल्कि इसका मलाल था कि कन्हैया की बहुत ज्यादा ले–लपक होती है। मगर उससे क्या होता है, आखिरी बेटे की शान ही कुछ और होती है और खासकर तब जब वह कारूँ का खजाना लेकर जमीन पर उतरा हो।'

लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कन्हैया कहानी का एक ऐसा पात्र है जो अपराध करने का शौकीन है, उसे जेल के फन्दे का डर नहीं लगता था। अमृतराय के शब्दों में – 'सात बरस हफ्ते के सात दिन की तरह बीत गए। कन्हैया जेल से छूटकर आ गया। उसके दिन मस्ती से कटने लगे। वह हर रोज शाम को अपने सात साल के बेटे नरेश को लेकर बैठ जाता, जो उसी रात पैदा हुआ था जिस दिन कन्हैया जेल गया था, और उसे शराब की और अक्ल–ओ–दानिश की चुस्कियाँ देता। कन्हैया की जिन्दगी में अब सब तरफ बहार थी। सुख–चैन की बरखा हो रही थी। कुछ दिन लोग जरूर उससे थोड़ा कतराये मगर फिर जब पीने–पिलाने का दौर चला तो सब कुछ ठीक हो गया।'

'गोबर गनेश' के कथाकार ने इस कहानी में समाज का यथार्थ चित्रण

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला – अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि संसार में, गोबर गनेश जैसे सीधे ईमानदार व्यक्ति की कोई कद्र नहीं होती। वह जीवन में कभी अधिक पैसा नहीं कमा सकता। ऐसा ही एक धर्मभीरू व्यक्ति पं. हरस्वरूप चतुर्वेदी है, जो सत्ताईस साल से फर्मूसन के यहाँ स्टोर कीपर का काम करता है। उसे बेईमानी से अधिक धन कमाने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह वृद्धावस्था में कष्ट की हालत में भी उसकी नौकरी छोड़ देता है। वह बेईमानी से अर्जित धन की गद्दी पर बैठने से ईमानदारी से गरीबी में, भूखे मरना पसंद करता है। निर्मम शोषक से धन कमाने की अपेक्षा धनाभाव उसके लिए श्रेयस्कर है। वर्तमान समय में, आर्थिक विषमता के कारण अमीर और गरीब के मध्य दूरियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। अमीर की स्थिति तो बेहतर हो ही रही है। गरीब उस अवस्था से भी निम्नस्तर होते जा रहे हैं। वर्ग-भेद बढ़ता ही जा रहा है। दूरियाँ कहानी में समीर और दिलीप के माध्यम से इसी अन्तर को स्पष्ट किया गया है। समीर उच्च परिवार से है। इसी परिवेश में पलने-बढ़ने के कारण संस्कार अपने स्वाभाविक ही थे। वहीं दिलीप वकील हैं। महीने में दो-तीन सौ की आमदनी होती है। समीर उसी के यहाँ कलेक्टर बनकर आया है। एक दिन दिलीप से मुलाकात होने पर उसे तुरन्त पहचान लिया और अपने दफ्तर में बुला लिया। घर पर भी आमंत्रित किया। असमय बारिश आने पर उसे समीर के घर की शरण लेनी पड़ती है। घर जाकर सारी कलात्मक व सुन्दर वस्तुओं को देखता है, वह और अपने घर की उससे तुलना करता है - 'ये दीवारें जो इतनी साफ-सुथरी, इतनी चिकनी नजर आती हैं, इन पर तो वो गुल-बूटे बरेंगे कि पूछिए मत, महज मेरी तो दुनिया ही अलग है और यह समीर की दुनिया है, सचमुच कितनी दिलकश आर्टिस्टिक।'

कथाकार ने इसमें बतलाया है कि पैसे के कारण आपसी रिश्ते टूट जाते हैं। अमीर-गरीब के बीच पैसे की दूरी, बहुत बड़ी दूरी होती है। कलेक्टर समीर बनर्जी और साधारण वकील दिलीप बचपन से ही अभिन्न मित्र होते हुए भी, अब दोनों में पैसे की दीवार है। दोनों में अभी प्रेम-बंधुत्व और संवेदना है, पर पहले के समान स्वतंत्र रूप से हँसने-बोलने में अब, संकोच है। यथार्थ वस्तु भाव को प्रस्तुत करते हुए समाज की वास्तविकता से कथाकार ने परिचय कराया है।

'दूरियाँ' कहानी में कथाकार ने समाज की वास्तविक स्थिति से लोक का परिचय कराया है। सम्बन्धों की दूरियाँ प्रस्तुत कहानी की कथावस्तु बनकर उभरी है। उदाहरणार्थ- समीर ने कहा- 'अनु से तो तुम मिले हो। पाँच बरस हुए हमारी शादी को। मगर कह सकते हो कि अभी हमारा हनीमून ही चल रहा है। हमारे कोई बच्चा-वच्चा नहीं और न अभी हमें जरूरत ही महसूस होती है, न मुझे न अनु को। अनु के पास अपना वह झबरा कुत्ता है, टिम और मेरे पास अपनी तस्वीरें हैं।'

अन्यश्च – 'देखो समीर, जब जिन्दगी के भीतर की गर्मी बुझ जाती है और जीने का उत्साह चुक चलता है तो फिर सभी कुछ खाक में मिल जाता है- कपड़े लत्ते भी।'

'पहाड़ यात्रा' – लेखक ने नैनीताल की यात्रा का अनुभव इसमें बतलाया है, जहाँ वे एक बार एक युवती की ओर आकृष्ट हुए थे और एक बाल-बच्चेदार आदमी को विष खाकर आत्महत्या करते पाया था। इसी तरह व्यक्ति को अनेक अनुभव होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ जाते हैं।

'रेल की खिड़की से' – रेल की खिड़की से दिखलाई पड़ने वाले प्राकृतिक स्थल, पेड़-पौधे, टिमटिमाते बल्व आदि का चित्रण करते हुए कहानीकार कहता है कि जिस प्रकार रेल के डिब्बे से अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन किया जाता है, वैसे ही मानव जीवन अनेक घटनाओं तथा अनुभवों से भरा हुआ होता है।

'सावनी समाँ' बाबू चन्द्रिका प्रसाद की घुटती-पिसती जिन्दगी की कहानी है। चन्द्रिका प्रसाद की सारी दुनिया डाकखाने में ही है। डाकखाने से लौटते हुए परिवार की सारी समस्याएँ उनके सामने आ जाती हैं। बीमार बीबी, पांच बच्चे, रोज-रोज के झगड़े। सावनी समाँ में उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह पहले दो जनों की गृहस्थी में शकुन्तला तैयार होकर उनका स्वागत करती थी। वहीं अब उसके बच्चे लड़ते-झगड़ते हैं। घर आने पर जूतों से स्वागत होता है। घर पर आते ही बच्चों की पिटाई करते हैं। चाय नाश्ते में देर हो जाने के कारण वे बीमार शकुन्तला को भी माँ के कहने से थप्पड़ मार देते हैं। शकुन्तला सोच रही है- 'पूरा सावनी समाँ' था और पिया घर न था और गोरी की आँखों में नींद न थी और जलते हुए आँसू टप-टप उसकी आँखों से टपक रहे थे।' मध्य वर्ग की विषमता का यथार्थ चित्र उभर कर सामने आया है। कथाकार ने हमारे सामने एक जाने-पहचाने ऐसे परिवार की विवशता का वर्णन किया है, जिसे हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों अशान्त परिवार हैं, जो दु:खमय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। बाबू चन्द्रिका प्रसाद कम आमदनी वाले ऐसे ही व्यक्ति हैं, जिनके चेहरे पर एक तो परिवार का पहाड़ जैसा बोझ था तथा दूसरी ओर पैसे की फिक्र। 'डाक मुंशी की एक शाम'में मध्यवर्गीय परिवार का एक चित्र खींचा गया है, जिसमें डाक मुंशी कालिन्दी बाबू हैं, जो सुबह से शाम तक मेज पर झुके रहते हैं। फिर भी, अफसरों की डाँट खानी पड़ती है। आँफिस में दिन भर काम करने के पश्चात जब घर लौटते हैं, तो वही खिच-खिच। बहू बेटी में नहीं बन रही है। मुंशी जी चाहते थे कि उनका बेटा कृष्णमुरारी किसी तरह बी.ए. कर ले तो उसे भी डाकखाने में लगवा दें। लेकिन वह बी.ए. नहीं कर पाता है। नौकरी की तलाश में वह इधर-उधर घूमता भी है, किन्तु उसे नौकरी नहीं मिल पाती। अत: वह घर से भाग जाता है और होटल में बर्तन साफ करने का काम करता है। अपने पुत्र की हरकत पर वे नाराज होकर कहते हैं - 'सात पीढ़ी से जिस घर में डाक-मुंशी होते आ रहे हैं, उस घर का लड़का होटल में रकाबियाँ धोये। कितनी बुरी बात है। है न?'[1] ,इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार के आर्थिक अभाव को देखते हुए, लेखक ने उस वर्ग की विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया है। वस्तुत: मुंशी जी पर घरेलू परेशानियों का बोझ इतना अधिक है कि उनके जीवन में उच्च वर्ग के प्रति ईर्ष्या और जलन चारों तरफ दिखलाई देती है। अनेक परेशानियों के कारण उनके जीवन में कोई उमंग नहीं है।

'मेरी राम कहानी या राम कहानी के दो पन्नेय' – जेल अपनी राम कहानी कहता है। यहाँ प्रत्येक छोटी बड़ी गलती करने वाले अपराधी आते हैं। जेल एक हरजाई के समान है, जहाँ व्यक्ति अपनी खुशी से नहीं आता। यह अपने पास आने वाले को कभी मना नहीं करता, सब की राम कहानी सुनता है, पर अपनी जीवन गाथा बतला नहीं सकता, क्योंकि उसकी जबान नहीं है। जेल और वेश्या के इसी अन्तर को कथाकार ने प्रस्तुत किया है।

'चक्रवर्ती अथ इति' – चक्रवर्ती (राजा-सम्राट) की शुरू से अन्त तक की कहानी का कथाकार ने बड़े सुन्दर व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया है। बुढ़ापे में पुत्ररत्न की प्राप्ति से ठाकुर संकटासिंह की खुशी का अन्त न था। ज्योतिषियों को बुलवा कर जन्म कुण्डली, भविष्यवाणी जान गया। ज्योतिषियों के अनुसार उसका नाम चक्रवर्ती रखा गया। ज्योतिषियों के अनुसार बचपन से राजपुत्र के समान शान-शौकत से उसका पालन किया जाता है। परन्तु अन्त में एक रिक्शे वाले से मार खाता है। इस प्रकार एक चक्रवर्ती के अभिमान और घमण्ड का अन्त होता है। कथाकार ने इस कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि केवल भाग्य पर भरोसा करके रहने वाले व्यक्ति का ऐसा ही

अंजाम होता है। यदि चक्रवर्ती ने भाग्य के साथ कर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया होता तो उसका ऐसा दु:खद अन्त न होता।

समग्र रूप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कथाकार अमृतराय ने कठघरे कहानी संग्रह के परिप्रेक्ष्य में संकलित 11 कहानियों में क्रमश: लेखक ने कचहरी, वकील, दलाल, स्वार्थपरता, राजनीति, नंगे आदमी की कहानी, उचित न्याय न मिलने से अन्याय की भावना, निर्मम, शोषण, पैसों के कारण रिस्तों में टूटन, मानव जीवन की विविध घटनाओं का अनुभव, पारिवारिक कलह, मध्य वर्ग की विषमता का यथार्थ चित्र, उच्च वर्ग के प्रति ईर्ष्या, काशी का आडम्बर, ज्योतिषियों की धमाचौकड़ी जैसे विविध विषयों पर कहानी लिखकर कथाकार ने वस्तु जगत के चाल-चरित्र को जीवन मूल्य की दृष्टि से उजागर किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कठघरे कहानी संग्रह, अमृतराय।
2. भारतीय साहित्य के निर्माता अमृतराय, रणजीत साहा।

****

समकालीन महिला कथाकार एवं कृष्णा अग्निहोत्री

राजश्री सेंगर* डॉ. चंदातलेरा जैन**

शोध सारांश – हिन्दी का कथा साहित्य महिला लेखिकाओं से भरा हुआ है। इन महिला कथाकारों ने नारी के हृदय को समझा और उसकी व्यथा का ज्यों का त्यों चित्रण किया है। सन् साठ के पश्चात् हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों ने अपनी योग्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इन महिला कथाकारों के मध्य कृष्णा अग्निहोत्री ने अपना नाम स्थापित किया है। कृष्णा अग्निहोत्री एक ऐसी महिला कथाकार है, जिन्होंने स्वयं दु:ख भोगा, उसके पश्चात् अपने संघर्ष, व्यथा को अपनी कहानियों में चित्रित किया है।

प्रस्तावना – हमारे साहित्य में नारी का द्रवित हृदय, महिला कथाकारों ने अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। स्वंतत्रता के पश्चात महिला कथाकारों की कहानियों में स्त्री नवीन चेतना से युक्त हुई। नवीन दृष्टिकोण से स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ और वह पुरषों के साथ समान अधिकारों के प्रति सजग हुई। पारिवारिक स्थिति से मुक्त हो स्त्री, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने लगी। स्त्रियों की इस प्रगति से समाज की कुछ परंपराओं का खंडन हुआ है और कुछ नवीन मान्यताओं का जन्म हुआ है।

हिन्दी की महिला साहित्यकारों की कृतियों के साथ कृष्णा जी की कृतियों की तुलनात्मक अभिव्यक्ति है। स्त्रियों की व्यथित स्थिति की कहानी ही इन कथाकारों को द्रवित करती है।

कथाकार कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मेहरूनिसा परवेज सभी की कहानियाँ नारीवाद से प्रभावित दिखाई देती है। कृष्णा सोबती का लेखन एक खुलेपन एवं बेबाक सहजपन से ओतप्रोत दिखाई पड़ता है। कृष्णा सोबती के स्त्रीपात्र नैतिक मान्यताओं के विद्रोही दिखाई पड़ते है, परंतु उनमें मानवीय संवेदनाएँ कूट-कूट कर भरी दिखाई पड़ती है। इनकी कहानियाँ आधुनिकता के परिवेश में लिखी गई है।

ममता कालिया की कहानी 'राएवाली' एक ऐसी स्त्री की कहानी है, जो ससुराल में पति सुख से वंचित, अन्याय झेलती हुई, जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी सास एक स्त्री होकर भी अपनी बहू से कोई दयाभाव नहीं रखती। इनकी 'राजू' कहानी भी, एक विधवा बेटी की मायके में उपेक्षा की कहानी है। चूंकि वह गरीब और असहाय है, इसलिए उसका अपमान किया जाता है। ममता कालिया की कहानियों में भी स्त्रियों की करूण स्थिति दिखाई पड़ती है।

ऊषा प्रियवंदा के कहानी संग्रह 'जिंदगी और गुलाब के फूल', 'मेरी प्रिय कहानियाँ', 'एक कोई दूसरा', 'कितना बड़ा झूठ', 'फिर आया बंसत' आदि है। ये कहानियाँ नारी जीवन की त्रासदी का वर्णन है। 'रूकोगी नहीं राधिका' कहानी में ऐसी युवती की कहानी है, जो विदेश पहुंचकर अकेलेपन की त्रासदी में फंस जाती है। स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिकता ऊषा जी की कहानियों में मुख्यता वर्णित है।

मेहरूनिसा परवेज की कहानियां भी स्त्री मन का दर्पण है, जिसमें पिता का पुत्री के प्रति दुर्व्यवहार दिखाई देता है। परिवार का वर्चस्व पुरूष के ही हाथों में रहता है, जिससे उसके परिवार की बालिकाएं कुंठित रहती है। इनकी 'विद्रोह' कहानी में विवाह न हो पाने से बेटी के हृदय में पिता के प्रति कटुता का भाव हैं। अपनी मां का हर बार गर्भवती हो जाना उसके दु:ख को और बढ़ा देते है। पिता का अपने दायित्वों के प्रति उदासीन होना, उसे परिवार के प्रति विद्रोही बना देता है। एक अन्य कहानी 'ओस में डूबा गुलाब' भी एक बेटी का मां के प्रति प्रेम एवं पिता के प्रति घृणा दर्शाती है। क्योंकि पिता मां को छोड़कर अन्य स्त्री से विवाह करना चाहता है। मेहरूनिसा परवेज भी भारतीय समाज में नारियों की दबी-कुचली स्थिति को अवगत कराती है, पुरूषवादी समाज एक बालिका के हृदय को कुंठा से भर देता है। पुरूषो कें अनाचार के प्रति मेहरूनिसा परवेज ने विरोध प्रकट किया है। छोटी आयु में विवाह का दंश झेलती बेटियाँ एवं उनके माता पिता द्वारा उनके दु:खों को अनदेखा कर देना अत्यंत मर्मांतक बात है।

हमारा समाज अपने ही परिवार में जन्मी बेटियों को मृत समझता है, यह कैसी विडम्बना हो जाती है। महिला कथाकारों ने अपनी कहानियों में इस को दिखाया ताकि समाज में बेटियों की करूण स्थिति में परिवर्तन आए। एक स्त्री भी पुरूष की भांति समाज में समान अधिकार प्राप्त है। फिर बेटा एवं बेटी में इतना भेदभाव क्यों ? क्या बेटियाँ योग्य नहीं है ? क्या वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकती है? ऐसा नहीं है।

इन महिला कथाकारों में मालती जोशी जी का भी नाम उभरता है, जिनकी कहानी 'शरण' वृद्धावस्था में अकेलापन झेलती एक मां की कहानी है, जिसको बुढ़ापे की त्रसादी से गुजरना पड़ता है। वात्सल्य से ओत प्रोत कहानी 'प्रतिदान' है। एक मां की अनुभव यात्रा का चित्रण किया गया है। छोटी बहू से तिरस्कृत मां की कहानी 'चाहत' है। इनकी कहानी 'कोऊ न जाननहार' बिटिया के कामकाजी होने के कारण, उसका विवाह न कर पाने की मां-बाप की मजबूरी का वर्णन है। इनकी 'आस्था के आयाम' कहानी में वरपक्ष द्वारा रखी गई शर्त का एक बिटिया द्वारा बहिष्कार किया जाता है। जिसमें उसकी पिता की शादी में उपस्थिति अनिवार्य की जाती है, वह बेटी कहती है कि 'बस यही कहने आई थी कि अगर मां मेरे अभिभावक के रूप आपको ग्राह्य नहीं है तो मुझे भी यह रिश्ता मंजूर नहीं है।'[1]

*शोधार्थी (हिन्दी) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
**विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (हिन्दी) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

मन्नू भंडारी का कहानियों में 'मैं हार गई', 'यही सच है', 'आँखों देखा झूठ', 'त्रिशंकु' आदि कहानियाँ है। कथाकार मन्नू भंडारी भी सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक विसंगतियों पर अपनी कहानी को लिखती है। उनकी कहानी 'ईसा के घर' एक लड़की रत्ना की कहानी है, जो कि फादर के ढोंग का पर्दाफाश करती है और फादर के नियमों का विरोध करती है। चर्च की चारदीवारी के मध्य स्त्रियों की स्थिति अत्यंत खराब होती है। जहाँ अनावश्यक रूप से स्त्रियों को बांधकर रखा जाता, यह अत्यंत क्रूरता वाली बात है। जिसका विरोध कर स्त्रियाँ भाग जाती है। झूठ पाखंड किसी भी व्यक्ति पर अनाचार एवं अन्याय करने की इजाजत नहीं देता। एक स्त्री का भी मन होता है, उनके हृदय में भी प्रेम की भावना होती है। उसे दबाकर रखना और उन्हें जबरदस्ती सजा देना कहा की इंसानियत है ? लेकिन यह सभी घटनाएँ धार्मिकता की आड़ में होती है। धर्म से बड़ा होता है, मानव-धर्म, इस बात को मन्नू भंडारी अत्यंत सहजता एवं निडरता से अपनी कहानियों में प्रकट करती है। शिक्षित महिलाएं, जो कि कामकाजी है, वे भी परिस्थिति के आगे मजबूर है, इसी आधार पर 'नई नौकरी' कहानी की रचना की गई है। 'नई नौकरी' कहानी की नायिका रमा अपने घर और नौकरी की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में फंसी हुई है। रमा जैसी नौकरी पेशा महिलाओं की व्यस्त जीवन शैली का वर्णन मन्नू जी करती हुई कहती है कि 'सबेरे उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती। फिर खुद तैयार होती। तैयार होते-होते ही वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती, नाश्ता करते-करते वह अपना लेक्चर तैयारी करती, तैयार तो क्या करती बस सूंघ भर लेती।' एक औरत की व्यस्तता भरी जिंदगी कितनी कठिन है, यह इस कहानी में दिखाया गया है।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरूषों के लिए चुनौती लिए खडी हुई है। महिला कथाकारों में शिवानी भी पारिवारिक रूप में दबी हुई स्त्रियों की शोषित स्थिति को अपनी कहानियों में दिखाती है। इनकी 'चन्नी' कहानी में ताई के घर पली हुई लड़की की कहानी हैं, जो कि माता-पिता को खो चुकी है। पंरतु उनकी मृत्यु का दोष भी इस लड़की पर मढ़ दिया जाता है। चन्नी कष्टपूर्ण स्थिति से गुजरती है। इनकी 'रतिविलाप' कहानी थी भारतीय परिवारों की करूण कहानी सुनाती है। जिसमें एक मामा द्वारा अनुसूइया का विवाह पागल युवक से करा दिया जाता है। एक कन्या का जीवन बर्बाद हो जाता है। शिवानी भी परिवार में उपेक्षित बेटी की पक्षधर हैं। जो कि अत्यंत दीन-हीन स्थिति में पहुंचा दी जाती है। अपने ही परिवार के सदस्य के हाथों द्वारा, पारिवारिक विघटन के लिए यही स्थिति जिम्मेदार होती है।

कृष्णा सोबती की कहानी 'नफीसा' में भी उन्होंने एक बच्ची की संवेदना को दर्शाया है, जो यह भी नहीं जानती की जीवन-मृत्यु क्या है अत्यंत द्रवित कर देने वाली कहानी है। इनकी 'लामा' कहानी थी एक बच्ची के स्मृति पटल में अंकित लामा की यादे है। जिसकी मृत्यु पश्चात् भी उसे आभास नहीं है कि वह इस दुनिया में नहीं हैं। कृष्णा सोबती भी महिलाओं की भावनाओं को दर्शाने वाली कहानियों की रचनाएं करती रही है।

कथाकार मृदुला गर्ग की कहानियों में स्त्री मन की संवेदना, तड़प का वास्तविक अनुभव दिखाई पड़ता है। इनकी कहानी 'वह मैं ही थी' गर्भवती स्त्री की स्वयं की मनोस्थिति की कहानी है, जो महिला चिकित्सक के अभाव से गांव में प्रसव कराने से डरती है। प्रत्येक महिला को बच्चे को जन्म देने में जो कष्ट का अनुभव होता हैं, उसका जीवन अनुभव यह कहानी है। इस कहानी में मृदुला जी औरतों के विषय में कहती है कि 'सिर्फ औरत ऐसी चीज़ है जिसे कहीं से उखाड़कर कही भी फेंका जा सकता है, इस धारणा के साथ ही वह जड़े जमा लेगी'[3]। अन्य महिला लेखिका चित्रा मुद्गल जी भी अपनी 'केंचुल' कहानी के माध्यम से स्त्री के हृद्य की प्रेम संवेदना का चित्रण करती है। स्त्री चाहे झोपड़पट्टी में ही क्यों न रहती हो, गरीब हो, संघर्षो से भरा जीवन हो, सब सहन कर लेती है, लेकिन प्रेम का अभाव उसके जीवन को नीरसता से भर देता है। कमला अपने वैवाहिक जीवन को जैसे-जैसे गुजार रही है, उसका पति शराबी है और घर गृहस्थी पर उसका तनिक भी ध्यान नहीं है। कमला की स्थिति इस कहानी में दशाई गई है कि 'चार बच्चों की जिम्मेदारी वह चार घर के भाँडी करके से नहीं पूरी कर पा रही थी। देह से ताकत ही निचुड़ गई थी।'[4] मुंबई की बस्ती में रहने वाली गरीब औरते भी अपने प्रेम अधिकारों के प्रति सजग है। प्रेम पाने और अच्छे जीवन के लिए वह किसी से भी टकराने को तैयार होती है। स्त्री के हृद्य के भावों को इस कहानी में चित्रा जी ने बखूबी प्रकट किया है।

अमृता प्रीतम जी ने अपने वेदना को स्त्री कहानियों में प्रकट किया है। इनकी 'बृहस्पतिवार का व्रत' कहानी में एक कॉलगर्ल की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। इनकी 'शाह की कंजरी' कहानी को ऐसी स्त्रियों की कहानी हैं जो शहर की है, परंतु सबकुछ होते हुए भी उनके जीवन में अधूरापन है। कंजरी को शादी वाले घर में शाहनी द्वारा बुलाया जाता है, वहाँ शाहनी को पता चलता है कि उसका शाह जी से भी रिश्ता है, तो वह अपने आप को संभाल कर, शगुन के पैसे कंजरी को देते हुए कहती है कि 'शाह से तूने जो नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल, आज ले ले.....।'[5] 'शाह की कंजरी' कहानी भारतीय नारी के उस रूप का दर्शन कराती है, जहाँ पर अपने पति के अवैध संबंधों को माफकर अपना हृद्य बड़ा कर उसे माफ भी कर देती है। हमारे समाज में स्त्री का यह रूप उसे ऊंचा स्थान प्रदान करता है। वह कभी किसी से भी हार नहीं मानती और दु:खी होकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करती।

कृष्णा अग्निहोत्री भी प्रत्येक स्त्री से सहानुभूति का भाव अपनी कहानियों में दिखाती है। हिन्दू-मुस्लिम स्त्रियों सभी के प्रति कृष्णा का भाव एक समान रहा है। प्रत्येक स्त्री की पीड़ा उनकी स्वयं की पीड़ा है। इनकी 'बेमुख्त' कहानी मुस्लिम परिवार की ऐसी स्त्री की कहानी है, जिसे उसका पति अत्यंत पर्दे में रखता है। बूढे़ पति का साथ और वसीयत का न होना सईदा को संकट की स्थिति में डाल देता है। पति की मृत्यु पश्चात् उसकी जायदाद् भतीजे को मिल जाती है और सईदा को पेट भरने के लिए भी सामान बेचना पड़ता है। भारतीय समाज का पति स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नहीं मानता, उसे लगता है कि स्त्री केवल पुरूष के आधीन होकर ही जीवन जी सकती है। कृष्णा भी स्त्री के अधिकारों की पक्षधर है।

कृष्णा की स्वंय की स्थिति के कारण, उन्होंने अपने दु:ख एवं रोष को अपनी कहानियों में जीवन प्रदान किया उनकी नारी-पात्र दु:ख एवं कष्टों भरी जिंदगी को त्यागकर नवीन आदर्श की स्थापना करती है। उसकी प्रत्येक कहानी स्त्रियों के प्रति समर्पित हैं। स्त्रियों की स्थिति को केवल वही सुधार सकती है, स्त्रियाँ स्वयं अपने अधिकारों को समझे और अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करें। तभी समाज का कल्याण संभव है।

इन सभी समकालीन महिला कथाकारों की भांति कृष्णा भी नारी की स्थिति को सुधारने में अपनी कहानियों में प्रयासरत है। वे स्वयं महिला है, जो कि समाज के भेदभाव पूर्ण व्यवहार से आहत रही है। इनके लेखन कार्य से प्रभावित होकर अनेक स्त्रियाँ समाज में डरकर, अपने कार्य-क्षेत्र में निर्भीकता से कार्य-पालन कर रही है। आज की स्त्री निर्भीक, निडर एवं साहसी है। जो अपने अधिकारों को समझ, उन्हें प्राप्त करना जानती है।

कृष्णा की कहानी 'एक बदमजा लड़की' में एक लड़की जो कि गुणवान

है, पति द्वारा उपेक्षा की शिकार है। हमारे समाज की सुंदरता के प्रति लालच को दर्शाती है। पति के द्वारा अपमानित होने के पश्चात् उसे उत्तर देती हुई वह कहती है कि 'हाँ ठीक कहते हो, समस्त गुणों, तुम्हारे प्रति निष्ठा एवं परिवार की सेवा के बावजूद में एक बदमजा औरत हूँ। पर हूँ तो औरत'।[6]

कृष्णा की कहानी 'एक अनकही गजल' ऐतिहासिक काल से पुरूषों द्वारा स्त्रियों के शोषण पर आधारित है। जिसमें स्त्री भले ही रानी हो पर उसे भी अपनी सुंदरता का दंश भोगना पड़ता है। इस कहानी में औरत की दयनीय स्थिति को कृष्णा ने अत्यंत बेबाकी एवं कटुशब्दों में व्यक्त किया है कि 'सीधे शब्दों में मर्द को औरत नहीं तवायफ ही चाहिए।'[7] कृष्णा के हृदय में पुरूषों की घृणित मनोवृत्ति के प्रति अत्यंत घृणा का भाव प्रदर्शित होता है।

निष्कर्ष – कृष्णा अग्निहोत्री एवं अन्य समकालीन महिला कथाकारों ने नारीमन की व्यथा का झकझोरने वाला चित्रण किया है। मानवीय संवेदनाएं इनकी कहानियों का प्रमुख विषय रहा है। यथार्थ का चित्रण एवं समाज की सच्चाई को उजागर करना इन महिला कथाकारों के लेखन का प्रमुख उद्देश्य दिखाई पड़ता है, वही एक आर्दश संदेश को प्रकट करता है। समकालीन कथाकारों में कृष्णा जी अपने लेखन में अलग स्थान रखती है। उनकी कृत्तियाँ उनके स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्तियाँ है। पुरूषों के सामंतवादी दृष्टिकोण का खंडन एवं भोगवादी प्रवृत्ति से नारी को मुक्त करने का प्रयास, कृष्णा ने अपनी कहानियों में किया है। खुद का जीवन उनकी कृत्तियों का मुख्य आधार बना। यही बात उनकी कृतियों को वास्तविक एवं प्रभावी बनाता है। कृष्णा का लेखन सदैव से नारियों को समर्पित है और हमेशा रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दस प्रतिनिधि कहानियाँ – मालती जोशी (पृ.क्र.101)
2. दस प्रतिनिधि कहानियाँ – मन्नू भंडारी (पृ.क्र.53)
3. दस प्रतिनिधि कहानियाँ – मृदुला गर्ग (पृ.क्र.66)
4. दस प्रतिनिधि कहानियाँ – चित्रा मुद्गल (पृ.क्र.146)
5. दस प्रतिनिधि कहानियाँ – अमृता प्रीतम (पृ.क्र.29)
6. उडानें ऊँची–ऊँची तथा अन्य कहानियाँ – कृष्णा अग्निहोत्री (पृ.क्र.66)
7. श्रेष्ठ कहानियाँ – कृष्णा अग्निहोत्री (पृ.क्र.144)

****

राजी सेठ की कहानियों का संक्षिप्त सिंहावलोकन

संगीता बघेल *

प्रस्तावना – राजी सेठ के अनुसार लिखते रहना ही लेखक के आंतरिक सत्व और विवेक को पार सकने का साधन है। जिंदगी के टेढ़े मेड़े रास्तों के बीच, सम्बद्धों के अन्तर्द्वंद्व को कुरेदती, छोटी बड़ी बातों से खुद को बहलाती कहानी अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है।

राजी ने अपने भीतर पराजित पुरुष को, बल्कि व्यवस्था को जितनी भंगिमाओं के साथ उकेरा है, उससे उनकी मूल्यवत्ता अर्जित की है। भरसक रूप से निरपेक्ष बनी रह कर वे स्त्री की खोट भी पहचाने की कोशिश करती हैं।

राजी की कहानियां हिन्दी जगत् में एक अलग जगह की अधिकारी है और अलग ढंग से अपनी बात करने को महसूस करती हैं। राजी सेठ की दृष्टि में साहित्य से उनका नाता कर्मनिष्ठा का रहा है।

प्रभाकर श्रोत्रिय के अनुसार– 'राजी की तमाम कहानियां किसी सूक्ष्म' और विरल मानस को झनझनाती है। उनका आग्रह पाठक के भीतर सृष्टा को जगाने का है। नतीजे में घटना और चरित्र का बोध निकल जाता है। पाठक का स्व जाग जाता है। पाठक की तन्मयता सर्जक की तन्मयता में बदल जाती है।'

राजी सेठ की कहानियां मनुष्य के बेहतर हिस्से की पक्षधर है। दरअसल अपने गन्तव्य तक पहुंचने के लिए राजी सेठ किसी चमत्कार का सहारा नहीं लेती। एकदम आसपास से उठाई स्थितियों को और पात्रों की पड़ताल के माध्यम' से वे उन तत्वों को खोजती हैं जो मनुष्य की नियतिगत सीमाओं को भी एक समृद्धतर आयाम दे सकेंगे । कहना न होगा कि भाषा के भेदक व्यवहार और अन्तर्दृष्टि की काट के लिए हिन्दी कहानी की प्रख्यात कथाकार राजी सेठ की लेखनी पाठकों के लिए नई नहीं है।

राजी सेठ के लेखन का सिलसिला आगे लगातार जारी रहा जिसमें 'अंधेमोड़ से आगेय, 'उसका आकाश', 'किसके पक्ष में, 'गलत होता पंचतंत्र' आदि में विभिन्न संवेदनाओं का चित्रण किया गया है। 'अंधेमोड़ से आगेय में कहानी की नायिका अपने पति के व्यवहार से त्रस्त है। 'उसका आकाश' में वृद्धावस्था की बेबसी और पीड़ा का चित्रण है। इसी प्रकार 'किसके पक्ष' में, 'गलत होता पंचतंत्र' कहानियों में नारी की दशा और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के द्वंद्व में खण्डित होती आस्था का चित्रण है। अस्तित्व से बड़ा, पुन: वही, अपने विरूद्ध, एक बड़ी घटना जैसी कहानियाँ अकेलेपन का अनुभव करने वाले अधिकांश पात्र प्रौढ ा वृद्ध है। जो दात्वि बोध से युक्त है।

'यात्रामुक्त' संग्रह में लेखिका ने गहन मानवी संवेदना का चित्रण किया है। 'तुम भी', 'मीलों लम्बा पुल', 'उन दोनों के बीच' आदि कहानियों में पति–पत्नी के अन्तर्द्वन्द्व विसंगतियों और कुंठाओं का चित्रण किया है। 'तीसरी हथेली' की नायिका प्रेम संबंधों से परेशान होकर अपने से अलग होना चाहती है। 'अनावृत्त कौन', 'अपने दार्रय, दूसरी ओर से', 'एक बड़ी घटना', 'वे मेरे लिए नहीं', 'योगदीक्षा', 'काया प्रवेश', आदि कहानियों में सामाजिक समस्यांओं, गरीबी, भावुकता आदि का चित्रण हैं। 'किसका इतिहास' में पिता पुत्र के जीवन का हिस्सा नहीं बनने की लाचारी है। बाहरी लोग में विभाजन की समस्या का चित्रण है। आगत में अपाहिज की मनोदशा का चित्रण है। 'अकारण तो नहीं' में अस्वस्थ्य दाम्पत्य संबंधों का चित्रण किया गया है। 'बुत' कहानी में पति का चाल चलन और पत्नी के बर्ताव का चित्रण है।

'सदियों से' हानी में तनाव और प्रेम प्रसंगों एवं दाम्पत्य संबंधों का चित्रण है। 'दूसरे देशकाल' में पति–पत्नी के बीच तलाक का मामला है। 'घोड़े से गधे' और 'कब तक' में घरेलू नौकरों की समस्या है। 'गलियारेय कहानी में अपंग किशोर की पीड़ा का चित्रण है।

राजी सेठ के उपन्यासों की भी संक्षेप में चर्चा करना आवश्क होगा। 1995 में निष्कवच उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसमें दो वृत्तान्तों का लघुरूप चित्रण है, जिसमें आज की युवा मानसिकता का चित्रण किया है। दूसरे वृत्तान्त के प्रसंग में मार्था के स्वैराचार का चित्रण है।

महिला लेखन के विषय में राजी सेठ का कथन है कि– 'वे महिला लेखन को अपनी पीड़ा में से गुजरने का इतिहास मानती है। महिला लेखन के संदर्भ में राजी सेठ कहती है कि–'आत्महत्या की सरहदे लांघना सही है वे नारी के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि नारी की समस्याओं का साहित्यिक निदान नारी ही कर सकती है। और नारी के प्रति अन्याय नहीं कर पाती। राजी सेठ का विचार है कि नारी की स्थिति प्रौन्नत हो जाती है जब वह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है।

साहित्य के क्षेत्र में राजी सेठ का विचार है वे अपने गन्तव्य तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार का सहारा नहीं लेती। एकदम आसपास से उठाई गई स्थितियों और पात्रों की पड़ताल के माध्यम से उन तत्वों को खोजती हैं। राजी सेठ का है कथन, उनके लेखन की शुरूआत अनायस ही हुई। लेकिन इसके साथ ही उनका कथन विचारणी है कि हो सकता है भीतर की घुटन रास्ता पाने के लिए व्यग्र 'और तौर बैठी हो।' अर्थात् लेखन अनायस ही शुरू नहीं हुआ बल्कि उनके भीतर लेखन की कुलबुलाहट बैचेन कर रही हो। इस प्रकार एक के बाद एक रचना की सफलता के कारण उनके लेखन कम' के प्रति उत्साह दिन ब दिन बढ़ता गया। इस प्रकार संचित ज्ञान उन्हें लेखन की ओर प्रवृत्त करता रहा।

वस्तुत: रचना प्रकिया के पीछे कहीं न कहीं जीवन के अनुभव निहित रहते हैं, इसी संदर्भ में राजी सेठ लिखती है कि, 'संवेदन से झनझनाते जीवन में अनुभव और अभिव्यक्ति के संश्लेषण से किसी रचना के बन पाने और

*शोधार्थी (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

भावात्मक निष्पत्ति तक पहुँच पाने की संभावना विश्वास ने ही मुझे रचनागत रखा।'

राजी सेठ ने जब 'तत्सम उपन्यास लिखा था तब दुनिया भर में स्त्रीवाद का शोर था। इसलिए कहीं न कहीं एक ऐसा नारीवाद का बोध इन तमाम उपन्यासों में हैं, जो स्त्री की स्वायत्तता, उनके स्वाभिमान, उसकी अस्मिता, उसके प्रति जेंडर संवेदनशीलता जेंडर बराबरी के भाव से जुड़ा है। राजी भी अपवाद नहीं है चाहे इस नारीवाद में बहुत ऊँची आवाज में उन्होंने कोई पृथक् फलसफा रचा हो।

राजी सेठ को देशभक्ति और देश विभाजन–दोनों साथ–साथ मिले। देशभक्ति का पैतृक संस्कार पाकर वे अपनी सूची आधुनिकता में देश का निजत्व अपनी रचनाओं में का' रख सकी और विभाजन में उन्होंने एक बड़ी विडम्बना देखी है कि विभाजन मात्र जमीन का भूगोल का ही नहीं हुआ और इतिहास इस प्रकार खंडित हुआ कि हमारी जाती स्मृति का प्रतिनिधि कालसंज्ञा न लग कर कट्टरताओं, बुनियाद प्रस्तों और दुराग हों का कुटिल पोथा बन कर रह गया।

पुरुष स्पर्धी आधुनिक स्त्री की तरह राजी अपने लिखने में न तो स्त्री होने से इन्कार करती है और न उसे नष्ट करती हैं, बल्कि अपने नैसर्गिक रूप में आने देती हैं। उनकी उत्कृष्टता का वह सृजनात्मक उपोग करती हैं। वैसे भी राजी सपाट मॉडल रचकर एक रूढि को तोड़ते हुए दूसरी रूढि नहीं बनाती। राजी मनुष्य के आन्तरिक रचना की लेखिका है। कथा–सूत्र या घटना उसके लिए सहायक उपादान है। वह कथा नहीं कहती बल्कि भीतर घटित होने वाले सूक्ष्म संवेदों को और परिवर्तनों को चुनती है।

राजी सेठ अपने मूल्यांकन के लिए निर्मम निरपेक्ष व्यक्ति की तलाश करती है और बिना आत्मी संबंधों के स्पष्ट ढंग से उनके सृजन के बारे में राय दे सके, आलोचना कर सके, कमियाँ बता सके और उन सबको बताते हुए उनका मूल्यांकन करें। राजी सेठ की कहानियां कथ्य पर केन्द्रित हैं। उनकी कहानियों में दर्शन का मनोवैज्ञानिक का प्रभाव सा दिखता है।

राजी जी इन पक्षपातपूर्व दृष्टिकोण से सहमत नहीं कि नारी की समस्याओं का साहित्कि निदान नारी ही कर सकती है और नारी पात्रों के प्रति न्याय नहीं कर सकती। स्त्रियाँ पुरुष चरित्र भी रचती हैं और पुरुष लेखक नारी पात्रों का सृजन भी करते हैं। पुरुष या स्त्री होने से लेखक पर पुरुष या स्त्री की ही विशिष्ट छाप नहीं होती।

नारी के संदर्भ यें विशेष कर उस नारी के संदर्भ यें जो नारी नहीं है, अपितु वह सजृनकर्ता भी है और नारी के हट कर उसे सृजन की उच्च भूमिका दायित्व निभाना है।

राजी सेठ की भाषा के संबंध यें 'अंधे योड़ से आगे' की प्रतिक्रिया स्वरूप राजेन्द्र यादव कहते है कि– 'इन कहानियों यें जो सबसे ना लगता है, ा जिससे ह'ारा पहला सम्पर्क बना है, वही है भाषा उसका ना और किसी हद तक, ताजा होना ही सबसे पहले बताता है, कि आप किसी 'विशिष्ट से गुजर रहे हैं। वे मानते है कि अनुभव से अर्थ तक पहुँचने की प्रकिया इन कहानियों को विशिष्ट बनाती है।'

इसी प्रकार डॉ. प्रभा सक्सेना 'अंधेमोड़ से आगे' के भाषा सन्दर्भ में लिखती है कि, 'सभी कहानियों की भाषा लगभग एक जैसी ही है। परिष्कृत पर अतीत का स्मरण दिलाती, नयी कहानी के बहुत कुछ समीप। कारण कुछ भी रहा हो अंग्रेजी शब्दों के बावजूद कहानियों भाषा–वैविध्य नहीं हैं, किन्तु भाषागत शालीनता में लेखिका की मानसिकता की सोच एकदम पकड़ी जाती है। इस प्रयास के रूप में 'सत्य की जितनी पकड़ इन कहानियों में ही पायी हैं वह स्वागत योग्य है।'

राजी सेठ की कहानियों मात्र घटना–प्रसंगों का ठीक चित्रण नहीं ि'लता अपितु कहानी में लिखित संवेदनाओं और संवेगों का अधिक चित्रण किया गया है। भले ही यह आवेग प्रेम से लेकर व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में हो। रूढि और परम्परा के बीच पीसती हुई उनकी मानवाधिकार संबंधी सजगता को लेकर राजी सेठ अपने अनुभव वृत्त को शब्दबद्ध करती है।

समकालीन कथाकार के संदर्भ में रमेश दवे राजी सेठ के लेखकी कर्म के संबंध में कहते हैं कि– 'कथाकार केवल कथाकार होता है और कथा न स्त्री की होती है और न पुरूष की, वह तो एक समग्र रचनाकर्म है, चिन्तन, संवेदन, अनुभूति, दर्शन और विचार है, शिल्प और सौंदर्य है और एक पूरा जीवन भी है।'

कहानीकार के रूप में राजी सेठ अपने अनुभव को लोक जागृति के रूप में देखती है। वह कहानी के अपने प्रचलित ढांचे से मुक्त करके अपने अनुभव और संवेदना के द्वारा कहानी को जन्म देती हैं। अन्य स्त्री लेखिकाओं की तरह राजी सेठ ने भी स्त्री अस्मिता की स्थापना में पुरूष दम्भ का कोई प्रदर्शन नहीं किया है, अपितु उनकी विचारधारा में सामाजिक रूप से पुरूष और स्त्री समान है। साहस आदि में भी समान है। उनकी सहजता में इसी प्रकार की कृत्रिमता की गंध नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रभाकर श्रोत्रिय– 'यमार्था का देश' कहानी संग्रह की प्रस्तावना ।
2. राजी सेठ से साक्षात्कार, पृ.187
3. रमेश दवे/राजेन्द्र यादव की प्रतिकिया /राजी सेठ – संवेदना का कथादर्शन से उद्धृत, पृ. 144
4. रमेश दवे–राजी सेठ – संवेदना का कथादर्शन/डॉ. प्रभा सक्सेना की टिप्पणी से उद्धृत, पृ.145
5. रमेश दवे– राजी सेठ – संवेदना का कथादर्शन, प्राक्कथन पृ. 10 से उद्धृत ।

****

नारी अस्मिता का अर्थ एवं स्वरूप

डॉ. शशिकान्त चंदेला *

शोध सारांश – मानव सभ्यता के विकास में अस्मिता के कितने मानक रचे गए हैं, वे सब नई–नई परिस्थितियों के कारण सफल नहीं हो पाए और वृहत्तर समूह या समाज तथा लघुत्तर समूह या समाज में विरोध उत्पन्न हुआ है। इनके भीतर भी लैंगिक विरोध उत्पन्न हुआ है। समकालीन कहानी में स्त्री अस्मिता का जंग पहला स्तर है जो स्त्री अस्मिता के विभिन्न पक्षों और पहलुओं पर विचार करता है।

अस्तु, 'अस्मिता' मूलत: एक विखंडनधर्मी स्वर है और राष्ट्रीयता का पर्याय भी है। इतना ही नहीं शक्ति और सत्ता के समीकरण में अपने हिस्से की मांग है तथा संकट के क्षण में एक जुट होने का संकल्प है।

प्रस्तावना – मनुष्य जीवन के लिए उसके होने की सार्थकता महत्त्वपूर्ण है। अब चाहे स्त्री हो या पुरुष या अन्य। सदियों से यह देखते आ रहें हैं कि पुरुष की सत्ता है, उसके द्वारा बनाया गया संविधान है, सारे अधिकार उसी के पास हैं किन्तु स्त्री के पास क्या है? उसकी अपनी पहचान, वजूद और अधिकार कुछ भी नहीं है, जिसे केन्द्रित कर आज की नारी लिख रही है। लिख ही नहीं रही स्त्री संसार को पहचान देने के लिए बेकरार भी है।

अस्मिता शब्द बहुत व्यापक है, विविधधर्मी है, विविधायामी है। वह एक स्वर है, विखंडनधर्मी स्वर है। जो अस्मत से बना है। अस्मत अर्थात् आबरू, इज्जत। इस तरह अस्मिता की परिभाषा, अर्थ एवं स्वरूप बहुत व्यापक है। अस्मिता का शब्दकोषीय अर्थ इस प्रकार है– 'अस्मिता स्त्री अहम् भाव अभिमान।'[1]

अस्मिता के अर्थ को अत्याधुनिक अस्तित्ववाद की कोटि से जोड़ते हुए राजेश्वर सक्सेना कहते हैं कि– 'हिन्दी अस्मिता नामक कोटि को तरह–तरह के अनुभूतिवादियों ने और आधुनिकता बोधवादियों ने जुलाहे की रुई की तरह खूब धुना है। संवृत्तिवाद और अस्तित्त्ववाद में इस अस्मिता के नितांत आत्मपरक अर्थ की खोज पर जोर बना रहता है। वैसे भी, यह अस्मिता आधुनिक अस्तित्त्ववाद की एक महत्त्वपूर्ण कोटि है। अस्तित्त्ववाद में इसके आधुनिक शास्त्र को रचा गया है।'[2] अशोक मानक हिन्दी–हिन्दी शब्दकोष में डॉ. शिवप्रसाद शास्त्री अस्मिता का अर्थ इस प्रकार निर्धारित करते हैं– 'अस्मिता स्त्री स दृक् दृष्टया और दर्शन शक्ति को एक मानना या पुरुष आत्मा और बुद्धि में अभेद मानने की भ्रांति योग गर्व, अभिमान, मोह, अपने अस्तित्व पर गौरव का भाव।'[3]

भारत के आत्माभिव्यक्तिवादी चिंतन में भी इसकी अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं।[4] राजेश्वर सक्सेना अस्मिता के बारे में प्रश्न उठाते हैं और उस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं , जहाँ से अस्मिता के बीज मिलते हैं। अस्मिता को ज्ञान के सिद्धांत तक लाने के प्रयास क्या हुए हैं और इन प्रयासों का रूझान क्या रहा है? यदि अस्मिता और ज्ञान के सिद्धांत को कोई आधार बनाता है, तो इसी आधार से अस्मिता नाम की कोटि को संज्ञानी विज्ञान से जोड़ा या बांधा जा सकता है।

ऐसे आधार को पकड़ लेने पर अस्मिता की भौतिक दृष्टि बनने लगेगी। अस्मिता और अभिक्रिया के द्वन्द्ववाद की दृष्टि बनने लगेगी। यह ज्ञात होने लगेगा कि हमारी कर्मेंद्रिन्याँ और ज्ञानेन्द्रियाँ एक लय होकर अस्मिता के बीज बोती है।[5]

अस्मिता का स्वरूप गठन मानसिक चेतना का परिणाम है। मानस से उद्वेलित अंत:क्रियाएँ अस्मिता के विकास की प्रक्रिया है। राजेश्वर सक्सेना अस्मिता की भूमिका तय करने की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं– 'उसमें गहन क्रियाओं–प्रतिक्रियाओं का अगणित अनुकूलताओं–प्रतिकूलताओं का, कुंठ–अकुंठ का द्वन्द्व भरा रहता है। मन रच–रचाओं विकास की प्रक्रिया की मूर्त–अमूर्त का यह मुद्दा है जिसमें विशेष और सामान्य स्थितियाँ और भूमिकाएँ तय होती हैं।'[6]

अस्मिता में रूप और आभास संबंद्ध होते हैं। इसमें भव्य, रम्य और अद्भुत रमणीय बंधा रहता है। दरअसल एक जीवंत पहचान होती है, तभी तो समकालीन कहानी अस्मिता की सार्थक तलाश को साबित करने में लगी है। अस्मिता केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वह एक पहचान भी है, सार्थक पहचान। दूसरा यह कि यह स्वतंत्रता मूल्य का वाचक है – व्यक्ति–व्यक्ति की स्वतंत्रता का। इसका मूलभूत संबंध मनुष्यता से है, इसलिए समकालीन कहानी और कहानीकारों का बुनियादी सवाल है। आज हर कहानीकार का कथ्य अस्मिता के परिक्षेत्र को अपने में समेटे हुए है। राजेश्वर सक्सेना अस्मिता के जातीय अस्तित्त्व पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं– 'यदि इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो पहचान की जातीयता का अस्तित्त्व ही मिट जायेगा।'[7]

आज अस्मिता विषयक प्रश्न क्यों उठाए जा रहें? इस पर चिंतन करते हैं, तो ज्ञात होता है कि स्त्री, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, श्रमिक आदि दमित–वंचित जनों के जीवन की सही–सही पहचान, उनके वास्तविक अधिकारों की यथार्थता तथा उसके कृत्रिम आडम्बरी और मिथ्या–भेद को समझा जा सके।

सवाल अस्मिता का अर्थ और रूप का है। इस शब्द में मूर्तता है। मूर्तता इसलिए कि इसमें दिक् और काल का अंत:संबंध है। दिक् और काल का बाहरी और भीतरी द्वन्द्व है। इसमें अनुभव, ज्ञान और अर्थ–विधान का विमर्ष है। अस्मिता विमर्श केवल नारी जगत् के लिए ही नहीं है; बल्कि संपूर्ण मानवता

* उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्च. माध्यमिक विद्यालय, रीठी, जिला–कटनी (म.प्र.) भारत

के अस्तित्त्व के पहचान का है। अस्मिता वस्तुमयता नहीं है। इसका भौतिक स्वरूप नहीं है। यह तो समूचे जीवन-बोध का स्पंदन, उन्मेष और उत्कर्ष है। मनुष्य के मनुष्य बने रहने का प्रश्न है। डॉ. महेन्द्र कार्तिकेय अस्मिता के स्वरूप पर विचार करते हुए कहते हैं- 'समकालीन साहित्य की प्रासंगिकता का प्रश्न मनुष्य की अस्मिता और अस्तित्त्व से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के मनुष्य बने रहने का प्रश्न है।'[8]

अर्चना वर्मा अस्मिता को निजी वैयक्तिक तलाश की खोज मानती एवं उसकी ठीक-ठीक परिभाषा देती हुई कहती हैं- 'अस्मिता यानी कोऽहम। मैं कौन हूँ। इस प्रष्न का उत्तर खोजने के क्रम हम अपनी छवि निर्धारित करते हैं और अपने कर्मों का चुनाव भी।'[9] दूसरा वे अस्मिता विमर्श को 'ताकत के बटवारे की सैद्धांतिकी मानती हैं।'[10] इस ताकत से सत्ता और शक्ति के समीकरण में अपने हिस्से पर दावे की बात करतीं है। उनका मानना है कि- 'भूमंडलीकरण का नारा जहाँ से आया है वहीं से अस्मिता विमर्श भी।'[11]

जगदीश्वर चतुर्वेदी और सुधा सिंह के अस्मिता संबंधी विचार लैंगिक भेद या लैंगिकता की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि- 'स्त्री अस्मिता पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्त्री के अनेक सामाजिक स्तर होने के बावजूद उसका लैगिक स्तर अंतत:निर्णायक भूमिका अदा करती है।'[12]

आज का हमारा समय बहुत खतरनाक और बर्बर है। मानव सभ्यता के विकास में अस्मिता के कितने मानक रचे गए हैं वे सब नई-नई परिस्थितियों के कारण सफल नहीं हो पाए है और वृहत्तर समूह या समाज तथा लघुत्तर समूह या समाज में विरोध उत्पन्न हुआ है। इनके भी भीतर लैंगिक विरोध उत्पन्न हुआ है। समकालीन कहानी के स्त्री अस्मिता का जंग पहला स्तर है जो स्त्री अस्मिता के विभिन्न पक्षों और पहलुओं पर विचार करता है।

जब तक स्त्री अस्मिता पर विचार नहीं करेंगें तब तक राष्ट्रीयता के विकास की संभावनाएँ झूठी है। अर्चना वर्मा कहती हैं- 'हमारे अब तक के इतिहास में अस्मिता का व्यापकतम रूप भारतीय अस्मिता के नाम से दर्ज है। इस रूप में यह राष्ट्रीय चेतना का पर्याय है।'[13]

अस्मिता का स्वरूप व्यापक है। यह निजी और वैयक्तिक दायरे से निकलकर सामाजिक, राजनैतिक परिदृश्य तक फैला हुआ है तभी तो सामयिक युग में अस्मिता का स्वर प्रखर और मुखर हुआ है। अलग-अलग क्षेत्र में भले ही इसके समीकरण अलग हों, पर मूल स्वर एक ही है - अपनी पहचान बनाने का, अपने स्वाभिमान के मांग का। अर्चना वर्मा अस्मिता के व्यापक स्वरूप पर दृष्टि डालती हुई कहती हैं- 'यह मूलत: एक विखंडनधर्मी स्वर है। इसकी सामाजिक कार्यवाही यह है कि वृहत्तर समाज के भीतर लघुत्तर जन समूह अपने अन्य जन समूहों की तुलना और प्राय:विरोध में पहचानते और परिभाषित करते हैं। इसका राजनीतिक कार्यक्रम शक्ति और सत्ता के समीकरण में अपने हिस्से की मांग का है।'[15]

इस प्रकार अस्मिता एक क्रांतिकारी स्वर है। समाज के विकास में नारी जागरण का अस्मिता विमर्श निर्णायक प्रयास है। अस्मिता की इतनी व्यापक पहचान जितनी इस सदी में हुई है उतनी किसी और में नहीं है। सचमुच संकट के क्षण में अस्मिता एक जुट होने का संकल्प है। अस्मिता विमर्श की शुरूआत अपने दलित, वंचित और कमजोर होने के अहसास के साथ शुरू होती है। यह भूमंडलीय वर्चस्व को बनाये रखने की जरूरी रणनीति भी है। जहाँ भाषिक, प्रादेशिक, लैंगिक और जातिगत अस्मिताएँ अपनी दुर्दशा को कह पाने की एक तरह की क्रांति समझती है। यही अस्मिता विमर्श की विलक्षणता है, व्यापकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सं. लक्ष्मीकांत उपाध्याय : समय हिंदी शब्दकोष, समय प्रकाशन प्रथम 1/16 शांति मोहन हाउस अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली 110002 पृ. 45
2. शिव प्रसाद शास्त्री : अशोक मानक हिंदी, हिंदी शब्दकोष , अशोक प्रकाशन नई सडक दिल्ली-6 पृ. 89
3. राजेश्वर सक्सेना : उत्तर आधुनिक सौन्दर्यशास्त्र और द्वन्द्ववाद ए-14 आदर्श नगर दुर्ग म. प्र.-491003, अंक जुलाई-दिसम्बर-99 पृ. 360
4. वही-पृ.360
5. वही-पृ. 360
6. वही-पृ. 361
7. वही-पृ. 362
8. डॉ. महेन्द्र कार्तिकेय : साहित्य अर्थवत्ता और भविष्य, विद्या प्रकाशन मंदिर 1681 दरियागंज नई दिल्ली 110002 पृ. 49
9. शंभुनाथ : समकालीन सृजन आधुनिकता की पुनर्व्याख्या 20 बाल मुकुन्द मक्कर रोड,कलकत्ता 700007 सं. 2002 अंक 21 पृ. 205
10. वही-पृ. 205
11. वही-पृ. 205
12. जगदीश्वर चतुर्वेदी, सुधा सिंह : स्त्री अस्मिता साहित्य और विचारधारा, आनंद प्रकाशन कोलकाता 700007 पृ. 8
13. शंभुनाथ : समकालीन सृजन आधुनिकता की पुनर्व्याख्या 20 बाल मुकुन्द मक्कर रोड, कलकत्ता 700007 सं. 2002 अंक 21 पृ. 205
14. वही-पृ. 205

****

महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती – खादी चरखा और महात्मा गाँधी युग

विमला रावतले *

प्रस्तावना – राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अगणित व्यक्तियों संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है, प्रारम्भिक वर्षो में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीकों से देश का नेतृत्व किया था, परन्तु बाद में नेतृत्व उग्रराष्ट्रवादियों के हाथ में आया उग्रराष्ट्रवादियों ने अपने असीम देश प्रेम, बलिदान, त्याग कर स्वतंत्रता आन्दोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान किया। महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध और प्रतिरोध करने के अपने तरीकों द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक तरीकों द्वारा राष्ट्रवाद प्रदान किया।

गाँधी युग राष्ट्रीय आन्दोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य, विरोधी, जन आन्दोलन में बदल गया। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गाँधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बने। इंग्लैण्ड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गय थे। अफ्रीका सरकार की भेदभाव पूर्ण और रंगभेद की नीति के विरूद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। यह कर्म–दर्शन अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली जन– आन्दोलन चले कानूनों का उलंघन शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल–बेचने वाली दुकानों पर धरना, कर न चुकाना, यही इन आन्दोलनों के मूल तत्व थे।

गाँधीजी, सादा जीवन बिताते थे तथा जनता से उसी भाषा में बात करते थे, जिसे वह समझती थी। इसलिए भी गाँधीजी को 'महात्मा' कहा जाने लगा। गाँधीजी का जीवन और विचार सत्य और अहिंसा के महान आदर्शो पर आधारित थे। सामाजिक सुधार को गाँधी ने राष्ट्रवादी आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बना दिया। इनका दूसरा सबसे बड़ा योगदान 'कुटीर उद्योगों' के क्षेत्र में था। चरखे को इन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बतलाया और चरखे को बढ़ावा देना कांग्रेस का एक अंग बन गया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा, चरखे ने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इसका महत्व इतना बढ़ गया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झण्डे में भी आ गया।

खादी के जन्म से जुड़ी महात्मा गाँधी की एक आत्मकथा हैं जिसमें महात्मा गाँधी ने खादी के जन्म को लेकर अपनी एक रोचक आत्मकथा बताई है। गाँधी जी कहते हैं, कि हमें अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे। इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बन्द किया और यह तय किया कि वे हाथ–करधे पर देखी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा ही पहनेगें। इसमें बहुत सारी कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता। बहुत मुश्किल से इन्हें कुछ बुनकर मिले, जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की, इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा हमने पहना और प्रचार भी किया लेकिन ऐसे में तो हम काटने वाली मिलों के एजेंट बन गए थे, इसलिए उन्होंने तय किया की अब हम सूत से कपड़ा खुद ही बुनेंगे और वो भी चरखे की मदद से। हाँ लेकिन आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कई लोगों की मदद से ये कर दिखाया क्योंकि जब तक हम हाथ से सूत काटेगें नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। तो इस तरह खादी का जन्म हुआ।

जब बापू वर्धा से सेवा ग्राम चले गए थे। वहाँ उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से सम्पर्क करना आरम्भ कर दिया। वह रोजाना उन लोगों को सफाई का महत्व बताते और नियमित रूप से वहाँ सफाई भी करते। कभी वहाँ की गलियों में झाडू लगवाते कभी कुछ बच्चों को स्नान कराते यहाँ तक कि बापू उनके गंदे कपड़े को खुद अपने हाथों से धोने में भी संकोच नहीं करते थे, ऐसा करते बापू को तीन महीने हो गए। लेकिन वहाँ के लोगों में स्वच्छता और सफाई के प्रति कोई लगाव नजर नहीं आया। वे मेले–कुचले कपड़ों में ही घूमते रहते थे। बापू के साथ आए कार्यकर्त्ता यह सब देख रहे थे। एक दिन एक कार्यकर्त्ता ने कहाँ 'बापू' आपकों इन लोगों की सेवा करते हुए महीनों बीत गए पर कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अपनी सफाई तो छोड़ो ये अपने बच्चों को भी साफ सुथरे नहीं रखते। वे गन्दा पहनते है गंदा खाते हैं यदि आपने खुद उन्हें साफ कपड़े पहना दिए या अच्छा भोजन करा दिया तो ठीक वरना वे गंदगी में ही पड़े रहेंगे, वैसे ही खाएगे। उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

कार्यकर्त्ता की बात सुनकर बापू बोले, बस इतने में धैर्य खो दिया, अरे भाई जिन ग्रामीणों की हम सदियों से उपेक्षा करते आए है उनकी कुछ वर्षो तक तो नि: स्वार्थ सेवा करनी ही होगी। आपको धौर्य से काम लेना होगा। नवनिर्माण में किसी चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए, आज भले ही स्वच्छता के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव न हो, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब सफाई इनके जीवन का अंग बन जाएगी। कार्यकर्ताओं ने गाँधी जी की बात पर अपनी सहमति दिखाई और वे पूरी लगन, निष्ठा और नवनिर्माण का सपना सजोकर वहाँ सफाई अभियान में जुटकर उसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा।

खादी भारतीय कपड़ा विरासत का प्रतीक है। भारत की आजादी की लड़ाई में पूरे देश को संगठित करने में महात्मा गाँधी खादी और चरखे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गाँधी ने उपनिवेशवाद और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान चरखे का उपयोग किया। इसका मकसद आत्मनिर्भरता और गरीब के खिलाफ लड़ाई था। जिसके तहत महात्मा गाँधी ने खादी का समान इस्तेमाल करने का अत्यधिक समर्थन किया था। आजादी

* (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

की लड़ाई के वक्त गाँधी जी कहते थे, तुम तब तक सुखी नहीं हो सकते हो, जब तक तुम्हारा समाज सुखी नहीं हो जाता। उन्होंने सुख की परिभाषा को व्यापक बना दिया और उसे जीवन शैली से जोड़ दिया। साल 1918 में उन्होंने देश से गरीबी मिटाने और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए एक आन्दोलन की शुरूआत की थी। जिसके तहत देशवासियों को विदेशों से आए कपड़े ना पहनने और देश में बने कपड़े के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया गया। इसमें कई लोगों ने गाँधी जी के साथ मिलकर चरखे की मदद से सूत निकाला और खादी का निर्माण और इस्तेमान भी किया। वर्तमान में खादी से सम्बंधित बात कहे या श्रम दान करना। इसके एक-दो उदाहरण हमें आज भी कस्तुरबाग्राम रूरल इस्टीट्यूट ऑफ इन्दौर, विद्यामंदिर कस्तुरबाग्राम इन्दौर, यहाँ आज भी चरखे से सूत तैयार किया जाता है। साथ ही यहाँ का हर स्टॉफ, छात्राएँ उसमें अपना योगदान देती है, सभी महिलाए केवल खादी के ही कपड़े धारण करती है। और हर शुक्रवार को इस कॉलेज में श्रमदान किया जाता है, पूरा स्टॉफ शामिल होता है। जिसमें कॉलेज के अन्दर से लेकर आसपास का क्षेत्र मैदान सभी जगहों की सफाई स्वयं स्टॉफ और छात्राओं द्वारा किया जाता है। छात्राओं के लिए हर प्रतिदिन 6 से 8 बजे का काम करने का निश्चित समय होता है। शुक्रवार के श्रमदान में स्वीपर, से लेकर बाथरूम, टायलेट का काम भी स्वयं यही छात्राएँ करती है। झाडू पोछा सभी काम होते है, साथ ही छात्राएँ विजिट का काम गाँव-गाँव में जाकर स्वयं महिलाओं को जागरूक करना सिलाई कढ़ाई, बुनाई भी सिखाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।

विद्यामंदिर यहाँ भी पहली से बारहवीं तक की छात्राएँ है यहाँ भी हफ्ते में एक दिन श्रमदान का कार्य करते है, जिसमें नर्स स्टॉफ भी इनके साथ होती है। जो इसी संस्था से जुड़ी है। तीसरा उदाहरण कस्तुरबा वानवासी आश्रम निवाली, झाकर, तलाव, है जहाँ ये सभी कार्य किए जाते है, इन पाँचों संस्थाओं में कपड़े खादी के ही पहने जाते है। पाँचों संस्थाएँ गाँधी जी की पत्नी कस्तुरबा के नाम से चलते है। कस्तुरबाग्राम की लड़किया, स्टॉफ कर्मचारी सभी लोग गाँधी जी की हर बात का अनुसरण करते है और उनकी हर बात का अपने जीवन में उपयोग करते हैं गाँधीजी जिस प्रकार से स्वयं अपनी थाली और अपना सारा काम स्वयं करते थे उसी प्रकार कस्तुरबा ग्राम, की लड़किया स्वयं अपना काम स्वयं ही करती है।

निष्कर्ष – खादी का रिश्ता हमारे इतिहास और परंपरा से है। आजादी के आन्दोलन में महात्मा गाँधी ने खादी को एक अहिंसक और रचनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। खादी विदेश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

साहित्यदर्पण में काव्य-भेद विमर्श

डॉ. आराधना *

प्रस्तावना – काव्यशास्त्र में काव्य-भेदों का वर्णन व्यापक चिन्तन का विषय रहा है। काव्य का विभाजन अनेक दृष्टियों से किया गया है। अर्थ, बन्ध, शैली तथा इन्द्रियमाध्यस्थ्य की दृष्टि से काव्य के विभाजन की चर्चा तो प्रसिद्ध ही है, भाषा की दृष्टि से भी काव्य प्रभेद पर विचार किया गया है। इन्द्रियमाध्यस्थ्य की दृष्टि से किया जाने वाला विभाजन श्रव्य एवं दृश्य है। यह विभाग प्राचीन है। श्रव्य के अर्थ में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। दृश्य के पर्याय रूप में नाट्य रूप एवं रूपक संज्ञाओं का प्रयोग है। बंध की दृष्टि से किये गये विभाग के समान शैली की दृष्टि से किया गया विभाग भी श्रव्य के अन्तर्ग आता है। भामह ने काव्य-विधा को आधार बनाकर प्रबन्ध, मुक्तक, नाटक, कथा और आख्यायिका ये पाँच भेद किये-

सर्गबन्धोऽभिनेयार्थ तथैवाख्यायिकाकथे।
अनिबद्धंच काव्यादि तत्पुन: पंचधोच्यते।।

काव्यालंकार, भामह, 1/18

भाषा के आधार पर अधिकाधिक छह भेद माने गये हैं- प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी तथा अपभ्रंश काव्य -

भाषाभेदनिमित्त: षोढ़ा भेदोऽस्य संभवति।।
प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्च सूरसेनी च।
षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंश:।।

काव्यालंकार, भामह, 2/11-12

काव्य रूप को आधार बनाकर दण्डी ने गद्य, पद्य एवं मिश्र - ये तीन भेद माने हैं-

गद्यं पद्यं व मिश्रं च तत् त्रिधैव व्यवस्थितम्।

काव्यादर्श, 1/11

बन्ध, शैली एवं इन्द्रियमाध्यस्थ की दृष्टि से किया गया विभाजन बहुत प्राचीन है, परन्तु अर्थ की दृष्टि से विभाजन का क्रम नवीन है। अर्थ की दृष्टि से चर्चा सर्वप्रथम आनन्दवर्द्धनाचार्य ने प्रारम्भ की थी। उसका आधार अर्थगत चमत्कार का तारतमिक अवस्थान है।

अर्थ में चमत्कार का आधान करने वाला तत्तव आनन्दवर्धन ध्वनिवादी आचार्यों ने ही अविष्कृत किया है। यही कारण था कि ध्वनि सम्प्रदाय के आविर्भाव से पूर्व इस दृष्टिकोण से विभाजन नहीं हुआ है।

ध्वनिवादी आचार्यों ने प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा माना है। औचित्य की दृष्टि से प्रतीयमान की स्थिति पहले तो दो रूपों में संभव है- (1) स्फुट रूप में तथा (2) अस्फुटतर रूप में। प्रथम स्थिति का भी प्रतीयमान कभी प्रधान रूप से प्रतीत हो सकता है और कभी अप्रधान रूप से प्रतीत हो सकता है। इस प्रकार सब मिलाकर तीन स्थितियाँ हुई-

1. स्फुट रूप में प्रधान स्थिति।
2. स्फुट रूप में अप्रधान स्थिति।
3. अस्फुटतर रूप में स्थिति।

प्रतीयमान अर्थ की प्रथम स्थिति रहने पर 'उत्तम काव्य', द्वितीय स्थिति रहने पर 'मध्यम' तथा तृतीय स्थिति रहने पर 'अधम' काव्य माना गया है। मम्मट ने स्पष्ट किया है कि वाच्य से व्यय के अतिशय को 'उत्तम काव्य' कहते हैं-

इदमुत्तमतिशायिनि व्यये वाच्यादृवनिर्बुधै: कथित:।

काव्यप्रकाश, 1/4

वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यय अर्थ के अतिशयित न होने को 'गुणीभूतव्यंग्य या मध्यम काव्य एवं जहाँ व्यंग्य अर्थ की विवक्षा न हो, परन्तु कवि अलंकारों के चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए काव्य योजना करता है, वह 'चित्रकाव्य या अधम काव्य' है-

अतादृशि गुणीभूतव्यये व्यये तु मध्यमम्।।
शब्दचित्रं वाच्यचित्रव्ययं त्ववरं स्मृतम्।।

काव्यप्रकाश, 1/5

विश्वनाथ ने काव्य-भेदों का सुन्दर निरूपण किया है। उनके काव्य-वर्गीकरण के दो आधार हैं- विधा और अर्थ। इनके आधार पर उन्होंने काव्य-भेदों का निरूपण विस्तारपूर्वक किया है। काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं- दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अभिनय के योग्य काव्य को 'दृश्य' कहते हैं। नर में राम आदि के स्वरूप का आरोप होने से उस दृश्य काव्य को 'रूपक' भी कहा जाता है-

दृश्यं तत्राभिनेयम्।
तद्रूपारोपात्तु रूपकम्।।

साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद, पृ. सं. 381

रूपक के दस भेद और उपरूपक के अठारह भेद हैं। उपरूपकों का सामान्य लक्षण नाटक के समान माना गया है-

नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमा:।
ईहामृगावीथ्य: प्रहसनमिति रूपकाणि दश।।
नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकम्।
प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेणं रासकं तथा।।
संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका।
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च।।
अष्टादश प्राहुरूपरूपकाणि मनीषिण:।
विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्।।

साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद, कारिका सं. 3-6

श्रव्यकाव्य केवल श्रोतव्य होता है। यह तीन प्रकार का है- गद्यकाव्य,

* (संस्कृत) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

पद्यकाव्य और गद्य-पद्य-मय। छन्दों में लिखा काव्य पद्य काव्य है। उसमें यदि दूसरे पद्य की अपेक्षा नहीं रहती है तो 'मुक्तक' दो पद्यों की परस्पर अपेक्षा रहे तो 'युग्मक', तीन पद्यों का 'सन्दानितक' चार पद्यों का 'कलापक' और पाँच वा उनसे अधिक पद्यों की परस्पर अपेक्षा रहे तो उनको कुलक कहते हैं-

श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा।।
छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तन मुक्तकम्।
द्वाभ्यां तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते।।
कलापकं चतुर्भिश्च पंचभि: कुलकं मतम्।
साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद, कारिका सं. 313-14

परिच्छेदरूप सर्गों का निबन्धन जिसमें रहता है उसे 'महाकाव्य' कहते हैं। उसमें धीरोदात्त के गुणों से युक्त देवता नायक होते हैं अथवा उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय नायक होता है अथवा एक वंश में उत्पन्न कुलीन बहुत से राजा नायक होते हैं। महाकाव्य में शृंगार, वीर और शान्त - इनमें से एक रस प्रधान होता है, अन्य सभी रस अंग होते हैं, नाटक की सभी मुख आदि सन्धियाँ रहती हैं। कथा ऐतिहासिक अथवा लोक में प्रसिद्ध सज्जनसम्बन्धिनी होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - इस चतुर्वर्ग में से एक सबका फल होता है। महाकाव्य में आरम्भ में नमस्कार, आशीर्वाद वा वस्तुनिर्देश रहता है, कहीं पर दुर्जन आदि की निन्दा एवं सज्जनों का गुण-कीर्तन रहता है। इसमें सर्ग न बहुत छोटे और न बहुत लम्बे होते हैं। आठ से अधिक सर्ग होते हैं उनमें प्रत्येक में एक ही छन्द होता है, किन्तु सर्ग समाप्ति में भिन्न छन्द का पद्य होता है। किसी महाकाव्य में किसी एक सर्ग में अनेक छन्दों से निबद्ध पद्य देखे जाते हैं। सर्ग के अन्त में पीछे आने वाले सर्ग की सूचना होनी चाहिए। महाकाव्य के एक भाग का अनुसरण करने वाले पद्य समूह को 'खण्डकाव्य' कहते है। परस्पर में अपेक्षा से रहित श्लोक समूह को 'कोष' कहते हैं।

छन्द के बन्ध से रहित काव्य गद्यकाव्य है। गद्य चार प्रकार का है- मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक। मुक्तक समास रहित होता है। वृत्तगन्धि में पद्य के अंश होते है। उत्कलिकाप्राय में दीर्घ समास और चूर्णक में छोटे-छोटे समास होते हैं। गद्यकाव्य के दो भेद हैं- कथा और आख्यायिका। कथा में शृंगार आदि रस से युक्त इतिवृत्त गद्यों से रहित होता है। कहीं आर्या और कहीं वक्त्र और अपवक्त्रक छन्द होते हैं। प्रारम्भ में पद्यों से देवता आदि को नमस्कार किया जाता है और दुर्जन आदि के चरित्र का वर्णन होता है। आख्यायिका कथा के समान होती है। जैसे - कादम्बरी। इसमें कविवंश वर्णन होता है। अन्य कवियों का वृतान्त तथा पद्य भी कहीं-कहीं रहते हैं। यहाँ कथा भागों का नाम 'आश्वास' रखा जाता है। आर्था, वक्त्र, अपवक्त्र छन्द के द्वारा अन्योक्ति से आश्वास के आरम्भ में अगली कथा की सूचना दी जाती है। जैसे - हर्षचरित। आख्यायिका की कथा नायक के मुख से ही निबद्ध होनी चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। आख्यायिका में अन्य लोगों के वचन भी होते हैं।

गद्यपद्यमय काव्य 'चम्पू काव्य' है। गद्यपद्यमयी राजस्तुति को ''विरुद' कहते हैं। अनेक भाषाओं से रचित काव्य को ''करम्भक' कहते हैं-

गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।
गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदमुच्यते।
करम्भकं तु भाषाभिर्विविधाभिविनिर्मितम्।।
साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद, कारिका सं. 336-337

इस प्रकार विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दृश्य और श्रव्य भेदों में दृश्य काव्य के दो भेद हैं- रूपक और उपरूपक। श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं- गद्य, पद्य और गद्यपद्यमय। गद्य की कथा और आख्यायिका दो भेद, पद्य के अनिबद्ध काव्य और प्रबन्ध काव्य से दो भेद हैं। पुन: अनिबद्ध काव्य के मुक्तक, युग्मक, सन्दानितक, कुलापक, कुलक - पाँच भेद और प्रबन्ध काव्य के महाकाव्य, खण्डकाव्य, कोष ये तीन भेद हो जाते हैं। गद्यपद्यमय काव्य के चम्पू, विरूद, करम्भक नामक तीन भेद हो जाते हैं। इन्हें तालिका के माध्यम से निम्न प्रकार समझा जा सकता है-

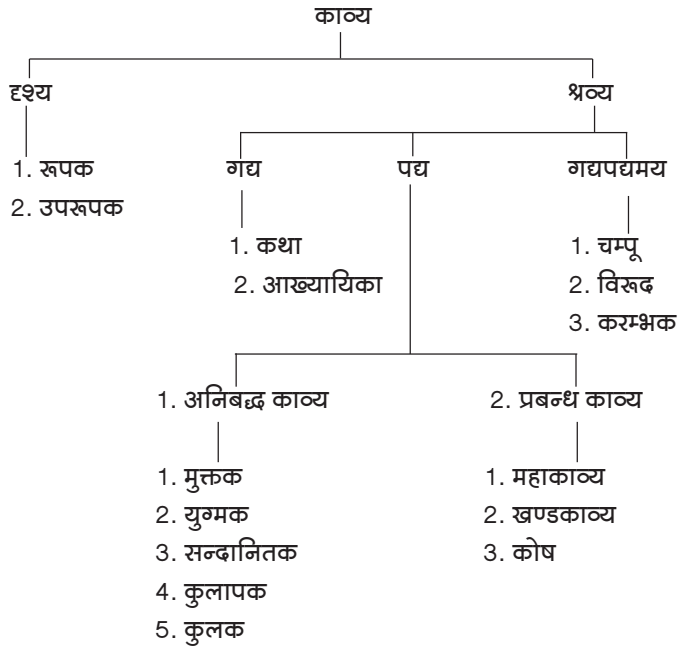

अर्थ की दृष्टि से विश्वनाथ ने काव्य के दो भेद माने हैं- ध्वनि काव्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य। इन्हें उत्तम एवं मध्यम काव्य भी क्रमश: कहते हैं। इनसे पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट आदि ने तीन भेद माने हैं- उत्तम काव्य, मध्यम काव्य चित्रकाव्य किन्तु विश्वनाथ ने चित्रकाव्य का खण्डन किया है।

(1) उत्तम काव्य -

वाच्यातिशयिनि व्यये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्।।
साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, कारिका सं. 1

जिस काव्य में वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारी होता है उसे 'ध्वनि' कहते हैं, वह उत्तम काव्य है।

(2) गुणीभूतव्यंग्य काव्य -

अपरं तु गुणीभूतव्ययं वाच्यादनुत्तमे व्यये।।
साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, पृ. सं. 342

जहाँ वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ उत्तम नहीं होता है, वहाँ गुणीभूतव्यंग्य नामक द्वितीय श्रेणी का काव्य है। वाच्य अर्थ से न्यून होने से अथवा वाच्य अर्थ के तुल्य भाव से रहने से व्यंग्य अर्थ अनुत्तम होता है-

अपरं काव्यम्। अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति।।
साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, पृ. सं. 342

चित्रकाव्य का खण्डन - विश्वनाथ 'केच्चित्' कहकर मम्मट के मत को उद्धृत कर खण्डन करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ विद्वान चित्र नाम तीसरा भेद मानते हैं। उनके मतानुसार व्यंग्य अर्थ से रहित अवर काव्य दो प्रकार का है- एक शब्द चित्र और दूसरा अर्थ चित्र -

शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्ययं त्ववरं स्मृतम्।।
साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, पृ. सं. 356

उनका यह मत सही नहीं है।

विश्वनाथ यहाँ प्रश्न कर विकल्प उपस्थित करते हुए कहते हैं कि यहाँ अव्यंग्य पद से क्या तात्पर्य है? यदि अव्यंग्य से तात्पर्य यंग्यार्थ से एकदम शून्य हो, तब तो यह काव्य ही नहीं हो सकता है। यदि ईषद् अर्थ में नञ् का प्रयोग मानकर 'अव्यंग्य' पद का अर्थ ईषद् व्यंग्य करें, तो इसमें दो विकल्प हो सकते हैं– आस्वाद्य वस्तु के थोड़े व्यंग्य होने पर अथवा अनास्वाद्य वस्तु के व्यंग्य होने पर। इनमें पहला पक्ष मानें तो ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य इन दो भेदों में ही इसका अन्तर्भाव हो सकता है और यदि दूसरा पक्ष मानें तो वहाँ काव्य ही नहीं हो सकता है। अनास्वाद्य होने पर तो वह क्षुद्र हुआ। क्षुद्रता होने पर ही अनास्वाद्यस्व होता है–

यदि हि अव्ययत्वेन व्ययाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम्। ईषद्व्ययत्वमिति चेत्, किं नामेषद्व्ययत्वम्? आस्वाद्यव्यङ्ग्यत्वम्, अनास्वाद्यव्यङ्ग्यत्वं वा? आद्ये प्राचीनभेदयोरेवान्त: पात:। द्वितीय त्वकाव्यत्वम्। यदि चास्वाद्यत्वं तदाऽक्षुद्रत्वमेव क्षुद्रतायामनास्वाद्यत्वात्।

साहित्यदर्पण, पृ. सं. 356

यहाँ विश्वनाथ ने ध्वनिकार के मत को उद्धृत किया है कि प्रधान और अप्रधान रूप से व्यंग्य अर्थ के व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं, जो इनसे भिन्न है, उन्हें चित्र कहते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ व्यंग्य रहित काव्य को काव्य मानने के पक्ष में नहीं हैं।

निष्कर्ष – विश्वनाथ ने काव्य–विधा और अर्थ की दृष्टि से सविस्तार काव्य–भेदों का निरूपण किया है। विद्या के अनुसार काव्यों का वर्गीकरण व्यवस्थित होने से प्रशंसनीय है। अर्थ की दृष्टि से उन्होंने पूर्व परम्परा से भिन्न मत रखते हुए दो ही भेद माने हैं– ध्वनिकाव्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य। चित्रकाव्य का खण्डन किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अलंकार शास्त्र का इतिहास – डॉ. कृष्णकुमार, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 1998
2. काव्यादर्श – दण्डी, शिवनारायण शास्त्री, परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1998
3. काव्यप्रकाश – मम्मट, आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल प्रकाशन, वाराणसी
4. काव्यालंकार – भामह, देवेन्द्रनाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1962
5. दशरूपक – धनजय, श्री निवास शास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1969
6. ध्वन्यालोक – आनन्दवर्धन, कृष्ण कुमार, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1973
7. संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास – आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ

****

Empowering Women Through Literacy, Information And Governance In The Era Of Globalisation - An Indian Scenario

Dr. Kumud Dikshit*

Abstract - The concern of this paper is to philosophicallyexplore the avenues created by globalisation for Indian women in the area of empowerment through literacy, information and governance. It further goes on to suggest ways to ensure that greaterbenefits accrue to women in a distributed manner. The paper argues that globalization is not a problem but a challenge to India. We need not cry foul over globalization but need to stand up to the challenges it poses. The paper contends the need to develop policies that are rooted in Indian cultural heritage in order to have an encompassing as well as integrative value system in 21st century.
Key Words - Globalization, Technology, Freed Ideology.

Introduction - India is the world's largest democracy with almost half of the population as women. So how does women's situation affect India's development. I will limit this essay to India in which I will mainly focus on women but in a context that applies for the country as a whole. The purpose of this paper is to see if and how women's situation is important in the process of development in India and in which way it is affected. I am expecting some kind of effect because women constitute a little less than 50 percent of India's population; but they don't enjoy the same rights as men. This is what makes my question interesting; it can't be efficient resource allocation when almost a half of the population isn't given the same opportunities.

India's citizens are poor and impoverished yet its global profile is one of rising economicand political power (Nayar and Paul 2003). India is a low-income country, yet eminent observershave begun to worry about the threats posed by its army of skilled professionals (Prestowitz and Friedman 2005).

Globalisation - A brief overview - Globalisation introduced the whole world to the new era of computers and advancement in technologies. The globalisation facilitates the fast movement of people which may result in the greater interaction.To fully understand the literature concerning globalization, one must have an understanding of what the word actually means.Alison M. Jagger(2001) point out that globalization is not only the "rapidly accelerating integration of many local and national economies into a single global market," but also includes the "political and cultural corollaries of this process ."

Because of the many and varied components of globalization, a precise definition is difficult to create. Yet having a multi-faceted view of globalization is necessary to understand the impact of the larger process upon the women of India. Establishing a multi-faceted view of globalization is a tedious task that cannot be suitably addressed in a paper of this length. Due to these limitations, this paper will focus on the avenues created by globalizationas a source of empowermentand enhancing women's capacity to negotiate their role and status within the household and society.

Place of Indian Women in Globalised world - In the modern era, the Indian women are no more treated as beautiful showpieces, they are also enjoying the fruit of globalization marking an influence on the domestic and international sphere. They have made a special place for themselves in the male dominated world.

Globalization is a double-edged process as far as Indian women are concerned. On the one hand, majority of women find themselves stripped off the benefit of socialsecurityand government subsidy protection of labour rights. On the otherhand there are possibilities of better education facilities and opportunities at thetransnational sense, which are very attractive to the privileged few and the average woman has still to get there. According to the World Economic Forum's Gender Gap Report 2011, India has the lowest percentage (23%) of women employees.It is therefore necessaryto understand that effective development requires full incorporation of women in thedevelopment process as agents of change as well as beneficiaries because Indian women canbe utilized as development resources in many ways.

Empowerment of Indian Women - The Government of India declared 2001 as the Year of Women's Empowerment (Swashakti). The National Policy for The Empowerment Of Women came was passed in 2001.

Literacy - Education is the most important tool in the emancipation and empowerment of women.It is the greatest

*Principal, Satyug Darshan Institute of Education and Research, Faridabad (Haryana) INDIA

single factor which can incredibly improve the status of women in any society . During the pre-globalization period the girls in the Indian culture were not allowed to study or take their career seriously but post-globalisation period is a boon to the Indian women as the literacy rate of the female population has increased to a greater extent. Globalisation combines economic and cultural change in today's time.

Globalization has resulted in easy access to any educational facility for the students all over India as well as internationally. Though it is gradually increasing, the female literacy rate in India is less than the male literacy rate. (Singh 2007). According to last census held in 2001, the percentage of female literacy in the country is 54.16%.This illiteracy is a barrier to the acquisitionof knowledge on various matters relating to their lives.

The truth is that globalisation-whenever it translates into greater general prosperityand reduced poverty-only accelerates the reduction of child labour and enhances primaryschool enrolment and hence literacy (Bhagwati, 2007).Far fewer girls than boys are enrolled in school, and many girls drop out. In urban India, girls are nearly on a par with boys in terms of education. However, in rural India girls continue to be less well-educated than boys. According to the National Sample Survey Data of 1997, only the states of Kerala and Mizoram have approached universal female literacy. According to scholars, the major factorbehind improvements in the social and economic status of women in Kerala is literacy. (Kalyani Menon Sen , A.K Shiv Kumar (2001)

According to a 1998 report by the U.S. Department of Commerce, the chief barriers to female education in India are inadequate school facilities (such as sanitary facilities), shortage of female teachers and gender bias in the curriculum (female characters being depicted as weak and helpless). Victoria A. Velkoff (1998)

Empowerment through information - Information is the key to democracy. ICT, has emerged as an important tool for women to access global information.With the emergence of IT on the national agenda and theannouncement of ICT policies by various state governments have recognized the"Convergence of core technologies and E-Governance" as the tool for goodgovernance, sustainable development, globalization of economy and socialempowermentSince globalisation is opening up the Indian economy suddenly at a very highspeed, during the past decades, advances in information technology have facilitateda global communications network that transcends national boundaries and has animpact on public policy, private attitudes and behaviour, especially of children andyoung adults. Everywhere the potential exists for the media to make a far greatercontribution to the advancement of women.

In the context of knowledge sphere, the issues of gender equality, equity and empowerment of women become even more significant as women have a strategic role in incubation and transfer of critical knowledge, which often forms the blue print of survival for communities to adapt and minimize their risk in adverse circumstances.

Information is power - Distance education has come to stay in this country. It holds great promise for the future with emphasis on quick training and communication of information. The Department of Women and Child Development has made a modest start with small experiments in educating people at the grassroots level on procedures for obtaining loans from the Rashtriya Mahila Yojana (RMK) for micro-enterprises. The distance mode has also been used for nutrition education and organization of women's groups under the Indira Mahila Yojana (IMY) on an experimental basis. The status of women in distance learning, according to the UGC Annual Report, 1990-91, the enrolment of women for Distant Learning was 37.06%. In 1998, the enrolment of women in Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was 28.4%. The enrolment of women in IGNOU is considerably lower than the national average, and an analysis shows that women continue to enroll in courses which fall in the domain of women's work and extending home skills. The enrollment in the various university shows that the perceived relationship between technology and masculinity is so entrenched that women are excluded from technical education and, hence, from technical jobs. The fault lies in gender stereotyping and is further compounded by the fact that technology is not included in school curricula. Since it is a subject exclusive to higher education, it is projected as abstract and complex.

Empowerment and governance - One of the main functions of the government is to provide information with regards to policies, rules and regulations, administrative and service delivery matters, etc. This information forms the basis of informed participation of the civil society in matters relating to governance. The newly elected women members of the Panchayat have started demanding proper training for capacity-building in order to understand the functioning of panchayats, budget operation and the method of executing works. They are very aware of their inadequacies resulting from lack of literacy and exposure.Women shall have the equal rights topolitical participation and right to involve in the process of political decision making.

The Parliament of India in April 1993 passed the Seventy ThirdAmendment Act, providing thirty three percent reservation in all tiers panchayatstructure for all rural women. The Act has provided a definite space for women toparticipate in Panchayat politics and to involve in local political decision makingprocess. This legislative innovation has enabled women to participate in decentralized governance, planning and development. Consequently, there have been around elevenlakh elected women including women belonging to Scheduled Castes and ScheduledTribes, as members and Chairpersons all the three tiers of Panchayat Raj structure. It issaid that such an arrangement has created scope for women forming 'Critical Mass'whereby they can raise their voice felt in a

regimented manner. (The 'Critical Mass' isa concept originally derived from nuclear physics and refers to a quantity needed tostart an irreversible chain reaction. Its basic tenet in this context is that a certain numberof women must be present in order to be able to effect change. Alternatively thirtythreepercent reservation of seats in Panchayat structure for women, although stillminority, is an effective size of minority to effect change).

References :-

1. Bhagwati, Jagdish (2007).In Defence of Globalisation . Oxford University Press
2. Friedman, Thomas. 2005. The World is Flat: A Brief History of the 21st Century. New
3. York: Farr, Straus and Giroux.
4. Jagger, Allison M. 2001. "Is Globalization Good for Women?" Comparative Literature 53(4):298-314.
5. Kalyani Menon-Sen, A. K. Shiva Kumar (2001). "**Women** in India : How Free? How Equal?". United Nations. Archived from the original on 11 September 2006. Retrieved 24 December 2006
6. Miller, 2000, Women in Knowledge Societies, Global Knowledge Partnership,
7. Malaysia in http://www.womenaction.org/ghil/swasti.html
8. Nayar, Baldev Raj and T.V. Paul**.** 2003**.** India in the World Order: Searching for Major-
9. Power Status. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
10. Report on Committee on the Status of Women in India, 1974. Towards equality : Report,
11. New Delhi, Government of India, Department of Social Welfare.
12. Singh, S. (2007). Schooling Girls and the Gender and Development Paradigm: Quest for an Appropriate Framework for Women's Education. Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2(3), 1-12.
13. Victoria A. Velkoff (October 1998). "**Women** of the **World**: Women's Education in India" (PDF). U.S. Department of Commerce. Retrieved 25 December 2006.

****

माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अंजनी कुमार मिश्र *

प्रस्तावना – इस धरती के सभी प्राणियों में मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम है। मनुष्य ईश्वर की सबसे अनुपम रचना है।मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल एवं प्रगतिशील है। मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं – पहला है शारीरिक तथा दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक।इन दोनों पहलुओं के आधार पर ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। जीवन के शारीरिक पक्ष के विकास हेतु भोजन की आवश्यकता होती है।जबकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसी शिक्षा के द्वारा ही वनस्पति, पशु आदि अन्य प्राणियों से मानव में अंतर उत्पन्न होता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन के सभी पहलुओं का विकास होता है। यह शिक्षा प्रदान किया जाता है, अध्यापक के द्वारा।

किसी भी अधिगम प्रकिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण तत्व होता है।शिक्षक के बिना सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पादित नहीं हो सकती।शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।शिक्षक विद्यार्थियों के मूल विचारों में सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। छात्रों को व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में सहयोग करता है।शिक्षक ही विद्यालय तथा समाज के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करता है। भारत में शिक्षण प्रक्रिया तीन स्तरों में सम्पादित होती है, प्राथमिक , माध्यमिक एवं स्नातक। माध्यमिक स्तर में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राथमिक एवं स्नातक स्तर के बीच की कड़ी होती है। विश्वविद्यालय तक का शैक्षिक स्तर विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता बहुत कुछ माध्यमिक स्तर के शैक्षिक नींव पर निर्भर करता है। यदि उस स्तर पर शिक्षक छात्रों का उचित मार्गदर्शन न करे तो विद्यार्थी भटक सकते हैं। भारत में शिक्षकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी उन्हें वो उपयुक्त वातावरण और सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जिससे कि वे प्रभावशाली शिक्षण कार्य कर सकें।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व – किसी भी शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण हो इसके लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण व सुविधाएं दी जाए। शिक्षकों की जो समस्या है,वे दूर होंगी तो ही वे मानसिक रूप से शिक्षण कार्य में रूचि लेगें। शिक्षकों की आवास,वेतन भोजन आदि से सम्बधित समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर शिक्षक तनाव में रहते हैं। इनकी समस्याओं का पता लगाना और उपयुक्त निदान के लिए यह अध्ययन आवश्यक है। इन समस्याओं के कारण शिक्षक मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं,जिसका सीधा असर उन के शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है।

समस्या कथन – 'माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन'

अध्ययन में प्रयुक्त चरों की संक्रियात्मक व्याख्या

माध्यमिक स्तर – माध्यमिक स्तर से अर्थ मध्य के स्तर से है। भारत में शिक्षा प्राथमिक,माध्यमिक एवं स्नातक स्तर पर दी जाती है। माध्यमिक की शिक्षा स्नातक से पूर्व व प्राथमिक के बाद दी जाती है। बालक के शैक्षिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी स्तर पर ही ज्ञात होता है कि बच्चे का भावी जीवन कैसा होगा । अत: इस स्तर पर उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है।

शिक्षक की समस्या – वे कारक जो शिक्षण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये समस्या कई प्रकार की होती है जैसे – आवास की समस्या , शिक्षण सहायक सामग्री की समस्या,विद्यालय का अधिक दूर होना, वेतन की समस्या, प्रशासनिक स्तर की समस्या, विद्यालय में छात्र अनुशासन आदि से सम्बन्धित कई समस्याएं होती हैं।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गयी उसके आधार पर बहुत सी समस्याओं का पता चलता है। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नही है,उनका वेतन कम है और उनकी सेवा दशाएं असंतोषजनक हैं। इसका मुख्य कारण है, देश के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों का व्यक्तिगत प्रबन्ध में होना। माध्यमिक विद्यालय का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधनों की कमी शिक्षण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करती है। विद्यालय का प्रबन्ध तंत्र शिक्षकों के साथ सहयोग नहीं करता । उनसे ज्यादा काम लेते है, और काम के अनुसार पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता। उनके काम के घंटे निर्धारित नही होते। शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें सभी विषयों को पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है। कक्षाकक्ष में औसत से अधिक संख्या पढ़ाने में बाधा डालती है। वर्तमान समय में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या छात्र अनुशासनहीनता की है। छात्र अध्यापकों का कहना नही मानते, गृहकार्य समय से करके नहीं लाते,पढ़ाई में ध्यान नही देते।

सामाजिक स्तर पर भी छात्रों को आदर्श नागरिक बनाने की जिम्मेदारी अध्यापकों के भरोसे छोड़ दी जाती है। शिक्षण के अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर से भी शिक्षकों पर काम का अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है। इससे शिक्षण कार्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही शिक्षक शारीरिक व मानसिक रूप से थक भी जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. माध्यमिक स्तर पर शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की विद्यालय से सम्बन्धित समस्या का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगराऊ, जिला–जौनपुर (उ.प्र.) भारत

का अध्ययन करना।

3. माध्यमिक स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों की समस्या का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. माध्यमिक स्तर पर शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की विद्यालय से सम्बन्धित समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों की समस्या में कोई सार्थक अंतर नही है।

शोध की सीमाएं – यह शोधकार्य जौनपुर जनपद के बदलापुर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर किया गया है। समस्याओं के अध्ययन के लिए जांच सूची का प्रयोग किया गया है। शिक्षकों द्वारा प्राप्त मतों का सांख्यिकीय विधि से विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन में जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालय के 100 शिक्षकों को लिया गया है। इनका चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।

आकड़ों का संग्रह – चयनित संस्थाओं के प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त करने के बाद अध्यापकों को जांचसूची दी गयी। उन्हें जांचसूची के द्वारा जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य तथा निर्देश बता कर निर्धारित जगह पर सही का निशान लगाने को कहा गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी विधि – इसके लिए मध्यमान,मानक विचलन और टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया।

तालिका–1 : माध्यमिक स्तर पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का प्रशासनिक,सामाजिक एवं विद्यालय स्तर पर विश्लेषण

समूह : लिंग (मुक्तांश98)

पु0 : 50 , म0 : 50

स्तर	शिक्षक		शिक्षिका		टी मूल्य
	मध्यमान	*मा0वि0*	*मध्यमान*	*मा0वि0*	
प्रशासनिक स्तर पर	66.22	8.81	65.25	8.49	.521
समाजिक स्तर	78.42	8.29	79.02	8.28	.32
विद्यालय स्तर	37.37	3.99	36.29	5.41	1.085

प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त टी का मान .521 जो .05 स्तर पर टी मान 1.98 से कम है,इसलिए यह .05 स्तर पर सार्थक नहीं है। यह प्रदर्शित करता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की प्रशासनिक स्तर पर समस्या में सार्थक अंतर नहीं है,अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

सामाजिक स्तर पर प्राप्त टी का मान .32 जो .05 स्तर पर आवश्यक मान 1.98 से कम है,इसलिए यह .05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है।

विद्यालयीय स्तर पर प्राप्त टी का मान 1.085 जो .05स्तर पर आवश्यक मान 1.98 से कम है, जो .05 स्तर पर सार्थक नही है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

तालिका–2 : माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशासनिक, सामाजिक एवं विद्यालय स्तर पर विश्लेषण

समूह : योग्यता (मु0:98)

प्रशिक्षित :48 अप्रशिक्षित : 52

स्तर	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य	सार्थकता स्तर
	मध्यमान	*मा0वि0*	*मध्यमान*	*मा0वि*		
प्रशासनिक स्तर	66.22	8.18	65.85	7.11	0.21	0.05 स्तर पर
समाजिक स्तर	78.42	8.29	78.35	10.13	0.03	
विद्यालयीय स्तर	37.37	3.98	34.20	6.07	2.31	

तालिका में प्राप्त टी 0.21 का मान .05 स्तर से कम है,इसलिए यह इस स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों की प्रशासनिक स्तर पर समस्या में सार्थक अंतर नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

समाजिक स्तर पर प्राप्त टी.03 का मान .05 स्तर पर आवश्यक न्युनतम मान 1.98 से कम है, अत: यह .05 स्तर सार्थक नही है।इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है।

विद्यालय स्तर पर प्राप्त टी 2.31 का मान .05 स्तर पर आवश्यक न्यूनतम मान 1.98 से अधिक है,जो .05 स्तर पर सार्थक है। अत: यह प्रदर्शित करता है कि .05 स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो गयी।

तालिका–3 : माध्यमिक स्तर पर शहरी और ग्रामीण शिक्षकों का प्रशासनिक, सामाजिक एवं विद्यालय स्तर पर विश्लेषण

समूह : क्षेत्र (मु0:98)

शहरी : 45 ग्रामीण : 55

स्तर	शहरी		ग्रामीण		टी मूल्य	सार्थकता स्तर
	म0	*मा0वि0*	*म0*	*मा0वि0*		
प्र0 स्तर	65.36	8.36	65.73	7.84	0.04	.05 स्तरपर
सा0 स्तर	78.90	8.88	78.13	7.39	0.46	
विद्यालय स्तर	36.67	5.47	36.42	3.37	0.28	

तालिका में प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त टी 0.03 का मान .05 के मान से बहुत कम है,इसलिए यह .05 स्तर पर सार्थक नही है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

सामाजिक स्तर पर प्राप्त टी 0.46 का मान .05 के मान से कम है,जो .05 स्तर पर सार्थक नहीं है। यह प्रदर्शित करता है कि शहरी और ग्रामीण शिक्षकों का .05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है।

विद्यालय स्तर पर प्राप्त टी 0.28 का मान .05 के मान से कम है,जो .05 स्तर पर सार्थक नही है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है।

सुझाव एवं निष्कर्ष :

1. शिक्षण संस्थाओं में कार्य की दशाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे शिक्षक अपनी दक्षता के उच्च स्तर पर कार्य कर सके।
2. सभी शिक्षण संस्थाओं में कुशल कार्य हेतु वांछित निम्नतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
3. गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा की शर्ते एवं दशाएं सरकारी विद्यालयों के समान ही होनी चाहिए।
4. शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

5. विद्यालय में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि शिक्षक केवल उन्हीं विषयों को पढ़ा सके जिन्हें उन्होंने उपाधि हेतु अध्ययन किया हो।
6. शिक्षकों की सेवा दशाओं में सुधार करके शिक्षा व्यवसाय को आकर्षक बनाया जाना चाहिए।
7. कक्षाओं में छात्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित होनी चाहिए ताकि शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का निराकरण करने में सफल हो सके।
8. विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगायी जानी चाहिए जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित न हो।

इस प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षकों की उपर्युक्त समस्याओं का सही ढंग से समाधान किया जाए तो न सिर्फ शिक्षकों की दशा सुधरेगी वरन् विद्यालय और छात्रों की दशा में भी सुधार होगा क्योंकि अगर शिक्षक समस्या मुक्त होगा तो ही वह विद्यार्थियों को अच्छे से विषय वस्तु समझा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अस्थाना, विपिन (2000) 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन' आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
2. कुलश्रेश्ठएस0पी0-शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
3. गुप्ता एस0 पी0 -2012 आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
4. गुप्ता एस0 पी0 एव गुप्ता अलका - उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान,
5. पाठक डॉ0 पी0 डी0 -शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
6. माथुर एस0 पी0 2005, शिक्षा मनोविज्ञान,विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
7. मिश्रा आर0 एम0 शैक्षिक तकनीकी के तत्व एवं प्रबंन्धन आलोक प्रकाशन
8. मंगल, एस0के0- 2009,'शिक्षा मनोविज्ञान' नईदिल्ली: पी0एच0 आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
9. भटनागर, आर0पी0(1995)'शिक्षा अनुसंधान विधि एवं विश्लेषण', मेरठ: ईगल बुक इन्टरनेशनल।
10. लाल प्रो0 रमन बिहारी- शैक्षिक मापन, मूल्यांकन एवंसांख्यिकी
11. वर्मा, प्रीती: श्रीवास्तव, डी0एन0(1996) 'मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी', आगरा: विनोदपुस्तकमंदिर।
12. शर्मा, आर0ए0(1995)'शिक्षा अनुसंधान', मेरठ: सूर्या पब्लिकेशन निकट गवर्नमेंट कॉलेज।
13. सिंह अरुणकुमार-2013, शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन
14. सिंह कर्ण- शैक्षिक मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी गोविंद प्रकाशन
15. सिंह नरेन्द्रकुमार- 2005 शैक्षिक और मानसिक मापन शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
16. google.com

****

सिद्ध – एक अनुचिंतन

डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा *

प्रस्तावना – नवकार महामंत्र के पांच पदों में से दूसरे पद में सिद्ध को नमस्कार किया गया है। अपने प्रस्तुत आलेख में हम 'सिद्ध' के संबंध में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे है।

सिद्ध का अर्थ – सिद्ध का अर्थ है, जिनके सभी कार्य सिद्ध हो गये हो। एक प्राचीन श्लोक में सिद्ध के अर्थ को भलीभांति स्पष्ट किया है। यथा :–

ध्यातं सितं येन पुराण कर्म, यो वा गतो निवृत्ति सौध्यमूर्ध्नि।
ख्यातोअनुषास्ता परिनिष्टतार्थ य: सोअस्तु सिद्ध: कृत मंगलों में।।

जिन्होने 'सिद्ध अर्थात्स पुराने बंधे हुए कर्मो का 'ध्यात अर्थात् जलाकर भस्म कर दिया है, वे होते है सिद्ध। जिन्होनें पूर्वबद्ध कर्मो का क्षपक र ऊर्ध्वगमन किया है, समस्त लोक के अग्रिम भाग पर पहुंच गए है, वे सिद्ध है।

सिद्ध शब्द का दूसरा अर्थ है – परिनिष्टतार्थ : जिनके सभी कार्य सिद्ध हो गये हो। जिन्होंने अपने जीवन के चरम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ध्येय में पूर्णत: यशस्वी हो गये है, वे है सिद्ध भगवान् !

यद्यपि अरिहंत परमात्मा भी अपने कार्य में पूर्ण्र्ण सफल होने से सशरीरी सिद्ध ही माने जाते है, इस कारण शास्त्र में सिद्ध के दो भेद किए गए है –

(1) भाषक सिद्ध – अरिहंत, धर्मोपदेश करने वाले

(2) अभाषक सिद्ध – शरीर मुक्त सिद्ध

सिद्ध का स्वरुप – आचारांग सूत्र में सिद्ध का स्वरुप इस प्रकार बताया गया है –

शुद्ध आत्मा (सिद्ध) का वर्णन करने में कोई शब्द समर्थ नहीं है। कोई भी कल्पना वहां तक पहुंची नहीं है। मति भी वहां प्रवेश नहीं करती। केवल पूर्ण ज्ञानमय आत्मा ही वहां है।

सिद्ध दीर्घ (लम्बे) नहीं, ह्रस्व (छोटे) नहीं, वृत्त (गोलाकार) नहीं, त्रिकोण नहीं, चौकोर नही, मण्डलाकार (चूड़ी की तरह), लम्बे नहीं, काले नहीं, नीले नहीं, लाल नहीं, पीले नहीं, शुक्ल नहीं, सुगंधवान नहीं, तिक्त नहीं, कटुक नहीं, कसैले नहीं, खट्टे नहीं, मीठे नहीं, कठोर नहीं, कोमल नहीं, गुरु (भारी) नहीं, लघुन नहीं, ऊष्ण नहीं, चिकने नहीं, रुखे नहीं। स्त्री नहीं , पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, केवल परिज्ञान रुप है, ज्ञानमय है, उनके लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती । वे अरुपी उलक्ष्य है। उनके लिए किसी पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वे शब्द, रुप, गंध, रस और स्पर्श रुप नहीं है। इस प्रकार समस्त पौद्गलिक गुणों और पर्यायों से अतीत, शब्दों द्वारा अनिर्वचनीय सत्–चित् आन्नदमय सिद्ध स्वरुप है।

सिद्ध के गुण – सिद्ध भगवान के आठ गुण इस प्रकार बताए गए है –

1. पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से अनन्त केवलज्ञान प्रकट हुआ, जिससे सिद्ध भगवान सब द्रव्य, काल, भाव को जानते है।
2. नौ प्रकार के दर्शनावरण कर्म का क्षय होने से अनन्त केवल दर्शन गुण प्रकट हुआ, जिससे सब द्रव्य आदि देखने लगे, सामान्य रुप जानने लगे।
3. दोनों प्रकार का वेदनीय कर्म का नष्ट होने से निराबाध (व्याधि वेदना से रहित) हो गए।
4. दो प्रकार का मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से अगुरुलघु (गुरुता और लघुता से रहित) हुए।
5. चारों प्रकार का आयुकर्म क्षय हो जाने से अजर अमर हो गए।
6. दोनों प्रकार का नामकर्म क्षीण हो जाने से अमूर्तिक हुए।
7. दोनों प्रकार का गोत्र कर्म नष्ट हो जाने से अखोड (अपलक्षणों से रहित) हुए और
8. पांच प्रकार का अंतराय कर्म क्षीण हो जाने से अनंत शक्तिमान हुए।

सिद्ध भगवान के विषिष्ट गुणों की झलक शक्रस्तव के पाठ में मिलती है। यथा –

सिव–मयल–मरुय–मणत–मक्खय–मव्वाबाह
मपुणरावित्ति–सिद्धगइ नामधेयं ठाणं संपत्तणं।

इसके अनुसार –

1. शिव – वे स्वयं सब विध्न बाधाओं, उपद्रवो से मुक्त है तथा उनका स्वरुप ही शिव यानि परम कल्याणकारी है, सबके लिए मंगलकारी है।
2. अचल – वे स्वरुप में स्थिर होने से अचल है।
3. अरुज – वे पूर्ण निरामय, रोगरहित है।
4. अनन्त – उनकी ज्ञानादि शक्तियां अनन्त है तथा जिस रुप से अब वे विराजित है, उस स्वरुप का कभी अंत नहीं आएगा अनन्त शब्द विराट सत्ता का सूचक है।
5. अक्षय – कभी क्षय नष्ट नही होगें। जो पूर्ण निरामयता निरोगता अनन्त सुख आदि गुण इन्हें प्राप्त हुए है, वे कभी भी क्षीण नहीं होगे।
6. अव्याबाध – न तो वे किसी के लिये कभी बाधा बनते है, न ही उनके के लिए कोई कभी बाधा होगी, अपितु समस्त विध्न–बाधाओं का नाश करने वाले होने से अव्वयाबाध है।
7. अपुनरावृत्ति – वे जिस मुक्त स्थान पर पहुंच गए है वहां से कभी भी वापस लौटकर संसार में नहीं आएगे।

सिद्ध के भेद – संसारी जीव द्रव्य और भाव प्राण दोनों से युक्त होता है और सिद्ध जीव केवल भाव प्राणों से युक्त होता है। नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव और इन चार गतियों में परिभ्रमण करने वाले संसार समाप्न्न है। वे संसरवर्ती जीव है। जो परिभ्रमण से रहित है, वे असंसारसमापन्न–सिद्धजीव है। वे जन्म

* प्रिंसिपल, डॉ. राजेन्द्र मुनि बी.एड. कॉलेज, माउण्ट बाबू (राज.) भारत

मरण रुप समस्त दु:खों से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके है। सिद्धों के पंद्रह भेद है, जो समय लिंग, वेश और परिस्थिति आदि की दृष्टि से किए गए हैं। आचार्य देवेंद्रमुनि ने सिद्ध के जो भेद बताये है, वे इस प्रकार है –

तीर्थ की संस्थापना के पश्चात जो जीव सिद्ध होते है, वे तीर्थ सिद्ध है। तीर्थ की संस्थापना के पूर्व या तीर्थ का विच्छेद होने के पश्चात जो जीव सिद्ध होते है, वे अतीर्थ सिद्ध है। जैसे भगवान ऋषभदेव के तीर्थ की स्थापना के पूर्व ही माता मरुदेवी सिद्ध हुई। दो तीर्थंकरों के अंतराल काल में यदि शासन का विच्छेद हो जाए और ऐसे समय में कोई जीव जाति स्मरण आदि ज्ञान से सिद्ध होते है वे तीर्थव्यवच्छेद सिद्ध कहलाते है। ये दोनों प्रकार के सिद्ध अतीर्थ की परिगणना में आते है। जो तीर्थंकर सिद्ध होते है, वे तीर्थंकर सिद्ध कहलाते है। सामान्य केवल अतीर्थंकर सिद्ध कहलाते है। संसार की निस्सारता को समझकर बिना उपदेश के जो स्वयं ही संबुद्ध होकर सिद्ध होते हैं, वे स्वयंबुद्ध सिद्ध है।

तीर्थंकर और तीर्थंकर भिन्न ये दो प्रकार के स्वयंबुद्ध हसिद्ध है, जो वृषभ, वृक्ष, बादल प्रभृति किसी बाह्य निमित्त के कारण सिद्ध होते है, वे प्रत्येकबुद्ध सिद्ध है। ये समूलबद्ध गच्छ में न होकर एकाकी ही विचरण करते है। आचार्य द्वारा बोधित होकर जो सिद्ध होते है, वे बुद्ध बोधित सिद्ध है। स्त्रीलिंग में सिद्ध होने वाली भव्य आत्माएं स्त्रीलिंग सिद्ध कहलाती है।

पुरुष शरीर से सिद्ध होने वाले पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसक शरीर से नपुंसक लिंग सिद्ध है। तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित श्रमण पर्याय में सिद्ध होने वाले स्वलिंग सिद्ध है। परिव्राजक आदि के वेश में जो सिद्ध होते है, वे अन्य लिंग सिद्ध है। इसी प्रकार गृहस्थवेश वाले गृहलिंग सिद्ध, एक समय में अकेले सिद्ध होने वाले एकसिद्ध, एक समय में एक से अधिक सिद्ध होने वाले अनेकसिद्ध है। इसी प्रकार अन्य और भी भेद किए गए है। वस्तुत: ये तीर्थ सिद्ध और अतीर्थ सिद्ध में समाविष्ट हो जाते है।

सिद्धत्व आत्मा की चरम और परम अवस्था है। जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तो पर्यायें बदलती रहती है। सिद्धावस्था के पश्चात आत्मा की कोई पर्याय शेष नहीं रह जाती। सिद्ध पद की प्राप्ति के पष्चात जीव को जो सुख मिलता है, वह अवर्णनीय है, शब्दातीत है। वह सुख अनुभवगोचर है। सिद्धावस्था शुद्ध आत्मानुभव की चीज है। सिद्ध परमात्मा को जो सुख प्राप्त है, वह तो केवल सिद्ध परमात्मा ही जान सेते है।

सिद्ध की विशेषता – तत्वार्थ सूत्र में क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या और अल्प बहुत्व इन बारह बातों द्वारा सिद्धों की विशेषताओं पर विचार किया गया हैं।

यद्यपि सभी जीवों में गति, लिंग आदि सांसारिक भावों के न रहने से कोई विशेष भेद नहीं रहता, तथापि भूतकाल की दृष्टि से उनमें भी भेद की कल्पना और विचार किया जा सकता है। यहां क्षेत्र आदि जिन बारह बातों से विचार किया गया है, उनमें से प्रत्येक के विषय में यथासंभव भूत और वर्तमान दृष्टि लगा लेनी चाहिए।

1. **क्षेत्र (स्थान) –** वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी मुक्त जीवों के सिद्ध होने का स्थान एक ही सिद्ध क्षेत्र अर्थात आत्म प्रदेश या आकाश प्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है, क्योंकि जन्म की दृष्टि से पंद्रह में से भिन्न भिन्न कर्मभूमियों से सिद्ध होते है और संहरण की दृष्टि से समग्र मनुष्य क्षेत्र से सिद्ध होते है।
2. **काल (अवसर्पिणी आदि) –** वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लौकिक कालचक्र नहीं है, क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते है। भूत दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी तथा अनवसर्पिणी, अनुतसर्पिणी में जन्में जीव सिद्ध होते है। इसी प्रकार असंहरण की अपेक्षा से उक्त सभी कालों में सिद्ध होते है।
3. **गति –** वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते है। भूत दृष्टि से यदि अंतिम भव लेकर विचार किया जाए तो मनुष्य गति से और अंतिम से पहले के भाव को लेकर विचार करें तो चारों गतियों से सिद्ध होते है।
4. **लिंग –** लिंग 'वेद' या चिह्न को कहते है। पहले अर्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से अवेद ही सिद्ध होते है। भूत दृष्टि से स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों वेदों से सिद्ध हो सकते है। दूसरे अर्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से अलिंग ही सिद्ध होते है। भूत दृष्टि से यदि भाव लिंग अर्थात आंतरिक योग्यता उका विचार करें तो स्वलिंग (वीतरागता) से ही सिद्ध होते है और द्रव्य लिंग का विचार करें तो स्वलिंग (जैन लिंग), पर-लिंग (वीतरागता) से ही सिद्ध होते है और द्रव्य लिंग का विचार करें तो स्वलिंग (जैन लिंग), पर-लिंग (जैनैतर पंथ का लिंग) और गृहस्थ लिंग इन तीनों लिंगों से सिद्ध होते है।
5. **तीर्थ –** कोई तीर्थंकर रुप में और कोई अतीर्थंकर रुप में सिद्ध होते है। अतीर्थंकर में कोई तीर्थ प्रवर्तित हो तब होते है और कोई तीर्थ प्रवर्तित न हो, तब भी होते है।
6. **चरित्र –** वर्तमान दृष्टि से सिद्ध जीव न तो चारित्री ही होते है और न अचारित्री। भूत दृष्टि से यदि अंतिम समय को लें तो तीन चार पांच चारित्रों से सिद्ध होते है। सामायिक, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात ये तीन, सामायिक, परिहार विषुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात ये चार एवं सामायिक छेदोपस्थानीय, परिहारविषुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात ये पांच चारित्र जानने चाहिए।
7. **प्रत्येक बुद्धबोधित –** प्रत्येक बोधित तथा बुद्धबोधित दोनों सिद्ध होते है। जो किसी के उपदेश के बिना अपनी ज्ञान शक्ति से ही बोध प्राप्त करके सिद्ध होते हैं, ऐसे स्वयं बुद्ध दो प्रकार के होते है-एक तो अरिहंत और दूसरे अरिहंत से भिन्न, जो किसी एकाध बाह्य निमित्त से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते है। ये दोनों प्रत्येक बोधित हैं। जो दूसरे ज्ञनी से उपदेश ग्रहण कर सिद्ध होते है। वे बुद्ध बोधित है। इनमें भी कोई तो दूसरे बोध कराने वाले होते है और कोई मात्र आत्मकल्याण साधक होते है।
8. **ज्ञान –** वर्तमान दृष्टि से मात्र केवलज्ञानी ही सिद्ध होते है। भूत दृष्टि से दो, तीन, चार ज्ञान वाले भी सिद्ध होते है। दो अर्थात मति और श्रुत, तीन अर्थात मति, श्रुत, अवधि अथवा मति, श्रुत, मन: पर्याय, चार अर्थात मति, श्रुत, अवधि और मन: पर्याय।
9. **अवगाहना (ऊँचाई) –** जघन्य अंगुल पृथक्त्वहीन सात हाथ और उत्कृष्ट पांच सौ धनुष पृथक्त्व जितनी अवगाहना से सिद्ध हो सकते ह, यह मूल दृष्टि की अपेक्षा से कहा गया है। वर्तमान दृष्टि से जिस अवगाहना से सिद्ध हुआ हो, उसी की दो तृतीयांष अवगाहना होती है।
10. **अन्तर –** किसी एक में सिद्ध होने के बाद तुरंत ही जब दूसरा जीव सिद्ध होता है, सो उसे निरंतर सिद्ध कहते है। जघन्य दो समय और उत्कृष्ट आठ समय तक निरंतर सिद्धि चलती रहती है। जब किसी के बीच अमुक समय व्यतीत हो जाने पर कोई सिद्ध होता है, तब वह सान्तर सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि का अंतर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ: मास का होता है।
11. **संख्या –** एक समय में जघन्य (कम से कम) एक और उत्कृष्ट (अधिक

से अधिक) एक सौ आठ सिद्ध होते है।

12. **अल्प बहुत्व –** क्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातों पर विचार ऊपर किया गया है, उनके विषय में सम्भाव्य भेदों की परस्पर में न्यूनाधिकता का विचार करना ही अल्पबहुत्तव है। जैसे सिद्ध क्षेत्र में संहरण सिद्ध की अपेक्षा जन्म सिद्ध संख्यात गुणाधिक होते है। ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम होते है, अद्योलोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक होते है। समुद्र सिद्ध सबसे कम होते है और द्वीपसिद्ध उनसे संख्यात गुणाधिक होते है। इसी प्रकार काल आदि प्रत्येक बात से अल्प बहुत्तव का विचार किया गया है।

सिद्धावस्था – यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रुप से उत्पन्न होता है कि सिद्धावस्था किस प्रकार प्राप्त होती है। आगम साहित्य का अनुशीलन करने पर इस प्रश्न का समाधान औपपातिक सूत्र में मिलता है,जो इस प्रकार है –

वे सबसे पहले पर्याप्त आहार आदि पर्याप्ति युक्त, संज्ञी–समनस्क पंचेन्द्रिय जीव के जघन्य मनोयोग के नीचे के स्तर से असंचयातागुणहीन मनोयोग का निरोध करते है। उसके बाद पर्याप्त बेइन्द्रिय जीव के जघन्य वचन योग के नीचे के स्तर से असंख्यात गुणहीन वचन योग का निरोध करते है। तदन्नतर अपर्यान्त आहार आदि पर्याप्ति रहित सूक्ष्म पनक नलिन, फूलन जीव के जघन्य योग के नीचे के स्तर में असंख्यात गुणहीन काय योग का निरोध करते है।

इस उपाय या उपक्रम द्वारा वे पहले मनोयोग का निरोध करते है फिर वचन योग का निरोध करते है। फिर कार्य योग का निरोध कर सर्वथा योग निरोध करते है। मन वचन तथा शरीर से सम्बद्ध प्रवृत्ति मात्र को रोकते है। इस प्रकार वे अयोगावस्था प्राप्त करते है। अयोगावस्था प्राप्त कर ईषत स्पृष्ट पांच ह्रष्व अक्षर – अ, इ, उ, ऋ, लृ के उच्चारण के असंख्यात कालवर्ती अंतमुर्हुर्त तक होने वाली शैलैषी अवस्था अप्रकम्प दषा प्राप्त करते है। उस शैलैषी काल में पूर्व रचित गुण श्रेणी के रुप में रहे कर्मो को असंख्यात गुण श्रेणियों में अन्नत कर्मांषों के रुप में क्षीण करते हुए वेदनीय, आुयष्य, नाम तथा गोत्र इन चार कर्मो का एक साथ क्षय करते है।

इन्हें क्षीण कर औदाहिरक तैजस तथा कार्मण शरीर का पूर्ण रुप से परित्याग कर देते है। वैसा कर ऋतु श्रेण प्रतिपन्न हो आकाष प्रदेशों की सीध पंक्ति का अवलम्बन कर अस्पृष्यतान गति द्वारा एक समय में ऊर्ध्वगमन कर ज्ञानोपयोग से सिद्ध होते है।

जिस प्रकार सर्वथा जले हुए बीजों की पुन: अंकुरों के रुप में उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्मबीज दग्ध होने के कारण सिद्धों की भी फिर जन्मोत्पत्ति नहीं होती।

सिद्ध के सिद्धांत – सिद्ध के संहनन के संबंध में औपतातिक सूत्र में जो विवरण मिलता है वह इस प्रकार है –

जीव ऋषभ – नाराच संहनन में सिद्ध होते है। इसके अतिरिक्त जीव, समचतुरस्त्र. न्यग्रोध परिमण्डल, सादि, वामन, कुब्ज और हुंड इन छ: संस्थानों (देहिक आकार) में से किसी भी संस्थान में सिद्ध हो सकते है।

जीव कम से कम सात हाथ तथा अधिक से अधिक पांच सौ मनुष्य की अवगाहना में सिद्ध होते है। यह अवगाहना तीर्थंकरों की अपेक्षा से समझना चाहिए। सामान्य केवली की अपेक्षा से यह कथन नहीं है। क्योंकि कूर्मापुत्र दो हाथ की अवगाहना से सिद्ध हुए। मरुदेवी की अवगाहना पांच सौ धनुष से अधिक थी।

आयुष्य की दृष्टि से देखे तो कम से कम आठ वर्ष की आयु से कुछ अधिक और अधिक से अधिक करोड़ पूर्व के आयुष्य के जीव सिद्ध होते है। इससे कम या अधिक आयुष्य वाले जीव सिद्ध नही होते।

सिद्धों का निवास – ईषत्प्राग्धसारा पृथ्वी के तल से उत्सोधांगुल (माप) द्वावरा एक सयोजन पर लोकांत है। उस योजन के कोस के छठे भाग पर सिद्ध भगवान, जो सादि मोक्ष प्राप्ति के काल कही अपेक्षा से आदि युक्त तथा अपर्यवसित अनंत है, जो जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि अनेक योनियों की वेदना, संसार के भीषण दु:ख, पुन: पुन: होने वाले गर्भवास रुप प्रपंच से अतिक्रांत कर चुके है, अपने शाष्वत, नित्य, सुस्थिर स्वरुप में संस्थित रहते है।

सिद्ध सब दु:खों को पार कर चुके है, जन्म बुढ़ापा तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त है। निर्बाध शाश्वत सुख का अनुभव करते है। अनुपम सुख सागर में लीन–निर्बाध, अनुपम मुक्तावस्था प्राप्त किए हुए सिद्ध समग्र अनागतकाल में सदा प्राप्त सुख, सुखयुक्त अवस्थित रहते है।

ऐसे सिद्ध परमात्मा के ध्यान में मुख्यत: उनके आनंदमय, पूर्ण आरोग्यमय अव्याबाध–बाधा रहित स्वरुप का चिंतन किया जाता है ओर इस चिंतन से आनंद प्राप्त होता है, रोगि मिटते है, बाधाएँ दूर होती है, कार्य सिद्ध होते है। अनुभवी संतों का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी कार्य प्रांरभ करने से पहले इक्कीस बार सिद्ध परमात्मा का नाम स्मरण कर लें या 'सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु'इस मंत्र पद का जाप कर लिया जाये तो कार्य निर्विध्न सम्पन्न हो जाता है। सिद्ध परमात्मा निश्चित ही विध्न विनाषक सिद्धिदायक है, सफलता के स्त्रोत है। आरोग्य के दाता है। इसलिए नमो सिद्धांण पद का स्मरण करते समय हमें उनके उक्त स्वरुप का मन में चिंतन करना चाहिए। नमो सिद्धांणं के जाप से गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन गरिमामय बनता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महामंत्र, नवकार पृष्ठ 31–32, उपाध्याय श्री केवलमुनि।
2. आचारांगसूत्र, प्रथम श्रुत स्कंध, 5/6/176
3. जैन तत्व प्रकाश, पृष्ठ 103, आचार्य अमोलक ऋषि।
4. महामंत्र नवकार, पृष्ठ 32–33
5. प्रज्ञापनासूत्र, प्रस्तावना, पृष्ठ 27, आचार्य देवेन्द्रमुनि
6. वही, पृष्ठ 27–28
7. साधना का राजमार्ग, पृष्ठ 82, श्री रतन मुनि
8. तत्वार्थ सूत्र, पं. सुखलाल संघवी, पृष्ठ 238–240
9. औपपातिक सूत्र, 152
10. वही, 153
11. वही, 153
12. वही, 155
13. वही, 157
14. वही, 158
15. वही, 159
16. वही, 167
17. वही, 188–189
18. महामंत्र नवकार, पृष्ठ 33
19. नवकार आराधना, पृष्ठ 171, आचार्य जयन्तसेन सूरि।

****

बघेली लोकगीतों में आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग

पवन कुमार शुक्ल *

प्रस्तावना – आजकल आकाशवाणी में जो बघेली लोकगीतों का प्रसारण हो रहा है, उसमें कुछ त्रुटियाँ सुनने में मिल रही हैं। जैसे हारमोनियम का प्रयोग करना, ढोलक छोड़ करके तबले का प्रयोग करना, शहनाई का प्रयोग न करके अन्य वाद्यों का प्रयोग करना यह सब ठीक नहीं लगता। सारंगी, झांझ, मृदंग ढोलक, मंजीरा हमारे बघेली लोकगीतों का वाद्य खो सा गया है। भाषा भी बघेली न होकर खिचड़ी भाषा होती जा रही है। जिसमें अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी का सम्मिश्रण मिलता है। हमारे क्षेत्र का साहित्य इन लोकगीतों के माध्यम से अपना एक अच्छा सोहरत दे रहा था, वह आकाशवाणी में जाकर खोता जा रहा है।

रीवा आकाशवाणी में उपयुक्त वाद्य न होने के कारण बघेली के कुछ गीतों की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे देवगीत, अहीरगीत, होली–फाग आदि। आकाशवाणी में जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, वह समय काल परिस्थिति के अनुसार उत्तम होते हैं किन्तु पुरुष के गले से सोहर प्रसारित किया जाए वह एक हास्यप्रद हो जाता है। उसी प्रकार पुरुषों के गले से सोहाग और बनरा भी अच्छा नहीं लगता। आकाशवाणी की इन त्रुटियों को सुधारना चाहिए। बघेलखण्ड क्षेत्र में जहाँ–जहाँ जो–जो गीत गाए जाते हैं, उनके अपने खास स्वर हुआ करते हैं। ये क्षेत्रीय गीत आकाशवाणी में जाकर के अपना अस्तित्व खो देते हैं। जिस प्रकार गोड़–बैगों का गीत जो केवल मादल के धापों, घुंघरू के स्वरों में समाहित है। वहाँ आकाशवाणी विभिन्न प्रकार के आधुनिक वाद्यों एवं बदले हुए स्वरों में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। पारम्परिक धुन वाद्य आज के बघेली लोक संगीत जो आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, उसमें पुराने गीतों की वास्तविकता कथा वर्णन को भी सुनने में महसूस हो रही है। क्योंकि यह स्वयं अनुभव किया जाता है कि गाँव की औरतें जिस समय गाने बैठती हैं, उनके पास खास किस्म की कोई वाद्य नहीं होता है किन्तु स्वाभाविक गले के आवाज के द्वारा मंडप के नीचे जिस समय गोनहर क्रियावन का गीत गाती हैं उस समय स्वाभाविक सबकी आँखें भर आती है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले लोक संगीत कार्यक्रम विशेष कर बघेली लोकगीत में कुछ गिने–चुने कलाकारों के अतिरिक्त अधिकांश प्रसारण स्तरहीन होते हैं, जिसका कारण है, शहरी और बाहरी कलाकारों जिनको बघेली भाषा का कोई ज्ञान नहीं है किन्तु आकाशवाणी कलाकार बनने के शौक में आकाशवाणी के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर लेते हैं और यह लोक संगीत में गलत पैबन्द लगाते हैं। श्रेष्ठ कलाकार अभी तक गाँव में ही हैं। आकाशवाणी तक इन कलाकारों में न पहुँचने में इन कलाकारों की ना समझी है अथवा आकाशवाणी द्वारा किये गए प्रयास आंशिक हैं।

अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गिने–चुने कलाकार तो अक्सर एवं बार–बार अपने लोक संगीत को आकाशवाणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, परन्तु ग्राम्यांचल कलाकारों को तथा समूह कलाकारों को यदा–कदा ही स्थान मिलता है। अत: अनुभव किया जा सकता है कि एकरसता के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के संगीत का प्रसारण ही हो रहा है।

लोक संगीत और नृत्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जन्म, नामकरण, कन्छेदन, मुण्डन, यज्ञों परवीत विवाह यज्ञ तथा सारे मांगलिक कार्यों के लिए सामाजिक लोकगीत अलग होते हैं, जो भिन्न–भिन्न समाजों में गाए जाते हैं। खेत खलिहानों, हाट–बाजारों, मेला, सामूहिक स्थान तथा सामूहिक भोजन, तीर्थ यात्राओं के लिए लोकगीत अलग–अलग गाए जाते हैं। तीज त्यौहारों और कुल देवताओं के अनुष्ठानों में पुराने वैरत्व को मिटाकर मिलन और मैत्री के अवसर जुटाए जाते हैं। चेतना के इन छोटे–छोटे जंगमों में स्त्री और पुरुष सामुदायिक जीवन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को लोक संगीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये गीत अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक आख्यान भी होते है साहित्य भी।

आकाशवाणी रीवा ने बघेलखण्ड के लोगों के अपनी कला प्रदर्शन का भरपूर अवसर प्रदान किया है। यह बात अलग है कि सभी को साथ अवसर देना संभव नहीं है, जिससे अफवाहें फैलने की पूर्ण संभावना रहती है यह भी बात है कि आकाशवाणी के अधिकारियों को स्वभाव के अनुसार कुछ अच्छा लगा हो और कुछ अच्छा न लगा हो इसके आधार पर कलाकारों को असंतोष हुआ हो और यही असंतोष शिकायत का रूप लेकर सामने आ जाता है।

राजनीति का प्रभाव भी आकाशवाणी रीवा पर पड़ा है। कभी–कभी दबाव में आकर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करना पड़ा है जो आगे आलोचना का विषय बना। आज के समय में विरला ही ऐसे कोई विभाग होंगे जहाँ राजनीति का प्रभाव न हो। रीवा आकाशवाणी केन्द्र अपने लोक संगीत से सभी का मन रंजित कर ही रहा था कि अचानक दूरदर्शन आ बैठा। दूरदर्शन की लहरें फैलने लगी शहर से उठीं व गाँव–गाँव में फैल गईं। गाँव के चारों ओर ऊँचे–ऊँचे खम्भे लगते दिखाई देने लगे। लोगों को लगा कि ये कबूतर बैठने के लिए तार की ऊँची–ऊँची जालियाँ हैं। जब टीन के डिब्बे में कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दिया तो लोगों ने जाना कि ये दूरदर्शन अर्थात् रेडियो का लोक गीत भूल गए। अस्तु लोक गीत के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से दूरदर्शन ने बहुत प्रभाव डाला एवं टी.वी. के आगे रेडियो तो पूर्ण विश्राम कर बैठा। हाँ यदि रेडियो सुनने वाले हैं तो दूरदर्शन की सीमा से दूरस्थ श्रोताओं को मजबूरन रेडियो सुनना पड़ता है।

अच्छे कलाकार अधिकांशत: गाँवों में हैं। आकाशवाणी या तो इन तक पहुँच नहीं पाई है या इन कलाकारों की न समझी है। अथवा आकाशवाणी द्वारा किए गए प्रयास आंशिक हैं। लोक संगीत में आकाशवाणी की अपनी सीमाएँ हैं। मनुष्य अपनी व्यवस्तता के क्षणों में सब कुछ मूल विश्राम एवं मनोरंजन करना चाहता है। आकाशवाणी ने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति भली

*शोधार्थी (संगीत) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रकार से की है। आकाशवाणी ने लोक संगीत के प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन का मौका जन-जन को दिया है साथ ही लोक संगीत की ओर जन मानस की रूचि बढ़ाई है।

गीत मानव हृदय के लिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। वह आदिकाल से गाता चला आ रहा है। नगरों में प्रात: काल हमारी नींद खुलती है और हम कड़ाके की सर्दी में हरिजनों को बिरहा की तान छेड़ते हुए पाते हैं। मीलों में अथवा कारखानों में परिश्रम करने वाले मजदूर, कड़कड़ाती धूप में खेतों में काम करने वाले कृषक, ईंट पत्थर ढोते हुए स्त्री-पुरुष, अंधेरी रात में गाड़ी हाँकता हुआ गाड़ीवान, पशुओं के बीच में अठखेलियाँ करता हुआ चरवाहा, चाय के बगानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुई स्त्रियाँ, जंगलों की नीरवता में लकड़ियाँ काटते हुए लकड़हारे लोक गीतों को अपनाकर अपने जीवन की कठोरता को अपनी निर्धनता को अपने कठिन कार्य जनित परिश्रम को भुला देते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की कहानियाँ हमें लोक गीतों में ही वास्तविक रूप में मिल सकती हैं। इनका इतिहास अति प्राचीन है। इनके प्रचलन में नारी जाति ने खूब हाथ बटायाँ है। हिन्दुओं के जितने भी संस्कार हैं उन सबों में नारी ने स्वछन्द होकर गीतों की झड़ी लगा दी है। घर का कोई भी उत्सव बिना गीतों के नहीं हो सकता इतना ही क्यों चक्की चलाते हुए, भोजन बनाते हुए, दही बिलोते हुए, गृहस्थी के प्रत्येक कार्य करते हुए नारी अपने अपनत्व को गीतों में भी भुलाकर समस्त कार्य करती है। गीत नारी के जीवन संगी और नारी की जीवन दायिनी है।

बघेलखण्ड की प्राकृतिक दृश्य स्वभावत: मनोमुग्धकारी हैं। सघन वन निंकुजो को छूती हुई वायु लहरियों कल-कल, छल-छल करते हुए झरनों और बल खाती हुई पहाड़ी नदियों के आलोउन बिलोड़न बीच आठों यान रहने वाली इन दोनों ही क्षेत्रों की ग्राम वधुओं के कोकिल कण्डों से जो गीत रस प्रवाहित होते हैं वे बहुत ही स्वाभाविक, सुन्दर एवं मनोहारी होते हैं।

हमारी बहनों के उन गीतों के अंदर आज भी समस्त दरिद्रताओं, पीड़ाओं और असमर्थताओं के लिए भोजन मिलेगा। सोने के गेंडुले में पानी पीने को मिलेगा और पानी भी कैसा गंगा-जमुना का मेरा अपना विश्वास है कि लोक गीतों का अध्ययन करने एवं सुनने के पूर्व उनकी भावनाओं का अध्ययन करते हैं। तब भूल जाएगें कि किसानों की गरीबी उनकी टूटी-फूटी झोपड़ियों के नंगे शिशुओं की पेट की ज्वाला क्योंकि तब हम लोग गीतों की दुनिया में उन्हें इतना मस्त और बेलौस पाते हैं कि भले ही उनके पास दूसरे वक्त भोजन हो पर वे एक स्वर में गा उठती हैं।

लोक गीत गाने की परम्परा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। अत: लोक में प्रचालित लोक गीतों को खोजकर उनकी स्वर लिपि बनाना राग तथा ताल का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है फिर भी मैंने बघेली के लोक गीतों का अध्ययन कर उसकी स्वर लिपि बनाने की कोशिश की है। चूँकि लोक संगीत का उद्घाटन स्थल मानव मस्तिष्क होता है। इसलिए उसके गंदले होने अथवा नष्ट होने का प्रश्न नहीं है। हमारे देश का मानव चाहे परतंत्रता के बीच रहा या स्वतंत्रता के स्वर्णिम काल में रहा हो, उसके सोचने के तौर तरीके, उसकी सभ्यता, उसका रहन-सहन, उसकी संस्कृति जिस प्रकार स्वतंत्र युग में रही वैसी परतंत्रता के दिनों में नहीं थी, इसलिए यदि हम देश के वर्ममान दर्पण में अतीत की झांकी देखना चाहते हैं तो वह लोक संगीत से ही संभव है।

किसी भी देश का लोक साहित्य और उस साहित्य में निरंतर प्रवाहमान लोक संगीत जिसका जन्म मनुष्य जन्म के साथ ही होता है, वह उस देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिम्ब होता है। राग, द्वेष, हर्ष और विशाद जैसी मनोवृत्तियाँ मानव मन में रहती ही हैं और यही मनोवृत्तियाँ अत्यंत सहज, सरल और सुगम रूप में मुखरित होती हैं, तो वही लोक संगीत बन जाता है। आज का युग भौतिकता का युग है। जब एक ओर मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की की है। ज्ञान-विज्ञान के नये-नये क्षितिजों का उद्घाटन हुआ है, तो वहीं मानसिक तनाव भी मिला है। मानसिक तनावों के मध्य वही मानव जाति के लिए लोक संगीत की निर्मल धारा ही मानव मन मस्तिष्क को सुख और शांति देने में सफल रही है।

भारतीय संगीत का इतिहास अति प्राचीन है। भारतीय परम्पराओं में संगीत का उद्गम वेदों से माना जाता है। संगीत का जन्म सर्वप्रथम यज्ञादि के अवसर पर गेय मंत्री के रूप में हुआ। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मठों, मंदिरों में संगीत को आश्रय मिला। प्रभातिगायन और आष्टायाम की आयधनापद्धति से संगीत का प्रचार एवं प्रसार हुआ और संगीत आराधना का प्रमुख बिन्दु बन गया। इस तरह भारतीय परम्परा में संगीत उद्गम वेदों से माना जाता है। संगीत की यह परम्परा कभी रुकी नहीं विकास का क्रम निरंतर बढ़ता गया। संगीत के दोनों पक्षों कलात्मक एवं शास्त्रीय का विकास हुआ और इसी विचारधारा ने संगीत के घरानों का रूप ले लिया। भारतीय परम्परा में संगीत के उद्गम के साथ ही साथ लोक संगीत का भी जन्म हुआ। लोक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेदों और उपनिषदों में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवद्गीता, रामचरित मानस, महाभारत आदि ग्रन्थों में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है।

लोक शब्द से हिन्दी की बोलचाल की भाषा का शब्द लोक बना है। जन सामान्य अत: लोक संगीत का अर्थ हुआ। लोक संगीत अर्थात जन सामान्य द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसे हम लोक संगीत कहते हैं। वास्तव में लोक संगीत का इतिहास मानव का स्वयं का निर्मित इतिहास है जैसे-जैसे मानव का मानसिक, अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास होता गया वैसे-वैसे लोक संगीत का विकास होता गया।

मानव जीवन में भावना एवं कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार पतझड़ और ग्रीष्म के पश्चात् तपती धरा को वर्षा की बूंदों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कष्टों एवं पीड़ा से तृप्त हृदय को कविता की आवश्यकता होती है। भावुकता हृदय समस्त तृप्ति को काव्यमय देखता है। इसी भावुकता के क्षणों में लोक गीतों का जन्म हुआ। ज्यों-ज्यों सभ्यता की वृद्धि होती गयी कविता का हास होता गया।

लोक संगीत प्रकृति की देन है। जिस सृष्टा ने मानव जाति की सृष्टि की है, उसी ने अपने जीवन में सरसता लाने की उसे अधिकाधिक सरस बनाने के लिए उसी की मानस गंगोत्री के मुखद्वार से गीतों की गंगा बहाई। लोक गीत एवं लोक साहित्य का अटूट सम्बंध है। जिस प्रकार ग्राम और नगर एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार लोक साहित्य और शास्त्रीय काव्य साहित्य एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लोक साहित्य एवं ग्राम गीतों का पारस्परिक सम्बंध है।

लोक संगीत अत्यंत पुराना है। क्योंकि रामजन्मोत्सव के समय गन्धर्वों द्वारा विभिन्न गान तथा सीता स्वयंवर के समय भी कई वाद्यों का उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास के समय में भी कई ग्रन्थों में लोक गीतों की परम्परा का वर्णन किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेली लोक रागिनी - डॉ. भगवती प्रसाद शुक्ल।
2. लोकगीत सामाजिक व्याख्या - श्री कृष्णा दास।
3. लोक साहित्य की भूमिका - डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय।
4. बघेली लोकगीतों का उत्सव - डॉ. भगवती प्रसाद शुक्ल।

खूहै आह्ला मंदर - रियासी

दविंदर सिंह *

प्रस्तावना – रियासी इक इतिहासक कस्बा ऐ। एह्दे इक्क-इक्क थ्हारै दी अपनी गै म्हता ऐ। जि यां भीमगढ़ किला, वजीर जोरावर सिंह दा मैह्ल, पराने मैह्ल, महादेव मंदर, गणेश जी दा मंदर, भारत माता दा मंदर, माता कालका दा मंदर, शीतला माता दा मंदर, महावीर जी दा मंदर ते आप शम्भू भोले शंकर दा महादेव मंदर। इन्हे सारे थ्हारें दी अपनी इक बक्खरी पंछान ऐ, बक्खरा इतिहास ऐ, बक्खरी गे व्हानी ऐ ते इतिहास च टकौदा थ्हार ऐ। इ'यां गै रियासी दा खूहै आह्ला रघुनाथ जी दा मंदर बी सांसकृतिक ते इतिहासक नजर च कुसे थमां बी पिच्छे नेई ऐ।

मंदरै दा इतिहास – इक्क धर्मात्मा बाबा सखन दास जेह्के ग्रां सैंसधार, तसील अखनूर च अपने गुरु कन्नै रौंह्दे हे। इक्क दिन उन्हें अपने गुरु थमां इक्क भव्य मंदर बनाने दी आज्ञा मंगी जेह्की उन्हे सखनदास होरेंगी खुशी-खुशी देई दित्ती ही। आज्ञा थ्होंदे गै बाबा सखन दास होर मंदर बनाने आसतै थ्हार तुप्पदे-तुप्पदे रियासी आई पुज्जे। थ्हार ते उन्हे चुनी लैता पर, उन्हे गी इक्क चिंता होर सतान लग्गी पेई जे उसलै सिवा अंजी दे जां फ्ही दरेया च्नाह् दे होर कोई पानी दा साधन गै नेहा। उसलै रियासी च छड़े तला गै हे। जिंदे च बरसांती पानी होंदा हा ते सोयै सुक्की जंदे हे। इसकरी पैह्लै उन्हे खूह् कड्डने दी सोची। अज्जै थमां 200 ब'टें पौह्ले 125 फुट डूंहगा खूह् कड्डी दित्ता, जिस्सी वनाने लेई पत्थर दे चुने दा इस्तेमाल कीता गेआ। खूह् निकली गेआ पर पानी दा निशान गै नेई हा। बाबा सखन दास होरे गी चिंता होई गेई ते चिंता दे निवारत आस्तै ओह् गुरु होंदे कोल सैंसधार जाई पुज्जे।

गुरु होरे आक्खेआ जे तूं आज्ञा ते मंदर बनोआने दी लैती ही ते कड्डी टकाया खूह्, पानी कियां औना?

पानी आनने आस्तै तुगी 3 दिन खूहै च गै रेही तपस्या करनी पौनी ऐ ते पूरे रियासी कस्बे दे लोकें आस्तै 'जग' धाम' दा सरीसता करना पौना ऐ। रुट्टी वेशक तला दे पानी कन्नै बनोआया पर, पीने लेई तला दे पानी दा इस्तेमाल नी करेआं, जिसलै रुट्टी त्यार होग खूह् च पानी अपने आप आई जाग। अपने गुरु दा आक्खा मन्नी सखन दास होर पुरे अट्ठ दिन खुह् च गै रेह् जि'यां अठमें रोज जगै दी रुट्टी त्यार होई, खुह् च पानी दी सीर फुट्टी निकली आई।इक बड़ी र्हानगी आह्ली गल्ल ऐ जे खूह् च पानी कुत्थुं दा आया की जे उस्सै भू-विभाग दे अग्गे-पिच्छे 300 फुट्ट दी डूंगाई पर पानी दा नां निशान नी थ्होआ ते फ्ही 125 फुट उप्पर पानी कियां आई गेआ। एह् अजे बी इक रहस्य बने दा ऐ।

ओह्दे परैंत बाबा सखन दास होरे उत्थै गै श्री रघुनाथ जी दा भव्य मंदरै दा निर्मान करोआया, जेह्का अज्ज बी रियासी दी शान ऐ। एह् मंदर कोई 45 फुट उच्चा ऐ, जेह्दे उप्पर खालसा पितलू दा कलश लग्गे दा ऐ जेह्का अज्ज बी नमां नकोर सेई होंदा ऐ। इस मंदरै दे निर्मान लेई जिन्ना बी पानी इस्तेमाल होआ, ओह् सारा दा सारा खूहै चा कड्डी गै इस्तेमाल कित्ता गेआ।

इस खूहै दी गैहाई पानियै दे लैवल तक 100 फुट ऐ ते 25 फुट एह्दे च पानी ऐ।एह्दे च 100 फुट लज्ज पेदी ऐ। इसदा पानी सोयै ठंडा ते सेआले गर्म होंदा ऐ। एह्दा पानी केईये बमारियें लेई करामद ऐ।रघुनाथ जी दा मंदर ते एह् खूह् लगभग 200 बरे पराने न।

इत्थूं तगर पुज्जने दे दो रस्ते न –

पैह्ला – बस अड्डे थमां बजारो-बजार चौक-चबूतरे तक ते फ्ही चौक-चबूतरे थमां खलकी बक्खी महादेव मंदरै आह्ली गली च 300 मीटर अग्गे जाई एह् खूहै आह्ला मंदर औंदा ऐ, जेह्दे अंदर पंते दा घर बी ऐ।

दूआ – महादेव महल्ले चांऔंदा ऐ। एह् महादेव मंदरे थमां 500 मीटर ऊपरली वक्खी ऐ।

बाबा सखन दास होंरें श्री राम चन्द्र होंरें गी अपना चेला वनाया ते रघुनाथ मंदर ते खूह् उन्हें गी सौंपी दीत्ता। राम चंद्र होंदे परैंत श्री कृपा राम होर रघुनाथ मंदरै दी दिक्ख-रिक्ख करदे रेह् ते फ्ही स्व श्री देव राज होर ते अज्ज-कल प.कृष्ण लाल होर इस मंदरै दे पुजारी न। इस मंदरै दी ते खूहै दी बड़ी म्हता ऐ। खूहै आह्ला मंदर बड़ा गै मशहूर मंदर ऐ। इस मंदरै च राम लखन ते सीता माता दी मुर्तियें दे अलावा बाबा सखन दास दी समाधी बी मंदरै दे बाह चबुतरे च बनाई गेदी ऐ। जेह्की इस धर्मात्मा दा चेता नोआंदी ऐ। जिस्सने रियासी गी खूह् ते रघुनाथ मंदरै जेनही बरासत देई मालामाल कीत्ता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नांड योगराज मैंगी, ग्रांड रियासी, उम्र 85 साल
2. नांड पंडत रतन लाल, ग्रांड रियासी, उम्र 62 साल
3. नांड सूरज प्रकाश लखनपाल, ग्रांड रियासी, उम्र 65 साल
4. नांड सुभाष थनथाल, ग्रांड रियासी, उम्र 63 साल
5. नांड कृष्ण लाल शर्मा, ग्रांड रियासी, उम्र 80 साल
6. नांड पंडत रतन लाल, ग्रांड रियासी, उम्र 62 साल
7. नांड शशि भूषण केसर, ग्रांड रियासी, उम्र 66 साल
8. नांड कुलदीप पंडोह, ग्रांड रियासी, उम्र 68 साल
9. नांड तरीप्ता अरोडा, ग्रांड रियासी, उम्र 64 साल
10 नांड राम प्रकाश, ग्रांड रियासी, उम्र 62 साल

* जम्मू विश्वविद्यालय, ग्राम माडी, रियासी पोस्ट ग्राम मोड (जम्मू व कश्मीर) भारत

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) July To September 2019, Vol. I

भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसानों के अधिकारों का विधिक अध्ययन

डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल *

शोध सारांश – किसानों को विश्व में समाज के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जगत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कृषि के संरक्षण एवं नवाचार में कृषि श्रमिक को और अधिक मान्यता दी जा रही है हालांकि अभी तक किसानों के अधिकारों के बारे में कोई विस्तृत पृथक व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों के अधिकारों के बारे में 1989 (FAO सम्मेलन) की घोषणा में पहली बार चिंता प्रकट की गई थी।

किसानों के मानव अधिकार वे प्राचीन एवं मूलभूत अधिकार है जो कृषक, बीजों एवं पौधों के किस्मों पर रखता है। यह अधिकार कृषकों के महत्वपूर्ण भूमिका से उत्पन्न होता है। इसलिए किसान के अधिकार उनके स्वयं द्धारा प्राचीन किस्मों के संरक्षण पर भी है और साथ ही साथ आधुनिक किस्म जो प्राचीन किस्मों के ब्रीड (Bread) से बने हैं उन पर भी किसान के अधिकार है। इस अध्ययन में बीज अधिनियम 1966 एवं पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – बीज, किसान, पौधा, संरक्षण, जैव विविधता, किस्म।

अध्ययन का उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसानों के अधिकारों का विधिक अध्ययन करना है। इस अध्ययन में बीज अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम और पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र पुर्णत: सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों प्राप्त सुचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

विवेचना – किसानों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न अधिनियमों में प्रावधान किये गये हैं। परन्तु किसानों के प्रत्यक्ष अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाये गये विधियों का अध्ययन अग्रलिखित है।

बीज अधिनियम 1966 – इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विक्रयार्थ बीजों के गुणवत्ता के विनियमन और तत्वसंगत बातों के लिए उपबंधित किया गया यह अधिनियम कृषकों के प्रत्यक्ष मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए पारित किया गया क्योंकि कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त हो सके। इस अधिनियम में कुल 25 धाराएँ हैं।

अधिनियम की **धारा 1** संक्षिप्त तथा विस्तार के संबंध में वर्णन है। **धारा 2** के अन्तर्गत परिभाषाओं को स्थान दिया गया है। **धारा 3** में केन्द्रीय बीज समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। **धारा 5** के अन्तर्गत बीजों की किस्मों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के **धारा 14** में बीज निरीक्षक की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके तहत बीज निरीक्षक को यह शक्ति है कि वह बीज के नमूने ले सकेगा तथा घटिया बीज के विक्रेताओं की तलाशी लेकर उन्हे विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकारों का प्रावधान है। इस अधिनियम द्धारा या उसके अधीन प्रदत्ता किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करेगा; तो वह दोषसिद्ध किए जाने पर निम्नलिखित प्रकार के दण्डनीय होगा–

(i) प्रथम अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा; तथा

(ii) उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का पहले की दोषसिद्ध किया जा चुका हो कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, यो जर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनो से। इस प्रकार यह अधिनियम बीजों के धोखधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम है।

पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य – पौधा किस्मों, किसानो और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।

नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधन उपलबध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्धारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजानिक व निजी दोनो क्षेत्रो में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना है।

किसानो हेतु इस अधिनियम का महत्व – इस अधिनियम द्धारा पौधा किस्मों, किसानो के अधिकारों और पादप प्रजनको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना है।

पौधा किस्मों का संरक्षण, नई प्रजातियों और तकनीकी को किसानों को उपलब्ध कराने में बढ़ावा देना।

यदि प्रजनक किसान किस्म को नई किस्म के विकास में उपयोग करता हे तो ऐसी दशा में किसान/किसान समुदाय लाभ सहभागिता/हर्जाना हेतु दावा कर सकता है।

यदि पंजीकृत किस्म का बीज उपलब्ध नही है अथवा उचित कीमत पर उपलब्ध नही है तो ऐसी दशा में अनिवार्य लायसेंस स्वीकृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय जीन फंड से किसान/किसान समुदाय को कृषि जैव विविधता के संरक्षण हेतु पहचान अथवा पुरूस्कार दिया जा सकता है।

* सहा. प्राध्यापक, डॉ. सी. वी रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

अधिनियम में किसानों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए है। बीज का अधिकार, अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार, पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार, किसान किस्म का प्राधिकृतिकरण, स्थानीय समुदायों के लोगों के योगदान का अधिकार होगा।, लाभ के भागीदारी का अधिकार, अनजाने में किए गए नियम उल्लघंन से सुरक्षा का अधिकार।

जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 – जैव विविधता सम्मेलन 1992 के तहत भारत जैव विविधता संरक्षण के उपायो को लागू करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 8 (जे) के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय निवासियो के पारंपरिक ज्ञान, व्यवहार और नई खोजों को महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय निवासियों के ज्ञान, व्यवहार और नये प्रयत्न/खोजों से जो भी लाभ होगा, उसके उनके योगदान के अनुपात में न्यायोचित रूप से बांटा जाएगा।

जैव विविधता संरक्षण से, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारे, स्थानीय पंचायतें, उद्योग, स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्रामीण इत्यादि सभी संबंधित है एवं इस कार्य में प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी संबंधित पक्षों के विचारो को समाहित करते हुए भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 लागू किया है। जिसके के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं –

धारा 3 सभी विदेशी नागरिक यदि जैव सम्पति करने के इच्छुक है तो उन्हे भारतीय राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) चेन्नई से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

धारा 4 भारतीय नागरिक अथवा संस्था यदि जैवविविधता से संबंधित ज्ञान, अनुसंधान अथवा जैवविविधता (पौधे, जीव–जंतु के कोई भाग) किसी विदेशी नागरिक को देना चाहते है तो उन्हे भी एन.बी.ए. चेन्नई से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

धारा 5 शासन समर्थित 'सम्मिलित' (कोलेबोरेटिब) अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

धारा 6 किसी भी 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार' (आई.पी.आर.) जो भारत की जैवविविधता सामग्री या इससे संबंधित ज्ञान पर आधारित हो, को दायर करने के पूर्व भी एन.बी.ए. चेन्नई से अनुमति लेनी होगी।

धारा 7 भारतीय नागरिक को यदि प्रदेश की किसी जैविक सम्पदा का व्यापारिक उपयोग के लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए राज्य जैवविविधता बोर्ड को पूर्व में सूचित करना होगा। इसके अंतर्गत किसान वैद्य, हकीम जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को उपचार के लिए उपयोग है, उन्हें छूट दी गई है।

धारा 8 राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) की स्थापना एवं उसका संगठन।

धारा 13 एन.बी.ए. की विभिन्न कमेटी।

धारा 18 एन.बी.ए. के कार्य एवं अधिकार

धारा 19 एन.बी.ए. द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियां।

धारा 21 यह निर्देश कि लाभांश के न्यायोचित वितरण को एन.बी.ए. कैसे तय करेगा।

धारा 22 राज्यों के जैवविविधता बोर्ड गठन सेक्शन 23 राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्य।

धारा 24 राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकार।

धारा 26 राष्ट्रीय जैव विविधता कोष। सेक्शन 32 राज्य जैव विविधता कोष।

धारा 36 केन्द्र शासन द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यनीति योजना इत्यादि बनाना।

धारा 36 (अ) जैव विविधता संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को मार्ग–दर्शी सिद्धांत जारी करेगी।

धारा 36(3) (1) विभिन्न विकास परियोजनओं का जैव विविधता पर पडने वाले प्रभाव का आकलन करना।

धारा 36(4) पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास।

धारा 37 जैव विविधता विरासत (हेरिटेज) निर्धारित करना।

धारा 38 प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती है, उनकी अधिसूचना।

धारा 39 संग्रहण स्थानों का पदाकन।

धारा 40 सामान्य रूप से व्यापार में उपयोग होने वाली जैव सम्पत्ति को अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर करने हेतु।

धारा 41 स्थानीय संस्थाओं द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन।

धारा 42 स्थानीय जैव विविधता कोष।

धारा 52 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेशो के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालयों में अपील।

धारा 53 एन.बी.ए./राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश सिविल कोर्ट को समकक्ष प्रस्तुत करना।

धारा 55 दंड का प्रावधान (5 वर्ष तक करावास अथवा जुर्माना 10 लाख रूपया नुकसानी के जुर्म के अनुपात में होगा)

धारा 59 अधि. अन्य अधि. के अतिरिक्त प्रभावी होगा।

धारा 61 अपराध का संज्ञान लेना।

धारा 62 केन्द्र शासन के नियम बनाने बाबत् अधिकार।

धारा 63 राज्य शासन के नियम बनाने बाबत्।

धारा 64 नियम बनाने के अधिकार।

धारा 65 कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां।

मूल्यांकन – इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारत में किसानों के अधिकार संरक्षण में बीज अधिनियम 1966 का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा प्रमाणित बीज प्राप्त होने से कृषकों को आय के साथ मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होता है। **पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001** पौधा किस्मों, किसानो और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ है जिससे कि किसानों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सका है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न विकास परियोजनओं का जैव विविधता पर पडने वाले प्रभाव का आकलन करने, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रमन्ना अनिता, 'फारमर्स राइट्स इन इंडिया'
2. बाला रवि एस., 'मेन्यूअल ऑन फारमर्स राइट्स'
3. पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतराष्ट्रीय उपक्रम की प्रगति रिपोर्ट, FAO, 1980 (CPGR/87/4.Dec.1986)
4. बीज अधिनियम 1966
5. जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002
6. पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में सुधार संस्थाएँ – एक अध्ययन

डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल *

शोध सारांश – बाल अपराध आधुनिक युग की एक गंभीर समस्या है जो पूरे विश्व में फैली हुयी है। बाल अपराध किसी बालक द्वारा उसके बचपने या लड़कपन के कारण कारित कर दिये जाते है जबकि ऐसे अपराध कारित करने का उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। यदि किसी किशोर को उसकी इस किशोर अवस्था में अपराध की दुनियॉ में ढकेल दिया जाय तो उसका भविष्य एवं संपूर्ण जीवन अपराधमय हो जायेगा।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अयॅर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा–पीढ़ी पर निर्भर करता है इसलिए बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति दर्शाई जानी चाहिए और साथ ही साथ उनकी उचित देख–रेख एवं संरक्षा की जानी चाहिए। चूँकि बालक जन्मत: अबोध और निर्विकार होते है, अत: यदि उनका पालन–पोषण सावधानी पूर्वक किया जाए तो उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा और वे उत्तम नागरिक बनेंगे। परंतु यदि उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें दूषित वातावरण में रखा गया, तो वे कुसंगति में पड़कर आपराधिकता की ओर प्रवृत्त होंगे। इसलिए इस प्रकार के अपचारी बालकों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षाकृत श्रेयष्कर सिद्ध होती है। इस अध्ययन में भारत में किशोर अपचारिता हेतु बनाए गए सुधारात्मक संस्थाओं का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – किशोर, अप्राप्तवय, सुरधार, अपचार, बाल न्यायालय।

अध्ययन का उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थापित अप्राप्तवय अपराधिता हेतु सुधार संस्थाओं का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र पुर्णत: सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों प्राप्त सुचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

विवेचना – अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में निम्नलिखित सुधार संस्थाएँ हैं–

बाल न्यायालय – अप्राप्तवय अपराधों के लिये सरकार द्वारा किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो सामान्य न्यायालयों से सर्वथा भिन्न है। जब कभी इस न्यायालय के सम्मुख कोई अपराधी प्रस्तुत किया जाता है तब उसका न्यायाधीश स्वयं इस तथ्य पर सोच–विचार करता है कि उनको किस प्रकार से सुधारा जाये। वर्तमान भारतवर्ष में दिल्ली, पिश्चमी बंगाल, तमिलनाडु, मद्रास, मैसूर आदि में इस प्रकार के किशोर न्यायालय कार्यरत है।

संप्रेक्षण गृह – विचाराधीन अपराधी किशोरों को विचारण के दौरान कुछ समय के लिए अभिरक्षा में रखे जाने हेतु संप्रेक्षण गृहों की स्थापना की गई है। इनमें किशोर के लिए निवास सुविधा, भरण पोषण और चिकित्सा परीक्षा तथा उपचार की व्यवस्था के साथ साथ उसके लिए उपयोगी उपजीविका की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकार या तो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों से किसी करार के अधीन प्रत्येक जिले अथवा जिलों के किसी समूह में जैसा कि अपेक्षित हो किशोर न्याय अधिनियम के अधीन विधि विवादित किसी किशोर से संबंधित किसी जांच की लम्बितावस्था के दरमियान उनके अस्थायी प्रवेश के लिये स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संप्रेक्षण गृहों के प्रबंधन का है जिसमें किसी किशोर के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिये उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवायें और मानक भी सम्मिलित है और उन परिस्थितियों का जिसके अधीन वह तरीका जिससे किसी संप्रेक्षण गृह को प्रमाणित किया और उसको वापस लिया जा सकता है उपबंध कर सकती है।

विशेष गृह – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 9 में विधि विरोधी किशोरों के लिए राज्य द्वारा विशेष गृह स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इनमें अपचारी किशोरों के लिए निवास की सुविधा, भरण पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था है। विशेष गृह के विधि विवादित किशोरों को उनकी आयु तथा उनके द्वारा किये गये अपराधों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके उनका पृथक्करण किया जाता है।

कोई राज्य सरकार या तो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों से किये गये किसी करार के अधीन प्रत्येक जिलों या जिलों के किसी समूह में जैसा अपेक्षित हो इस अधिनियम के अधीन विधि विवादित किशोर के प्रवेश और पुनर्वास के लिये विशेष गृहों को स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विशेष गृहों के प्रबंधन की जिसमें वे मानक और विभिन्न प्रकार की सेवायें भी सम्मिलित है जो उनके द्वारा प्रदान की जायेंगी जो कि किसी किशोर के पुर्न समाजीकरण के लिये आवश्यक है और परिस्थितियों की भी जिनके अधीन और तरीकों की भी व्यवस्था कर सकती है जिनसे किसी विशेष गृह को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है।

आश्रयगृह – उपेक्षित और अभित्यक्त किशोरों की नियमित सुरक्षात्मक देख रेख के लिए आश्रय गृह स्थापित किये गये है। इनमें लम्बीत अवधि के लिए रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है। आश्रय गृहों में उपेक्षित किशोरों को उचित अनुशासन में रखा जाता है ताकि वे अपने भावी जीवन को सुधार सके। इस संबंध में किशोर न्याय (बालको की देखरेख एंव संरक्षण)

* सहा. प्राध्यापक, डॉ. सी. वी रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

अधिनियम 2000 की धारा 37 में समुचित प्रावधान है।

प्रमाणित विद्यालय – निराश्रित एंव तिरस्कृत बाल अपराधियों के सुधार हेतु स्थापित प्रमाणित विद्यालय सुधार संस्थाओं की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में प्रमाणित विद्यालयों को औद्योगिक विद्यालय के नाम से सम्बोधित किया गया है। ऐसे विद्यालय या तो राज्य द्वारा स्थापित किये जाते है या फिर बाल अपराधियों को स्वीकार करने के लिए राज्य द्वारा मान्य होते हैं।

प्रमाणित विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बाल अपराधियों को पहले रिमाण्ड होम में रखा जाता है जहां उनके व्यक्तित्व की भूमिका सामाजिक एंव मनोवैज्ञानिक पहलुओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अपराधियों को बाल न्यायालयों के समक्ष पेश किया जाता है। बाल न्यायालय यदि उचित समझता है कि ऐसे अपराधियों को संस्थागत उपचार की आवश्यकता है तो उन्हें प्रमाणित विद्यालयों से प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। वर्तमान प्रमाणित विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी में कार्यरत सुधार गृहों अथवा औद्योगिक विद्यालयों का ही उपान्तरित स्वरूप है जिनमें लावारिस, उपेक्षित या अपचारी बालकों तथा किशोरों को रखा जाता है।

सुधार विद्यालय – बाल अपराधियों में शिक्षा के माध्यम से सुधार लाने वाली यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। सुधार संस्थाओं का अध्ययन करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि – सुधारालय वह संस्था है जिसमें साधारणतया सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्थात् किशोर अपराधी भर्ती किए जाते है जो पहले सजा काट चुके होते है और जिन पर माता पिता या किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सुधार विद्यालयों की स्थापना के मुख्य दो उद्देश्य है –

1. बाल अपराधियों में सुधार तथा
2. बाल अपराधियों का पुनर्वास।

रिमाण्ड होम – रिमाण्ड होम एक मध्यवर्ती संस्था है जहां बाल अपराधियों को गिरतारी के बाद एंव संस्थगत उपचार से पूर्व रखा जाता है। इस दौरान बाल अपराधियों के व्यक्तित्व एंव उनके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। रिमाण्ड होम का मुख्य उद्देश्य है –

1. बाल अपराधियों की शिक्षा दीक्षा भरण पोषण आदि की व्यवस्था करना
2. बाल व्यवहार का अध्ययन करना
3. बाल अपराधियों की शारीरिक एंव मानसिक दशा का पता लगाना
4. आपराधिक व्यवहार के कारणों को तलाशना
5. मुक्ति के बाद उन्हें समुचित दिशा निर्दश प्रदान कराना आदि।

किशोर न्याय बोर्ड – धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार को किसी जिले या जिलों के किसी समूह के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डो के गठन के लिए सशक्त करती है ताकि वे अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डो को विधि विवादित किशोरों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार गठित किशोर न्याय बोर्ड में एक महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जैसी भी स्थिति हो तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता होना आवश्यक है जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होना आवश्यक है। इस प्रकार स्थापित किये गए बोर्ड को विधि विवादित किशोर के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों से संव्यवहार करने की अनन्यतम शक्ति प्रदान की गई है।

बालक कल्याण समिति – किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 29 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार जितने आवश्यक हो उतनी बालक कल्याण समितियों का गठन कर सकती है। इस प्रकार गठित समितियॉ देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी जो कि ऐसी समितियों को प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार गठित समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे जिसमें एक महिला होगी और एक अन्य वह व्यक्ति होगा जो बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ हो।

बालक गृह – राज्य सरकार की देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को जॉच की विचारण अवस्था में प्रवेश हेतु और तत्पश्चात् उनकी देख–रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास के लिए या तो स्वयं अथवा स्वयं सेवी संगठनों से मिलकर बालक गृहों की स्थापना करेगी। उच्चतम न्यायालयों ने इस संबंध में निर्देश दिये है कि बालगृहों में बेगार नहीं ली जानी चाहिए और नाहीं बालकों से बिना वेतन या पारिश्रमिक दिये काम लिया जाना चाहिए।

निरीक्षण समितियॉ – राज्य सरकार ऐसी अवधि और ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विहित किया जाय राज्य किसी जिले और नगर के लिए जैसी स्थिति हो बालक गृहों के लिए निरीक्षण समितियॉ नियुक्त करेंगी जिन्हें इसके बाद निरीक्षण समिति के रूप मे निर्दिश्ट किया जायेगा।

केन्द्रीय,राज्य,जिला और नगरीय सलाहकार बोर्ड – केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार उस सरकार को गृहों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के संबंध में स्त्रोतों के संचालन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि विवादित किशोरों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सुविधाओं के उपबंध और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संबंधित अभिकरणों के बची समन्वय जैसे विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय अथवा एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगा।

विशेष किशोर पुलिस युनिट – प्रत्येक राज्य में विशेष किशोर पुलिस युनिटों की स्थापना की जाए जो विधि विवादित किशोरों एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालाकों पर निगरानी रखे तथा उनके मामले निपटाने में सहायता करे। इसी प्रकार प्रत्येक पुलिस थाने में एक किशोर न्याय इकाई होनी चाहिए जिसका मुखिया विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी हो जिसे किशोर कल्याण पुलिस अधिकारी कहा जाए।

रेस्क्यू होम – रेस्क्यू होम में ऐसी लड़कियों या महिलाओं को रखा जाता है जिन्हें वेश्यालयों या अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के कब्जे से बरामद किया जाता है आमतौर पर रेस्क्यू होम में ऐसी महिलाओं को या लड़कियों को रखा जाता है जिन पर अदालत में मुकदमा चल रहा हो इन रेस्क्यू होम का उद्देश्य अपराधियों को सुधार कर समाज में पुनर्वास सहायता प्रदान करना होता है।

महिला सदन, नारी निकेतन एवं महिला आश्रम – इस प्रकार की संस्थाऍ सरकारी या गैर सरकारी भी हो सकती है इन संस्थाओं की स्थापना मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों, बलात्कार की षिकार लड़कियों, परिवार से त्याग दी गयी लड़कियों या वेश्यालयों से छुड़ायी गयी लड़कियों के लिए किया गया है इन संस्थाओं में अनाथ और बेसहारा लड़कियॉ भी भर्ती की जाती है जहॉ इन्हे आवास और भोजन के अलावा व्यवसायिक और अन्य शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे रोजी रोटी कमाने योग्य बन सकें और फिर समाज में सम्मान जनक जीवन जी सके।

उपसंहार – उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम 2000 के पश्चात् अप्राप्तवय

अपराधियों के सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं जैसे बाल न्यायालय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, आश्रयगृह, प्रमाणित विद्यालय, सुधार विद्यालय, रिमाण्ड होम, किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति, बालक गृह, निरीक्षण समितियॉ, केन्द्रीय,राज्य,जिला और नगरीय सलाहकार बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस युनिट, रेस्क्यू होम, महिला सदन, नारी निकेतन एवं महिला आश्रम इत्यादि की स्थापना एक महत्वूपर्ण कदम है परन्तु इतनी व्यवस्थाएं होने उपरांत भी अप्राप्तवय अपराधियों में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है आए दिन इन सुधार गृहों की अव्यवस्थाएं विभिन्न प्रसार माध्यमों से पता चलता है जैसे कि बिहार के नारी निकेतन की घटना इस बात द्योतक है कि इन सुधारात्मक संस्थाओं के पर्यवेक्षण में कमियां हैं। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक इन संस्थाओं के उद्देश्य फलिभूत नहीं हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

शोध पत्र तैयार की विधि

Method of Preparing of Research Paper

1. शीर्षक – Title
2. शोध सारांश – Abstract
3. शब्द कुंजी – Key words
4. प्रस्तावना – Introduction
5. उद्देश्य – Object
6. शोध परिकल्पना– Research Hypothesis
7. शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – Research Methods & Area
8. शोध उपकरण – Research Tools
9. सांख्यिकी तकनीक – Statistics Technics
10. शोध व्याख्या – Description
11. निष्कर्ष – Conclusion
12. सुझाव – Suggestion
13. संदर्भ ग्रंथ सूची – References
    - a. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक – Kotler, Philip : Marketing Management, 2007 P. 196
    - b. राष्ट्रीय पुस्तक – कुमार, वि. : जनांकिकीय 2006, पृष्ठ 42
    - c. अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल – नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767
      जुलाई से सितम्बर 2014, पृष्ठ क्र. 81
    - d. राष्ट्रीय शोध जर्नल – नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767
      जुलाई से सितम्बर 2013, पृष्ठ क्र. 222
    - e. अप्रकाशित शोध ग्रंथ – शर्मा लक्ष्मीनारायण : मन्दसौर जिले का जनांकिकीय अध्ययन1971 से 1991 अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबन्ध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1995, पृष्ठ क्र.132
    - f. पत्रिकाऐं – रचना, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल फरवरी 2014 पृ. क्र.84
    - g. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर, रतलाम संस्करण, 5 सित. 2014, पृ. क्र. 6
    - h. वेबसाईट – www.nssresearchjournal.com
    - i. अन्य – व्यक्तिगत सर्वे एवं विभागों से प्राप्त जानकारियां
14. शब्द सीमा – Word Limit - 2000
15. व्यक्तिगत जानकारी – नाम,
    पद,
    महाविद्यालय का नाम,
    निवास का पता,
    मोबाइल नं. व
    ईमेल एड्रेस आदि।